


भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का
प्रतिवेदन


मार्च 2010 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

संघ सरकार (सिविल)
स्वायत्त निकाय
2011-12 की सं.17
(निष्पादन लेखापरीक्षा)



विषय सूची

		पृष्ठ
प्राक्कथन		<i>iii</i>
कार्यकारी सारांश		<i>v</i>
अध्याय I :	समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय)	1
अध्याय II :	असम विश्वविद्यालय के कार्य (मानव संसाधन विकास मंत्रालय)	29
अध्याय III :	जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (मानव संसाधन विकास मंत्रालय)	63
अध्याय IV :	राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान के कार्यकलाप, कोलकाता (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय)	91
अध्याय V :	दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि का अधिग्रहण एवं विकास (शहरी विकास मंत्रालय)	113




प्राक्कथन

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन निम्नलिखित केन्द्रीय स्वायत्त निकायों की निष्पादन लेखापरीक्षा के परिणामों को अन्तर्विष्ट करते हुए संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है:

क्र. सं.	स्वायत्त निकाय का नाम	मंत्रालय
1.	समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण	वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
2.	असम विश्वविद्यालय	मानव संसाधन विकास मंत्रालय
3.	जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय	मानव संसाधन विकास मंत्रालय
4.	राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान के कार्यकलाप, कोलकाता	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
5.	दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि का अधिग्रहण एवं विकास	शहरी विकास मंत्रालय

इन निष्पादन लेखापरीक्षाओं में 2010-11 के दौरान संचालित उपरोक्त स्वायत्त निकायों के अभिलेखों की नमूना जाँच के परिणाम शामिल हैं।



कार्यकारी सारांश

इस प्रतिवेदन में (i) समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (ii) असम विश्वविद्यालय के कार्यकलाप (iii) जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (iv) राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान कोलकाता एवं (v) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि का अधिग्रहण एवं विकास के निष्पादन लेखापरीक्षा के निष्कर्ष शामिल हैं।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण

समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (प्राधिकरण) का, वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के नियंत्रणाधीन समुद्री उत्पादों के निर्यात पर विशेष बल देते हुए समुद्री उत्पाद उद्योग के प्रोत्साहन तथा विकास हेतु समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम 1972 (1972 की सं.13) के अंतर्गत 1972 में गठन किया गया था। निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए प्राधिकरण अपने क्रियाकलाप, मुख्यतः छ: मुख्य शीर्षों नामतः विपणन प्रोत्साहन, कौच्चर फिशरीज़, कल्वर फिशरीज़, संसाधन, अवसंरचना एवं मूल्य वर्धन, गुणवत्ता नियंत्रण, अनुसंधान तथा विकास के अंतर्गत मछुआरों/हैचरीज/एक्वा फार्मस / संसाधकों तथा निर्यातकों को वित्तीय सहायता प्रदान करके पूरे करता है।

वर्ष 2005-06 से 2009-10 की अवधि शामिल करते हुए प्राधिकरण की निष्पादन लेखापरीक्षा से प्रकट हुआ कि वित्तीय सहायता योजनाओं से जुड़े हुए पश्च संवितरण जोखिमों का पर्याप्त ढंग से पता नहीं लगाया गया था। लेखापरीक्षा ने योजनाओं के नियोजन तथा प्रतिपादन, योजनाओं के उद्देश्य प्राप्त करने में कमी/विफलता, निर्यात वचनबद्धता तथा बैंक गारंटी पर विवेचित नियंत्रणों में कमी की त्रुटियां भी पाई। इसके अतिरिक्त, उसने यह भी पाया कि योजना के परिणाम पर लाभभोगियों से फीडबैक प्राप्त करने की कोई प्रक्रिया नहीं थी।

(पैराग्राफ 1)

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

असम विश्वविद्यालय

असम विश्वविद्यालय के कार्यकलाप

असम विश्वविद्यालय को संसद के अधिनियम-असम विश्वविद्यालय अधिनियम, 1989 के अंतर्गत 1994 में सिल्वर में स्थापित किया गया था। यह विभिन्न विषयों में अनुदेशात्मक एवं अनुसंधान सुविधाएं प्रदान करके ज्ञान को विसरित एवं उन्नत करने तथा विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कार्यक्रमों में मानविकी, प्राकृतिक एवं भौतिक विज्ञान तथा

सामाजिक विज्ञान में एकीकृत पाठ्यक्रमों हेतु प्रावधान तैयार करने पर लक्षित है। उत्तर पूर्व के दूरदराज क्षेत्रों में लोगों को उच्चतर शिक्षा का क्षेत्र प्रदान करने तथा क्रबी एंगलोंग के लोगों की दीर्घावधि मांगों को पूरा करने हेतु जुलाई 2007 में दीपहू में एक अन्य परिसर स्थापित किया गया था जहाँ छः स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारम्भ किए गए थे।

विश्वविद्यालय की निष्पादन लेखापरीक्षा ने प्रकट किया कि यह ₹ 14.30 करोड़ तक की सीमा के अपने संसाधनों का प्रभावी रूप से उपयोग नहीं कर सका क्योंकि प्रतिवेदन की अवधि के दौरान 28 पी.जी. पाठ्यक्रमों में उपलब्ध सीटों का 17-39 प्रतिशत तथा चार यू.जी. पाठ्यक्रमों में 26-59 प्रतिशत रिक्त रहा। इसके विपरीत, प्रतिवेदन के लगभग सभी वर्षों में तीन पाँच वर्षीय एकीकृत पाठ्यक्रमों में अधिक छात्रों को दाखिल किया गया था। विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों द्वारा आरम्भ की गई कुल 46 अनुसंधान परियोजनाओं में से, केवल 12 परियोजनाओं को ही जून 2010 तक समाप्त किया जा सका था। विद्यमान अनुसंधान परियोजनाओं को मॉनीटर करने के लिए कोई प्रक्रिया नहीं थी। 2005-10 के दौरान सभी वर्षों में 39-73 प्रतिशत के बीच योजनागत निधि अप्रयुक्त रही। पूर्व वर्षों के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में इंगित किए जाने के बावजूद भी विश्वविद्यालय ने कोई आंतरिक लेखापरीक्षा स्कंध संस्थापित नहीं किया था।

(पैराग्राफ 2)

जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय

जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (विश्वविद्यालय) को संसद के अधिनियम-जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय अधिनियम 1966 (अधिनियम) के अंतर्गत 1966 में स्थापित किया गया था। इसका लक्ष्य शिक्षण एवं अनुसंधान फैलाना एवं प्रकट करना तथा ऐसे सिद्धांतों, जिसके लिए जवाहर लाल नेहरू ने अपने जीवन काल के दौरान कार्य किया, नामतः राष्ट्रीय एकीकरण, सामाजिक-न्याय, धर्मनिरपेक्षवाद, जीवन का लोकतान्त्रिक मार्ग, अंतर्राष्ट्रीय मेल-मिलाप तथा समाज की समस्याओं के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अध्ययन को बढ़ाने के लिए उनके सामूहिक जीवन के प्रभाव तथा उदाहरण द्वारा उनको प्रचलित करना तथा ज्ञान को बढ़ाना है।

विश्वविद्यालय की निष्पादन लेखापरीक्षा ने प्रकट किया कि यह अपने संसाधनों का मितव्ययी तथा प्रभावी रूप से उपयोग नहीं कर सका क्योंकि प्रतिवेदन की अवधि के दौरान विभिन्न पाठ्यक्रमों में उपलब्ध सीटों का 11 प्रतिशत त्रुटिपूर्ण दाखिला नीति के कारण रिक्त रहा। अवसंरचना के विकास हेतु प्राप्त अनुदान 31 प्रतिशत की सीमा तक अप्रयुक्त रही। विश्वविद्यालय अपनी वार्षिक आवर्ती व्यय का अधिकतम 5.91 प्रतिशत सृजित कर सका जो कि 1992-93 में पुनर्नैया समिति द्वारा अनुशंसित 25 प्रतिशत के लक्ष्य से काफी कम था। इसने अपनी अधिशेष निधियों को लघु अवधि जमा में निवेश नहीं किया था जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.39 करोड़ के ब्याज की हानि हुई। पहले की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में हमारे इंगित किए जाने के बावजूद विश्वविद्यालय ने विभिन्न विभागों द्वारा प्रारम्भ की गई अनुसंधान परियोजनाओं की मॉनीटरिंग हेतु कोई क्रियाविधि सृजित नहीं की थी।

(पैराग्राफ 3)

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय

राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान, कोलकाता

राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान के क्रियाकलाप

राष्ट्रीय अस्थि विकलांगता संस्थान (संस्थान) की पहले के सामाजिक कल्याण मंत्रालय (अब सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय) के अंतर्गत 1978 में भारत सरकार द्वारा कोलकाता में स्थापना की गई थी। इसे मुख्य रूप से विकलांग व्यक्तियों को सेवाएं प्रदान करने हेतु मानव संसाधन को विकसित करने के उद्देश्य के लिए स्थापित किया गया था।

संस्थान की निष्पादन लेखापरीक्षा ने उजागर किया कि यह वर्ष 2000 से 10 वर्षों की अवधि में केवल 257 पूर्वस्नातक तथा वर्ष 2007 से चार वर्षों की अवधि में 14 स्नातकोत्तर को ही तैयार कर सका। 45 की संस्वीकृत कर्मचारी संख्या के प्रति 16 संकायों की कमी थी। संस्थान अवसंरचना की कमी का सामना भी कर रहा था क्योंकि 20 की आवश्यकता के प्रति इसके पास केवल नौ क्लास रूम थे। इसके अतिरिक्त, अस्थि विकलांगों के पुनर्वास के संबंध में प्रायोजित अनुसंधान संचालित करना इसका एक मुख्य उद्देश्य था फिर भी संस्थान ने प्रतिवेदन की अवधि के दौरान कुल योजनागत अनुदान का केवल 5.31 प्रतिशत ही आबंटित किया तथा आबंटन के केवल 25 प्रतिशत का ही उपयोग किया।

जबकि संस्थान नियमित रूप से मुख्य एवं लघु आपरेशन कर रहा था फिर भी आपरेशन - पश्चात रोगियों हेतु सर्जिकल आई.सी.यू. के लिए कोई स्कंध निर्धारित नहीं था; तथा रक्त बैंक भी नहीं था जो 'डी.एन.बी.' पाठ्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षण हेतु भी अपेक्षित था। फ्रोस्थेटिक्स एवं और्थोटिक्स के निर्माण तथा एकत्रण हेतु अपेक्षित सामग्रियों की अपर्याप्त आपूर्ति के साथ-साथ उपकरण, स्टाफ आदि की भी कमी थी।

(पैराग्राफ 4)

शहरी विकास मंत्रालय

दिल्ली विकास प्राधिकरण

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि का अधिग्रहण एवं विकास

मास्टर योजना के अनुसार दिल्ली के विकास को सुनिश्चित करने तथा वृद्धि करने हेतु दिल्ली विकास प्राधिकरण (दि.वि.प्रा.) अधिनियम, 1957 के प्रावधान के अन्तर्गत दिल्ली विकास प्राधिकरण का सृजन हुआ तथा इस उद्देश्य के लिए दि.वि.प्रा. के पास, भूमि और अन्य सम्पत्ति का अधिग्रहण, उसको रोकने, उसके प्रबंधन तथा बेचने और भवन निर्माण करने, इंजीनियरिंग, खनन तथा अन्य प्रचालन, पानी और बिजली की आपूर्ति के संबंध में कार्य करने, सीवेज़ का निपटान और अन्य सेवाओं तथा सुख-सुविधाओं तथा


सामयिक उद्देश्य के लिए तथा इन विकास के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए तथा आकस्मिक उद्देश्य के लिए अधिकार होगा।

वर्ष 2005-06 से 2009-10 की अवधि के दौरान दि.वि.प्रा. ने ₹ 2060.43 करोड़ की लागत पर 6046.06 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया। इस अवधि के दौरान बीस विकास योजनाओं पर जिनमें सर्वे और सीमांकन, समतल तथा साज-सज्जा करना, परिधीय स्टॉर्म जल नालाओं का निर्माण, आंतरिक नालों का निर्माण, जल आपूर्ति लाईनें, सीवरेज़ ग्रिल फेनसिंग: तथा भूमिगत पानी का टैंक व पंप घर आदि पर ₹ 2612.18 करोड़ का व्यय किया गया था। पाँच वर्षों की अवधि के दौरान ₹ 479.86 करोड़ का व्यय सम्प्रित करते हुए भूमि अधिग्रहण तथा विकास की छः योजनाओं की निष्पादन लेखापरीक्षा से मास्टर प्लान के उद्देश्यों की प्राप्ति न होना, अधिक भुगतान की वसूली न होना बाधा रहित स्थल की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना कार्य प्रदान किया जाना, अनुचित विलम्ब और अधिक व्यय का पता चला।

(पैराग्राफ 5)

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण



**अध्याय I: समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण
(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय)**

विशिष्टताएं

- वर्ष 2007-08 से 2009-10 के लिए ₹ 42.50 करोड़ के आबंटन के प्रति ₹ 3 करोड़ की राशि निर्यात बढ़ाने के लिए मूल्य वर्धित उत्पादों के उत्पादन हेतु अपेक्षित कच्ची सामग्री के आयात के लिए समुद्री भाड़ा सहायता योजना के अंतर्गत जारी की गई थी। इस राशि के बावजूद ₹ 1.03 करोड़ की राशि अप्रयुक्त रही।

(पैराग्राफ 1.3.1)

- 2007-08 से 2009-10 की अवधि के दौरान 345 नाव मालिकों को जलयानों का ट्यूना लॉग लाइनर्स में परिवर्तन करने के लिए आर्थिक सहायता के रूप में अदा की गई ₹ 14.84 करोड़ की पर्याप्त राशि का प्रभावकारी रूप से उपयोग नहीं किया गया है क्योंकि ट्यूना के उत्पादन में 2007-08 के दौरान 37000 मी.ट. से 2009-10 के दौरान 22000 मी.ट. तक की कमी आई थी।

(पैराग्राफ 1.3.2.1)

- जल संवर्धन कृषि के लिए संभावित क्षेत्र के अनुपयुक्त निर्धारण तथा लाभभोगियों से उपलब्ध आवेदनों के गैर-संसाधन के कारण "संभावित कृषि क्षेत्र विकास योजना" ने खराब निष्पादन को दर्शाया।

(पैराग्राफ 1.3.3.2)

- जैविक जल खेती विकसित करने के लिए स्विस इम्पोर्ट प्रमोशन प्रोग्राम के साथ हस्ताक्षरित सं.ज्ञा. के उद्देश्य भी एकमात्र परामर्श पर ही ₹ 65.62 लाख का व्यय करने के बावजूद प्राप्त नहीं किए गए थे।

(पैराग्राफ 1.3.3.3)

- मत्स्य पालन पर भारी राशि व्यय करने के बावजूद, फ्रोजन श्रीम्प, जो निर्यात की एक सबसे बड़ी मद थी, का निर्यात वर्ष 2005-06 में कुल निर्यात मूल्य का 59 प्रतिशत बना तथा 2009-10 में धीरे-धीरे घटकर 41.62 प्रतिशत रह गया।

(पैराग्राफ 1.3.3.7)

- यद्यपि 2009-10 को समाप्त तीन वर्षों के दौरान "समुद्री उत्पाद प्रौद्योगिकी उन्नयन योजना" के लिए ₹ 11.77 करोड़ का बजट आबंटित किया गया था, 2009-10 के दौरान केवल तीन लाभभोगियों को ही ₹ 1.48 करोड़ राशि की आर्थिक सहायता प्रदान की गई थी क्योंकि 2007-08 तथा 2008-09 के दौरान कोई आवेदक ही नहीं था। इस प्रकार ₹ 10.29 करोड़ का बजट आबंटन अप्रयुक्त रहा।

(पैराग्राफ 1.3.4.2)

➤ प्राधिकरण के विनियमन कार्य न तो उपयुक्त थे और न ही प्रभावशाली थे।

(पैराग्राफ .1.3.7)

अनुशंसाओं का सारांश

- मंत्रालय/प्राधिकरण को योजनाओं को प्रतिपादन करते समय वित्तीय सहायता के दुरुपयोग के जोखिम का पर्याप्त रूप से पता लगाना चाहिए।
- प्राधिकरण को समुद्री उत्पादों की आयातक देशों के मानकों के अनुसार गुणवत्ता सुनिश्चित करनी चाहिए।
- प्राधिकरण को समुद्री स्त्रोतों के संरक्षण के लिए पर्याप्त उपाय करने चाहिए।
- बाह्य स्त्रोतों गुणवत्ता प्रमाणन प्रयोगशालाओं के कार्य निष्पादन को मॉनीटर करने के तंत्र को सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता है।
- मंत्रालय/ प्राधिकरण को योजनाओं का लाभभोगी वार प्रभाव का पता लगाने के लिए आवधिक प्रगति मूल्यांकन करने की बजाय लाभभोगी के परिसरों में आवधिक निरीक्षण करने पर विचार करना चाहिए।

1.1 प्रस्तावना

समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (प्राधिकरण) का भारत सरकार, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत उसके कोची, केरल में मुख्य कार्यालय सहित समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम 1972 (1972 की सं. 13) के अधीन एक सांविधिक निकाय के रूप में गठन किया गया था। प्राधिकरण के कार्य समुद्री उत्पादों के विशेष रूप से आर्थिक सहायता का संवितरण करके निर्यातों को प्रोत्साहन देना तथा गुणवत्ता बढ़ाना होना होता है। प्राधिकरण ने छः मुख्य शीर्षों नामतः विपणन, कौच्चर फिशरीज, कल्वर फिशरीज संसाधित अवसरंचना एवं मूल्य वर्धन, गुणवत्ता नियंत्रण तथा अनुसंधान एवं विकास के अंतर्गत 58 उप योजनाएं प्रतिपादित की हैं।

1.1.1 प्राधिकरण के उद्देश्य

प्राधिकरण को निर्यातों के विशेष संदर्भ में समुद्री उत्पाद उद्योग को प्रोत्साहित तथा विकसित करने का मुख्य कार्य सौंपा गया है। मुख्य उद्देश्य प्राप्त करने के लिए प्राधिकरण को निम्नलिखित उपाय करने अपेक्षित हैं:

- गहरे समुद्र तथा तट से दूर मछली पकड़ने को विकसित तथा विनियमित करना और समुद्री स्त्रोतों के संरक्षण हेतु उपाय करना;
- फिशिंग जलयानों, संसाधन संयंत्रों, भण्डारण संयंत्रों आदि का पंजीकरण करना;
- (i) गहरे समुद्र तथा समुद्र तट से दूर मछली पकड़ने में कार्यरत फिशिंग जलयानों तथा (ii) समुद्री उत्पादों के लिए संसाधन संयंत्रों या भण्डारण परिसरों

तथा समुद्र उत्पादों के परिवहन के लिए उपयोग किए गए वाहनों के मालिकों को वित्तीय या अन्य सहायता देना;

- किसी फिशिंग जलयान, संसाधन संयंत्र आदि का निरीक्षण करना; तथा
- मछली पकड़ने अथवा अन्य समुद्री उत्पादों में कार्यरत व्यक्तियों, संसाधन संयंत्र, भण्डारण परिसरों आदि के मालिकों से आंकड़े एकत्र करना आदि।

1.1.2 संगठनात्मक ढांचा

प्राधिकरण में एक चेयरमैन, केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त एक निदेशक तथा भारत सरकार (भा.स.) द्वारा मनोनीत 28 सदस्य होते हैं।

प्राधिकरण के तमिलनाडु में छ: क्षेत्रीय कार्यालय¹, छ: उप-क्षेत्राय कार्यालय², छ: क्षेत्रीय केन्द्र³, चार उप क्षेत्रीय केन्द्र⁴, एक राजीव गांधी एक्वाकल्वर केन्द्र (रा.गां.ए.के.) कोची, नैल्लोर एवं भीमावरम स्थित उसकी प्रयोगशालाओं के माध्यम से राष्ट्रीय अवशेष नियंत्रण कार्यक्रम, भुवनेश्वर में एक लिक्विड क्रोमेटोग्राफी (ज्यूल) मास स्पेक्ट्रोमीटर (लि.क्रो.मा.स्पे.) प्रयोगशाला, आन्ध्र प्रदेश में छ: इलिसा जांच प्रयोगशालाएं⁵ तथा टोक्यो, न्यूयार्क तथा नई दिल्ली में तीन व्यापार प्रोत्साहन कार्यालय हैं।

1.1.3 समुद्री उत्पादों का निर्यात

भारत से समुद्री उत्पादों के निर्यात की समग्र स्थिति निम्न तालिका 1 में दी गई हैं

तालिका -1

(मीट्रिक टन में)

निर्यातित मद्दें	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
फ्रोजन श्रिम्प	145180	137397	136223	126042	130553
फ्रोजन फिश	182344	270751	220200	238543	260979
फ्रोजन कट्टल फिश	49651	55701	45955	50698	63504
फ्रोजन स्किवड	52352	47252	34172	57125	61445
झाइड मद्दें	14167	24293	22414	31688	47053
लाइव मद्दें	2568	2478	2498	3434	5492
चिल्ड मद्दें	5060	7200	6541	21453	28817
अन्य	60841	67571	73698	73851	80592
जोड़	512164	612641	541701	602835	678435

¹ वेराबल, मुम्बई, कोची, चैन्नई, विजाग, कोलकाता

² पवर्जी, मंगलौर, कोल्लाम, तूटीकोरिन, भुवनेश्वर तथा गुवाहाटी

³ वलसाड, पनवेल, कोची, तंजावूर, विजयवाड़ा, भुवनेश्वर

⁴ करवार, कोलकाता, भीमावरम तथा कन्नौर

⁵ नैल्लोर, बपातला, औंशोल, अम्लापुरम, भीमावरम तथा काकीनाडा

1.1.4 वित्तीय स्थिति

प्राधिकरण पूर्णतः भारत सरकार द्वारा निधिबद्ध होता है। प्राप्त अनुदान तथा उसके प्रति किया गया व्यय नीचे तालिका 2 में दिया गया है

तालिका-2

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्राप्तियाँ				व्यय			
	योजना	गैर योजना	आंतरिक प्राप्तियाँ	कुल	योजना	गैर योजना	कुल	आधिक्य (+)/बचत (-) प्राप्ति से अधिक
2005-06	47.38	3.12	1.27	51.77	50.73	5.06	55.79	(+) 4.02
2006-07	46.41	3.80	1.25	51.46	39.18	14.08	53.26	(+) 1.80
2007-08	76.08	3.79	2.12	81.99	64.62	25.29	89.91	(+) 7.92
2008-09	84.32	3.11	2.10	89.53	66.36	29.48	95.84	(+) 6.31
2009-10	86.13	4.71	3.41	94.25	66.20	27.30	93.50	(-) 0.75

1.2 लेखापरीक्षा अभिगम

प्राधिकरण की लेखापरीक्षा स.उ.नि.वि.प्रा. अधिनियम 1972 की धारा 19(2) के साथ पठित नियंत्रक-महालेखापरीक्षा के अधिनियम 1971 (कर्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा शर्तें) की धारा 19(2) के अधीन की जाती है।

1.2.1 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र

2005-06 से 2009-10 की अवधि के दौरान निष्पादन लेखापरीक्षा छ: मुख्य योजनाओं⁶ के अंतर्गत श्रेणीबद्ध 58 उप योजनाओं में से 18 को कवर करती है।

1.2.2 लेखापरीक्षा उद्देश्य

प्राधिकरण की निष्पादन लेखापरीक्षा यह पता लगाने के लिए की गई थी कि क्या:

- वित्तीय सहायता योजनाओं का नियोजन, प्रतिपादन तथा कार्यान्वयन उचित तथा दक्षतापूर्वक किया गया था;
- योजनाओं द्वारा सृजित परिसम्पत्तियों के दुरुस्ययोग को रोकने के लिए पर्याप्त पश्च संवितरण मॉनीटर करने का तन्त्र था;
- समुद्री उत्पादों के निर्यातों की आयतित देशों के मानकों के अनुसार गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावशाली गुणवत्ता नियंत्रण था; तथा
- प्राधिकरण ने अपने विनियामक कार्यों का प्रभावशाली तथा दक्षतापूर्वक निष्पादन किया है।

⁶ 1-विपणन प्रोत्साहन, 2- कैपचर फिशरीज, 3- कल्वर फिशरीज, 4 - संसाधन अवसरंचना एंव मूल्य वर्धन, 5 - गुणवत्ता नियंत्रण तथा 6 - अनुसंधान तथा विकास

1.2.3 लेखापरीक्षा मानदण्ड

इस निष्पादन लेखापरीक्षा में निम्नलिखित लेखापरीक्षा मानदण्ड का उपयोग किया गया है:

- स.उ.नि.वि.प्रा. अधिनियम 1972
- स.उ.नि.वि.प्रा. नियमावली तथा योजना दिशानिर्देश;
- वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय तथा तटीय एक्वाकल्वर प्राधिकरण के निर्देश; तथा
- पंचवर्षीय परियोजना प्लान/वार्षिक प्लान।

1.2.4. लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली

निष्पादन लेखापरीक्षा जुलाई 2010 में प्राधिकरण के साथ प्रवेश सम्मेलन के साथ आरंभ हुई जिसमें लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र, उद्देश्य, मानदण्ड तथा कार्यप्रणाली के संबंध में बताया गया था। केरल, तमिलनाडु तथा गुजरात राज्यों में, मुख्य कार्यालय, उप क्षेत्रीय कार्यालय तथा क्षेत्रीय केन्द्रों में चुनिंदा उप योजनाओं के कार्यान्वयन से संबंधित अभिलेखों की जांच की गई थी। 153 लाभभोगियों को उनके विचार जानने के लिए प्रश्नावली जारी की गई थी तथा उनके परिणामों को रिपोर्ट में समाविष्ट किया गया है। क्षेत्रीय कार्यालयों तथा केन्द्रों के चयन में स्तरित यादृच्छिक प्रतिचयन को अपनाया गया था।

अप्रैल 2011 में ड्राफ्ट निष्पादन लेखापरीक्षा रिपोर्ट की प्रति प्राधिकरण को चिन्हित करते हुए मंत्रालय को जारी की गई थी। 10 मई 2011 को निदेशक (विपणन) के साथ मुख्य लेखापरीक्षा निष्कर्षों तथा अनुशंसाओं पर चर्चा करने के लिए प्रस्थान सम्मेलन का आयोजन किया गया था। प्राधिकरण के उत्तर को रिपोर्ट में उपयुक्त रूप से समाविष्ट किया गया है।

1.3 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

1.3.1 बाजार प्रोत्साहन

11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत प्राधिकरण ने, बाजार प्रोत्साहन के उपाय के रूप में भारत को एक समुद्रीखाद्य प्रसंस्करण केन्द्र बनाने और मूल्यवर्धित समुद्री उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने के लिए सितम्बर 2009 में ‘समुद्री भाड़ा सहायता’ योजना आरम्भ की। योजना में समुद्रीखाद्य उद्यमियों को प्रसंस्करण के लिए कच्चा माल आयात करने तथा विशिष्ट मूल्य वर्धित उत्पादों के निर्यात के लिए अन्तर्रीय भाड़ा सहायता देने पर विचार किया गया है। योजना में मूल्य वर्धित उत्पादों, जिसके लिए कच्चा माल देशज रूप से ही प्राप्त किया गया है, के निर्यात के लिए सहायता देने पर भी विचार किया गया है।

योजना-लक्ष्यों के अनुसार, वर्ष 2007-08 से 2009-10 के लिए योजना के प्रथम वर्ष के अंत तक प्रसंस्करण हेतु 3300 कठेनरों के भार का कच्चा माल आयात करने तथा 47000 मी.ट. (लगभग) मूल्य वर्धित उत्पादों का पुनर्निर्यात करने के लिए समुद्री भाड़ा सहायता हेतु ₹ 42.50 करोड़ की राशि का विचार किया गया था। तथापि, ऐसा पाया गया कि उपरोक्त आबंटन के प्रति 2008-09 तथा 2009-10 की अवधि के दौरान इस योजना के प्रति केवल ₹ 3.00 करोड़ की राशि जारी की गई थी जिसके विस्तृत ब्यौरे निम्न तालिका 3 में दिए गए हैं

तालिका -3

(₹ करोड़ में)

वर्ष	आबंटित निधियां	व्यय	आधिक्य (+)/वचते (-)	लक्ष्य	उपलब्धियां
2008-09	1.50	--	(-) 1.50	-	शून्य
2009-10	1.50	1.97	(+) 0.47	-	560 लाभभोगियों
कुल	3.00	1.97	(-) 1.03		

यह देखा जा सकता है कि यद्यपि 2008-09 के दौरान ₹ 1.50 करोड़ की राशि जारी की गई थी लेकिन कोई सब्सिडी वितरित नहीं की गई थी तथापि वर्ष 2009-10 के दौरान ₹ 1.03 करोड़ का कुल अप्रयुक्त अनुदान बचाते हुए 560 लाभभोगियों को ₹ 1.97 करोड़ वितरित किए गए थे। लक्षित राशि जारी न किए जाने तथा योजना के घटिया निष्पादन से संबंधित कारण अभिलेख में नहीं पाए गए थे। प्राधिकरण ने इस योजना के अंतर्गत, वित्तीय सहायता संवितरित करने के कारण निर्यातों में हुई वृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए कोई तन्त्र भी नहीं बनाया है।

प्राधिकरण ने उत्तर दिया (जुलाई 2011) कि मंत्रालय द्वारा कच्चे माल के आयात हेतु निर्धारित किए गए मानदण्ड कठोर थे जिससे आयातों के उद्देश्यों तथा सहायता योजना में बाधा उत्पन्न की जिसके परिणामस्वरूप कम आयात हुए। यह उत्तर अनुबोध है क्योंकि इस संबंध में अभिलेख में कुछ उपलब्ध नहीं था। इसके अतिरिक्त, यूरोपियन संघ (यू.सं.) मानाकों के अनुसार निर्यातों की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए कठोर प्रतिमानों को अनिवार्य बनाया जाए।

1.3.2 कैचर मत्स्यपालन

समुद्री मत्स्यपालन को अधिक मछली पकड़ने (मछलियां उन्हें पुनः पेश करने से भी अधिक तीव्रती से पकड़ी जाती हैं) कैच द्वारा (समुद्री जीवन की पकड़ जो लक्षित नहीं थी), विनाशकारी मछली पकड़न (जहर और विस्फोटक सामग्री का उपयोग) तथा समुद्री प्रदूषण के कारण उसके संरक्षण तथा जीवित रखने में गंभीर संकट का सामना करना पड़ता है। समुद्री स्रोतों के संरक्षण के लिए आबंटित राशि की तुलना में किया गया व्यय दर्शाने वाला विवरण निम्न तालिका 4 में दिया गया है:-

तालिका -4

(₹ लाख में)

वर्ष	आवंटित राशि	व्यय	बचत/आधिकरण (+/-)	नियत लक्ष्य	उपलब्धि
2005-06	20.00	2.01	(+) 17.99	-	-
2006-07	07.00	12.04	(-) 5.04	-	-
2007-08	15.00	-	(+) 15.00	-	-
2008-09	10.00	-	(+) 10.00	-	-
2009-10	30.00	34.06	(-) 4.06	-	-
कुल	82.00	48.11	(+) 33.89		

2007-08 से 2009-10 के दौरान बजट में गहरे तथा तटीय समुद्र मत्स्यपालन के संरक्षण हेतु उपाय करने के लिए प्राधिकरण ने ₹ 55 लाख दिए। लेखापरीक्षा ने पाया कि प्राधिकरण ने समुद्री स्त्रोतों के संरक्षण हेतु योजना के अंतर्गत विशिष्ट उपायों की पहचान नहीं की थी लेकिन 2009-10 के दौरान 21 क्षेत्रीय कार्यालयों को मछली पकड़न प्रमाणपत्र जारी करने, जोकि संरक्षण उपयोग से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है, के लिए स्थापना लागत के प्रति ₹ 34 लाख का उपयोग कर लिया। यह पाया गया कि प्राधिकरण ने निर्यातों को सरल बनाने के इरादे से यू.सं. विनियम 1005/2008 के अंतर्गत यह उपाय किया था।

प्राधिकरण ने उत्तर दिया कि मछली पकड़न प्रमाणपत्र योजना का संरक्षण उपाय के रूप में वास्तविक उद्देश्य अवैध रूप से भय दिखाकर, गलत सूचना देकर तथा अनियंत्रित रूप से मछली पकड़ने को रोकना था।

1.3.2.1 जलयानों के संरक्षण का ट्यूना लांग लाइनर्स में परिवर्तन के लिए सब्सिडी

प्राधिकरण ने महसूस किया कि भारतीय विशेष आर्थिक क्षेत्र (ई.ई.जे.ड) में अनुमानित संभावित समुद्री ट्यूना (231000 मी.ट.) का उचित ट्यूना मछली पकड़न तकनीकी, जोकि मछली पकड़न जलयानों को ट्यूना लांग लाइनर्स में परिवर्तित करने की कार्यान्वित (2006-07) योनजा थी, के अभाव में पर्याप्त रूप में उपयोग नहीं किया गया था। प्राधिकरण ने 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, 500 मिलियन यू.एस. डॉलर के निर्यात मूल्य सहित 90,000 मी.ट. ट्यूना का अतिरिक्त उत्पादन प्राप्त करने के लिए वर्ष 2010 तक 900 जलयानों को ट्यूना लांग लाइनर्स में परिवर्तन करने के लक्ष्य से ₹ 40 करोड़ आवंटित किए। सब्सिडी परिवर्तन की कुल लागत का 50 प्रतिशत पर नियत थी जो गहरे समुद्र मछली पकड़न जलयान के लिए अधिकतम ₹ 15 लाख और मशीनी मछली पकड़न जलयान के लिए ₹ 7.50 लाख थी। प्रत्यक्ष और वित्तीय लक्ष्य तथा उनके प्रति उपलब्धि के ब्यौरे निम्न तालिका 5 में दिए गए हैं-

तालिका -5

(₹ करोड़ में)

वर्ष	ट्यूना लांग लाइनर्स में परिवर्तित जलयानों की संख्या					
	लक्ष्य		उपलब्धियां		बचतें (+)/आधिक्य (-)	
	प्रत्यक्ष	वित्तीय	प्रत्यक्ष	वित्तीय	प्रत्यक्ष	वित्तीय
2006-07	शून्य	6.00	42	0.44	(+)42	(+)5.56
2007-08	90	4.50	47	2.37	(-)43	(+)2.13
2008-09	150	6.00	135	5.68	(-)15	(+)0.32
2009-10	110	5.50	163	6.79	(+)53	(-)1.29
कुल	350	22.00	387	15.28	(+)37	(+)6.72

यह देखा गया कि 2007-08 के दौरान ट्यूना का उत्पादन 37000 टन से घटकर 2009-10 के दौरान 22000 टन रह गया। इसने दर्शाया कि 345 नाव मालिकों को सब्सिडी के रूप में दी गई ₹ 14.84 करोड़ की भारी राशि का अभिष्ट उद्देश्य के लिए प्रभावशाली ढंग से उपयोग नहीं किया गया है।

प्राधिकरण ने उत्तर दिया (मई 2011) कि चूंकि समुद्री ट्यूना एक विशेष क्षेत्र में ट्यूना की उपलब्धता एक अत्यधिक प्रवासी रूप में है जिसका निर्धारण नहीं किया जा सकता।

वित्तीय सहायता के प्रभाव को मॉनीटर करने के लिये, यह निर्धारित किया गया था कि लाभभोगी अपने कार्यनिष्पादन के संबंध में आवधिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। यह सत्यापन करने कि क्या वास्तविक लाभभोगियों ने अपने जलयान बेच दिए थे, को मॉनीटर करने के कार्य की आवधिक रिपोर्ट के पश्चात सब्सिडी का वितरण नहीं किया गया था। प्राधिकरण ने आगे बताया (जुलाई 2011) कि क्षेत्रीय कार्यालयों को जलयानों का स्वामित्व सुनिश्चित करने के लिए सभी सहायता प्राप्त जलयानों का प्रत्यक्ष सत्यापन करने तथा समुद्रयात्रा की रिपोर्ट एकत्र करने के निर्देश दिए जाएंगे।

1.3.2.2 सब्सिडी का दुरुपयोग

यह देखा गया था कि सात जलयानों (आन्ध्र प्रदेश), जिनको योजना के अंतर्गत जलयानों से ट्यूना लांग लाइनर्स में परिवर्तन करने के लिए आर्थिक सहायता दी गई थी, के ट्यूना गीयर के पुर्जे-पुर्जे अलग कर दिए गए थे तथा उसको बाजार में बेच दिया था। इसके अतिरिक्त, जलयानों के ट्यूना मछली पकड़न में शामिल नहीं किया गया था लेकिन उनको विदेशी भूकंपीय कम्पनियों की तरफ एक पीछा करने वाली नाव के रूप में जहाज पर लगाया गया था।

प्राधिकरण को उपकरणों/सुविधाओं, जिसके लिए सब्सिडी दी गई थी, को गिरवी /धरोहर के रूप में रखने का आग्रह करना चाहिए। प्राधिकरण ने उत्तर दिया (जुलाई 2011) कि वह शोधक कार्रवाई हेतु इस मामले को संबंधित कार्यालय के साथ उठाएगा। प्राधिकरण उपकरणों/सुविधाओं को गिरवी/धरोहर के रूप में रखने के मामले पर विचार किया जाएगा।

1.3.2.3 आवश्यक बंधपत्र का निष्पादन किए बिना सब्सिडी का जारी किया जाना

प्रचलित प्रथा के अनुसार लाभभोगियों को, प्राधिकरण की किसी योजना के अंतर्गत सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए एक बंधपत्र का निष्पादन करना अपेक्षित था। यह बंधपत्र लाभभोगियों के वास्तविक होने तथा बंध अवधि के दौरान उनका व्यापार में बने रहने की बचनबद्धता का भी पता लगाने का एक साधन है। यह पाया गया कि 2008-09 तथा 2009-10 के दौरान “कैचर मत्स्यपालन” योजना के अंतर्गत 20 लाभभोगियों को आवश्यक बंधपत्र का निष्पादन किए बिना ₹ 72.59 लाख की सब्सिडी दी गई थी।

प्राधिकरण ने उत्तर दिया (मई 2011) कि लाभभोगियों से एकत्र की गई अनुबंधपत्रों की प्रतियां सत्यापन हेतु लेखापरीक्षा को भेजी जाएगी लेकिन वह भेजी नहीं गई थी। अपेक्षित अभिलेखों के अभाव में, लेखापरीक्षा यह पता लगाने कि क्या संबंधित लाभभोगियों ने सब्सिडी का लाभ उठाने के बाद उसी व्यापार में रहे तथा सब्सिडी के अभीष्ट उद्देश्य को प्राप्त किया गया या नहीं, में असमर्थ थी।

1.3.2.4 आवधिक रिपोर्टों का भेजा जाना

पूर्व-प्रसंस्करण केन्द्रों द्वारा प्राधिकरण को प्राप्त किया गया उत्पादन, निर्यात, मूल्य वर्धन दर्शाने वाला अर्द्धवार्षिक विवरण भेजना अपेक्षित था। कैचर मत्स्यपालन योजना के लाभभोगियों द्वारा मछली पकड़न का मदवार तथा मात्रावार विवरण तथा उन व्यक्तियों/यूनिटों जिनको ये मछलियां बेची गई थी, के विवरण दर्शाने वाली एक मासिक समुद्रीयात्रा रिपोर्ट भेजी जानी अपेक्षित थी। लाभभोगियों द्वारा मछली पकड़न के बारे तथा प्रसंस्करण संयंत्रों द्वारा प्राप्त ट्यूना, श्रिम्प, स्केम्पी आदि, उनकी निर्यात हेतु संसाधित मात्राओं के विवरण भी भेजे जाने अपेक्षित थे।

यह देखा गया था कि ऐसी प्रक्रिया शर्त, एक बड़े औद्योगिक गृह, जिसमें इस आवश्यकता का पालन करने के लिए भारी संख्या में स्टाफ पूरक होता है, के मामले में उपयुक्त होगा। लेकिन प्राधिकरण द्वारा वित्तपोषित लाभभोगियों की श्रेणी के लिए उनके द्वारा आवधिक रिपोर्टों का अप्रस्तुतीकरण निर्धारित किए जाने का दृष्टिकोण पूर्णतः अनुपयुक्त है। इसके बजाए, विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत आवृत लाभभोगियों के परिसरों/जलयानों की लाभभोगियों के पास योजनाओं की प्रगति का सत्यापन करने के लिए आवधिक जांच की जानी चाहिए।

अनुशंसाएं

- प्राधिकरण को समुद्री स्त्रोतों के संरक्षण हेतु पर्याप्त उपाय करने चाहिए।
- मन्त्रालय/प्राधिकरण को योजनाओं का प्रतिपादन करते समय वित्तीय सहायता के दुरुपयोग के जोखिम का पर्याप्त रूप से पता लगाना चाहिए।

1.3.3 कल्वर मत्स्यपालन

1.3.3.1 वाणिज्यिक हैचरीज को वित्तीय सहायता

समुद्री खाद्यों के कुल उपयोग की मांग में वृद्धि होने की योजना के अनुसार यह मान लिया गया था कि वश्वि कैप्चर मत्स्यपालन आगामी तीन दशकों के दौरान अवरुद्ध हो जाएगा तथा यह अनुमान लगाया गया था कि भविष्य की मांग कल्वर मत्स्यपालन (एक्वाकल्वर उत्पादन) द्वारा पूरी की जाएगी। योजना के अनुसार, वर्ष 2020 तक विश्वीय मछली उत्पादन का 40 प्रतिशत एक्वाकल्वर से आएगा। एक्वाकल्वर को बढ़ाने के लिए निर्यातयोग्य प्रजातियों के बीज उत्पादन हेतु वाणिज्य हैचरीज का प्रोत्साहन, वाणिज्यिक आधार पर उत्तम कोटि के रोग मुक्त बीजों (श्रिम्प तथा स्केम्पी) की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए, आवश्यक था। तदनुसार, प्राधिकरण ने वाणिज्यिक हैचरीज को 1990-91 में वित्तीय सहायता देने की योजना आरंभ की। रिपोर्ट अवधि के दौरान योजना के प्रत्यक्ष, वित्तीय लक्ष्य तथा उनके प्रति उपलब्धियों के बारे में निम्न तालिका-6 में दिए गए हैं-

तालिका -6

(₹ लाख में)

वर्ष	वाणिज्यिक हैचरीज की संख्या					
	लक्ष्य		उपलब्धियां		बचतें (+)/आधिक्य (-)	
	प्रत्यक्ष	वित्तीय	प्रत्यक्ष	वित्तीय	प्रत्यक्ष	वित्तीय
2005-06	14	60.00	5	27.00	(+) 9	(+) 33.00
2006-07	15	69.00	8	39.00	(+) 7	(+) 30.00
2007-08	10	44.00	5	27.46	(+) 5	(+) 16.54
2008-09	03	20.00	2	10.94	(+) 1	(+) 9.06
2009-10	03	18.00	1	06.00	(+) 2	(+) 12.00
कुल	45	211.00	21	110.40	(+24)	(+) 100.60

यह देखा जा सकता है कि प्राधिकरण मार्च 2010 को समाप्त होने वाले अंतिम पांच वर्षों के दौरान किसी वर्ष में लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सका जिसके कारण रिपोर्ट अवधि के अंत तक ₹ एक करोड़ तक अनुदान अप्रयुक्त रहे तथा उपर्युक्त अवधि के दौरान 45 हैचरीज के लक्ष्य के प्रति केवल 21 हैचरीज ही आए थे। यह पाया गया था कि महाराष्ट्र में कोई हैचरीज विकसित नहीं की गई थी जबकि गुजरात राज्य में 11 हैचरीज के लक्ष्य के प्रति केवल एक हैचरी विकसित की गई थी।

प्राधिकरण ने बताया कि (जुलाई 2011) कि राज्य में अधिक हैचरीज तभी आएगी जब राज्य में अधिक खेत हो, यह तभी हो सकता है जब राज्य सरकार कृषकों से संभावित भूमि तीव्रता से पट्टे पर लेने के लिए कदम उठाए। प्राधिकरण ने यह भी बताया कि बढ़ी हुई दर पर सब्सिडी देकर अधिक हैचरीज को प्रोत्साहन देने के उसके प्रयास विफल हो गए क्योंकि राज्य सरकार की सहायता पैकेज ₹ 35 लाख का था। यह देखा गया था कि प्राधिकरण इन तथ्यों से अवगत था कि इन पर, इन दो राज्यों के लिए योजना प्रतिपादित करते समय आरंभ में ही विचार किया जाना चाहिए।

1.3.3.2 संभावित कृषि क्षेत्र के विकास की योजना

विकासाधीन संभावित कृषि क्षेत्रों में नव श्रिम्प तथा स्केम्पी फार्मों को विकास हेतु एक वित्तीय सहायता योजना 1985-86 से लागू थी। रिपोर्ट अवधि के दौरान प्रत्यक्ष तथा वित्तीय लक्ष्य तथा उनके प्रति उपलब्धि निम्न तालिका 7 में दी गई हैं-

तालिका -7

(₹ लाख में)

वर्ष	कृषकों/फार्मों की संख्या					
	लक्ष्य		उपलब्धियां		बचतें (+)/आधिक्य(-)	
	प्रत्यक्ष	वित्तीय	प्रत्यक्ष	वित्तीय	प्रत्यक्ष	वित्तीय
2005-06	200	80.00	123	126.80	(+) 77	(-) 46.80
2006-07	150	75.00	135	74.02	(+) 15	(+) 0.98
2007-08	200	100.00	64	46.42	(+) 136	(+) 53.58
2008-09	150	75.00	49	20.20	(+) 101	(+) 54.80
2009-10	30	15.00	27	14.19	(+) 3	(+) 0.81
कुल	730	345.00	398	281.63	(+) 332	(+) 63.37

यह देखा जा सकता है कि योजना के अंतर्गत रिपोर्ट अवधि के दौरान 730 लाभभोगियों को ₹ 3.45 करोड़ राशि की वित्तीय सहायता दी गई लेकिन ₹ 63.37 लाख का कुल अप्रयुक्त अनुदान बचाते हुए केवल 398 लाभभोगियों को ₹ 2.82 करोड़ तक की सम्बिली वितरित की गई थी। आगे यह और देखा गया कि यद्यपि वर्ष 2005-06 में प्रत्यक्ष उपलब्धि 77 लाभभोगियों तक कम थी लेकिन वित्तीय लक्ष्यों में उपलब्धि लक्ष्यों से ₹ 46.80 लाख तक अधिक बढ़ गई। लक्षित राशि का व्यय न करने तथा योजना के घटिया निष्पादन का कारण एक्वाकल्वर कृषिक्षेत्र के लिए संभावित क्षेत्र का गलत निर्धारण करना तथा लाभभोगियों से प्राप्त आवेदनों पर कार्रवाई न करना था, जिनकी अनुवर्ती पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

(क) एक्वाकल्वर कृषिक्षेत्रों की स्थापना करने के लिए क्षेत्र का गलत चयन

1989-90 में किए गए सर्वेक्षण के दौरान तमिलनाडु में एक्वाकल्वर खेती के लिए 56620 हैक्टेयर भूमि की संभावित क्षेत्र के रूप में पहचान की गई जिसमें से 4994.58 हैक्टेयर को जल फैलाव क्षेत्र⁷ के रूप में विकसित किया गया था। तथापि, यह देखा गया कि कुल उपलब्ध वाटर शैड क्षेत्र में से, 2005-06, 2006-07, 2007-08, 2008-09 तथा 2009-10 वर्षों के दौरान क्रमशः 3644.32 है., 2421.32 है., 1819.84 है., 1759.09 है. तथा 1445.89 है. क्षेत्र एक्वाकल्वर के अधीन लाया गया था। तदनुसार, उत्पादन भी वर्ष 2005-06 में 7026.97 मी.ट. से घटकर 2009-10 में 2702.38 मी.ट. रह गया था।

⁷ जहां श्रिम्प का विकास किया जा सकता है।

संभावित क्षेत्र का विकास न होने के संबंध में प्राधिकरण ने उत्तर दिया (मई 2011) कि 56620 है (1989-90 के सर्वेक्षण) क्षेत्र में से 40 प्रतिशत क्षेत्र फार्मों को स्थापित करने के लिए अनुमोदित नहीं था क्योंकि यह भूमि तटीय विनियामक क्षेत्र के अधीन थी; 30 प्रतिशत क्षेत्र राज्य सरकार से संबंधित था तथा श्रिम्प पालने के क्षेत्र में कोई अन्य प्रगति तभी संभव हो सकती है जब राज्य सरकार भूमि आवंटित करे। उत्तर से यह इंगित होता है कि एक्वा फार्मों की स्थापना के लिए उचित निर्धारण नहीं किया गया था।

(ख) आवेदनों का गैर-संसाधन

2008-09 तथा 2009-10 के दौरान, खेती योग्य 588.54 हेक्टेयर भूमि के लिए 240 प्राप्त आवेदनों में (तमिलनाडु) 330.52 हेक्टेयर खेती योग्य भूमि वाले 100 आवेदनों पर कार्यवाही नहीं हुई। इसके परिणामस्वरूप इस स्तर तक भूमि का विकास नहीं हो सका।

प्राधिकरण ने उत्तर दिया (मई 2011) कि आवेदनपत्र पर कार्यवाही फार्मों के भौतिक सर्वेक्षण करने वाले तकनीकी अफसर की अनुपलब्धता के कारण नहीं हो सकी। उत्तर स्वयं प्रबंधन की असफलता की स्वीकृति है।

प्राधिकरण के अपने उत्तर जुलाई 2011 के अनुसार उपरोक्त दोनों लेखापरीक्षा आपत्तियां बाद में आवश्यक उपायों के लिए नोट कर ली गई थीं।

1.3.3.3 जैविक एक्वाकल्वर विकसित करने की योजना

अवशेष मुक्त होने के सत्यापन के साथ सुरक्षित एक्वाकल्वर उत्पादों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए प्राधिकरण ने भारतीय जैविक एक्वाकल्वर परियोजना (भा.जै.ए.प.), अप्रैल 2007 में शुरू की जिसके लिए ब्लैक टाइगर श्रिम्प तथा स्कैम्पी की जैविक कल्वरिंग करने वाली कन्सल्टेंसी फर्म स्विस इम्पोर्ट प्रमोशन प्रोग्राम (एस.आई.पी.पी.ओ.) से सहायता ली गई क्योंकि वैज्ञानिक श्रिम्प फार्मिंग पर वातावरण तथा सामाजिक प्रभाव खाद्य सुरक्षा मामले आदि पर लगातार विवाद चल रहे थे। दिशानिर्देशों के अनुसार, एक लाभार्थी ₹ 25000 प्रति हे. (आरी सीमा) की दर से अधिकतम छ: हे. के लिए सक्षिप्त प्राप्त कर सकता था। योजना के कार्यान्वयन के उद्देश्य हेतु प्राधिकरण ने एस.आई.पी.पी.ओ. से एक सपझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.) जनवरी 2007 में किया जिसके निर्धारित लक्ष्य निम्नलिखित थे-:

- लागू उत्पादन प्रणाली का मूल्यांकन, उचित उत्पादन क्षेत्र का पता लगाना तथा हैरानी फार्म, फीड मील तथा प्रसंस्करण स्तर जिसमें नमूना फार्मों को चलाने की सहायता शामिल हैं के सफल उत्पादन तरीकों के कार्यान्वयन की गारंटी प्रदान करना।
- भारतीय एक्वाकल्वर तथा समुद्री उत्पाद को सहायता प्रदान करना जिनमें स्विटजरलैण्ड तथा यूरोपियन युनियन के प्रीमियम समुद्री खाद्य बाजार शामिल हैं पर विशेष ध्यान केन्द्रीत करते हुए उद्योग के नए आयात अवसरों का विकास करना।

- वातावरण के अनुकूल, सामाजिक उत्तरदायित्व वाले और सुदृढ़, सस्ता उद्योग क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत में जैविक एक्वाकल्वर की अवधारणा विकसित करना।
- कम से कम एक फीड मिल तथा एक प्रसंस्करण संयंत्र तैयार करने के साथ-साथ तीन वर्षों में 1500 एक्वा फार्मों को जैविक प्रामणित किया जाना था। आर्गेनिक श्रिम्प की कुल मात्रा 1000 टन से अधिक होनी थी।

ऐसा पाया गया कि परियोजना के तकनीकी परामर्श के लिए ₹ 1.05 करोड़ आबंटित हुए थे जिसमें से 2007-08 से 2008-09 के दौरान ₹ 65.62 लाख एस.आई.पी.पी.ओ. के परामर्श पर व्यय किए गए थे।

मार्च 2010 को समाप्त पिछले तीन वर्षों में योजना का लक्ष्य एवं उपलब्धियां नीचे तालिका 8 में दी गई हैं।

तालिका-8

वर्ष	जैविक किसानों/फार्मों की संख्या						(₹ लाख में)	
	उपलब्धि		प्राप्तियां		बचत (+)/आधिक्य (-)			
	प्रत्यक्ष	वित्तीय	प्रत्यक्ष	वित्तीय	प्रत्यक्ष	वित्तीय		
2007-08 से 2009-10	तीन वर्ष में 1500 लाभार्थी	2007-08 से 2012 तक 95 लाख	2008-09-2 2009-10-2	संख्या 4 (0.27%)	2008-09 - 0.92 2009- 10- 4.47			
कुल	1500	95	4 लाखभोगी		5.39	(+)1496	(+)89.61	

एम.ओ.यू. के उद्देश्य बनाम निष्पादन के समीक्षात्मक विश्लेषण से प्रकट हुआ कि एम.ओ.यू. में बताए गए 1500 लाभार्थियों के लक्ष्य के विरुद्ध 2007-08 से 2009-10 के तीन वर्ष की अवधि में केवल चार लाभार्थियों को ₹ 5.39 लाख प्रदान किए गए। इससे प्रकट हुआ कि केवल अकेले परामर्श कार्य पर ₹ 65.62 लाख खर्च करने के बाद भी एम.ओ.यू. के उद्देश्य प्राप्त नहीं किए जा सके।

प्राधिकरण ने निष्कर्षों को स्वीकार किया एवं बताया (जलाई 2011) कि उन्होंने अभी भा.जै.ए.प. की प्रस्तावना से एक छोटी शुरुआत भर की थीं तथा इसे प्राप्त अनुभवों से एक कार्य योजना तैयार की गई है जिससे भारत में जैविक फार्मिंग के विकास का प्रतिपादन होगा।

1.3.3.4 एक्वाकल्वर सोसाइटीज प्रोन्नति योजना

एक्वाकल्वर क्षेत्र दीर्घकालीन अस्तित्व क्षमता सुनिश्चित करने के लिए एक्वाकल्वर क्षेत्र में अच्छी एक्वाकल्वर पद्धति (जी.ए.पी.) के प्रचलन के लिए श्रिम्प किसानों के प्रोत्साहन के उद्देश्य से प्राधिकरण ने 2006-07 में एक्वाकल्वर सोसाइटीज को प्रोन्नत करने की एक योजना प्रारम्भ की। इस योजना के अंतर्गत कुल लागत का 50 प्रतिशत, ₹ 5 लाख

की अधिकतम सीमा तक प्रत्येक सोसाइटी को सात किश्तों में दिया जाना था। तथापि, योजना में सब्सिडी के लिए पात्र व्यय की मदों को निर्धारित नहीं किया गया था। मार्च 2010 को समाप्त पिछले चार वर्षों के लक्ष्यों एवं उपलब्धियों का विवरण तालिका 9 में नीचे दिया गया है:-

तालिका-9

(₹ लाख में)

वर्ष	एक्वाकल्चर सोसाइटी की संख्या					
	लक्ष्य		उपलब्धियां		बचत (+)/आधिक्य (-)	
	प्रत्यक्ष	वित्तीय	प्रत्यक्ष	वित्तीय	प्रत्यक्ष	वित्तीय
2006-07	28	निर्धारित लक्ष्य नहीं	4	2.00	(+) 24	-
2007-08	74		4	2.00	(+) 70	-
2008-09	63		76	38.00	(-) 13	-
2009-10	110		70 + 3*	35.00 + 2.05	(+) 40	-
कुल	275		154 + 3	77.00 + 2.05	(+) 121	-

*(द्वितीय किश्त टेढ़े अक्षरों में)

यह देखा जा सकता है कि 154 सोसाइटीज प्राधिकरण से अस्थाई पंजीकरण के आधार पर 2006-07 से 2009-10 की अवधि में प्रारम्भिक शुरूआती खर्चे को दिखाए बिना ही ₹ 50 हजार प्रत्येक की सहायता प्राप्त की। इस बात का भी आश्वासन नहीं था कि क्या कुल वितरित ₹ 77 लाख लाभार्थियों द्वारा वांछित उद्देश्यों के लिए ही खर्चे किए गए थे। दूसरी एवं आगामी किश्त कोड ऑफ प्रेक्टिस (सी.ओ.पी.) लेखापरीक्षा पूर्ण होने पर तथा प्राधिकरण द्वारा स्थायी पंजीकरण के बाद ही दी जानी थी। यह देखा गया कि अस्थाई रूप से रजिस्टर्ड 154 सोसाइटीज में से केवल तीन ही दूसरी किश्त कार्यालय/वेयरहाउस/नीलामी हॉल/सामान्य सुविधाओं की स्थापना के लिए ₹ 50 हजार) के लिए योग्य पाई गई, आगे यह भी देखा गया कि अधिकतम ₹ 1.50 लाख (₹ 50 हजार अधिकतम की दर से) के विरुद्ध प्राधिकरण ने योजना दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए ₹ 2.05 लाख वितरित किए थे।

प्राधिकरण ने लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार करते हुए बताया (मई 2011) कि सी.ओ.पी. लेखापरीक्षा पूर्ण करने के लिए सभी किसानों द्वारा अपनी फार्मिंग प्रेक्टिस में आवश्यक तकनिकी कदम उठाये जाने में कुछ विलम्ब हुआ जिसके कारण पंजीकरण तथा द्वितीय तथा आगामी किश्तों को जारी करने में विलम्ब हुआ। सी.ओ.पी. लेखापरीक्षा किए जाने हेतु वांछित प्रक्रिया तैयार कर ली गई थी तथा वर्ष 2009-10 के दौरान उत्पादन में 17.36 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी।

1.3.3.5 एक्वाकल्चर फार्मों का डिजिटल डाटाबेस तैयार करना

प्राधिकरण ने आयात करने वाले देशों द्वारा उत्पादों का पता लगाने तथा अपनी नई योजनाएं बनाने के लिए आठ मैरीटाइम राज्यों में श्रिम्प एवं स्कैम्पी एक्वा फार्मों को डिजिटलाइज करने की आवश्यकता महसूस की। प्राधिकरण ने 2007-08 की अवधि में तीन राज्यों (आंध्र प्रदेश, गुजरात तथा महाराष्ट्र) तथा 2007-08 में शेष पांच राज्यों

(गोवा को सम्मिलित करके कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल) को संबंधित स्टेट रिपोर्ट सेंसिंग अफ्रीकेशन सेन्टर (एस.आर.एस.ए.सी.) की सहायता से मैपिंग का कार्य पूरा करने का प्रस्ताव किया था। विभिन्न राज्यों से प्राप्त आंकड़ों को केन्द्रीकृत करके मुख्यालय स्थित ज्योग्राफिकल इंफोरमेशन सिस्टम (जी.आई.एस.) में एम.आई.एस. का प्रयोग करते हुए विभिन्न प्रयोगों जैसे उत्पादन अनुमान उत्पादों के स्रोत का पता लगाना आदि में उपयोग करना था।

ऐसा देखा गया कि कुल वित्तीय परिव्यय ₹ 4.20 करोड़ में से स्क्रीन पर मैपिंग का कार्य, भूमि अभिलेखों के सर्वेक्षण से प्राप्त कैडेस्टूल मैप का ठेका छ: राज्यों की स्टेट रिपोर्ट सेंसिंग एजेसियों को ₹ 2.61 करोड़ के कुल कन्सल्टेंसी प्रभार पर दिया गया था। यह देखा गया कि वर्ष 2007-08 से 2009-10 के दौरान इसी कार्य पर ₹ 2.09 करोड़ खर्च करने के बाद भी संग्रहण का कार्य इन राज्यों में अपूर्ण था। निर्यात संवर्धन के लिए डिजीटेलाइज्ट डाटा की प्रासंगिकता स्पष्ट नहीं थी।

प्राधिकरण ने बताया (मई/जुलाई 2011) कि ज्योग्राफिकल इन्फार्मेशन सिस्टम (जी.आई.एस.) में, डाटा का स्रोत से प्राप्त करने, डिजीटेलाइज करने तथा उसकी विशुद्धता सुनिश्चित करने में समय लगता है। इनको पूर्ण करने के लिए समय सीमा का निर्धारण डिजिटेलाइज्ड डाटाबेस विकसित करने के बिना पूर्व अनुभव के किया गया। प्राधिकरण ने यह भी बताया कि विकसित डाटा के निर्यात पर प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं था और न ही प्रत्यक्ष रूप से निर्यात के सत्यापन का कोई उद्देश्य था। उत्तर योजना के उद्देश्यों के अनुरूप नहीं था।

1.3.3.6 सजावटी मछली उत्पादन इकाईयों के लिए सब्सिडी

सजावटी मछली व्यापार में भारत का हिस्सा नगण्य है। यह पकड़ी गई जंगली प्रजातियों तक सीमित है। प्राधिकरण ने सजावटी मछली उत्पादन इकाईयों (ओ.एफ.बी.यू.) की स्थापना के लिए तथा इनके विपणन सोसाइटी को आयात आधारित रोजगार बढ़ाने तथा सजावटी मछलियों के प्रजनन एवं पालन की अवसंरचना प्रदान करने के लिए एक योजना शुरू की (जनवरी 2008)। इस योजना का उद्देश्य विशिष्ट प्रजातियों के प्रजनन का विकास करना था जिसके लक्ष्य एवं उपलब्धियों के प्रत्यक्ष एवं वित्तीय रूप में नीचे तालिका 10 में दिखाया गया है:-

तालिका -10

(₹ करोड़ में)

वर्ष	सजावटी इकाईयों की संख्या					
	लक्ष्य		उपलब्धियां		बचतें (+)/आधिक्य(-)	
	प्रत्यक्ष	वित्तीय	प्रत्यक्ष	वित्तीय	प्रत्यक्ष	वित्तीय
2007-08	--	1.12	84	1.24		(-)0.12
2008-09	--	3.00	132	3.60		(-)0.60
2009-10	--	3.20	120	4.14		(-)0.94
कुल	--	7.32	336	8.98		(-)1.66

वर्ष 2007-08 से 2009-10 की अवधि में लक्षित सब्सिडी ₹ 7.32 करोड़ के विरुद्ध 336 लाभार्थियों को ₹ 8.98 करोड़ राशि का सब्सिडी प्रदान की गई। 336 मामलों में से 81 में देखा गया कि इन लाभार्थियों में से कोई भी सजावटी मछली के विशिष्ट प्रजाति के उत्पादन एवं पालन अथवा निर्यात में लिप्त नहीं था। बल्कि वह स्थानीय बाजार के लिए सामान्य प्रजाति का उत्पादन कर रहा था।

प्राधिकरण ने बताया (मई/जुलाई 2011) की उच्च गुणवत्ता भी मछलियों की बड़ी आपूर्ति का अभाव सजावटी मछलियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में घटिया प्रदर्शन का मुख्य कारण था। चूंकि प्राधिकरण पकड़ी गई एवं पालित सजावटी मछलियों के निर्यात आंकड़ों का अलग-अलग संग्रह नहीं कर रहा था जिससे प्राधिकरण की सहायता स्थापित ओ.ए.बी.यू. के प्रभाव को सुनिश्चित नहीं किया जा सका। तथापि, पकड़ी गई समुद्री मछलियों तथा पाली गई किस्मों के अलग-अलग आंकड़ों के लिए कदम उठाए जा रहे थे।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है। इस बात का आश्वासन नहीं है कि सजावटी मछलियों के प्रजनन एवं पालन पर किया गया भारी व्यय ₹ 8.98 करोड़ का प्रभावी ढंग से उपयोग हुआ आगे भी कानूनी रास्ते को छोड़कर इस प्रकार की कोई प्रक्रिया स्थापित नहीं थी, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि उन लाभार्थियों से राशि वापस एकत्रित की जाएगी जिन्होंने सजावटी मछलियों के पालन एवं उनके निर्यात पर राशि का उपयोग नहीं किया।

1.3.3.7 श्रिम्प के निर्यात पर कल्वर मत्स्यपालन का प्रभाव

कल्वर मत्स्यपालन पर भारी राशि खर्च करने के बावजूद भी यह देखा गया कि जमा हुआ श्रिम्प निर्यात होने वाली एक अकेली सबसे अधिक वस्तु थी जो पूरे 2005-06 में निर्यात मूल्य की 59 प्रतिशत थी और जो 2009-10 में धीरे-धीरे घटकर 41.62 प्रतिशत रह गई थी। 2008-09 में उत्पादन में वृद्धि 69.90 मि.ट. प्रति है, से बढ़कर 2009-10 में श्रिम्प का उत्पादन प्रति है 93.80 मि.ट होने के बावजूद निर्यात में कमी आई थी।

यह भी देखा गया कि 11वीं पंचवर्षीय योजना के पहले तीन वर्षों में एक्वाकल्वर/श्रिम्प उत्पादन तथा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी पर ₹ 37.70 करोड़ की राशि खर्च करने के बावजूद निर्यात वास्तव में 2006-07 के दौरान 76 प्रतिशत से घटकर 2009-10 के दौरान 62 प्रतिशत रह गया था जिससे निर्यात पर दी जाने वाली सब्सिडी योजना निर्यात बढ़ाने में निष्प्रभावी बनी रही।

निर्यात की प्रतिशतता में कमी का स्वीकार करते हुए प्राधिकरण ने बताया (मई 2011) कि कमी संभवतः कई सारे तथ्यों से मिश्रित प्रभाव से जुड़ी थी जैसे कम दाम पर उपलब्धि पैसिफिक सफेद श्रिम्प एल. वर्ना मई से कड़ी प्रतियोगिता, उत्पादन की बढ़ती लागत, बड़े देशों द्वारा आयातित समुद्री खाद्यों पर कठिन पाबंदी, प्राकृतिक आपदाओं के विरुद्ध छोटे तथा सीमांत किसानों को बीमा सुरक्षा हेतु अधिक सहायता की कमी, घरेलू बाजार में उचित कीमत पर मांग तथा बड़े आयातक देशों में आर्थिक मंदी। यह भी

बताया गया कि कमी के कारणों की पहचान कर ली गई है तथा एक्वाकल्वर उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

1.3.4 प्रसंस्करण अवसरंचना तथा मूल्यवर्धन

1.3.4.1 प्रसंस्करण मशीनों की प्राप्ति के लिए सब्सिडी

मूल्य वर्धित समुद्री खाद्यों का उत्पादन करने तथा उससे लाभार्थियों द्वारा निर्यात को बढ़ाने में सहायता देने के उद्देश्य से जनवरी 1998 में समुद्री खाद्य प्रसंस्करण कर्ताओं को 'इन्डीवीड्यूली क्रिक फ्रोजन', मशीनरी की प्राप्ति पर सब्सिडी की योजना शुरू की गई थी। तथापि बाण्ड अवधि तीन वर्ष के दौरान निर्यात की मात्रा की दृष्टि से कोई विवरण नहीं दिया गया था। योजना के अंतर्गत लक्ष्यों एवं उपलब्धियों का विवरण तालिका 11 में नीचे दिया गया है:-

तालिका -11

(₹ करोड़ में)

वर्ष	ए.पी.एम. लाभार्थियों की संख्या					
	लक्ष्य		उपलब्धियां		बचतें (+)/आधिक्य (-)	
	प्रत्यक्ष	वित्तीय	प्रत्यक्ष	वित्तीय	प्रत्यक्ष	वित्तीय
2006-07	19	2.20	29	3.24	(-) 10	(-) 1.04
2007-08	41	5.83	35	3.74	(+) 6	(+) 2.09
2008-09	60	7.11	63	6.59	(+) 17	(+) 0.52
2009-10	--	--	07	1.05	(-) 7	(-) 1.05
कुल	120	15.14	134	14.62	(+) 6	(+) 0.52

यद्यपि, इस योजना के अंतर्गत उपलब्धि काफी संतोषजनक थी, प्राधिकरण को इस योजना के अंतर्गत लाभभोगियों द्वारा मूल्य वर्धित समुद्री खाद्य उत्पादों के निर्यात में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए एक प्रणाली बनानी चाहिए थी।

1.3.4.2 समुद्री उत्पादों के लिए योजना की तकनीक का उन्नयन (टी.यू.एस.एम.पी.)

मूल्य वर्धित उत्पादों के निर्यात के लिए टी.यू.एस.एम.पी. उत्पादन/प्रसंस्करण /पैकेजिंग, भण्डारण तथा परिवहन अति विशिष्ट तकनीक की आवश्यकता पड़ती है। इन मामलों के समाधान के लिए प्राधिकरण ने 'समुद्री उत्पादों के लिए तकनीक उन्नयन की योजना (टी.यू.एस.एम.पी.)' अप्रैल 2008 में प्रारम्भ की जिससे नई इकाईयां लगाने, विद्यमान उत्पादन क्षमता को बढ़ाने तथा मूल्य वर्धित उत्पादों का विस्तार करने में निर्यातकों को सब्सिडी प्रदान करते हुए मूल्य वर्धित उत्पादों का निर्यात विद्यमान पांच प्रतिशत (2008-09) से 2012 में 75 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सके।

योजना में ब्याज सब्सिडी (पांच प्रतिशत बशर्ते अधिकतम ₹ 1.50 करोड़) या पूंजीगत सब्सिडी (पूंजीगत लागत के 25 प्रतिशत दर से बशर्ते अधिकतम रु. एक करोड़)। आगे पूंजीगत सब्सिडी में बैंक गारंटी प्रस्तुत करने की शर्त के साथ पात्र सब्सिडी का 50 प्रतिशत जो सात वर्ष की अवधि के लिए मान्य थी जिसमें वार्षिक निर्यात अनिवार्यता

प्रति लाभार्थी ₹ 8 करोड़ से ₹ 20 करोड़ के बीच थी। प्रत्यक्ष एवं वित्तीय रूप में लक्ष्य एवं उपलब्धियां तालिका 12 में नीचे दिए गए हैं।

तालिका –12

(₹ करोड़ में)

वर्ष	लाभार्थियों की संख्या					
	लक्ष्य		उपलब्धियां		वर्तें (+)/आधिक्य (-)	
	प्रत्यक्ष	वित्तीय	प्रत्यक्ष	वित्तीय	प्रत्यक्ष	वित्तीय
2007-08	2	1.50	--	--	(+)2	(+)1.50
2008-09	16	3.71	--	--	(+)16	(+)3.71
2009-10	16	6.56	3	1.48	(+)13	(+)5.08
कुल	34	11.77	3	1.48	(+)31	(+)10.29

यद्यपि 2009-10 को समाप्त तीन वर्षों के दौरान ₹ 11.77 करोड़ का बजट प्रावधान था 2007-08 तथा 2008-09 के दौरान कोई सब्सिडी जारी नहीं की गई क्योंकि किसी का आवेदन पत्र नहीं आया तथा 2009-10 में तीन लाभार्थियों को ₹ 1.48 करोड़ की सब्सिडी प्रदान की गई तथा शेष ₹ 10.29 करोड़ अप्रयुक्त रहा। प्रबंधन द्वारा बताये गए योजना के घटिया निष्पादन का मुख्य कारण योजना में उच्च निर्यात अनिवार्यता तथा आवश्यक बैंक गारण्टी की उच्च प्रतिशतता थी।

प्राधिकरण ने बताया (मई/जुलाई 2011) कि वर्ष 2010 -11 के दौरान निर्यात अनिवार्यता तथा बैंक गारण्टी सीमा के संशोधित करने के पश्चात योजना ने न सिर्फ गति पकड़ी बल्कि यह तर्कसंगत एवं पर्याप्त व्यवहार्य हो गई जिससे इसके उद्देश्य की पूर्ति हेतु आवश्यक नियंत्रण किया जा सकता है।

अनुशंसा

- योजना बनाते समय प्राधिकरण को प्राप्ति योग्य वास्तविक लक्ष्यों को निर्धारित करना चाहिए।

1.3.4.3 चिल्ड फिश/ट्यूना हेतु आवश्यक सुविधाओं का सृजन

चिल्ड फिश वस्तुओं के निर्यात तथा बहुमूल्य विदेशी मुद्रा अर्जन हेतु प्राधिकरण ने चिल्ड फिश /चिल्ड ट्यूना के निर्यात संचालन एवं पैकिंग (ट्यूना तथा अन्य) हेतु नई आधारभूत सुविधाओं के सृजन के लिए वित्तीय सहायता की एक योजना प्रारम्भ की (अगस्त 2008)। पूंजी लागत के एक तिहाई हिस्से या अधिकतम ₹ 35 लाख की सब्सिडी तक की गई। प्रारम्भ से मार्च 2010 की अवधि में योजना के लक्ष्यों एवं उपलब्धियों को नीचे तालिका 13 में दर्शाया गया है।

तालिका -13

(₹ लाख में)

वर्ष	लाभार्थियों की संख्या					
	लक्ष्य		उपलब्धियां		बचतें (+)/आधिक्य (-)	
	योजना परिव्यय के अनुसार प्रत्यक्ष	वित्तीय	प्रत्यक्ष	वित्तीय	प्रत्यक्ष	वित्तीय
2008-09	4	40.00	1	18.02	(+)3	(+)21.98
2009-10	4	100.00	-	0.74	(+)4	(+)99.26
कुल	8	140.00	1	18.76	(+)7	(+)121.24

यह देखा गया कि योजना बनाते समय प्राधिकरण ने लक्षित लाभार्थियों के लिए विशिष्ट चिल्ड फिश संचालन एवं पैकिंग सुविधा के सृजन तथा उनके निवेश की क्षमता सुनिश्चित करने के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं किया था। इसके परिणामस्वरूप, प्राधिकरण उक्त अवधि में आठ लाभार्थियों के लक्ष्य के स्थान पर केवल एक लाभार्थी को ही सब्सिडी प्रदान कर सका।

प्राधिकरण ने उत्तर दिया (मई 2011) कि अधिकतर फ्रेश/चिल्ड फिश निर्यातक लघु स्तरीय क्षेत्र से थे तथा जमीन एवं अन्य स्थापना व्यय पर ऊंचे विनिवेश के कारण वे चिल्ड फिश संचालन केन्द्र की एक विशिष्ट सुविधा नहीं बना सके थे इसलिए वे विद्यमान संचालन/शीतलन प्लान्ट पर ही पैकिंग को वरीयता देते थे। इससे प्रकट हुआ कि योजना की रूपात्मकता का लक्षित लाभार्थियों में कार्यान्वयन की संभावना को सुनिश्चित किए बिना ही अंतिम रूप प्रदान किया गया।

1.3.5 गुणवत्ता नियंत्रण

1.3.5.1 पूर्व प्रसंस्करण केन्द्रों में निस्सारी उपचार संयत्रों की स्थापना

यूरोपियन यूनियन तथा संयुक्त राज्य के गुणवत्ता आश्वासन प्रणाली के पालन हेतु समुद्री खाद्य को प्रत्येक स्तर पर स्वच्छ अवस्था में रखने के लिए तथा पूर्व प्रसंस्करण केन्द्रों (पू.प्र.के.) की सुविधाओं को उन्नत करके जोखिम विश्लेषण तथा संकट नियंत्रण बिन्दु (एच.ए.सी.सी.पी.)/ई.यू. नियमन के स्तर पर लाने के लिए निस्सारी उपचार संयत्र (ई.टी.पी.) तथा जल शुद्धिकरण प्रणाली (डब्ल्यू.पी.एस.) का कार्यान्वयन पी.पी.सी. में प्राधिकरण द्वारा किया गया था। प्रत्यक्ष एवं वित्तीय रूप में लक्ष्य तथा उपलब्धियां नीचे तालिका 14 में दर्शाए गए हैं

तालिका -14

(₹ करोड़ में)

वर्ष	इकाईयों की संख्या					
	लक्ष्य		उपलब्धियां		बचत (+)/आधिकरण (-)	
	प्रत्यक्ष	वित्तीय	प्रत्यक्ष	वित्तीय	प्रत्यक्ष	वित्तीय
2005-06	कोई लक्ष्य नहीं	3.78	60	9.31		(-) 5.53
2006-07		6.64	53	6.78		(-) 0.14
2007-08		3.66	52	5.95		(-) 2.29
2008-09		4.86	67	5.08		(-) 0.22
2009-10		1.33	19	1.77		(-) 0.44
कुल		20.27	251	28.89		(-) 8.62

(2005-06 तथा 2006-07 की अलग योजनाएं 2007-08 से गुणवत्ता उन्नतिकरण उपशीर्ष के अंतर्गत लाई गई)

251 में से 44 जांचित मामलों में पाया गया कि उनमें से किसी ने भी अपने पी.पी.सी. में ई.टी.पी. तथा डब्ल्यू.पी.एस. की स्थापना नहीं की थी। इसके परिणामस्वरूप, प्रसंस्करण के लिए अस्वच्छ जल का प्रयोग हुआ तथा गुणवत्ता आश्वासन पैरामीटरों का पालन नहीं किया गया।

प्राधिकरण ने बताया (मई 2011) कि सब्सिडी प्राप्त करने की योग्यता केवल प्राधिकरण में पंजीकरण है और यदि पी.पी.सी. प्राधिकरण के पास पंजीकृत है तो इसका तात्पर्य यह है कि पी.पी.सी. में प्रयुक्त जल पीने योग्य है तथा मालिकों को जल जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी कि जल छिलाई कार्यों के लिए उपयुक्त था। उत्तर से प्रकट होता था कि प्राधिकरण ने मानकों को हल्का किया था जिसमें डब्ल्यू.पी.एस. की स्थापना एच.ए.सी.पी./ई.यू. नियमों के अनुसार करने पर जोर देने के बजाय अशुद्ध जल के प्रयोग को स्वीकार कर लिया गया था।

आगे लाभभोगियों द्वारा हस्ताक्षरित बांड में इस बात का प्रावधान था कि ईकाई को नियमित 45 दिनों तक निष्क्रिय रखने पर लाभभोगियों को पूरी सब्सिडी ब्याज सहित वापस कर देंगे।

ऐसा देखा गया (क्षेत्रीय कार्यालय, चैन्नई) कि एक ईकाई जिनको आंतरिक पी.पी.सी. के लिए ₹ 14.95 लाख राशि की सब्सिडी प्रदान की गई थी उन्होंने अक्तूबर 2008 में उत्पादन बन्द कर दिया था। इसी प्रकार महाराष्ट्र में एक ईकाई जिसे शीत भण्डारण के उन्नतिकरण के लिए ₹ 2.65 लाख की सब्सिडी प्रदान की गई थी, 2008 से उत्पादन नहीं कर रही थी। आगे, एक फर्म को ₹ 9.10 लाख की सब्सिडी आंतरिक पी.पी.सी. की स्थापना के लिए प्रदान की गई थी (क्षेत्रीय कार्यालय, वेरावल) की वसूली नहीं की गई थी बावजूद इसके कि निर्यात निरीक्षण एजेन्सी द्वारा दी गई संस्थीकृति मई 2003 के प्रस्ताव से वापस ले ली गई थी।

जब दिसम्बर 2010 में सब्सिडी के गैर वसूली की बात को प्राधिकरण के संज्ञान में लाया गया तो यह उत्तर मिला कि उक्त परिसर से व्यापार बन्द कर पार्टी गायब हो गई।

थी तथा सभी कार्यालयी पत्र व्यवहार वापस हो जाते थे तथा प्रत्यक्ष सत्यापन के दौरान भी मालिक का पता नहीं लगाया जा सका।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है। अनुचित पार्टियों की छंटनी के लिए आबंटन-पूर्व सत्यापन सही ढंग से नहीं किया गया। आगे, उन्हें परिसम्पत्तियों को विक्रय से रोकने के लिए उचित बचाव जैसे सुविधाओं को बन्धपत्र/शपथ पत्र का समुचित रख रखाव किया जाना चाहिए था।

1.3.5.2 वाणिज्यिक उत्पत्तिशाला में निस्सारी उपचार संयंत्र की स्थापना

समुद्री उत्पादों विशेषकर श्रिम्प के निर्यात के लिए ई.यू. मानदण्डों के पालन हेतु प्राधिकरण ने उत्पत्तिशालाओं तथा एक्वाफार्म में निस्सारी उपचार संयंत्र (नि.उ.सं.) के स्थापना की आवश्यकता महसूस की थी। तटीय जलकृषि प्राधिकरण (त.ज.प्रा.) ने पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम के लिए पांच हैं। से अधिक क्षेत्रफल में फैले जलकृषि फार्मों के स्थायी पंजीकरण की अनुमति देते समय (नि.उ.सं.) की स्थापना की शर्त का प्रावधान किया था।

इसी के अनुसार, प्राधिकरण ने अनुबद्ध किया था कि जलकृषि फार्मों को अस्थाई पंजीकरण एक वर्ष के लिए किया जाएगा तथा स्थाई पंजीकरण (नि.उ.सं.) की सुविधा की स्थापना सुनिश्चित होने के बाद ही किया जाएगा। ऐसा देखा गया कि प्राधिकरण ने 2005-06 से 2009-10 की अवधि में 106 के लक्ष्य की तुलना में केवल 37 ई.टी.एस. ही प्रतिस्थापित किये थे जैसा कि तालिका 15 में नीचे दर्शाया गया है।

तालिका -15

(₹ लाख में)

वर्ष	इकाईयों की संख्या					
	लक्ष्य		उपलब्धियां		बचत (+)/आधिक्य (-)	
	प्रत्यक्ष	वित्तीय	प्रत्यक्ष	वित्तीय	प्रत्यक्ष	वित्तीय
2005-06	39 इकाईयां	60.00	15 इकाईयां	18.48	(+) 24	(+) 41.52
2006-07	34 इकाईयां	51.00	5 इकाईयां	6.71	(+) 29	(+) 44.29
2007-08	10 इकाईयां	15.00	शून्य	शून्य	(+) 10	(+) 15.00
2008-09	1 इकाई	1.50	1 इकाई	1.34	--	(+) 0.16
2009-10	22 इकाईयां	32.89	16 इकाईयां	21.33	(+) 6	(+) 11.56
जोड़	106 इकाईयां	160.39	37 इकाईयां	47.86	(+) 69 इकाईयां	(+) 112.53

ऐसा देखा गया कि लक्ष्यों की उपलब्धियों में गिरावट का मुख्य कारण प्राधिकरण द्वारा ई.टी.एस. की डिजाइन एवं क्षमता को अंतिम रूप देने में विलम्ब के कारण था।

जलकृषि फार्मों की जी.आई.एस. मैपिंग से सम्बन्धित एक सर्वे में प्राधिकरण ने पाया कि लगभग 1,20,000 जलकृषि फार्म श्रिम्प एवं स्कैम्पी की खेती कर रहे थे तथा 99 प्रतिशत से अधिक फार्मों में कोई ई.टी.एस. नहीं था तथा वे तालाब के प्रदूषित जल का नहर/निकास में सीधे प्रवाहित कर रहे थे।

प्राधिकरण ने उत्तर दिया (मई 2011) कि एक्वाफार्मों को स्थायी पंजीकरण प्रदान करने की अनुमति पर विचार चल रहा था तथा इसने ई.टी.एस. के उपयुक्त डिजाइन प्राप्त करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को लिखा था। आगे भी हैचरी संचालकों में जागरूकता पैदा करने के लिए तथा ई टी एस इकाईयों की स्थापित करने के लिए भी प्रयास किए जा रहे थे।

इसके अतिरिक्त यह भी पाया गया कि योजना के कार्यान्वयन से पहले स्थायी पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी करने के संबंध में निर्णय लेने में विलम्ब तथा ई टी एस डिजाइन को अंतिम रूप न देने के कारण उत्पादन के साथ-साथ निर्यात पर दुष्प्रभाव पड़ा।

1.3.5.3 गुणवत्ता प्रमाण-पत्र के लिए प्रयोगशालाओं की स्थापना एवं परिचालन

श्रिम्प के उत्पादन में प्रतिबन्धित कीटनाशक दवाईयों की उपस्थिति कम करने तथा निर्यात अस्वीकार होने से बचाने के लिए सभी संसाधकों के लिए आवश्यक था कि वे एक्वाकल्टर श्रिम्प को तभी स्वीकार करें जब उनकी प्रारम्भिक जांच हो चुकी हो। उत्पादन पूर्व प्रारम्भिक जांच की सुविधा के लिए प्राधिकरण ने आंध्रप्रदेश में, जो एक्वाकल्टर श्रिम्प का मुख्य उत्पादक केन्द्र है, छ: एलिसा प्रयोगशालाओं की स्थापना की थी (नवम्बर 2007)। भारत सरकार के अनुमोदन से ₹ 1.50 करोड़ के कुल परिव्यय में से ₹ 50 लाख भारत के समुद्र खाद्य निर्यात संगठन (भा.स.खा.नि.सं.) के साथ बांटा था। भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धियों एवं लक्ष्य का विवरण तालिका 16 में नीचे दर्शाया गया है।

तालिका -16

(₹ करोड़ में)

वर्ष	एलिसा प्रयोगशालाओं की संख्या					
	लक्ष्य		उपलब्धियां		बचतें (+)/आधिक्य (-)	
	प्रत्यक्ष	वित्त	प्रत्यक्ष	वित्त	प्रत्यक्ष	वित्त
2007-08	6 प्रयोगशालाएं	100				
2008-09			6	300	--	(-)200
2009-10	6 प्रयोगशालाओं द्वारा 52000 नमूनों की वार्षिक जांच की जानी थी		4/09 से 3/2010 केवल 15304 रिपोर्ट किए गए			

यह देखा गया कि चूंकि भा.स.खा.नि.सं. योजना से पीछे हट चुका था, प्राधिकरण ने स्वयं ही 6 एलिसा प्रयोगशालाओं की स्थापना की थी जिसके प्रारम्भिक बजट ₹ 1 करोड़ के प्रति ₹ 3 करोड़ का व्यय किया गया था। प्रयोगशालाओं का परिचालन एवं प्रबंधन एक निजी परिचालक, मैसर्स सी. लैब्स को सौंपा गया था (जनवरी 2009)। निजी परिचालक को जांच की सुपुर्दगी जोखिम से परिपूर्ण थी क्योंकि स्टाफ, कार्यालय व्यय, रसायन आदि के लिए कोई बजट नहीं दिया गया था जिससे परिचालक प्रशिक्षित स्टाफ का प्रयोग न कर सके तथा गहन प्रयोगशाला जांच के बिना प्रमाण पत्र जारी कर सके। इस जोखिम के समाधान के लिए कोई प्रक्रिया स्थापित नहीं की गई थी।

इसके अतिरिक्त, निम्न पाया गया:

- प्राधिकरण के प्रतीक चिन्ह के साथ खाली जांच प्रमाणपत्र प्राधिकरण द्वारा प्रदान किए गए जिससे प्राधिकरण द्वारा सत्यापन किए बिना निजी संचालक द्वारा अपने हस्ताक्षर के अधीन जांच प्रमाण पत्र जारी किया जा सके।
- सी लैब के साथ किया गया करार सी लैब के लिए तकनीशियनों के लिए अनिवार्य योग्यता निर्धारित नहीं करता था जिससे जांच प्रमाण-पत्र में जांच के दौरान त्रुटियां हो सकती थीं।
- जांच प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए फार्म पंजीकरण के प्रमाण के साथ किसानों को नमूने प्रयोग में लाने आवश्यक थे बजाए इसके कि प्रयोगशाला स्टाफ नमूने खेत जाकर प्राप्त करें। इस प्रकार न तो प्रयोगशाला कर्मचारी न ही प्राधिकरण के कर्मचारी जांच प्रमाण पत्र जारी करने से पहले नमूने के स्त्रोतों का सत्यापन कर रहे थे।
- इन प्रयोगशालाओं के लिए तकनीकी प्रमाणन प्राप्त नहीं किए गए थे।

वर्ष 2009-10 से सभी छः एलिसा प्रयोगशालाओं ने मिलकर केवल 15304 नमूनों का विश्लेषण किया था जबकि इनकी क्षमता 52000 नमूना जांच करने की थी। प्राधिकरण ने उत्तर दिया (मई 2011) कि क्षमता का उपयोग पंजीकृत फार्मों के ऊर निर्भर थी जो अलग-अलग हो सकती थी।

यद्यपि प्राधिकरण ने इसे अपने उत्तर में अस्वीकार किया था, तथ्य यही था कि प्राधिकरण ने एलिसा प्रयोगशालाओं की उक्त कमियों के सम्बंध में प्रभावी कार्रवाई नहीं की थी। परिणामतः ई.यू. ने अप्रैल 2010 के प्रभाव से ई.यू. को निर्यात होने वाले कल्वर्ड स्कैम्पी के लगातार अस्वीकृत नमूनों के कारण 20 प्रतिशत निर्यात को यादृच्छिक रूप से जांच करने का निर्णय लिया। प्रमाणीकरण कार्यकलापों के बाह्य ठेके देने के पश्चात, प्राधिकरण को प्रयोगशालाओं हेतु अपनी अनुश्रवण प्रणाली सुदृढ़ करना चाहिए था जिससे जांच की साख सुनिश्चित हो सके क्योंकि इसका सीधा संबंध निर्यात से है।

यह भी पाया गया कि फोजेन श्रिम्प निर्यात की अकेली वस्तु थी जो वर्ष 2005-06 में सम्पूर्ण निर्यात मूल्य का 59 प्रतिशत हिस्सा थी। यह 2009-10 में धीरे-धीरे घटकर 41.62 प्रतिशत रह गई थी। कीटनाशक अवशेषों द्वारा प्रदूषित होने के कारण अस्वीकार निर्यात तथा बार-बार रोग लगने के कारण किसानों द्वारा श्रिम्प फार्मिंग छोड़ने के कारण ही ऐसे बड़े कारण थे जिससे श्रिम्प के आयात में कमी हुई।

1.3.5.4 लैण्डिंग सेन्टर्स (फिशिंग हार्बर्स) का विकास

भारत सरकार ने 19 चिन्हित फिशिंग हार्बर्स जो छः मैरिटाइम राज्यों⁸ में फैले हुए थे के उन्नतिकरण के लिए एक योजना स्वीकृत की (सितम्बर 2008) जिसमें मत्स्य एवं मत्स्य

⁸ आन्ध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, कर्नाटक, केरल तथा तमिलनाडु

उत्पादों के सरक्षण हेतु मशीन तथा शीत कक्ष का निर्माण करना था जिसकी कुल कीमत ₹ 7.60 करोड़ दर ₹ 40 लाख प्रति हार्बर्स (₹ 30 लाख उपकरण तथा ₹ 10 लाख सिविल ढांचा हेतु) थी। संबंधित राज्य सरकारों को आधारभूत अवसरंचना जैसे कि आच्छादित नीलामी घर, निरन्तर बिजली आपूर्ति तथा बर्फ निर्माण के लिए पर्याप्त पेय जल आदि प्रदान करना था।

यह देखा गया कि छ: मैरिटाइम राज्यों के 19 हार्बर्स में से केवल कर्नाटक के दो हार्बर्स में ही उन्नतिकरण का कार्य पूर्ण हो सका। केरल के तीन हार्बर्स में कार्य प्रगति पर था जबकि चार मैरिटाइम राज्यों (तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश, गुजरात तथा गोवा) में स्थित शेष 14 हार्बर्स में कार्य शुरू भी नहीं किया गया था। आगे केरल में प्राधिकरण ने अवसरंचना बनने से पहले ही उपकरण की आपूर्ति के आदेश दिए थे जिससे आपूर्ति किए गए उपकरण जिनकी कीमत ₹ 79.65 लाख थी अब तक निष्क्रिय पड़े थे (मई 2011)

प्राधिकरण ने उत्तर दिया (मई/जुलाई 2011) कि मामला संबंधित राज्य सरकारों से उठाया जा रहा है जिससे परियोजना पूरी की जा सके।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उपकरणों की खरीद अवसरंचना की अनुपस्थिति में विलम्बित की जानी चाहिए थी।

1.3.5.5 पालिमरेस चेन रिएक्शन प्रयोगशाला की स्थापना

प्राधिकरण ने हैचरीज में ब्रूड स्टाक (ब्लैक टाइगर श्रिम्प) तथा पोस्ट लार्वा (पी.एल.) तथा फार्म स्तर पर समुचित प्रबंधन उपायों को रोग समर्था समाधान हेतु अत्य कालिक उपाय के रूप में चिन्हित किया। रोगों से निपटने का दीर्घकालीन हल घरेलू स्पेसिफिक पैथोजन फ्री (एस पी एफ) तथा स्पेसिफिक पैथोजन रेसिस्टेंट (एस पी आर) का विकास करना था। प्राधिकरण ने पी.सी.आर. प्रयोगशाला निर्माण प्रोत्साहित किया जिससे हैचरीज को रोगों का पता लगाने की सबसे उन्नत सुविधा प्राप्त करने में सहायता मिल सके। प्रत्यक्ष तथा वित्तीय लक्ष्यों एवं उनकी उपलब्धियों का विवरण नीचे तालिका 17 में दर्शाया गया है।

तालिका 17

(₹ लाख में)

वर्ष	प्रयोगशालाओं की संख्या					
	लक्ष्य		उपलब्धियां		बचतें (+)/आधिक्य (-)	
	प्रत्यक्ष	वित्तीय	प्रत्यक्ष	वित्तीय	प्रत्यक्ष	वित्तीय
2005-06	10	50.00	6	25.23	(+4)	(+)24.77
2006-07	10	50.00	2	9.88	(+8)	(+)40.12
2007-08	10	50.00	8	31.99	(+2)	(+)18.01
2008-09	4	15.00	6	22.09	(-2)	(-)7.09
2009-10	18	87.65	9	40.68	(+9)	(+)46.97
कुल	52	252.65	31	129.87	(+21)	(+)122.78

यह देखा गया कि 31 पी.सी.आर. प्रयोगशालाओं जिन्हें प्राधिकरण की ₹ 1.30 करोड़ की संस्करण से वर्ष अवधि 2005-06 से 2009-10 में स्थापित किया गया था, इस

सब्सिडी के प्रभाव का कोई विवरण जैसे रोग मुक्त बीजों के आपूर्ति की मात्रा, इन बीजों के प्रयोग करने वाले किसानों की उत्पादकता में वृद्धि का कोई विवरण एकत्र नहीं किया गया था।

प्राधिकरण ने बताया (मई 2011) कि ऊनी कीमत तथा बीजों के लिए घटती मांग के कारण है चेरीज द्वारा पी.सी.आर. प्रयोगशालाएं स्थापित करने में विलम्ब हुआ जिससे स्थाई पंजीकरण प्रदान करने में विलम्ब हुआ।

अनुशंसाएं

- प्राधिकरण को आयात करने वाले देशों के मानदण्डों के अनुरूप समुद्री उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करनी चाहिए।
- बाह्य स्रोत की गुणवत्ता प्रमाणीकरण प्रयोगशालाओं की मॉनीटरिंग प्रणाली को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।

1.3.6 अनुसंधान एवं विकास

1.3.6.1 किसानों, उद्यमियों को तकनीकी का हस्तांतरण

राजीव गांधी सेन्टर फार एक्वाकल्वर (आर जी सी ए) प्राधिकरण की अनुसंधान एवं विकास स्कंध है जो भारत में नई एक्वाकल्वर तकनीक विशेष कर निर्यातोन्मुखी प्रजातियों के विकास में प्रयासरत है तथा इससे उद्योगों को अवगत कराता है। इस उद्देश्य पूर्ति के लिए इसने जून 2000 से अप्रैल 2008 की अवधि में 11 परियोजनाओं को अपने हाथ में लिया।

प्राधिकरण ने सी. बास (मछली की एक किस्म) की हैचरी तथा खेती विकसित करने की आवश्यकता महसूस की क्योंकि भारत में इसके प्रजनन एवं विकास की सर्वदा सफल तकनीक उपलब्ध नहीं थी। सी. बास हैचरी, सी बास प्रदर्शनी फार्म जिसे जून 2000 में शुरू किया गया था तथा मड क्रैब हैचरी एवं फार्म जिसे अप्रैल 2004 में शुरू किया गया था दोनों पूर्ण हो चुके थे लेकिन सी बास हैचरीज को छोड़कर, जहां तकनीक का विकास करके उसे व्यवस्थित करके किसानों की आवश्यकता के लिए पर्याप्त मात्रा में बीज तुरन्त उपलब्ध था, उद्योगों में तकनीक का प्रसार अभी भी शेष था। बाकी आठ परियोजनाएं कार्यान्वयन के केवल प्राथमिक स्तर पर थी (मई 2011)

प्राधिकरण ने उत्तर दिया (मई 2011) कि पिछले 10 वर्षों में सी बास की हैचरी एवं खेती तकनीक के विकास का कार्य जो आर जी सी ए को सौंपा गया था पूर्ण हो चुका था, तथापि, तकनीक के कुछ क्षेत्रों का अद्यतन एवं सुव्यवस्थीकरण शेष था जिसे अब किया जा रहा था। प्राधिकरण ने आगे बताया (जुलाई 2011) कि सी. बास परियोजना पर खर्च की गई धनराशि से इन प्रजातियों के बड़े स्तर पर आवश्यक एक्वाकल्वर वातावरण तैयार करने में सहायता प्राप्त हुई है। प्राधिकरण ने तथापि, अपने उत्तर के समर्थन में कोई आंकड़े प्रस्तुत नहीं किए।

1.3.7 नियामक कार्य

1.3.7.1 पंजीकरण

हैचरीज तथा मछली मारने वाली नौकाओं के पंजीकरण का उद्देश्य इस बात को प्रमाणित करना था कि वे आयात करने वाले देशों जैसे ई.यू., जापान तथा संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा स्थापित कुछ आवश्यक मानदण्डों पर खरे उतरते हैं। पंजीकरण हैचरीज के अच्छे परिचालन परम्परा को प्रोत्साहित करता है तथा नौकाओं के मामलों में इसकी पुष्टि करता है कि निर्यात की गई मछलियां वैधानिक, नियमित तथा ज्ञात मत्स्य कार्यकलापों से ली गई हैं। पंजीकृत पार्टियां अपने उत्पादों पर सब्सिडी तथा बेहतर विपणन प्राप्त करती हैं। हैचरीज तथा नौकाओं के पंजीकरण में प्रगति धीमी थी।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि बड़ी संख्या में हैचरीज एवं नौकाएं पंजीकृत हों, के उद्देश्य की प्राप्ति मूल सिद्धांत यह था कि प्रारम्भ में कुछ पार्टियों को पंजीकरण के लाभों से विश्वास में ले, जिससे इसकी उपयोगिता के लिए दूसरी पार्टियों द्वारा नकल की जाए जो पंजीकरण की विशेषताओं से सहमत होंगे। इस प्रकार के तरीकों में खामियां थीं।

यह देखा गया कि ज्यादातर हैचरीज तथा मत्स्य नौकाओं ने अपना पंजीकरण प्राधिकरण में नहीं कराया सिवाय इसके जिन्होंने प्राधिकरण से सब्सिडी का लाभ लिया था।

1.3.7.2 नौकाओं, प्रसंस्करण संयंत्रों आदि का निरीक्षण

धारा 9(2) (ई) के अनुसार, प्राधिकरण को समुद्री उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए मत्स्य नौकाओं, प्रसंस्करण संयंत्रों भण्डारण स्थानों आदि का निरीक्षण करना था। ऐसा देखा गया कि प्राधिकरण द्वारा ऐसा निरीक्षण नहीं किया गया था।

प्राधिकरण ने उत्तर दिया (मई 2011) कि क्षेत्रीय स्टाफ अनुपालना के लिए तथा संस्वीकृति के नवीनीकरण/पंजीकरण के समय इसका सत्यापन करता है।

आगे यह भी देखा गया कि केवल संस्वीकृति/पंजीकरण के समय सुविधाओं का सत्यापन निर्यात के लिए मत्स्य उत्पादों के निर्यात हेतु गुणवत्ता सुनिश्चित नहीं करता। प्राधिकरण को सभी पंजीकृत नौकाओं का निरीक्षण करने के लिए समयबद्ध विस्तृत योजना बनानी चाहिए तथा निरीक्षण में पाई गई कमियों पर अनुवर्ती कार्रवाई करनी चाहिए। प्राधिकरण ने आगे बताया (जुलाई 2011) कि क्षेत्रीय कार्यालयों से सभी पंजीकृत नौकाओं के समयबद्ध निरीक्षण के लिए निवेदन किया जाएगा तथा निरीक्षण के दौरान पाई जाने वाली कमियों पर अनुवर्ती कार्रवाई की जाएगी।

1.3.7.3 कार्यकारी समिति की बैठक

अधिनियम की आवश्यकता अनुसार प्राधिकरण ने सक्षम तरीके से अपने कर्तव्यों एवं कार्यों को पूर्ण करने के लिए एक कार्यकारी समिति की नियुक्ति की। अधिनियम, तथापि, इस बात को नहीं दर्शाता कि एक निश्चित अवधि में न्यूनतम कितनी बैठकें

आयोजित की जानी चाहिए। ऐसा देखा गया कि जुलाई 2008 के पश्चात् कार्यकारी समिति की बैठक आयोजित नहीं हुई।

प्राधिकारी ने उत्तर दिया (मई 2011) कि कार्यकारी समिति की बैठक इसलिए नहीं हुई क्योंकि कार्यकारी समिति का कोई विशेष कार्यवृत नहीं था। तथापि प्राधिकरण की योजनाओं तथा समुद्री खाध निर्यात से सबंधित मामलों एवं समस्याओं आदि के बारे में उद्योगों, नाविकों, किसानों तथा मंत्रालय के कर्मचारियों से बारंबार अवधि में चर्चा की जाती है, इसलिए योजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन प्रभावित नहीं होता।

अनुशंसा

- मंत्रालय/ प्राधिकरण प्रगति के आवधिक मूल्यांकन के स्थान पर लाभभोगियों के परिसर की आवधिक यात्रा करने पर विचार करे जिससे लाभभोगीवार योजना के प्रभाव का मूल्यांकन हो सके।

1.4 निष्कर्ष


प्राधिकरण द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाएं मूल रूप से वित्तीय सहायता वितरण तक सीमित थीं। वित्तीय सहायताओं के दुर्लभ्योग से बचने के लिए वितरण पश्चात् प्रणाली निष्प्रभावी थी। यह विभिन्न योजनाओं में आच्छादित लाभभोगियों के परिसर / जलयान की आवधिक यात्रा की बजाय उनके द्वारा प्रस्तुत आवधिक रिपोर्ट पर आश्रित थी।

इस बात का कोई आश्वासन नहीं था कि व्यय की गई राशि लाभभोगियों द्वारा वास्तव में वांछित उद्देश्यों के लिए उपयोग की गई थी। आयातक देशों के कठिन मानदण्डों की स्थिति में यह पूर्णतः आवश्यक था कि परिचालक गुणवत्ता प्रसंस्करण के लिए ही लाभ की आशा रखें। आगे, 45 हैचरीज के लक्ष्य के प्रति केवल 21 हैचरीज ही रिपोर्ट अवधि में स्थापित हुए जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1 करोड़ का अनुदान अप्रयुक्त रहा। स्विस इम्पोर्ट प्रमोशन प्रोग्राम के साथ हस्ताक्षरित एम.ओ.यू. जिसका उद्देश्य, आर्गेनिक एक्वाकल्चर विकसित करना था भी पूरा नहीं हो सका जबकि अकेले इसके परामर्श कार्य पर ₹ 65.62 लाख खर्च हुए थे।

1.5 आभार

इस निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान प्राधिकरण के सहयोग एवं सहायता हेतु लेखापरीक्षा आभार व्यक्त करती है।


मामला मंत्रालय को अप्रैल 2011 में भेजा गया था; उनका उत्तर जुलाई 2011 तक प्रतीक्षित था।



मानव संसाधन विकास मंत्रालय

असम विश्वविद्यालय

असम विश्वविद्यालय के कार्यकलाप



**अध्याय II : असम विश्वविद्यालय के कार्यकलाप
(मानव संसाधन विकास मंत्रालय)**

विशिष्टताएं

- विश्वविद्यालय की अवसंरचना 28 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रामों में 17-39 प्रतिशत, चार पूर्वस्नातक पाठ्यक्रमों में 26-59 प्रतिशत तथा एम.फील. पाठ्यक्रमों में 17-89 प्रतिशत की सीमा तक रिक्त सीटों के कारण अल्पउपयोगी रही।

(पैराग्राफ 2.3.2.1)

- 2005-10 की अवधि के दौरान 22 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में औसतन उत्तीर्ण दर 58 से 87 प्रतिशत के बीच थी।

{पैराग्राफ 2.3.2.2(क)}

- दो नए पाठ्यक्रमों (बी.टेक कृषि अभियांत्रिकी तथा बी.टेक सूचना प्रौद्योगिकी) को इन विषयों में ज्ञान को विसरित करने की आवश्यकता का निर्धारण किए बिना प्रारम्भ किया गया था जिसके कारण 2006-10 के दौरान बी.टेक कृषि में 63-95 प्रतिशत सीटें रिक्त रही तथा 2009-10 के दौरान बी.टेक सूचना प्रौद्योगिकी में 45 से 87 प्रतिशत सीटें रिक्त रहीं।

(पैराग्राफ 2.3.2.3)

- कुल 46 अनुसंधान परियोजनाओं में से, केवल 12 परियोजनाएं ही जून 2010 तक समाप्त की गई थी; जिनमें से पाँच परियोजनाएं दो से 20 महीनों तक विलम्बित थीं। शेष 34 परियोजनाओं में से, 13 ने मार्च 2011 तक अपनी निर्धारित समाप्ति तिथि को पार कर लिया था।

(पैराग्राफ 2.3.2.4)

- अप्रयुक्त योजनागत अनुदान वर्ष 2005-06 में ₹ 29.10 करोड़ से वर्ष 2009-10 में ₹ 34.80 करोड़ तक बढ़ा।

(पैराग्राफ 2.3.4.1)

- विश्वविद्यालय ने प्रारम्भ से ही कोई आंतरिक लेखापरीक्षा स्कंध संस्थापित नहीं किया था।

(पैराग्राफ 2.4.1)

अनुशंसाओं का सार

- विभिन्न प्राधिकारियों की बैठक अधिनियम तथा विश्वविद्यालय की संविधि द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार होनी चाहिए जिससे की कोई मुख्य मुद्दा उपेक्षित न रह जाए।
- छात्रों के कम अंतर्ग्रहण का कारण बन रहे कारकों का उपयुक्त रूप से विश्लेषित करने तथा निपटान करने की आवश्यकता है।
- नए पाठ्यक्रमों के केवल संबंधित क्षेत्रों में ज्ञान को विसरित करने की आवश्यकता के उचित निर्धारण के पश्चात ही प्रारम्भ किया जाए।
- विश्वविद्यालय को अन्य शौक्षिक विभागों में नेटवर्क संयोजकता की समाप्ति को सुनिश्चित करने हेतु उपयुक्त उपाय करने चाहिए।
- विश्वविद्यालय को अपनी आंतरिक नियंत्रण क्रियाविधि को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है तथा श.नि.प्र.प. द्वारा इंगित की गई सांस्थानिक कमियों का निपटान किए जाने की आवश्यकता है।


2.1 प्रस्तावना

असम विश्वविद्यालय को "असम विश्वविद्यालय (अ.वि.) अधिनियम, 1989 (अधिनियम संख्या XIII)" के अंतर्गत स्थापित किया गया था।

विश्वविद्यालय सिल्वर एवं दीपहू स्थित दो परिसरों में कार्य कर रहा है। सिल्वर परिसर ने जनवरी 1994 से कार्य करना प्रारम्भ किया जबकि दीपहू परिसर ने जुलाई 2007 से कार्य आरम्भ किया है।

विश्वविद्यालय का क्षेत्राधिकार असम में पाँच जिलों¹ में फैला है।

31.03.2010 को, विश्वविद्यालय के पास 38 विभागों तथा तीन अध्ययन केन्द्रों सहित 56 संबद्ध



विश्वविद्यालय प्रवेश
(मुख्य परिसर, सिल्वर)

महाविद्यालय तथा 9 अध्ययन² विद्यालय हैं। यह विभिन्न स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों एंव अनुसंधान सुविधाएं भी प्रदान करता है। राष्ट्रीय निर्धारण एंव प्रत्यायन परिषद द्वारा सितम्बर 2008 में विश्वविद्यालय को 2.85 की संचित ग्रेड अंक औसत (सं.गे.अं.औ.) सहित बी ग्रेड के साथ प्रत्यायित किया गया है।

¹ कচर, हैलकण्डी, करीमगंज, क्रबी एंप्लोंग तथा एन.सी. हिल्स।

² सामाजिक विज्ञान, मानविकी, भाषा, जीवन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, पर्यावरणीय विज्ञान, सूचना विज्ञान, प्रबंधन अध्ययन तथा प्रौद्योगिकी।

2.1.1 विश्वविद्यालय के उद्देश्य


विश्वविद्यालय के उद्देश्य है:

- शैक्षणिक कार्यक्रमों में मानविकी, प्राकृतिक एवं भौतिक विज्ञान तथा समाजिक विज्ञान में एकीकृत पाठ्यक्रमों हेतु प्रावधान तैयार करना;
- विभिन्न शाखाओं में शैक्षणिक एवं अनुसंधान सुविधाएं प्रदान करके ज्ञान को विसरित एवं उन्नत करना;
- राज्यों के लोगों को सामाजिक एवं आर्थिक स्थितियों को सुधारने तथा कल्याण, उनके ज्ञान शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक विकास हेतु विशेष ध्यान देने के लिए महाविद्यालयों एवं संस्थानों की संबद्ध, पंजीकृत, संस्थापित, कार्यभार संभालना तथा अनुरक्षण करना; तथा
- दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से शैक्षणिक सुविधाएं प्रदान करना।

2.1.2 संगठनात्मक ढांचा

विश्वविद्यालय की कुलाधिपति एवं उप-कुलाधिपति द्वारा अध्यक्षता की जाती है जिन्हें तीन समर्थक उप-कुलपति, कुलसचिव, वित्त अधिकारी तथा अन्य द्वारासहायता प्रदान की जाती है। विश्वविद्यालय के कार्यकर्ता निकाय विश्वविद्यालयी न्यायलय, कार्यकारी परिषद शैक्षणिक परिषद, योजना बोर्ड, विद्यालय मंडल तथा वित्त समिति हैं। संगठनात्मक ढांचे को नीचे चार्ट 1 में अंकित किया गया है:

चार्ट -I



वि.प्रौ.प्र. -विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन

मा.सं.अ. - मानविकी एवं संबद्ध अनुशासन

दी.प. - दीपहू परिसर

2.2 लेखापरीक्षा दृष्टिकोण

विश्वविद्यालय की लेखापरीक्षा नियंत्रक महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा) अधिनियम, 1971 के अंतर्गत की गई है।

2.2.1 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र

असम विश्वविद्यालय के कार्यों की निष्पादन लेखापरीक्षा 2005-06 से 2009-10 तक की अवधि को शामिल करके नि.म.ले.प. (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा-19 (2) के अंतर्गत नवम्बर 2010 में प्रारम्भ की गई थी।

2.2.2 लेखापरीक्षा उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा के मुख्य उद्देश्य यह निर्धारण करने के लिए कि क्या:

- शैक्षिक गतिविधियाँ योजित थीं तथा दक्षता एवं प्रभावी रूप से निष्पादित की गई थीं;
- वित्तीय संसाधनों का प्रबंधन कुशल एवं प्रभावी था;
- उपलब्ध अवसंरचनात्मक सुविधाएं तथा मानव संसाधन प्रबंधन पर्याप्त थे तथा कुशल एवं प्रभावी रूप से उपयोग किए गए थे;
- समर्थ एवं प्रभावी आंतरिक नियंत्रण विद्यमान था।

2.2.3 लेखापरीक्षा मापदण्ड

निष्पादन लेखापरीक्षा करते समय निम्नलिखित मापदंड अपनाएं गए थे:

- i) असम विश्वविद्यालय अधिनियम 1989; वि.अ.आ. एवं अ.भा.त.शि.प. के दिशानिर्देश; वित्तीय समिति के कार्यवृत्त/समाधान न्यायलय, कार्यकारी परिषद; प्रशासनिक परिषद तथा योजना बोर्ड आदि;
- ii) मूल्यांकन रिपोर्ट, यदि कोई है। वि.अ.आ./केन्द्र सरकार आदि को प्रस्तुत आवधिक रिपोर्ट/रिट्टन;
- iii) जारी विभिन्न अनुदानों को संलग्न नियम एवं शर्तें;
- iv) बजट अनुमान, वार्षिक लेखापरीक्षित लेखे, व्य.वि., विश्वविद्यालय के निवेश तथा
- v) निर्माण गतिविधियों के संदर्भ में सी.पी.डब्ल्यू. कोड, निर्माण कार्य नियमपुस्तिका।

2.2.4 लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली

विश्वविद्यालय की निष्पादन लेखापरीक्षा नवम्बर 2010 में विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के साथ एक प्रवेश बैठक के साथ प्रारम्भ की गई थी जिसमें लेखापरीक्षा उद्देश्य, लेखापरीक्षा मापदंड एवं लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र पर चर्चा की गई थीं। 7 जून 2011 को विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के साथ निर्गम बैठक की गई थी जिसमें लेखापरीक्षा

निष्कर्षों तथा अनुशंसाओं पर चर्चा की गई थी। विश्वविद्यालय के उत्तरों को उचित रूप से सम्मिलित कर लिया गया है।

2.3 लेखापरीक्षा निष्कर्ष


2.3.1 सामान्य प्रबंधन

विश्वविद्यालय अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत गठित विभिन्न प्राधिकारियों के माध्यम से उद्देश्यों को पूरा करने हेतु अपनी शक्तियों का उपयोग करता है। संविधि के अनुसार प्रत्येक प्राधिकरण के कार्य पर नीचे चर्चा की गई है:

क) न्यायालय

न्यायालय विश्वविद्यालय का उच्चतम प्राधिकारी है जो बोर्ड की नीतियों एवं विश्वविद्यालय के कार्यक्रम तैयार करता है तथा विश्वविद्यालय के संपूर्ण सुधार एवं विकास हेतु उपायों का सुझाव देता है तथा विभिन्न प्राधिकरणों अर्थात् (i) कार्यकारी परिषद् (ii) शैक्षिक परिषद्, (iii) योजना बोर्ड, (iv) वित्त समिति तथा (v) विद्यालय मंडल के माध्यम से अपने कार्य पूरे करता है। प्रतिमानों की तुलना में न्यायालय की कर्मचारी संख्या, की गई बैठकों की संख्या आदि को दर्शाने वाले विवरण नीचे तालिका 1 में दिए गए हैं :

प्रशासनिक भवन



तालिका -1

वर्ष	न्यायालय की निर्धारित कर्मचारी संख्या	न्यायालय की वास्तविक कर्मचारी संख्या	वर्ष के दौरान की जाने वाली बैठकों की निर्धारित संख्या	वास्तव में की गई बैठके	प्रत्येक बैठक में प्रस्तुत प्रतिनिधियों की वास्तविक संख्या	बैठक में प्रस्तुत प्रतिनिधियों की वास्तविक संख्या	क्या कार्यसूची को बैठक से पहले तैयार एवं प्रचारित कर दिया गया था	क्या कार्यवृत्त तैयार किए गए थे	क्या परिपेक्ष योजना तैयार की गई तथा न्यायालय को प्रस्तुत की गई
2005-06	119	82 (69%)	1	1	30	45 (55%)	हाँ	हाँ	हाँ
2006-07	119	95 (80%)	1	1	30	45 (47%)	हाँ	हाँ	हाँ
2007-08	133	86 (65%)	1	1	30	47 (55%)	हाँ	हाँ	हाँ
2008-09	130	85 (65%)	1	1	30	44 (52%)	हाँ	हाँ	हाँ
2009-10	136	107 (79%)	1	1	30	49 (46%)	हाँ	हाँ	हाँ

यह देखा जा सकता है कि प्रतिवेदन की पूर्ण अवधि में न्यायालय के सदस्य निर्धारित कर्मचारी संख्या से कम रहे। यद्यपि अपेक्षित कोरम पूरा था परंतु बैठक के दौरान सदस्यों की उपस्थिति की प्रतिशतता कम थी क्योंकि सदस्यों की उपस्थिति 2005-06 में 55 प्रतिशत से 2009-10 में 46 प्रतिशत तक कम हुई।

ख) कार्यकारी परिषद (का.प.)

का.प. विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यकारी निकाय है तथा उसके पास विश्वविद्यालय के राजस्व एवं सम्पत्ति के संचालन एवं प्रबंधन तथा विश्वविद्यालय के सभी प्रशासनिक मामलों पर काम करने की शक्तियां हैं। प्रतिमानों की तुलना में परिषद की कर्मचारी संख्या, की गई बैठकों की संख्या आदि को दर्शाने वाले विवरण नीचे तालिका 2 में दिए गए हैं:

तालिका-2

वर्ष	निर्धारित कर्मचारी संख्या	वास्तविक कर्मचारी संख्या	वर्ष के दौरान की जाने वाली बैठकों की संख्या	वास्तव में की गई बैठकें	प्रत्यक्षे बैठक में प्रस्तुत प्रतिनिधियों की संख्या		क्या कार्यसूची तैयार एवं प्रचारित की गई	क्या कार्यवृत्त तैयार किए गए	क्या परिप्रेक्ष्य योजना तैयार की गई तथा न्यायालय को प्रस्तुत की गई
					प्रस्तुत किए जाने वाले (कोरम)	वास्तव में प्रस्तुत (औसतन)			
2005-06	18	15	3	3	7	10	हाँ	हाँ	हाँ
2006-07	18	14	6	6	7	10	हाँ	हाँ	हाँ
2007-08	19	17	5	5	7	10	हाँ	हाँ	हाँ
2008-09	20	17	8	8	7	10	हाँ	हाँ	हाँ
2009-10	18	18	9	9	7	10	हाँ	हाँ	हाँ

वर्ष 2009-10 को छोड़कर प्रतिवेदन की पूर्ण अवधि में परिषद की कर्मचारी संख्या प्रतिमानों से कम रही। यद्यपि अपेक्षित कोरम को प्रत्येक बैठक में पूरा कर दिया गया था परंतु परिषद की पूर्ण कर्मचारी संख्या किसी भी बैठक में उपस्थित नहीं थीं।

ग) शैक्षिक परिषद (शै.प.)

विश्वविद्यालय का प्रधान शैक्षिक निकाय तथा शिक्षा के मानकों का अनुरक्षण करने तथा शैक्षिक नीतियां तैयार करने तथा नए पाठ्यक्रमों, परीक्षाओं, अनुसंधान मूल्यांकन आदि के संबंध में अनुदेश/निर्देश जारी करने हेतु उत्तरदायी है। प्रतिमानों की तुलना में परिषद की कर्मचारी संख्या, की गई बैठकों की संख्या आदि को दर्शाने वाले विवरण नीचे तालिका 3 में दिए गए हैं:

तालिका-3

वर्ष	निर्धारित कर्मचारी संख्या	वास्तविक कर्मचारी संख्या	वर्ष के दौरान की जाने वाली बैठकों की संख्या	वास्तव में हुई बैठक	प्रस्तुत किए जाने वाले (कोरम)	प्रत्येक बैठक में औसतन प्रस्तुत प्रतिनिधियों की संख्या	क्या कार्यसूची तैयार एवं प्रचालित की गई	क्या कार्यवृत्त तैयार किए गए	क्या परिप्रेश्य योजना तैयार एवं न्यायालय को प्रस्तुत की गई
2005-06	74	60(81%)	3	3	30	41(68%)	हाँ	हाँ	हाँ
2006-07	74	66(89%)	4	4	33	46(70%)	हाँ	हाँ	हाँ
2007-08	86	67(78%)	5	5	34	49(73%)	हाँ	हाँ	हाँ
2008-09	83	63(80%)	4	4	32	48(77%)	हाँ	हाँ	हाँ
2009-10	89	77(87%)	5	5	39	55(72%)	हाँ	हाँ	हाँ

प्रतिवेदन की पूर्ण अवधि में परिषद की कर्मचारी संख्या निर्धारित कर्मचारी संख्या से कम रही। यद्यपि अपेक्षित कोरम को प्रत्येक बैठक में पूरा कर दिया गया था परंतु परिषद की पूर्ण कर्मचारी संख्या किसी भी बैठक में उपस्थित नहीं थी।

घ) वित्त समिति (वि.स.)

वि.स. विश्वविद्यालय के समग्र वित्तीय प्रबंधनों की देखरेख करती है तथा बजट एवं वार्षिक लेखे तैयार करने हेतु उत्तरदायी है। प्रतिमानों की तुलना में समिति की कर्मचारी संख्या, की गई बैठक की संख्या अदि को दर्शाने वाले विवरण नीचे तालिका 4 में दिए गए हैं:

तालिका-4

वर्ष	समिति की निर्धारित कर्मचारी संख्या	वास्तविक कर्मचारी संख्या	होने वाली बैठकों की संख्या	वास्तव में की गई बैठकें	क्या न्यायालय द्वारा विचार की गई सिफारिशों की स्वीकृति से पहले बजट पर चर्चा की गई	क्या का.प. द्वारा वार्षिक लेखों पर चर्चा एवं विचार किया गया था	क्या का.प. ने लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर चर्चा तथा न्यायालय द्वारा स्वीकृत की गई
2005-06	7	7	3	शून्य	नहीं	नहीं	नहीं
2006-07	7	7	3	2	हाँ	हाँ	हाँ
2007-08	10	10	3	2	हाँ	हाँ	हाँ
2008-09	10	10	3	3	हाँ	हाँ	हाँ
2009-10	10	10	3	2	हाँ	हाँ	हाँ

वर्ष 2005-06 के दौरान, वि.स. की कोई बैठक नहीं हुई थी तथा वर्ष 2006-07, 2007-08 एवं 2009-10 में की गई बैठकों की संख्या एक से भी कम रही।

ड) योजना बोर्ड (यो.बो.)

योजना बोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तावित शैक्षणिक कार्यक्रमों की समीक्षा करने, महत्व उन्मुख शिक्षा प्रस्तुत करने तथा नई शिक्षण एवं शिक्षा प्रक्रियाओं को विकसित करने हेतु उत्तरदायी है। प्रतिमानों की तुलना में बोर्ड के कर्मचारियों की संख्या, की गई बैठकों की संख्या आदि को दर्शाने वाले विवरण तालिका 5 में दिए गए हैं

तालिका-5

वर्ष	निर्धारित कर्मचारी संख्या	वास्तविक कर्मचारी संख्या	की जाने वाली बैठकों की संख्या	वास्तव में की गई बैठकों की संख्या	वास्तव में उपस्थित सदस्यों की संख्या (कोरम)	क्या कार्यसूची तैयार एवं प्रचालित की गई	क्या कार्यवृत्त तैयार किए गए
2005-06	21	21	1	1	10 (9)	हाँ	हाँ
2006-07	21	21	1	शून्य	शून्य (9)	उ.न.	उ.न.
2007-08	23	23	1	1	14(9)	हाँ	हाँ
2008-09	23	23	1	1	13(9)	हाँ	हाँ
2009-10	24	24	1	1	15(9)	हाँ	हाँ

वर्ष 2006-07 के दौरान, कोई बैठक नहीं हुई थी। यद्यपि अपेक्षित कोरम को प्रत्येक बैठक में पूरा कर दिया गया था परंतु परिषद की संपूर्ण कर्मचारी संख्या किसी भी बैठक में उपस्थित नहीं थी।

विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तावित शैक्षणिक कार्यक्रमों की समीक्षा से संबंधित कोई अभिलेख लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किए गए थे।

च) विद्यालय बोर्ड

नौ अध्ययन विद्यालय हैं तथा प्रत्येक विद्यालय में विद्यालय बोर्ड हैं जो समय-समय पर विश्वविद्यालय के अध्यादेशों के अनुसार अपने कार्यों को पूरा करता है। विद्यालय बोर्ड द्वारा वार्षिक बैठक करने के समर्थन में कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए थे।

इस प्रकार, विभिन्न प्राधिकरणों के सामान्य कार्यों में त्रुटियों एवं कमियों के कारण, जैसा कि ऊर बताया गया है, ऐसे निकायों के निर्माण का उद्देश्य बड़े पैमाने पर निष्फल रहा।

विश्वविद्यालय ने अपने उत्तर (जून 2011), में विभिन्न निकायों की बैठक में उपस्थिति में कमी हेतु कारणों को विश्वविद्यालय की असबंद्धता को आरोपित किया।

छ) महाविद्यालय विकास परिषद (म.वि.प.)

विश्वविद्यालय ने नेतृत्व भूमिका प्रदान करने तथा विश्वविद्यालय के संबद्ध महाविद्यालयों को सभी मदद, निर्देशन एवं सलाह विस्तारित करने के उद्देश्य के साथ एक म.वि.प. को स्थापित किया था। म.वि.प. की कर्मचारी संख्या तथा 2005-10 के दौरान अपनी बैठक कराने की आवधिकता को नीचे तालिका 6 में दर्शाया गया है:

तालिका-6

वर्ष	निर्धारित कमचारी संख्या	वास्तविक कर्मचारी संख्या	वर्ष के दौरान की जाने वाली बैठक	वास्तव में की गई बैठकें	कोरम निर्धारित करने हेतु सदस्य	प्रत्येक बैठक में वास्तव में उपस्थित प्रतिनिधियों की संख्या
2005-06	25	25	2	1	7	11
2006-07	25	25	2	शून्य	7	--
2007-08	25	25	2	1	7	16
2008-09	25	25	2	1	7	17
2009-10	25	25	2	1	7	19

उपरोक्त तालिका की स्थिति ने दर्शाया कि:

- (i) 2006-07 के दौरान कोई बैठक नहीं हुई थी तथा 2005-06, 2007-08, 2008-09 एवं 2009-10 के दौरान निर्धारित बैठकों की केवल पच्चास प्रतिशत बैठक की गई थीं।
- (ii) यद्यपि कोरम को पूरा किया गया था फिर भी सदस्य जिन्होंने बैठकों में भाग लिया 25 सदस्यों की वास्तविक कर्मचारी संख्या के प्रति केवल 11 से 19 तक थे।

अभिलेखों ने आगे प्रकट किया कि म.वि.प. बैठके 'कोर' ग्रुप अर्थात् संबद्ध महाविद्यालयों से सदस्यों द्वारा पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं थी। राज्य सरकार को प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों की अनुपस्थिति भी देखी गई थी।

इसके अतिरिक्त, म.वि.प. की बैठकों में, महत्वपूर्ण उपायों के समाधान को तत्काल अपनाने की आवश्यकता थी, पूर्व-स्नातक स्तर पर राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यापन परिषद समकक्षी दल द्वारा अर्धवार्षिक पद्धति को शीघ्र लागू करने पर बल द्वारा देते हुए महाविद्यालयों के शैक्षणिक निष्पादन को सुधारने के लिए शैक्षणिक लेखापरीक्षा लागू करने, विश्वविद्यालय के साथ सहयोग करके पूर्वस्नातक स्तर पर ई-सीखने की प्रक्रिया एवं अनुसंधान कार्य, आंतरिक मूल्यांकन कक्ष की स्थापना तथा विश्वविद्यालय से कालेज एवं इसके विपरीत शिक्षण को अर्थपूर्ण बनाने के लिए संकायों का आदान-प्रदान कार्यान्वित किया जाना था।

पर्याप्त सदस्यों की अनुपस्थिति के साथ वार्षिक बैठकों की अपर्याप्त संख्या में आयोजन और संबद्ध कालेजों में शैक्षणिक गुणवत्ता को ऊर उठाने के लिए म.वि.प. के महत्वपूर्ण सुझाव न अपनाने के परिणामस्वरूप कुछ संबद्ध कालेजों में खराब निष्पादन रहा। तथ्यों को विश्वविद्यालय प्राधिकारियों द्वारा स्वीकार किया गया (जून 2011)।

अनुशंसाए

- विभिन्न प्राधिकरणों की बैठक का आयोजन विश्वविद्यालय के अधिनियम तथा संविधि द्वारा निर्धारित प्रतिमानों के अनुसार किया जाना चाहिए ताकि महत्वपूर्ण मुद्दे ध्यान से न रह जाए।
- शैक्षणिक गतिविधियों के सुधार के लिए म.वि.प. की बैठकों में उपायों के सुझावों को कार्यान्वित करने के लिए विचार किया जाना चाहिए।

2.3.2 शैक्षणिक गतिविधियाँ

विश्वविद्यालय ने अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मार्च 2010 तक, 38 विभाग तथा तीन केन्द्र स्थापित किए और विभिन्न विषयों में एम.फिल., पी.एच.डी. पाठ्यक्रमों सहित 28 स्नातकोत्तर (पी.जी.), चार पूर्व-स्नातक (यू.जी.) तथा तीन पांच वर्षीय एकीकृत पाठ्यक्रम लागू किए थे। 2005-10 के दौरान प्रति व्यक्ति शिक्षा लागत ₹ 74000 (2005-06) और ₹ 1.53 लाख (2009-10) के बीच रही जिसका ब्यौरा अनुबंध-I में दिया गया है।

शैक्षणिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में पाई गई कमियों की चर्चा नीचे की गई है;

2.3.2.1 रिक्त सीटों की तुलना में अन्तर्ग्रहण क्षमता

अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि विश्वविद्यालय में प्रथम वर्ष छात्रों का पंजीयन विभिन्न पाठ्यक्रमों की अन्तर्ग्रहण क्षमता के साथ तुलना करने पर कुल मिलाकर कम रहा था। 2005-06 से 2009-10 के दौरान रिक्त सीटों की समग्र स्थिति नीचे तालिका 7 में दर्शाई गई है:

तालिका –7

पाठ्यक्रम स्तर एवं पाठ्यक्रमों की सं.	कुल वार्षिक अन्तर्ग्रहण क्षमता	रिक्त सीटे (क्षमता का प्रतिशत)					
		2005-08	2008-10	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
क. 1) स्नातकोत्तर	मुख्य परिसर -22	646	1045	137 (21)	176 (27)	120(19)	392 (38)
	दीपहू परिसर ³ – 6	150	150	-	-	86(57)	73(48)
	कुल- 28	796	1195	137 (21)	176 (27)	206(26)	465(39)
2) पूर्व स्नातक (यू.जी.) पाठ्यक्रम - ⁴	107	138	(-) 5 (शून्य)	28(26)	41(38)	70(51)	81 (59)
3) पांच वर्षीय एकीकृत पाठ्यक्रम - 3	104	150	(-) 7 (शून्य)	1 (-)	(-) 11 (शून्य)	(-) 10 (शून्य)	(-) 32 (शून्य)
जोड़ 35 कुल मुख्य परिसर मुख्य परिसर + दीपहू	857	1483	125 (14.58)	205 (23.92)	236 (17.50) (23.44)	525 (33.90) (35.40)	252 (14.55) (17.00)
ख. एम.फिल (20 विभागों के अंतर्गत)	202	293	176 (87)	42 (21)	34 (17)	116 (40)	231 (79)

³ 2007-08 में स्थापित

⁴ 2006-07 से प्रारंभ दो यू.जी. पाठ्यक्रम

उपरोक्त तालिका विभिन्न स्तर के पाठ्यक्रमों में छात्रों की खराब अन्तर्ग्रहण स्थिति दर्शाती है जिसके परिणामस्वरूप, 2005-06 से 2009-10 के दौरान 28 पी.जी. पाठ्यक्रमों में रिक्त सीटे 17 प्रतिशत से 39 प्रतिशत तक रही, 2006-07 से 2009-10 के दौरान चार यू.जी. पाठ्यक्रमों में 26 प्रतिशत से 59 प्रतिशत तक रही जबकि प्रतिवेदन के लगभग सभी वर्षों में तीन पांच - वर्षीय एकीकृत पाठ्यक्रमों में अधिक छात्र रहे। एम.फ़िल पाठ्यक्रमों में 2005-06 से 2009-10 के दौरान भी 17-18 प्रतिशत के बीच सीटे खाली रही। इस प्रकार, विश्वविद्यालय की अवसंरचना का ₹ 14.30 करोड़⁵ तक केवल पी.जी. और यू.जी. में कम प्रवेश के कारण उपयोग कम रहा।

अभ्युक्तियों को स्वीकार करते हुए, विश्वविद्यालय ने बताया (जून 2011) कुछ उम्मीदवारों के तीन वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम (टी.डी.सी.) स्तर परीक्षा में खराब निष्पादन के कारण वह उनके प्रवेश से इनकार करने के लिए बाध्य था और 2008-09 से ओ.बी.सी. आरक्षण नीति के कार्यान्वयन के कारण अन्तर्ग्रहण में वृद्धि के कारणों को भी जिम्मेदार ठहराया।

अनुशंसा

- छात्रों के कम अन्तर्ग्रहण के कारण कारकों का विश्लेषण एवं उपयुक्त सम्बोधन करने की आवश्यकता है।

2.3.2.2 सफलता दर एवं नियुक्तियां

(क) पी.जी. पाठ्यक्रम

अंतिम परीक्षा में बैठने के लिए योग्य छात्रों की वर्षवार और विद्यालयवार स्थिति तथा मुख्य परिसर के आठ विद्यालय जिनके पास 22 पी.जी. विभाग थे के संबंध में उनके प्रति उर्तीण की संख्या नीचे तालिका 8 में प्रस्तुत है

तालिका-8

क्र. सं.	विद्यालय	2005-06			2006-07			2007-08			2008-09			2009-10			औसत प्रतिशतता
		यो	उ	प्रतिशतता	यो	उ	प्रतिशतता	यो	उ	प्रतिशतता	यो	उ	प्रतिशतता	यो	उ	प्रतिशतता	
1.	भाषा 7 (विभाग)	115	87	76	134	80	60	129	99	77	137	114	83	159	129	81	75%
2.	सामाजिक विज्ञान (4 विभाग)	132	66	50	128	69	54	87	69	79	118	63	53	122	105	86	64%
3.	मानविकी	43	19	44	30	22	73	43	24	56	44	23	52	31	20	65	58%

⁵ 2005-06 - ₹ 92.50 लाख; 2006-07 - ₹ 188.60 लाख; 2007-08 - ₹ 195.88 लाख; 2008-09 - ₹ 567.00 लाख; 2009-10 - ₹ 385.56 लाख

	(2 विभाग)																	
4.	सूचना विज्ञान (1 विभाग)	29	28	97	29	25	86	30	24	80	31	26	84	41	27	66	83%	
5.	प्रबंधक अध्ययन (2 विभाग)	50	49	98	54	38	70	48	41	85	77	41	53	122	67	55	72%	
6	पर्यावरण विज्ञान (1 विभाग)	19	14	74	21	13	62	21	13	62	25	15	60	17	17	100	72%	
7	जीवन विज्ञान (2 विभाग)	50	27	54	54	40	74	38	37	97	39	36	92	50	44	88	81%	
8	भौतिक विज्ञान (3 विभाग)	59	38	64	57	30	53	64	26	41	55	40	73	88	46	52	87%	
कुल (22 विभाग)		497	328	66	507	317	63	460	333	72	526	358	68	630	455	72		

यो – योग्य उम्मीदवार, उ – उर्तीण छात्र

2005-06 से 2009-10 के दौरान स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में छात्रों की समग्र उर्तीण प्रतिशतता 63 प्रतिशत (2006-07) से 72 प्रतिशत (2009-10) के बीच थी। तीन विभागों (सूचना, विज्ञान एवं प्रबंधन अध्ययन) में सफलता दर में वर्ष 2005-06 की सफलता दर की तुलना में गिरावट आई थी।

इसके अतरिक्त, यह भी देखा गया था कि भौतिक विज्ञान विद्यालय (तीन विभागों) से 87 प्रतिशत छात्र उच्चतम उर्तीण थे तथा 58 प्रतिशत न्यूनतम मानविकी विद्यालय (दो विभागों) से सफलतापूर्वक निकले थे।

सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी में औसततन निम्न प्रतिशतता को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय को अन्य विभागों में समान निष्पादन लाने हेतु उपयुक्त उपाय करने की आवश्यकता है।

(ख) पूर्वस्नातक पाठ्यक्रम तथा 5 वर्षीय एकीकृत कार्यक्रम

सामाजिक विज्ञान विद्यालय के शेष एक पूर्वस्नातक पाठ्यक्रम तथा एक "5 वर्षीय एकीकृत पाठ्यक्रम" के संबंध में उर्तीण की छात्रों की स्थिति एवं प्रतिशतता नीचे तालिका 9 में दी गई है:

तालिका 9

पाठ्यक्रम का नाम	2005-06			2006-07			2007-08			2008-09			2009-10		
	ई	पी	प्रतिशतता	ई	पी	प्रतिशतता	ई	पी	प्रतिशतता	ई	पी	प्रतिशतता	ई	पी	प्रतिशतता
(ए.ए.ए.वी.)	194	95	49	300	165	55	244	117	48	227	142	63	241	135	56
(बी.एस.डब्ल्यू/ एम.एस.डब्ल्यू.)	25	17	68	45	27	60	46	36	78	56	40	71	59	49	83

चार पाठ्यक्रमों में से, दो पाठ्यक्रम वर्ष 2006-07 में प्रारम्भ किए गए थे तथा पूर्वस्नातक इस प्रकार प्रथम बैच वर्ष 2010-11 में उर्तीण होगा तथा एक पाठ्यक्रम भाषा विद्यालय के संबंध में जानकारी प्रदान नहीं की गई थी। शेष एक पाठ्यक्रम के लिए सफलता दर ने परिवर्तनीय निष्पादन दर्शाए क्योंकि यह वर्ष 2005-06 में 49 प्रतिशत से वर्ष 2009-10 में 56 प्रतिशत तक बढ़ा।

इसी प्रकार, तीन "पांच वर्षीय एकीकृत पाठ्यक्रम" में दो पाठ्यक्रमों के संबंध में संपूर्ण डाटा उपलब्ध नहीं कराया गया था जबकि तीसरे पाठ्यक्रम (सामाजिक कार्य स्नातक एवं मास्टर) में सफलता दर वर्ष 2005-06 में 68 प्रतिशत से 2009-10 में 83 प्रतिशत तक बढ़ी।

ग) अलग किए छात्र

अंतिम परीक्षा में भाग लेने हेतु योग्य छात्रों तथा अलग किए छात्रों की संख्या से संबंधित अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि 11 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 2009-10 में उच्चतम संख्या (77) तथा 2005-06 में सबसे कम (44) सहित 2005-10 दौरान कुल 265 छात्र अलग किए गए। 2005-10 के दौरान पाठ्यक्रम वार अलग किए छात्र एम.ए. दर्शन में 13 से एम.कॉम में 47 के बीच थे जैसा कि नीचे तालिका 10 में दर्शाया गया है:

तालिका 10

पाठ्यक्रम/परीक्षा (स्नातकोत्तर) का नाम	अलग किए छात्र (अंतिम परीक्षा)										कुल अलग किए	
	2005-06		2006-07		2007-08		2008-09		2009-10			
	अंतिम वर्ष के छात्रों की संख्या	अलग किए छात्रों की संख्या	अंतिम वर्ष के छात्रों की संख्या	अलग किए छात्रों की संख्या	अंतिम वर्ष के छात्रों की संख्या	अलग किए छात्रों की संख्या	अंतिम वर्ष के छात्रों की संख्या	अलग किए छात्रों की संख्या	अंतिम वर्ष के छात्रों की संख्या	अलग किए छात्रों की संख्या		
1. एम.ए. अंग्रेजी	-	-	-	-	22	8	30	12	-	-	20	
2. एम.ए. संस्कृत	-	-	16	10	-	-	-	-	22	7	17	
3. एम.ए. दर्शन	-	-	-	-	19	4	22	7	15	2	13	
4. एम.ए. मणिपुरी	13	8	-	-	14	9	-	-	-	-	17	
5. एम.ए. शिक्षा	22	10	-	-	24	4	-	-	-	-	14	

6. एम.ए. समाजशास्त्र	27	6	28	5	29	9	40	19	-	-	39
7. एम.ए. भाषा	4	4	9	6	-	-	8	2	12	5	17
8. एम.एस.सी. रसायन	22	4	-	-	27	12	25	2	31	5	23
9. एम.एस.सी. भौतिक	22	6	22	8	-	-	-	-	33	16	31
10. एम.कॉम	21	6	-	-	-	-	17	3	44	29	47
11. एम.एम.सी	-	-	29	3	30	6	31	5	41	13	27
जोड़:		44		41		53		50		77	265

अंतिम परीक्षा में ऐसे परहेज हेतु कारणों का विश्वविद्यालय द्वारा कभी पता नहीं लगाया गया था। अंतिम परीक्षा में अधिक अलग किए जाने के कारणों की पहचान करने हेतु उपयुक्त कार्यवाही किए जाने की आवश्यकता है।

(घ) नियोजन

आगे की शैक्षिक अनुसरणों हेतु भविष्य परामर्श तथा निजी कार्पोरेट क्षेत्र कम्पनियों में भर्ती हेतु परिसर साक्षात्कार के माध्यम से नौकरी नियुक्ति दोनों के अनुसार छात्रों की दोहरी आवश्यकता को पूरा करने के लिए विश्वविद्यालय में एक वृत्तिक परामर्श एवं नियोजन कक्ष (वृ.प.नि.क.) स्थापित किया गया है। नियुक्ति सुरक्षित करने वाले छात्रों की संख्या प्रस्तावित पाठ्यक्रमों की आवश्यकता को मापने हेतु एक मापदण्ड हो सकता है। पाठ्यक्रम, जिनके लिए 2005-10 के दौरान विश्वविद्यालय द्वारा योग्य छात्रों के नियोजन का प्रबंध किया गया था, को नीचे तालिका 11 में दर्शाया गया है:

तालिका 11

क्र.सं.	विभाग	पाठ्यक्रम	2008 ⁶			2009 & 2010 ⁷		
			नियोजन कक्ष के समक्ष प्रस्तुत हुए छात्र	सुरक्षित किए नियोजन	नियोजन की प्रतिशतता	नियोजन बोर्ड के समक्ष हुए	सुरक्षित किए नियोजन	नियोजन की प्रतिशतता
1.	कम्प्यूटर विज्ञान	एम.एस.सी./ एम.सी.एस.	40	22	55	40	15	38
2.	आई.टी.	बी.टेक	----	----	----	22	04	18
3.	जनसंचार	एम.एम.सी.	----	----	----	50	12	24
4.	व्यवसाय प्रबंधन	एम.बी.ए.	----	----	----	60	21	35
5.	सामाजिक कार्य	बी.एस.डब्ल्यू/ एम.एस.डब्ल्यू	04	04	100	----	----	----

⁶ 2005, 2006 एवं 2007 हेतु डाटा उपलब्ध नहीं हैं।

⁷ 2009 तथा 2010 के संबंध में विसंयोजित स्थिति को लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया गया था।

यह देखा गया है कि नियोजन हेतु योग्य कुल 40 छात्रों में से केवल 22 छात्र (55 प्रतिशत) ही 2008 में नौकरी प्राप्त कर सके तथा उसके पश्चात की स्थिति आगे और बिंगड़ी जब वर्ष 2009 तथा 2010 के दौरान एम.एस.सी./एम.सी.एस., बी.टेक, एम.एम.सी. तथा एम.बी.ए. के क्रमशः 38, 18, 24 तथा 35 प्रतिशत योग्य छात्रों का विश्वविद्यालय के नियोजन कक्ष के माध्यम से चयन किया गया था। इसने नियोजन कक्ष के खराब निष्पादन को दर्शाया।

2.3.2.3 नए पाठ्यक्रमों का प्रारम्भ होना

विश्वविद्यालय ने 2006-07 में सूचना प्रौद्योगिकी तथा कृषि अभियांत्रिकी को दो नए पूर्व स्नातक पाठ्यक्रम प्रारम्भ किए। इन पाठ्यक्रमों की अंतर्ग्रहण क्षमता, दाखिला किए छात्र आदि को नीचे तालिका 12 में दर्शाया गया है:

तालिका 12

वर्ष	बी.टेक सूचना प्रौद्योगिकी (4 सत्र)			बी.टेक कृषि अभियांत्रिकी (4 सत्र)		
	अंतर्ग्रहण क्षमता (सं.)	दाखिला किए छात्र	रिक्त सीटों की सं. (प्रतिशतता)	अंतर्ग्रहण क्षमता	दाखिला किए छात्र	रिक्त सीटों की सं. (प्रतिशतता)
2006-07	30	27	3(10)	30	11	19 (63)
2007-08	30	28	2(7)	30	11	19(63)
2008-09	38	21	17 (45)	38	2	36 (95)
2009-10	38	5	33 (87)	38	10	28 (74)

वर्ष 2006-07 के दौरान कृषि अभियांत्रिकी के प्रति सीटे 63 से 95 प्रतिशत के बीच रिक्त रहीं। इसी प्रकार, बी.टेक सूचना प्रौद्योगिकी के संबंध में 2008-09 में 45 प्रतिशत से 2009-10 में 87 प्रतिशत तक की सीमा तक सीटे खाली रहीं। कृषि अभियांत्रिकी के सभी 11 छात्रों को अनुमति प्रदान की गई थी। इसलिए कृषि अभियांत्रिकी के प्रथम सत्र में कोई छात्र नहीं था।

इस प्रकार, विश्वविद्यालय ने संबंधित क्षेत्रों में ज्ञान वितरित करने की आवश्यकता का निर्धारण किए बिना अध्ययन के नए पाठ्यक्रम प्रारम्भ किए।

विश्वविद्यालय ने अपने उत्तर में बताया (जून 2011) कि इन दोनों पूर्वस्नातक पाठ्यक्रमों को भारत सरकार के आदेश पर आरम्भ किया गया था तथा भारत सरकार द्वारा विश्वविद्यालय में ऐसे विभागों को प्रारम्भ करने की व्यवाहारिकता का विश्लेषण आवश्यक किया जाना चाहिए था।

उत्तर दर्शाता था कि न तो विश्वविद्यालय ने और न ही भारत सरकार ने इन पाठ्यक्रमों को प्रारम्भ करने से पूर्व उचित रूप से मूल्यांकन किया और संबंधित क्षेत्रों में ज्ञान के प्रचार की आवश्यकता को सुनिश्चित किया था।

2.3.2.4 अनुसंधान परियोजनाएं

अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों में शैक्षिक संस्थान के महत्वपूर्ण संघटक शामिल है। परियोजनाएं विभिन्न मंत्रालयों एवं अन्य सरकारी संगठनों द्वारा वित्तपोषित थी। विश्वविद्यालय ने अनुसंधान गतिविधियों की वास्तविक प्रगति तथा परिणाम को मॉनीटर करने हेतु कोई क्रियाविधि विकसित नहीं की है। तथापि, देर से मार्च 2011 में एक योजना एवं विकास इकाई सृजित की गई है।

प्रतिवेदन की अवधि के दौरान विश्वविद्यालय को ₹ 6.99 करोड़ की अनुमानित लागत पर कुल 46 अनुसंधान परियोजनाएं सौंपी गई थी। वास्तविक समाप्ति तिथि, वित्तपोषित अभिकरण का नाम, तथा उनकी अद्यतन स्थिति की तुलना में परियोजना का नाम, नियत समय दर्शाने वाले विवरणों को **अनुबंध II** में दिया गया है। इन अनुसंधान परियोजना की संवीक्षा ने निम्नलिखित को प्रकट किया:

- जून 2010 को ₹ 86.15 लाख व्यय सम्मिलित केवल 12 परियोजनाएं पूर्ण हुई थीं।
- पूर्ण परियोजनाओं में से पाँच परियोजनाएं दो से 20 महीनों के बीच के विलम्ब के साथ पूर्ण की गई थीं।
- तिथि तक शेष 34 परियोजनाएं अभी भी प्रगति में हैं जिनमें से 13 परियोजनाओं ने अपनी समाप्ति की तिथि पार कर ली है। छः परियोजनाओं के संबंध में विलम्ब के कारणों को निधि की गैर प्राप्ति, प्रधान निरीक्षणकर्ता (प्र.नि.) के बदलने आदि को आरोपित किया गया था जबकि शेष सात परियोजनाओं के विलम्ब के कारण प्रबंधन द्वारा सौंपे नहीं गए थे।
- 12 पूर्ण परियोजनाओं पर व्यय में उपकरणों, कम्प्यूटर के प्राप्ति ₹ 45.08 लाख का पूंजीगत व्यय शामिल था। प्राप्ति की गई परिसम्पत्तियों को विश्वविद्यालय की पुस्तकों में अंतरित किए बिना संबंधित विभाग के प्र.नि. के पास रखा गया था।

उत्तर में (जून 2011) विश्वविद्यालय ने बताया कि प्राधिकरण सभी संबंधित प्रधान निरीक्षणकर्ताओं के साथ मामला उठाएगा।

अनुशंसा

- परिसर चयन के माध्यम से विभिन्न विषयों से छात्रों के नियोजन हेतु अधिक मार्गों को खोलने हेतु उपयुक्त उपाय किए जाए।
- नए पाठ्यक्रमों को केवल संबंधित क्षेत्र में ज्ञान विकसित करने की आवश्यकता का उपयुक्त निर्धारण करने के पश्चात ही प्रारम्भ किया जाए।

2.3.3 मानव संसाधन प्रबंधन

शिक्षा संस्थानों में शैक्षिक मानकों को बनाए रखने के लिए, योग्य एवं अनुभवी संकायों की उपलब्धता पूर्व अपेक्षित हैं, अन्यथा इसकी कमी प्रतिकूल रूप से शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित करेगी। 31 मार्च 2010 को शिक्षण के साथ-साथ गैर शिक्षण स्टाफ की संस्वीकृत पदों एवं तैनात कर्मचारियों की स्थिति को नीचे तालिका 13 में दर्शाया गया है:

तालिका 13

पद	संस्वीकृत पदे		तैनात कर्मचारी		रिक्त पद तथा संस्वीकृत पद के प्रति इसकी प्रतिशतता	
	मुख्य परिसर	दीपहू परिसर	मुख्य परिसर	दीपहू परिसर	मुख्य परिसर	दीपहू परिसर
प्रोफेसर	32	6	28	5	4(12.5)	1(16.6)
वाचक	94	9	84	8	10(10.63)	1(11.1)
व्याख्याता	199	17	183	19	16(8.04)	-
कुल	325	32	295	32	30(9.23)	2(6.25)
गैर- शिक्षण स्टाफ	274	25	260	15	14(5)	10(40)

यह देखा जा सकता है कि मुख्य परिसर में 325 की संस्वीकृत संख्या के प्रति 30 शिक्षण स्टाफ (9.23 प्रतिशत) की कमी थी जबकि, यद्यपि दीपहू परिसर में एक प्रोफेसर तथा एक वाचक की कमी थी परंतु शिक्षण स्टाफ की समग्र स्थिति कुल संस्वीकृत संख्या के अनुसार थी क्योंकि प्रोफेसर एवं वाचक संवर्ग में खाली पद की संस्वीकृति संख्या से अधिक दो वाचकों द्वारा क्षतिपूर्ति की गई है।

गैर-शिक्षण स्टाफ के मामले में, मुख्य परिसर तथा दीपहू परिसर की संस्वीकृत संख्या से क्रमशः 14 तथा 10 व्यक्तियों की कमी थी जो 5 प्रतिशत तथा 40 प्रतिशत बनता है।

2.3.3.1 गैर- शिक्षण स्टाफ का कौशल उन्नयन

मुख्य परिसर में 260 की विद्यमान स्टाफ संख्या (31 मार्च 2010) के प्रति 2005-10 के दौरान केवल 50 गैर-शिक्षण कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया था जिसमें से 38 ने प्रशासन क्षेत्र में प्रशिक्षण प्राप्त किया था। मार्च 2011 तक लेखे के क्षेत्र में स्टाफ को कोई प्रशिक्षण प्रदान नहीं किया गया था। बाद में यह देखा गया कि 2005-10 के दौरान गैर-शिक्षण स्टाफ की प्रतिशतता 1.33 तथा 5.86 प्रतिशत के बीच थी।

इसके अतिरिक्त, प्रशिक्षार्थी को प्रदान प्रशिक्षण तथा संबंधित क्षेत्र में उनकी नियुक्ति, जिसके लिए उन्हें प्रशिक्षित किया गया था, के मूल्यांकन से संबंधित जानकारी लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराई गई थीं जिसके कारण प्रशिक्षण के प्रभाव का निर्धारण नहीं किया जा सका।

उत्तर में (जून 2011) यह बताया गया था कि विश्वविद्यालय गैर-शिक्षण स्टाफ के प्रशिक्षण हेतु एक क्रियाविधि को विकसित करने की प्रक्रिया में था।

2.3.4 वित्तीय प्रबंधन

2.3.4.1 बजट एवं व्यय

विश्वविद्यालय का वि.अ.आ. तथा अन्य केन्द्रीय सरकारी संगठनों जैसे कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (वि.प्रौ.वि.), भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद आदि से प्राप्त अनुदानों के माध्यम से वित्तपोषण किया जाता है। इसके अतिरिक्त, विश्वविद्यालय छात्रों से फीस, प्रकाशनों के विक्रय, निवेश एवं बचत खातों से ब्याज आदि के माध्यम से अपने स्वयं के राजस्व का उत्सर्जन करता है।

प्राप्त अनुदान तथा उसके प्रति उपयोग की वर्षवार स्थिति को नीचे तालिका 14 में दर्शाया गया है:

तालिका-14

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अथ शेष	प्राप्त अनुदान	अन्य आय	कुल उपलब्ध निधि	कुल उपयोग निधि	अप्रयुक्त निधि
योजनागत						
2005-06	15.29	24.50	0.00	39.79	10.69	29.10
2006-07	29.10	8.53	1.40	39.03	18.28	20.75
2007-08	20.75	15.00	1.23	36.98	15.97	21.01
2008-09	21.01	27.66	1.23	49.90	30.30	19.60
2009-10	19.60	43.00	2.31	64.91	30.11	34.80
कुल	118.69	6.17	230.61	105.35		
योजनेतर						
2005-06	1.85	4.43	4.03	10.31	9.71	0.60
2006-07	0.60	9.20	1.99	11.79	10.80	0.99
2007-08	0.99	12.51	2.60	16.10	12.64	3.46
2008-09	3.46	21.17	3.81	28.44	21.81	6.63
2009-10	6.63	17.72	4.45	28.80	27.88	0.92
कुल	65.03	16.88	95.44	82.84		
अन्य						
2005-06	0.57	0.74	0.00	1.31	0.54	0.77
2006-07	0.77	0.93	0.00	1.70	0.98	0.72
2007-08	0.72	1.29	0.01	2.02	1.32	0.70
2008-09	0.70	2.74	0.05	3.49	0.71	2.78
2009-10	2.78	3.39	0.00	6.17	2.30	3.87
कुल	9.09	0.06	14.69	5.85		

टिप्पणी: योजनागत निधि में 2005-06 के दौरान केन्द्रीय गैर-व्यपगत पूल संसाधन के अंतर्गत (₹ 22.50 करोड़), 2008-09 एवं 2009-10 के दौरान ओ.बी.सी. विस्तार (₹ 26.11 करोड़), 2009-10 के दौरान दीपहू परिसर (₹ 15.00 करोड़) तथा 2009-10 के दौरान प्रौद्योगिकी विद्यालय (₹ 10.00 करोड़) प्राप्त राशियां शामिल हैं।

विश्वविद्यालय कुल प्राप्तियों का उपयोग नहीं कर सका तथा पिछले वर्ष के शेष के योजनागत अनुदानों के अंतर्गत स्थापित किया; परिणामस्वरूप अप्रयुक्त अनुदानें वर्ष 2005-06 में ₹ 29.10 करोड़ से वर्ष 2009-10 में ₹ 34.80 करोड़ तक बढ़ा।

याजनेतर शीर्ष के अंतर्गत प्राप्तियों एवं व्यय ने, जो मुख्यतः स्थापना, प्रशासनिक एवं अन्य शैक्षिक व्ययों से बने हैं, निरंतर एक बढ़ती हुई प्रवृत्ति को अंकित किया है क्योंकि अनुदानों की प्राप्ति वर्ष 2005-06 में ₹ 4.43 करोड़ से वर्ष 2008-09 में ₹ 21.17 करोड़ तक बढ़ी तथा व्यय भी वर्ष 2005-06 में ₹ 9.71 करोड़ से वर्ष 2009-10 में ₹ 27.88 करोड़ तक बढ़ा। वर्ष 2005-06 में ₹ 29.10 करोड़ से वर्ष 2009-10 में ₹ 34.80 करोड़ के बीच निधि की पर्याप्त राशि के गैर-उपयोग ने प्रतिवेदन की अवधि के दौरान त्रुटिपूर्ण वित्तीय प्रबंधन को दर्शाया।

वित्तीय वर्ष 2009-10 की समाप्ति पर योजनागत शीर्ष के अंतर्गत ₹ 34.80 करोड़ की अप्रयुक्त निधि की विस्तृत संवीक्षा ने निम्नलिखित अनियमिताओं तथा कमियों को प्रकट किया:

- दीपहू परिसर को स्थापित करने हेतु वर्ष 1999-2000 में प्राप्त कुल ₹ 3 करोड़ की राशि की केन्द्रीय गैर- व्यपगत संसाधन पूल (के.गै.व्य.सं.पू.) निधि को अप्रयुक्त रखा गया था।
- के.गै.व्य.सं.पू. के अंतर्गत मई 2005 में प्राप्त ₹ 7.50 करोड़ की वि.अ.आ. अनुदान तथा दीपहू परिसर के विकास कार्यों हेतु नवम्बर 2009 में ₹ 15 करोड़ में से विश्वविद्यालय ने उपयुक्त कार्यकारी/निर्माण अभिकरण के गैर-चयन के कारण क्रमशः ₹ 4.06 करोड़ तथा ₹ 10 करोड़ का उपयोग नहीं किया था।
- स्कूल ऑफ टैक्नोलौजी हेतु ₹ 10 करोड़ की राशि वर्ष के बिल्कुल अंत में (फरवरी 2010) में प्राप्त हुई और अप्रयुक्त रही,

विश्वविद्यालय ने अभ्युक्तियां स्वीकार कर लीं क्योंकि इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं की गई।

2.3.4.2 लंबे समय से बकाया अग्रिमों का अ-समायोजन

जांच से प्रकट हुआ कि आर्किटेक्ट कंसल्टेंट प्राइवेट लि. (आ.क. प्रा.लि.) कोलकाता को भवनों के वास्तुशिल्पीय डिजाइन हेतु मई 2006 तक ₹ 119.73 लाख (₹ 99.26 लाख के बकाया शेष सहित) की अग्रिम राशि अदा की गई थी। इसमें से, मई 2008 तक ₹ 102.66 लाख की राशि समायोजित की थी तथा ₹ 17.07 लाख की बची हुई बकाया राशि का जून 2011 तक समायोजन होना बाकी था। विश्वविद्यालय प्राधिकरण ने बकाया अग्रिम की राशि को समायोजित अथवा वसूल करने के लिए कोई ठोस कार्रवाई नहीं की क्योंकि आ.क.प्रा.लि. काफी समय से विश्वविद्यालय की किसी गतिविधि से जुड़ी हई नहीं थी। विश्वविद्यालय ने बताया (जून 2011) कि अग्रिम के समायोजन के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएंगे।

2.3.4.3 अ.जा. बालिका छात्रावास के अंतर्गत अप्रयुक्त निधि का विपथन

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अ.जा. बालिका छात्रावास संस्थीकृत और जारी की गई के निर्माण के लिए जारी की गई ₹ 2.14 करोड़ की निधि के (1999-2000 से 2003-04) के प्रति 2005-06 के दौरान ₹ 2.13 करोड़ खर्च करके काम पूरा किया गया। बची हुई अप्रयुक्त राशि ₹ 15.08 लाख (₹ 13.65 लाख के अर्जित ब्याज सहित) को अभ्यर्पित किए बिना 2008-09 के दौरान योजना लेखा शीर्ष में स्थानांतरित कर दिया गया जो कि संस्थीकृत आदेश की शर्तों का उल्लंघन था।

उत्तर में (जून 2011) कहा गया कि निधि प्रदान करने वाली एंजेसी ने अप्रयुक्त निधि की वापसी की मांग नहीं की थी। उत्तर संस्थीकृति आदेश की शर्तों के अनुरूप नहीं था।

अनुशंसा

- विश्वविद्यालय को अन्य लेखाशीर्ष से निधियों का विपथन रोकने के लिए समुचित कदम उठाने चाहिए और वि.अ.आ. निधि को अनुचित भुगतान से पहले अपेक्षित अनुमोदन लेना चाहिए।

2.3.5 आधारभूत ढांचे का प्रबंधन

2.3.5.1 निर्माण कार्य प्रबंधन

अकादमिक और प्रशासनिक भवन, छात्रावास, आवासीय क्वार्टस आदि का निर्माण ‘निक्षेप कार्य’ के आधार पर सरकारी एजेंसियों के माध्यम से पूरा करवाया गया था। निर्माण कार्य का प्राक्कलन केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (के.लो.नि.वि.) की दर सूची के अनुसार तैयार किया गया था।



लेखापरीक्षा को दी गई सूचनानुसार 2005-10 के दौरान कुल 41 भवन परियोजनाओं (अनुमानित मूल्य ₹ 80.47 करोड़) का निर्माण कार्य शुरू किया गया था जिनमें से 23 परियोजनाएं पूरी कर ली गई थीं और बाकी 18 कार्य जारी थे, जिनमें से ₹ 25.62 करोड़ की लागत के नौ कार्यों के समापन की अनुबंधित अवधि बीत चुकी थी। इनके लिए विश्वविद्यालय मार्च 2010 तक पहले ही ₹ 16.14 करोड़ जारी कर चुका था और अनुबंध III में दर्शाए गए हैं।

तथापि, विभिन्न निर्माण कार्यों को प्रदान किए जाने तथा निष्पादन से संबंधित अभिलेखों की जांच से निम्नलिखित अनियमितताएं उजागर हुईं।

(क) निविदाओं के बिना कार्य प्रदान किया जाना

सभी सिविल कार्य निविदाएं जारी किए बिना प्रदान किए गए। क्रियान्वयन एजेंसियों विश्वविद्यालय की भवन समिति द्वारा चुनी गई थीं। प्रतियोगितात्मक बोलियों की प्रक्रिया के बिना कार्य प्रदान किए जाने के कारण विश्वविद्यालय अधिक प्रतियोगी दरों पर कार्य करवाने से वंचित हो गया। निर्माण कार्यों पर किए गए खर्च सहित एजेंसी शुल्क⁸ का औचित्य असत्यापित/अमूल्यांकित रहा।

उत्तर में (जून 2011) बताया गया कि स्थानीय भौगोलिक और सामाजिक -आर्थिक परिस्थितियां परिसर को शीघ्रतापूर्वक निर्मित करने के लिए किसी अल्य प्रक्रिया की इजाजत नहीं देती थीं। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सिलचर द्वारा खुली निविदा की प्रथा का पालन कर रहा था।

(ख) अनावश्यक और अतिरिक्त व्यय

अन्य पिछड़ा वर्ग विस्तार योजना के तहत नेशनल बिल्डिंग कस्ट्रक्शन कंपनी (एन.बी.सी.सी.) को सितम्बर तथा अक्टूबर 2008 में ₹ 11.77 करोड़ की प्राक्कलित लागत पर चार निर्माण कार्य⁹ प्रदान किए गए थे जो क्रमशः 18 एवं 15 महीनों में पूरे किए जाने थे। अग्रिम के तौर पर सितम्बर 2008 में ₹ 2.60 करोड़ की राशि अदा की गई थी।

कार्य, विश्वविद्यालय और एन.बी.सी.सी. के बीच फरवरी 2008 के एक समझौता ज्ञापन (स.ज्ञा.) के अनुसार प्रदान किए गए थे। समझौता ज्ञापन में, ठेकेदार की ओर से विलम्ब के लिए निर्णीत उसमें केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के मैनुअल की हर्जाने की उगाही की शर्त तो थी लेकिन वह महत्वपूर्ण शर्त शामिल नहीं थी जिसके अनुसार एन.बी.सी.सी. की विफलता की स्थिति में उसके जोखिम और लागत पर किसी दूसरे ठेकेदार से काम करवाया जा सके।

एन.बी.सी.सी. ने काम शुरू किए बिना अगस्त और नवम्बर में परामर्श कार्य और एंजेंसी शुल्क के ₹ 15.08 लाख काट कर अग्रिम राशि इस दलील पर वापस कर दी कि उसके कर्मचारी उस क्षेत्र में काम करने के लिए तैयार नहीं थे। ₹ 15.08 लाख का सारा खर्च अनावश्यक साबित हुआ क्योंकि ठेकेदार द्वारा जमा किए रेखाचित्रों के प्रूफ की जांच करने पर इनमें बताई गई त्रुटियों और सर्वेक्षण हेतु अभिलेखों के अभाव के कारण उपयोगी नहीं पाया गया।

⁸ एम.जी.सी.सी. को प्रदत्त 26 सिविल कार्यों के लिए विश्वविद्यालय ने मार्च 2010 तक एंजेंसी शुल्क के तौर पर 110.98 लाख का भुगतान किया।

⁹ शिक्षकों के 10 आवास (अनुमानित लागत ₹ 1.62 करोड़), इतिहास, राजनीति विज्ञान तथा समाजशास्त्र विज्ञान (अनुमानित लागत मूल्य ₹ 5.15 करोड़), अर्थशास्त्र और वाणिज्य विभाग भवन का (अनुमानित लागत ₹ 3.62 करोड़) तथा शिशुसदन और महिला सुविधा केन्द्र (अनुमानित लागत ₹ 1.38 करोड़) का निर्माण

बाद में विश्वविद्यालय ने नवम्बर 2009 में कुल ₹ 15.04 करोड़ की संशोधित की गई लागत पर दो कार्य¹⁰ के लो.नि.वि. को तथा दो कार्य¹¹ मेघालय गवर्नमेंट कन्सट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एम.जी.सी.सी.) को पुनः प्रदान किए। सामग्री के मूल्यों में वृद्धि के कारण निर्माण कार्य की लागत में होने वाली ₹ 3.27 करोड़ की बढ़ोत्तरी का दावा पिछले ठेकेदार से नहीं किया जा सका क्योंकि चूक करने वाले ठेकेदार से उसके ‘जोखिम और लागत’ पर काम पूरा करवाने से संबंधित महत्वपूर्ण शर्त एन.वी.सी.सी. के साथ समझौता ज्ञापन में शामिल नहीं की गई थी।

विश्वविद्यालय ने बताया (जून 2011) कि इसमें कोई वित्तीय घाटा नहीं हुआ था क्योंकि कार्य बाद में दूसरी सरकारी एजेंसियों द्वारा किया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि तथ्य यह है कि एन.बी.सी.सी. को दिए गए कार्य आदेश को रद्द करने के कारण विश्वविद्यालय को ₹ 3.27 करोड़ का अधिक व्यय करना पड़ा।

(ग) भवन निर्माण कार्यों का आरम्भ न होना

जांच से उजागर हुआ कि दीपहू कैम्पस में आधारभूत ढांचे के विकास और अन्य गतिविधियों के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने नवम्बर 2009 में ₹ 15.00 करोड़ जारी किए। इनमें से 10.00 करोड़ भवन समिति द्वारा अकादमिक भवन के निर्माण (₹ 5 करोड़) प्रशासनिक भवन के विस्तार (₹ 1.25 करोड़), 2 छात्रावास (₹ 2 करोड़) तथा अध्यापकों और कर्मचारियों के आवास (₹ 1.75 करोड़), के लिए आवंटित किए गए थे। किन्तु मार्च 2011 तक निर्माण हेतु कार्य आवंटित नहीं किए गए थे, जिसका कारण केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा प्राक्कलित की गई अधिक लागत को बताया गया। इतने लम्बे समय तक उपयुक्त क्रियान्वयन एंजेंसी चुनने में विश्वविद्यालय की असफलता और अनुदान की भारी राशि को उपयोग किए बिना रखे रहने के कारण संबंधित हिस्सेदार वांछित लाभ से वंचित रहे।

उत्तर में (जून 2011), विश्वविद्यालय ने बताया कि भवन समिति का उचित मूल्यांकन और अनुमोदन प्रतीक्षित था।

2.3.5.2 विभागों का कम्प्यूटरीकरण

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली ने असम विश्वविद्यालय को कैम्पस के विकास और नेटवर्किंग के लिए ₹ 2.00 करोड़ की संस्वीकृति (मार्च 2005) प्रदान की। संस्वीकृति राशि तीव्र अंतरण द्वारा अप्रैल 2005 विश्वविद्यालय को प्राप्त हुई।

¹⁰ अर्थशास्त्र और वाणिज्य भवन (अनुमानित लागत ₹ 4.79 करोड़), इतिहास, राजनीति विज्ञान तथा समाज शास्त्र भवन (अनुमानित लागत ₹ 6.55 करोड़)

¹¹ शिशु सदन और महिला सुविधा केन्द्र (अनुमानित ₹ 1.62 करोड़) शिक्षकों के आवास (अनुमानित लागत ₹ 2.08 करोड़)

जांच से प्रकट हुआ कि ₹ 2.00 करोड़ में से ₹ 1.51 करोड़ की राशि अगस्त 2007 से मार्च 2010 के दौरान नेटवर्क उपकरणों, कम्प्यूटरों व बैटरियों आदि की खरीद और संस्थापना पर खर्च की गई थी। 27 महीनों (मई 2005 से जुलाई 2007) तक निधियों का उपयोग न करने के कारण न तो अभिलेखों में उपलब्ध थे और न ही लेखापरीक्षा को सूचित किए गए थे।



केन्द्रीय पुस्तकालय में इन्टरनेट स्थिति

जांच से प्रकट हुआ कि 32 विभागों, एक पुस्तकालय, तीन छात्रावास, परीक्षा केन्द्र और प्रशासन में से आठ¹² अकादमिक विभागों में से केवल 14 में स्थान नेटवर्किंग कनैक्शन के अंतर्गत लाए गए थे जबकि बाकी विभाग अभी भी नेटवर्किंग प्रक्रिया के अंतर्गत थे। अतः निधियों की उपलब्धता के बावजूद नेटवर्क कनैक्टिविटी में विलम्ब खास कर विभागों में, विद्यार्थियों और शिक्षकों को इच्छित सुविधाओं से वंचित रखा।

समापन बैठक के दौरान, विश्वविद्यालय ने बताया कि मई 2011 तक सभी अकादमिक विभागों में नेटवर्किंग पूरी की जा चुकी है, किन्तु प्रबंधन द्वारा इस बारे में कोई पुष्टिकारक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए,

अनुशंसाएं

- भवन निर्माण कार्य के लिए अविलम्ब रूप से निविदा प्रदान करने के लिए संगठित प्रयास किए जाने चाहिए।
- काम पूरा होने में विलम्ब से बचने के लिए काम के निरीक्षण हेतु उपयुक्त तंत्र तैयार किया जाना चाहिए।
- विश्वविद्यालय को अन्य अकादमिक विभागों में नेटवर्क कनैक्विटी का काम निश्चित रूप से पूरा करने के लिए उपयुक्त उपाय करने चाहिए।

2.4 आन्तरिक नियंत्रण और मॉनीटरिंग

आन्तरिक नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जो किसी संगठन के कार्यों की कुशलता और प्रभावकारिता, लागू नियमों के पालन तथा सही वित्तीय सूचना के उद्देश्यों की प्राप्ति के बारे में यथोचित आश्वासन प्रदान करने के लिए तैयार की गई है।

इस बारे में, लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित बातें देखी:

¹² रसायनशास्त्र, भौतिकी, जीव-विज्ञान, कम्प्यूटर विज्ञान, परिस्थितिकी, पर्यावरण विज्ञान, व्यापार प्रशासन तथा प्रौद्योगिकी विद्यालय

2.4.1 आंतरिक लेखापरीक्षा का अभाव

लेन-देन के पैमाने को देखते हुए, सभी वित्तीय मामलों की उचित जांच करने के लिए विश्वविद्यालय में एक आन्तरिक लेखापरीक्षा खंड को स्थापित करने की आवश्यकता है ताकि वित्तीय अव्यवस्था/अनियमितताओं से बचा जा सके और जांच तथा नियंत्रण को सुनिश्चित किया जा सके। साल-दर साल पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में लगातार ध्यान दिलाए जाने के बावजूद विश्वविद्यालय ने कोई आन्तरिक लेखापरीक्षा खंड स्थापित नहीं किया है।

आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रणाली के अभाव में वार्षिक लेखाओं आदि में वित्तीय अनियमितताओं और कमियों पर नियंत्रण को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता।

विश्वविद्यालय ने बताया (जून 2011) कि आन्तरिक लेखापरीक्षा खंड की रचना प्रक्रियाधीन थी।

2.4.2 एन.ए.ए.सी. की अनुशंसाएं (पीअर रिपोर्ट)

नेशनल असैसमैट एंड ऐक्रैडिशन काउंसिल (एन.ए.ए.सी.) ने अपनी पीअर रिपोर्ट (अगस्त 2008) में निम्नलिखित संस्थागत कमजोरियां पाईः

- विश्वविद्यालय के विभागों/महाविद्यालयों में अभिनव पाठ्यक्रम सुगमतापूर्वक प्रदान करने के लिए विकल्प आधारित क्रैडिट सिस्टम का अभाव।
- आधारभूत परामर्श कार्यक्रम तथा उद्योग अन्योन्यक्रिया को सरल बनाने के लिए विश्वविद्यालय उद्योग अन्योन्यक्रिया केन्द्र का विद्यमान न होना।
- शिक्षण प्राप्ति प्रक्रिया में भागीदारी शिक्षा तरीकों तथा कम्प्यूटर सहायता प्रौद्योगिकी का अभाव।
- हितधारकों तथा विद्यार्थियों से, गुणवत्ता सुधार के लिए प्रभावशाली तथा यंत्रीकृत फीडबैक प्रणाली का अभाव।

विश्वविद्यालय ने, एन.ए.ए.सी. की अनुशंसा/दिशानिर्देशों के अनुसरण में, मार्च 2011 के अंत में नेटवर्किंग प्रणाली का आंशिक कार्यान्वयन करने के अतिरिक्त नौ अध्ययन विद्यालयों, आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन कक्ष की स्थापना की। तथापि संस्थागत कमजोरियों के प्रमुख क्षेत्र अपेक्षित रहे।

2.4.3 परिसम्पति रजिस्टर एवं प्रत्यक्ष सत्यापन

सामान्य वित्तीय नियमावली के नियम 192 के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त परिसम्पतियों को परिसम्पति रजिस्टर में प्रविष्टि करना तथा सामान्य छीजन के कारण क्षतिग्रस्त/अप्रचालित/अप्रयोज्य परिसम्पत्तियों का पता लगाने के लिए वर्ष में कम से कम एक बार प्रत्यक्ष सत्यापन करना अपेक्षित होता है। तथापि, विश्वविद्यालय ने किसी

परिसम्पति रजिस्टर का अनुरक्षण नहीं किया था तथा इस प्रकार, परिसम्पतियों का प्रत्यक्ष सत्यापन कभी नहीं किया था। परिसम्पति रजिस्टर के अभाव में प्राप्त परिसम्पतियों तथा उनकी स्थिति के ब्यौरों का पता नहीं लगाया जा सका।

उसी तरह, सामान्य वित्तीय नियमावली के नियम 194 की अपेक्षा के अनुसार पुस्तकालीय पुस्तकों का इस तथ्य (i) पुस्तकालय ने 2005-10 की अवधि के दौरान ₹ 5.04 करोड़ की कुल लागत पर ₹ 32,004 पुस्तकों तथा जर्नल प्राप्त किए (ii) वर्ष 2002 में किए गए पिछले प्रत्यक्ष सत्यापन के दौरान ₹ 20.82 लाख मूल्य की पुस्तकों कम/क्षतिग्रस्त पाई गई थीं तथा (iii) मार्च 2010 तक कुल 94483 पुस्तकों तथा जर्नल थे, के बावजूद 2003-04 से प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं कराया गया था।

अनुशसारं

- विश्वविद्यालय को उसकी आंतरिक नियंत्रण तन्त्र को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।
- एन.ए.ए.सी. द्वारा इंगित की गई संस्थानिक कमजोरियों का उपयुक्त ढंग से पता लगाए जाने की आवश्यकता है।

2.5 निष्कर्ष

विश्वविद्यालय की निष्पादन लेखापरीक्षा ने इसके कार्यों में निम्नलिखित त्रुटियों को प्रकट किया है:

- विभिन्न पाठ्यक्रमों में छात्रों के खराब अंतर्ग्रहण के कारण प्रतिवेदन की अवधि के दौरान ₹ 14.30 करोड़ की सीमा तक विश्वविद्यालय की अवसंरचना का कम उपयोग किया गया।
- 2005-06 से 2009-10 की अवधि के दौरान 11 (ग्यारह) पी.जी. पाठ्यक्रमों में कुल 265 छात्र अलग किए गए।
- विश्वविद्यालय की नियुक्ति के खराब अनुसरण के कारण 2008 में केवल पचपन प्रतिशत योग्य छात्रों को ही नियुक्ति नौकरी मिल सकी थी, इसके पश्चात स्थिति आगे ओर बिगड़ गई जब, एम.एस.सी./एम.सी.एस., बी.टेक, एम.एम.सी., एम.बी.ए. तथा बी.एस. डब्ल्यू/एम.एस.डब्ल्यू के क्रमशः 38, 18, 24 तथा 35 प्रतिशत योग्य छात्रों का चयन किया गया था।
- विश्वविद्यालय ने संबंधित क्षेत्रों में ज्ञान को विकसित करने की आवश्यकता का निर्धारण किए बिना नए पाठ्यक्रम प्रारम्भ किए जिसके कारण इन पाठ्यक्रमों में 60 से 95 प्रतिशत सीटें रिक्त रहीं।

- ₹ 6.99 करोड़ की कुल अनुमानित लागत के 46 अनुसंधान परियोजनाओं में से ₹ 86.15 लाख के व्यय वाली केवल 12 परियोजनाएं जून 2010 तक समाप्त हुई थीं।
- समाप्त हुई अनुसंधान परियोजनाओं में से पाँच परियोजनाओं को एक से 22 महीनों के बीच के विलम्ब के साथ समाप्त किया गया था।
- मार्च 2010 तक मुख्य परिसर में पाँच प्रतिशत तथा दीप्ति परिसर में 40 प्रतिशत पद रिक्त थे।

2.6 आभार

हम लेखापरीक्षा के दौरान विश्वविद्यालय प्राधिकारी द्वारा लेखापरीक्षा को प्रदत्त सहयोग तथा सहायता का अभार प्रकट करते हैं।

मामला जुलाई 2011 में मंत्रालय को प्रेषित किया गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित था।

अनुबन्ध-1

(पैराग्राफ 2.3.2 के संदर्भ में)

शिक्षा लागत प्रति छात्र प्रति वर्ष (मुख्य परिसर एवं दीपहू परिवार)

(₹ लाख में)

क्र. सं.	व्यय	2005-06		2006-07		2007-08		2008-09		2009-10	
		मुख्य परिसर	दीपहू परिसर								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	स्थापना व्यय	892.45	---	1274.82	---	1115.39	20.61	1840.61	97.80	3000.68	187.27
2	शैक्षणिक व्यय	89.40	---	101.18	---	116.65	2.15	229.65	2.78	385.49	5.32
3	प्रशासनिक व्यय	166.49	---	247.87	---	273.97	16.02	357.59	16.11	441.74	20.17
4	मरम्मत एवं अनुरक्षण व्यय	30.91	---	32.69	---	87.10	0.11	84.97	4.75	62.85	6.89
	कुल	1179.25	---	1656.56	---	1593.11	38.89	2512.80	121.44	3890.76	219.65
	कुल (मुख्य + दीपहू)					1632.00		2634.24		4110.41	
1	कुल छात्र पंजीयत (सिवाय पी.एच.डी. छात्र)	1593	---	1798	---	1892	64	2315	121	2549	135
	कुल (मुख्य + दीपहू)					1956		2436		2684	
2	शिक्षा लागत प्रति छात्र प्रति वर्ष	0.74	---	0.92	---	0.84	0.61	1.09	1.00	1.53	1.63
	कुल (मुख्य + दीपहू)					0.83		1.08		1.53	

अनुबन्ध-II

(पैराग्राफ 2.3.2.4 के संदर्भ में)

परियोजनाओं के नाम दर्शाने वाला विवरण, निर्धारित की तुलना के समापन की वास्तविक तिथि और उनकी वर्तमान स्थिति

क्र. सं.	परियोजना का नाम	अनुमानित लागत	समापन की निर्धारित तिथि	समापन की वास्तविक स्थिति	निधीयन एजेंसी का नाम	परियोजना की वर्तमान स्थिति
1	बराक घाटी, पूर्वोत्तर भारत चुंबकीय, लिकिवड क्रिस्टल के गृह उद्यान में बांस का परिस्थिति विज्ञान और प्रबंधन	5.50	अप्रैल 2008	31.3.2009	जी.बी.पंत हिमालयन पर्यावरण एवं विकास संस्थान	समाप्त
2	अभिकल्प संश्लेषण, विरल पृथ्वी और संक्रमण धातु युक्त चुंबकीय लक्षण वर्णन और अध्ययन, लिकिवड क्रिस्टल	14.64	अक्टूबर 2008	23.4.2009	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	समाप्त
3	अपशिष्ट प्रबंधन में लगे समुदाय	0.30	दिसम्बर 2005	25.12.2005	शास्त्री व्यावहारिक अनुसंधान परियोजना (शार्प)	समाप्त
4	भौगोलिक वितरण एवं पूर्वी हिमाचल क्षेत्र के संयंत्र संसाधन की जनसंख्या स्थिति का मानचित्रण और मात्रात्मक मूल्यांकन	13.23	नवम्बर 2009	-	जीव-प्रौद्योगिकी विभाग (भा.स.)	चल रही
5	मेटलोपॉरफिरन्स मै पॉरफिरिन के विकृत संरचना पर एक अध्ययन	8.04	सितम्बर 2009	31.8.2009	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	समाप्त
6	कुछ नये एजोहेटरोसाइकल के साथ स्थनीयम का रसायन विज्ञान: संश्लेषण, लक्षण-वर्णन एवं विद्युत रसायन विशेषताएं	20.34	दिसम्बर 2009	30.11.2009	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	समाप्त
7	अंतरिक्ष्यान अवलोकन के साथ मैच के लिए उत्तेजक प्रयोगशाला द्वारा सौरमण्डल के लघु भागों का अध्ययन	9.25	2009	-	अंतरिक्ष विभाग, भा.स.	चल रही
8	माहशीर मछलियों का आवास मानचित्रण और पूर्वोत्तर जैल विविधता के लिए स्थानिक डेटाबेस का विकास	11.09	2009	21.2.2009	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (प.व.मं.)	समाप्त
9	सलिसालडीलमाइन सचीफ बेस से व्युत्पन्न द्विनाभिकीय धातु परिसरों का विकास	5.19	अप्रैल 2009	-	वि.अ.आ.	चल रही
10	मुङे हुए लिकिवड क्रिस्टलीन सुपरामोलीकुलर संगठनों पर एच-बॉड प्रभाव	14.96	नवम्बर 2009	-	परमाणु ऊर्जा विभाग (बी.आर.एन.एस.)	चल रही
11	साहित्यिक, भाषा विज्ञान एवं सांस्कृतिक थोटीजेशन के क्षेत्र में	6.50	जून 2009	31.7.08	वि.अ.आ.	समाप्त

	परम्परा एवं प्रवृत्ति गैर पश्चिम अंतरिक्षण मान चित्रण					
12	ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत आर्थिक सुधारः वास्तविकता एवं अपेक्षा	2.80	जून 2008	3.10.2008	वि.अ.आ.	समाप्त
13	तिपाईमुख एचई(एम) में मत्स्य पालन विकास के लिए व्यावहार्यता अध्ययन	2.50	अगस्त 2008	जून 2010	निपको	समाप्त
14	बराक नदी और उसकी सहायक नदियों जी.आई.एस. उपकरण का उपयोग करके मासर का आवास मानचित्रण	2.47	नवम्बर 2009	18.9.2009	मछली आनुवांशिक संसाधन राष्ट्रीय बूरो	समाप्त
15	चिरेलिटी एवं मेसोमोरफीक विशेषताओं के संदर्भ में डब्ल्यू-आकार अणुओं की शृंखला में एंट एलकाइल में प्रफलोरों, सिलोसेन एवं कारबोसिलोएक्सेन का प्रभाव	20.40	अप्रैल 2010	13.4.2010	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	समाप्त
16	केपहेलउरस एलग द्वारा बराक वैली (दक्षिणी असम) के चाय पौधों में रतुआ रोगः प्रभावी नियंत्रण के उपायों के लिए इको-जैविक स्थिति, समस्याओं और विकल्प का कारण बना	7.73	जनवरी 2010	-	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	समाप्त
17	अखरोट उपक्षार ऐरोकोलीन मुख्य क्षेत्र के दो महत्वपूर्ण चयापचयों का जेनोटोक्सिक एवं टूमोओरजेनिक अकार्बनिक पर जांच	8.88	जनवरी 2010	-	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	चल रही
18	चाय में सूखे तनाव सहिष्णुता को बायोकेमिकल और आण्विक दृष्टिकोण	9.06	सितम्बर 2010	-	राष्ट्रीय चाय अनुसंधान फाउंडेशन, कोलकाता	चल रही
19	इन-विट्रो प्रसार एवं पूर्व-स्वस्थानी खेती के माध्यम से पादप रसायन स्क्रीनिंग एवं जर्मप्लाज्म के संदर्भ में दक्षिणी असम के इथनोमीडीसीनल संयंत्रों का संकटग्रस्त होना	7.37	मार्च 2010	31.5.2010	वि.अ.आ.	समाप्त
20	डिजाइन संश्लेषण और उच्च परमीटीवीटी अनुप्रयोगों को सक्षम करने के लिए आईसोट्रोफिक और एनीसोट्रोफिक मीडिया के भौतिक-रसायन लक्षण वर्णन अध्ययन	15.83	जून 2011	-	नवल अनुसंधान बोर्ड	चल रही
21	मिट्टी की विविधता एवं वितरण माइक्रोऑर्थोपोड फाऊजा आफग्रासलैंड, खेती क्षेत्रों एवं सबट्रोपिकल कछार, असम इको-तंत्र पर अध्ययन	11.35	दिसम्बर 2011	-	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय	चल रही
22	दक्षिणी असम, पूर्वोत्तर भारत में साइनोबेक्टीरियल बायोसंसाधन का	35.43	अगस्त 2011	-	बायो-प्रौद्योगिकी विभाग	चल रही

	लक्षण वर्णन तथा उपयोग					
23	धातु कारबाइड और नीटराइड का वेन 2 के कोड का उपयोग करके इलेक्ट्रॉनिक संरचना गणना	3.00	जून 2011	-	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	चल रही
24	काओपी में NA+/H+ एंटीपीटर जीन का आण्विक क्लोनिंग और कार्यात्मक विश्लेषण	44.81	जुलाई 2011	-	बायो-प्रौद्योगिकी विभाग	चल रही
25	अवसंरचना नेटवर्क-भाग के को सुनिश्चित करने के लिए नेटवर्क ट्रैफिक की लोगिंग एवं विश्लेषण के लिए ढांचे का विकास	45.50	अक्टूबर 2010	-	सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार एवं सू.प्रौ. मंत्रालय	चल रही
26	वनस्पति कार्बन पूल मूल्यांकन	6.42	मार्च 2011	-	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, देहरादून	चल रही
27	फ्रांटियर जनजातियों के साथ ब्रिटिश संबंध: 1832-1878 के बीच अंग्लो नागा संबंध के एक मामले का अध्ययन	1.00	2010	-	भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली	चल रही
28	फ्रांटियर जनजातियों की ओर ब्रिटिश नीति की एक महत्वपूर्ण समीक्षा: अंग्लो नागा मामले, 1832-1848 का एक मामला अध्ययन	4.54	2011	-	वि.अ.आ.	चल रही
29	অসম কে কছার জিলে কে উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ও জুনিয়র কালেজে মেং ব্যাকরণ শিক্ষণশাস্ত্র মেং অংগৃজী শিক্ষক কে বিশ্বাসোঁ এবং প্রথাওঁ কে বারে মেং এক অধ্যযন	1.28	জুলাঈ 2010	-	বি.অ.আ.	চল রহী
30	গ্রামীণ জনতা কা সামাজিক সাংস্কৃতিক জীবন পৰ রেডিয়ো সুননে বালোঁ কা প্ৰভাৱ: নৰসিংহপুৰ ঔৰ অসম কে কছার জিলে মেং নয়াবী গাঁওঁ কা এক অধ্যযন	5.29	জনৱৰী 2011	-	বি.অ.আ.	চল রহী
31	ক্লিয়োম গযান্দৰা এল (ক্লিয়োমাসী) কে বাযোকেমিকল লক্ষণ বৰ্ণন ওৰ চিকিৎসীয় ক্ষমতা	11.11	অপ্ৰৱেল 2012	-	বি.অ.আ.	চল রহী
32	বৰাক বৈলী, অসম মেং চাটলা বেটলেঁড় পৰ ইকোলোজীকল অধ্যযন	8.91	অপ্ৰৱেল 2012	-	বি.অ.আ.	চল রহী
33	এন.ই.বৰ্ডনেট কা বিকাস: এন.ই. ভাষাওঁ - নেপালী কে লিএ একীকৃত বৰ্ডনেট	23.10	মৰ্চ 2011	-	সূচনা প্রৌদ্যোগিকী বিভাগ, সংচার এবং সূ.প্রৌ. মণ্ত্রালয়	চল রহী
34	নাবল বনানা এবং ডব্ল্যু-আকার অণুওঁ পৰ লিক্ষিত ক্ৰিস্টলীন ব্যবহাৰ কে প্ৰদৰ্শন পৰ ডী-ইলেক্ট্ৰিক অধ্যযন	10.19	মৰ্চ 2012	-	বিজ্ঞান এবং প্রৌদ্যোগিকী বিভাগ	চল রহী

35	स्ट्रेंग ब्रह्माण्ड में गर्भ मुद्रास्फीति परिदृश्य का अध्ययन	10.02	दिसम्बर 2012	-	परमाणु ऊर्जा विभाग	चल रही
36	उत्तर पूर्व में ए.यू. का बायो-प्रौद्योगिकी विभाग में बायोटैक्नोलॉजी, शिक्षण, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान को मजबूत बनाना और उन्नयन करने पर कार्यक्रम	128.00	अगस्त 2014	-	बायो-प्रौद्योगिकी विभाग	चल रही
37	भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में मैडिकल कालेजों ने विकास/अवसंरचना उन्नयन	88.94	सितम्बर 2014	-	बायो-प्रौद्योगिकी विभाग	चल रही
38	रिमोट सैंसिंग और जी.आई.एस. का उपयोग करके बराक वैली उत्तर पूर्व भारत के पारंपरिक गृह उद्यान में पड़े विविधता तथा परिस्थितिकी	15.66	अप्रैल 2012	-	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	चल रही
39	एच.एम.ए. प्रोटीन एवं भारी धातु सहिष्णुता का संरक्षित स्थांकनों में एमिनो ऐसिड बहस्पताएं	4.17	जून 2011	-	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	चल रही
40	इंटरेक्शन वैनेडेट, हाइड्रोजन पेराक्साइड के साथ मोलीवडेट एवं टंगस्टेट एवं हाइड्रोऑक्लेमाइन: संश्लेषण, लक्षण वर्णन, जेट, जलीय और ठोस स्थिति गुण	17.66	अक्टूबर 2012	-	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	चल रही
41	असम के चाय गार्डन श्रमिकों के बच्चे को शिक्षा: एक खोजपूर्ण अध्ययन	7.00	मार्च 2010	-	एन.सी.आर.आई. (मा.सं.वि.म.), हैदराबाद	चल रही
42	अतीत पुनर्गठन: उन्नीसवीं और पूर्व बीसवीं सदी असमिया इतिहास	3.05	अप्रैल 2011	-	वि.अ.आ.	चल रही
43	उत्तर पूर्व भारत में आतंकवाद समस्या, मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए कानूनी समाधान: असम के कछार क्षेत्र का एक सामाजिक कानूनी अध्ययन	4.54	जनवरी 2012	-	वि.अ.आ.	चल रही

2011-12 का प्रतिवेदन सं. 17

44	आधुनिक अरबी नोबेल और नोबेल पुरस्कार विजेता नर्गाब महफूज की लघु कहानी का एक विश्लेषणात्मक अध्ययन	1.00	जुलाई 2011	-	वि.अ.आ.	चल रही
45	बराक घाटी, असम में मछली और उभयचर टैडपोल पर चयनित कीटनाशकों के तीव्र एवं जीर्ण विषाक्तता	9.29	जनवरी 2013	-	वि.अ.आ.	चल रही
46	बांस शूट आधारित सोने की डली के उत्पादन के लिए प्रक्रिया प्रौद्योगिकी का विकास	11.19	जनवरी 2012	-	वि.अ.आ.	चल रही
		698.53				


अनुबन्ध -III

(पैराग्राफ 2.3.5.1 के संदर्भ में)

निर्धारित समय समाप्त के बाद पूर्ण न हुई भवन परियोजनाओं की स्थिति दर्शाते हुए विवरण


(₹ लाख में)

क्र. सं.	भवन/परियोजनाओं का नाम	अनुमानित मूल्य	कार्यकारी एजेंसी	प्रारंभ की तिथि	समाप्त की नियत तिथि	नवम्बर 2010 तक भौतिक प्रगति की प्रतिशतता	मार्च 2010 तक जारी कुल निधि	मार्च 2010 तक विलम्ब अवधि	बताए गए कारण
1	3 मंजिल एम.बी.ए. भवन का क्षमता विस्तार	3.39	एमजीसीसी	मई /09	29.3.10	95%	2.81	12 महीने	नहीं बताया
2	दो मंजिला गणित भवन का क्षमता विस्तार	3.74	एमजीसीसी	जनवरी /09	29.3.10	94%	2.91	12 महीने	नहीं बताया
3	माइक्रोबायोलॉजी भवन	3.87	एमजीसीसी	अगस्त /09	25.9.10	72%	1.79	6 महीने	नहीं बताया
4	90 बैड लङ्कों का हॉस्टल	3.10	एमजीसीसी	अगस्त /09	25.9.10	65%	1.18	6 महीने	नहीं बताया
5	पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान भवन	3.38	के.लो.नि.वि.	जून/09	16.9.10	99%	3.03	6 महीने	नहीं बताया
6	अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा भवन का क्षमता विस्तार	4.52	एमजीसीसी	जुलाई /09	16.9.10	72%	1.96	6 महीने	नहीं बताया
7	प्रशासनिक भवन - एनेक्स-III	1.76	एमजीसीसी	जनवरी /09	16.9.10	72%	0.96	6 महीने	नहीं बताया
8	सामाजिक कार्य भवन का क्षैतिज विस्तार	0.66	एमजीसीसी	जुलाई /09	16.3.10	97%	0.46	12 महीने	नहीं बताया
9	8 गैर - शिक्षण क्वार्टर	1.20	एमजीसीसी	जुलाई /09	16.3.10	98%	1.04	12 महीने	नहीं बताया
		25.62			कुल		16.14		



मानव संसाधन विकास मंत्रालय

जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय



**अध्याय III : जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय
(मानव संसाधन विकास मंत्रालय)**

विशिष्टताएं

- विश्वविद्यालय की त्रुटिपूर्ण प्रवेश नीति के कारण शैक्षिक वर्ष 2005-06 से 2009-10 के दौरान विभिन्न पाठ्यक्रमों में 1016 सीटें खाली रही।
(पैराग्राफ 3.3.2.1)
- रिपोर्ट की अवधि के दौरान विश्वविद्यालय ने अवसंरचना अनुदान के 31 प्रतिशत भाग का उपयोग नहीं किया।
(पैराग्राफ 3.3.4)
- आंतरित स्रोतों के संघटन संबंधी पुन्नैय्या समिति (1992-93) की सिफारिशों की अनुपालना न होने के कारण विश्वविद्यालय इसके समग्र पुनरावर्तक व्यय का, पुन्नैय्या समिति द्वारा सिफारिश किये गये 15-25 प्रतिशत के प्रति केवल 1.49 से 5.91 प्रतिशत का सृजन कर सकी।
(पैराग्राफ 3.3.5.1)
- वि.अ.आ. को वर्ष 2003-04 से 2009-10 के लिए मांगों को समय से प्रस्तुत न करने के परिणामस्वरूप ₹ 2.50 करोड़ के बराबर के अनुदानों की वसूली नहीं हो पाई।
(पैराग्राफ 3.3.5.4)
- निधियों की औसतन आवश्यकता से अधिक की अधिशेष निधियों की अल्पावधि जमाओं में रखने की बजाय बड़ी राशियों को बचत खातों में रखने की पद्धति की त्रुटि के कारण विश्वविद्यालय को ₹ 1.39 करोड़ ब्याज की हानि उठानी पड़ी।
(पैराग्राफ 3.3.5.5)
- विश्वविद्यालय शिक्षण स्टाफ की कमी से ग्रसित है क्योंकि शैक्षण कैडर में कुल अनुमत पदों का 33 प्रतिशत मार्च 2010 को खाली रहा था।
(पैराग्राफ 3.3.6.1)

अनुंशसाओं का सारांश

- विश्वविद्यालय इसकी प्रवेश पद्धति का पुनरीक्षण कर सकती है और दूसरी सूची जारी करने संबंधी प्रतिबन्धक धारा को समाप्त करने पर विचार कर सकती है। विदेशी नागरिकों के खाली स्थानों को स्वदेशी उमीदवारों द्वारा भरने पर विचार किया जा सकता है।


- भर्ती क्षमता को बढ़ाने/घटाने हेतु पूर्वानुभव के आधार पर विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रमों का आवधिक निर्धारण नियमित रूप से करने की अवश्यकता है।
- पुनर्नैया समिति की सिफारिशों के अनुसार विश्वविद्यालय इसके अंतरिक संसाधनों की बढ़ोत्तरी के लिए उचित कदम उठा सकता है।
- विश्वविद्यालय सुचारू क्रियाशीलता एवं शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु सभी खाली पदों को भरने के लिए शीघ्र कदम उठा सकता है।
- प्रत्येक परियोजना की स्थिति को मॉनीटर करने हेतु अभिलेखों के उपयुक्त अनुरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए विश्वविद्यालय उचित मापदण्डों का प्रारम्भ कर सकता है।

3.1 प्रस्तावना

जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (विश्वविद्यालय) की स्थापना 1966 में जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय अधिनियम 1966 (अधिनियम) के अंतर्गत की गई थी और 14 नवम्बर 1969 को इसका उद्घाटन हुआ था। विश्वविद्यालय ने अपने लिए निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किए।

उद्धृत

“शिक्षण एवं अनुसंधान द्वारा ज्ञान का प्रचार एवं बढ़ावा करना तथा उदाहरण एवं इसके सामूहिक जीवन के प्रभाव के द्वारा जवाहर लाल नेहरू के उन सिद्धान्तों के अध्ययन को उन्नत करना जिनके लिए उन्होंने अपने जीवन के दौरान कार्य किया, जैसे कि राष्ट्रीय एकीकरण सामाजिक न्याय धर्मनिरपेक्षता, जीवन का लोकतान्त्रिक मार्ग, अन्तर्राष्ट्रीय मेल-मिलाप तथा समाज की समस्याओं के प्रति एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण।”



अनुद्धृत

इस ओर कार्य के लिए विश्वविद्यालय को निम्नलिखित मुख्य उद्देश्यों की पूर्ति का कार्यभार सौंपा गया:

- अपने कार्यक्रमों में मानवताओं एवं विज्ञान तथा प्रोग्रामिकी सहित एकीकरण पाठ्यक्रमों हेतु विशेष प्रावधान करना;
- अंतर्मुखी अनुशासनात्मक शिक्षा को उन्नत करने हेतु उपयुक्त मानदण्ड तैयार करना।

- ऐसे विभागों तथा संस्थानों की स्थापना करना जो कि भाषाओं, साहित्य तथा विदेशी जीवन शैली के अध्ययन के लिए अनिवार्य हो जिससे विद्यार्थियों के मन में एक अन्तर्राष्ट्रीय मेल-मिलाप बैठाने के लिए तथा एक पवित्रतापूर्णः परिप्रेक्ष्य की भावना का संचार किया जाए तथा;
- विभिन्न देशों से विद्यार्थियों तथा शिक्षकों के लिए इसके शैक्षिक कार्यक्रमों तथा गतिविधियों में भाग लेने के लिए सुविधाओं का प्रावधान करना।

विश्वविद्यालय की संरचना आवश्यक तौर पर एक स्नातकोत्तर शिक्षण तथा अनुसंधान संस्थान के रूप में की गई थी। विश्वविद्यालय के दस विद्यालय¹ और तीन विशिष्ट केन्द्र² हैं इनमें से वि.अ.आ. ने तीन विद्यालयों, जिन्हें हरे रंग से विशिष्टित किया गया है, को “श्रेष्ठता के केन्द्र” का दर्जा प्रदान किया है।

3.1.1 संगठनात्मक ढांचा

विश्वविद्यालय एक कुलपति तथा उप कुलपति की अध्यक्षता में कार्य करता है, दो रेक्टर्स, रजिस्ट्रार, वित्त अधिकारी तथा अन्य पदाधिकारी कार्य में सहायक होते हैं। विद्यालय संकायाध्यक्षों की अध्यक्षकता में कार्य करते हैं तथा विशिष्ट केन्द्र उनके अध्यक्षों द्वारा चलाए जाते हैं। विश्वविद्यालय के विनियमानक निकाय जो इसकी कार्य प्रणाली के लिए उत्तरदायी हैं वे हैं: विश्वविद्यालय न्यायालय, कार्यकारी परिषद, शैक्षिक परिषद, वैधानिक समितियां अर्थात् वित्त समिति इत्यादि।

3.2 लेखापरीक्षा अभिगम

विश्वविद्यालय की लेखापरीक्षा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवाशर्तों) अधिनियम 1971 की धारा 19 (2), अधिनियम की धारा 20 (1) के साथ पठित के अंतर्गत की जाती है।

3.2.1 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र

निष्पादन लेखापरीक्षा में 2005-06 से 2009-10 की अवधि को सम्मिलित किया गया था जिसमें विश्वविद्यालय के लेखाओं की नमूना जांच शामिल थी।

¹ (i) कला एवं सौन्दर्य विद्यालय (ii) जैवप्रौद्योगिकी विद्यालय (iii) कम्प्यूटर एवं पद्धति विज्ञान विद्यालय (iv) पर्यावरण विज्ञान विद्यालय, (v) अन्तर्राष्ट्रीय अध्ययन विद्यालय, (vi) संगठनात्मक एवं समाकलात्मक विज्ञान (vii) भाषा, साहित्य एवं सांस्कृतिक अध्ययन विद्यालय, (viii) जीवन विज्ञान विद्यालय, (ix) भौतिक विज्ञान विद्यालय तथा (x) सामाजिक विज्ञान विद्यालय।

² (i) न्याय एवं अभिशासन अध्ययन का केन्द्र (ii) आणविक औषधी हेतु विशिष्ट केन्द्र तथा (iii) संस्कृत अध्ययन हेतु विशिष्ट केन्द्र

3.2.2 लेखापरीक्षा उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा यह जानने के लिए की गई थी कि क्या:

- ✓ शैक्षिक गतिविधियां कुशलपूर्वक एवं प्रभावशाली ढंग से परियोजित एवं कार्यान्वित की गई थी;
- ✓ विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त अनुदानों का अवसंरचना को बढ़ाने के लिए, भरपूर तरीके से उपयोग किया गया था।
- ✓ विश्वविद्यालय ने इसके साधनों का उपयोग मितव्ययीता से कुशलपूर्वक तथा प्रभावशाली ढंग से किया गया था; तथा
- ✓ विश्वविद्यालय ने प्रवर्तित अनुसंधान/सलाहकारिता परियोजनाओं को अनुदान के लिए प्रत्येक परियोजना की शर्तों के अनुसार पूरा कर लिया था।

3.2.3 लेखापरीक्षा मानक

निम्नलिखित लेखापरीक्षा मानक अपनाए गये थे:

- जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय अधिनियम 1966 और ज.ने.वि. अध्यादेश;
- ज.ने.वि. के शैक्षिक नियम तथा नियमावली, योजना तथा बजट कागजात तथा ज.ने.वि. के आदेश/स्वीकृतियां/अनुज्ञाप्तियां;
- स्वीकृतियों के नियम तथा शर्तें/अनुसंधान परियोजनाओं के अनुमोदन; तथा
- पुनर्निया समिति की रिपोर्ट।

3.2.4 लेखापरीक्षा प्रणाली विज्ञान

विश्वविद्यालय की निष्पादन लेखापरीक्षा, नवम्बर 2010 में, विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार के साथ एक परिचात्मक बैठक के साथ आरम्भ हुई जिसमें, लेखापरीक्षा उद्देश्यों, मानकों तथा लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र पर चर्चा की गई। वि.अ.आ. तथा विश्वविद्यालय के अभिलेखों की परीक्षा नवम्बर 2010 से मार्च 2011 के दौरान की गई। लेखापरीक्षा की उपलब्धियों की चर्चा विस्तार रूप से, विश्वविद्यालय के उपकुलपति, रजिस्ट्रार तथा अन्य अधिकारियों के साथ मार्च 2011 में निर्गम बैठक में की गई।

3.3 लेखापरीक्षा परिणाम

3.3.1 पूर्व लेखापरीक्षा परिणाम

नि.म.ले.प. ने पहले भी ज.ने.वि. की कार्य प्रणाली का पुनरिक्षण इसकी 2003 की रिपोर्ट सं. 4 में किया था, लेखापरीक्षा की मुख्य परिणाम इस प्रकार थे:

- अनुरक्षण अनुदान के उपयोग में मानदण्डों का पालन न किया जाना

- आन्तरिक संसाधनों का अपर्याप्त संग्रहण; तथा
- अनुसंधान परियोजनाओं का कमज़ोर परिवेक्षण

इस रिपोर्ट पर की गई कार्रवाई टिप्पणी अभी तक प्रतीक्षित है।

यह विश्वविद्यालय की दूसरी निष्पादन लेखापरीक्षा है जिसमें पता चला है कि ये कमियां अभी भी विद्यमान हैं।

3.3.2 शैक्षणिक गतिविधियाँ

अपने शैक्षणिक कार्यक्रमों में मानविकी और विज्ञान तथा टैक्नोलॉजी के एकीकृत पाठ्यक्रमों का विशेष प्रावधान करने के उद्देश्य की पूर्ति के लिए विश्वविद्यालय 64 विषयों में डॉक्टरेट, 28 विषयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम तथा नौ विदेशी भाषाओं में पाठ्यक्रम प्रदान कर रहा था। इसके अतिरिक्त, इसने विभिन्न भाषाओं में सर्टिफिकेट, डिप्लोमा तथा उन्नत डिप्लोमा पाठ्यक्रम भी प्रदान किए। इसके अतिरिक्त, विद्यार्थियों में अंतर्राष्ट्रीय मेल-मिलाप तथा साकल्यवादी परिप्रेक्ष्य को मन में बैठाने हेतु विश्वविद्यालय ने अपनी दाखिला नीति में प्रत्येक अध्ययन कार्यक्रम में विदेशी नागरिकों के लिए 15 प्रतिशत का आरक्षण प्रदान किया था।

3.3.2.1 रिक्त पड़ी सीटें

अध्ययन के विभिन्न कार्यक्रमों में दाखिले हेतु उम्मीदवारों का चयन वंचन अंकों³ को मिलाने के पश्चात तथा लिखित परीक्षा एवं मौखिक (जहाँ कई निधारित हो) के उनके निष्पादन पर आधारित है। विदेशी नागरिकों के मामले में जो भारत में उपस्थित है उनको प्रवेश परीक्षा में उपस्थित होना अपेक्षित है जबकि उन मामलों में जहाँ विदेशी नागरिक, प्रवेश परीक्षा के समय, भारत से बाहर है उनको “अनुपस्थिति श्रेणी” के अंतर्गत माना जाएगा।

शिक्षा वर्ष 2005-06 से 2009-10 के दौरान आवेदन करने, उपस्थित होने एवं प्रस्तावित दाखिला वाले छात्रों की संख्या की तुलना में छात्रों के नामांकन के आंकड़े तालिका-1 में दिए गए हैं।

³ कश्मीरी प्रवासियों, रक्षा कार्मिकों की विधवाओं, महिला उम्मीदवारों तथा पिछड़े क्षेत्रों के उम्मीदवारों आदि जैसी कुछ विशिष्ट वंचित श्रेणियों के उम्मीदवारों को अधिकतम 10 अंक दिए गए हैं।

तालिका -1

शिक्षा वर्ष	छात्रों की संख्या					
	संस्वीकृत सीटें	आवेदन किया	उपस्थित होने वाले	प्रस्तावित	भर्तों	रिक्त सीटों की संख्या (उपलब्ध सीटों के प्रति प्रतिशतता)
2005-06	1620	75107	61012	2063	1516	104 (6.42)
2006-07	1659	78132	63139	2142	1580	79(4.76)
2007-08	1704	83491	64507	2237	1574	130(7.63)
2008-09	1963	82226	64144	2268	1619	344(17.52)
2009-10	2175	87393	67105	2467	1816	359(16.51)
योग	9121	406349	319907	11177	8105	1016

जैसा कि उपरोक्त तालिका से देखा गया है कि इस तथ्य कि विश्वविद्यालय प्रत्येक वर्ष दाखिले की माँग करने वाले उम्मीदवारों की संख्या में किसी कमी का सामना नहीं कर रहा था, के बावजूद रिक्त सीटों का वर्ष 2006-07 में 79 से वर्ष 2009-10 में 359 तक बढ़ना जारी रहा।

उपरोक्त में से, विदेशी नागरिकों के संबंध में उपलब्ध सीटों, प्रस्तावित सीटों, भर्तों किए छात्रों की संख्या तथा रिक्त रही सीटों की स्थिति नीचे तालिका 2 में दी गई है।

तालिका-2

शिक्षा वर्ष	विदेशी विद्यार्थियों की उपलब्ध सीटें	विदेशी विद्यार्थियों की संख्या जिन्हें दाखिला प्रस्तावित किया गया था	भर्तों विदेशी विद्यार्थियों की संख्या	रिक्त सीटों की संख्या (उपलब्ध सीटों के प्रति प्रतिशतता)
2005-06	211	181	103	108 (51)
2006-07	216	207	109	107 (50)
2007-08	222	253	101	121 (54)
2008-09	256	218	107	149 (58)
2009-10	284	177	110	174 (61)

विदेशी नागरिकों के दाखिले के संबंध में रिक्त सीटों की प्रतिशतता अधिक थी क्योंकि यह 50 से 61 प्रतिशत के बीच रही।

पूर्ण रूप से रिक्त सीटों हेतु मुख्य कारण विश्वविद्यालय की दाखिला नीति थी जिसके अनुसार इस आपत्ति, कि यदि निधारित अंतिम तिथि तक अध्ययन के किसी कार्यक्रम में अंतर्ग्रहण 50 प्रतिशत से कम होता है तो दूसरी सूची जारी की जाएगी, के साथ चयनित उम्मीदवारों की केवल एक सूची को ही जारी किया जाना था। इस शर्त को किसी भी वर्ष में पूरा नहीं किया गया था तथा विश्वविद्यालय ने दूसरी सूची जारी नहीं की थी जिसका परिणाम सभी वर्षों के दौरान उम्मीदवारों की उपलब्धता के बावजूद सीटों के रिक्त रहने में हुआ। इसके अतिरिक्त, विश्वविद्यालय अपनी दाखिला नीति को

संशोधित करके विदेशी नागरिकों हेतु उपलब्ध रिक्त सीटों के प्रति भारतीय उम्मीदवारों को दाखिल कर सकता था।

छ: पाठ्यक्रमों में जिनका ब्यौरा **अनुबंध-1** में दिया है, पाठ्यक्रमों में दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या 2005-06 से 2009-10 के किसी भी शिक्षा वर्ष के दौरान उपलब्ध सीट या तो शून्य या फिर 50 प्रतिशत से कम/बराबर थीं। विश्वविद्यालय ने न तो इन सीटों को भरने हेतु कोई प्रयास किए और न ही अंतर्ग्रहण क्षमता को बढ़ाने अथवा कम करने हेतु संबंधित पाठ्यक्रमों की आवश्यकताओं का पुनःनिर्धारण किया।

लेखापरीक्षा ने प्रकट किया कि कुल ₹ 24.06 करोड़ की सीमा तक विश्वविद्यालय के सार्थक संसाधन, विभिन्न पाठ्यक्रमों में 1016 रिक्त सीटों के कारण कई वर्षों से अप्रयुक्त गए जिसका पूर्णरूप से उपयोग किया जा सकता था परन्तु प्रवेश नीति के कारण नहीं हो सका।

विश्वविद्यालय ने बताया (जुलाई 2011) कि जहां प्रत्येक विषय में दाखिले के प्रस्ताव अंतर्ग्रहण क्षमता से अधिक होते तो सीटों को भरने हेतु वह अंतग्रहण का अनुसरण करता है तथा संप्रव्यय प्रस्तुत करता है। इसी प्रकार, विदेशी नागरिकों के संवर्ग के अंतर्गत कई सीटें उपयुक्त विदेशी नागरिक उम्मीदवारों की गैर-उपलब्धता के कारण भरी नहीं गई हैं। तथापि लेखापरीक्षा की अनुशंसाओं को ध्यान में रखते हुए यह अगले वर्ष दाखिला नीति की समीक्षा के समय मामला उपयुक्त निकायों के साथ उठाएगा।

अनुशंसाएं

- विश्वविद्यालय अपनी दाखिला नीति की समीक्षा करे तथा दूसरी सूची जारी करने के संबंध में प्रतिबंधक धारा को हटाने पर विचार करे। विदेशी नागरिकों की रिक्त सीटों को घरेलू उम्मीदवारों द्वारा भरने पर विचार करे।
- अंतर्ग्रहण क्षमता को बढ़ाने/कम करने हेतु पिछले अनुभव के आधार पर विभिन्न पाठ्यक्रमों का नियमित रूप से आवधिक निर्धारण किए जाने की आवश्यकता है।

3.3.2.2 विद्यार्थियों की विफलता/अलग होना

शिक्षा वर्ष 2005-06 से 2009-10 के दौरान, विभिन्न पाठ्यक्रमों (पी.एच.डी. तथा एम.फिल. पाठ्यक्रम जिनके लिए डाटा उपलब्ध नहीं था, के अलावा) में दाखिल किए गए विद्यार्थियों की संख्या की तुलना में उत्तीर्ण तथा विफल/अलग हुए विद्यार्थियों की संख्या का वर्षवार डाटा नीचे तालिका 3 में दिया गया है।

तालिका-3

वर्ष (जिसमें पाठ्यक्रम समाप्त हुआ था)	बी.ए.(आनर्स)				एम.ए./ एम.एस.सी. /एम.सी.ए.			
	दाखिला* किए विद्यार्थियों की संख्या	उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों की संख्या	अलग हुए/विफल विद्यार्थियों की संख्या	दाखिला किए विद्यार्थियों के प्रति अलग हुए/विफल विद्यार्थियों की प्रतिशतता	दाखिला किए विद्यार्थियों की संख्या	उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों की संख्या	अलग हुए/विफल विद्यार्थियों की संख्या	दाखिला किए विद्यार्थियों के प्रति अलग हुए/विफल विद्यार्थियों की प्रतिशतता
2005-06	256	134	122	48	787	645	142	18
2006-07	273	168	105	38	823	647	176	21
2007-08	256	165	91	36	840	652	188	22
2008-09	263	170	93	35	779	612	167	21
2009-10	260	157	103	40	848	682	166	20

* दाखिला किए गए विद्यार्थियों की संख्या पाठ्यक्रम के वर्ष के आरम्भ में संबंधित पाठ्यक्रमों हेतु दाखिला किए गए विद्यार्थियों की संख्या को दर्शाता है।

नामांकित विद्यार्थियों की संख्या के प्रति बी.ए.(आनर्स) पाठ्यक्रमों में अलग हुए/विफल विद्यार्थियों की प्रतिशतता 35 से 48 के बीच थी जबकि एम.ए./एम.एस.सी./एम.सी.ए. पाठ्यक्रमों में यह 18 से 22 के बीच थी।

लेखापरीक्षा संवीक्षा ने प्रकट किया कि पाँच स्नातकपूर्व पाठ्यक्रमों⁴ में, पहले वर्ष के दौरान नामांकन की तुलना में अलग हुए विद्यार्थियों की प्रतिशतता 19 से 64 प्रतिशत के बीच थी तथा चार केन्द्रों⁵ में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के संबंध में यह 15 से 82 प्रतिशत के बीच थी। इसने संबंधित केन्द्रों के खराब निष्पादन को दर्शाया। विद्यालयों द्वारा किया गया अलग होने/विफल होने के कारणों का कोई विश्लेषण अभिलेख में नहीं पाया गया था।

विश्वविद्यालय ने उत्तर दिया (जुलाई 2011) कि कुछ छात्र देश के भीतर अथवा बाहर उपलब्ध नौकरियों अथवा अवसर हेतु पाठ्यक्रम को छोड़ने की ओर अभिमुख हैं। तथापि, छात्रों को अलग करने को कम करने हेतु सभी संभव प्रयास करना प्रक्रिया में है।

⁴ (i) अरबी एवं अफ्रीकी अध्ययनों, (ii) रशियन अध्ययनों, (iii) स्पेन, पुर्तगाल, इटली तथा लेटिन अमेरिका अध्ययनों, (iv) जापानी तथा (v) चीन एवं दक्षिण पूर्वी एशिया अध्ययनों में बी.ए.(आनर्स)

⁵ (i) जर्मन अध्ययन केन्द्र, (ii) स्पेन, पुर्तगाल, इटली एवं लेटिन अमेरिका अध्ययन केन्द्र, स्पेन (iii) जापानी, कोरिया एवं उत्तर पूर्वी एशियाई अध्ययन केन्द्र - जापानी तथा (iv) जापानी, कोरिया एवं उत्तर पूर्वी एशियाई अध्ययन केन्द्र - कोरियान

3.3.3 दाखिले में अन्य पिछड़े वर्गों (अ.पि.व.) के आरक्षण का कार्यान्वयन

मंत्रालय ने केन्द्रीय शैक्षणिक संस्थान (दाखिले में आरक्षण) अधिनियम 2006 के अनुसार अन्य पिछड़े वर्गों (अ.पि.व.) हेतु दाखिले में 27 प्रतिशत आरक्षण को कार्यान्वित करने हेतु सभी विश्वविद्यालयों को निर्देश जारी किए (अप्रैल 2008)। बढ़ाई गई सीटों की संख्या तथा उपरोक्त नीति के अनुसरण में दाखिल किए विद्यार्थियों के विवरण नीचे तालिका 4 में दिए गए हैं।

तालिका -4

शिक्षा वर्ष	अ.पि.व. हेतु आरक्षण में प्रतिशतता	अ.पि.व. श्रेणी हेतु बढ़ाई गई सीटों की संख्या	बढ़ाई गई सीटों के प्रति दाखिल किए अ.पि.व. श्रेणी के छात्र	श्रेणी के अंतर्गत उपलब्ध कुल सीटों के प्रति दाखिला किए विद्यार्थियों की प्रतिशतता
2008-09	12	256	173	68.58
2009-10	18	397	256	64.48
2010-11	27	687	349	50.80

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि किसी भी उपरोक्त वर्ष के दौरान दाखिला क्षमता का पूर्ण रूप से उपयोग नहीं किया जा सका तथा दाखिले की प्रतिशतता 2008-09 में 69 से वर्ष 2010-11 में 51 तक धीरे-धीरे कम हुई।

विश्वविद्यालय में अ.पि.व. आरक्षण के कार्यान्वयन से संबंधित अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से यह भी प्रकट हुआ कि वि.अ.आ. ने अ.पि.व. आरक्षण योजना के अंतर्गत 280 शिक्षण पद संस्वीकृत किए (जुलाई 2008) जिनमें से 95 पद पहले वर्ष के लिए स्वीकृत किए गए थे। अगस्त 2010 तक विश्वविद्यालय इसमें से केवल पांच पदों को ही भर सका।

विश्वविद्यालय ने उत्तर दिया (जुलाई 2011) कि शिक्षणों की नियुक्ति में विलम्ब वि.अ.आ. द्वारा विश्वविद्यालयों में शिक्षण एवं अन्य शैक्षिक स्टाफ की नियुक्ति हेतु न्यूनतम योग्यताओं पर विनियमों को अंतिम रूप देने में विलम्ब के कारण था। तथापि, विश्वविद्यालय ने मार्च 2012 तक इन पदों को भरने का आश्वासन दिया।

3.3.4 अवसंरचनात्मक विकास

भारत सरकार ने, विश्वविद्यालय भवनों, छात्रावासों तथा आवासीय क्वाटरों को मिलाकर उसके परिसर के विकास हेतु विश्वविद्यालय को वर्ष 1970 में 1009.38 एकड़ भूमि आबंटित की। उपयुक्त में से मास्टर प्लान के अंतर्गत, 635.52 एकड़ भूमि सांस्थानिक क्षेत्र के रूप में चिह्नित थी, 96 एकड़ भूमि खेल-मैदान सहित हरित क्षेत्र की थी तथा शेष में चट्टाने थीं जहाँ विकास का कार्य करना संभव नहीं था।

अवसंरचनात्मक विकास अर्थात् नए भवनों, परिसर विकास, छात्रावासों के उन्नयन, ई-गवर्नेंस आदि के निर्माण के उद्देश्य हेतु वि.अ.आ. ने X योजना तथा XI योजना अवधि⁶ के अंतर्गत विश्वविद्यालय को योजनागत अनुदान जारी किए। वर्ष 2005-06 से 2009-10 के दौरान प्राप्त किए गए अनुदान तथा किए गए व्यय का ब्यौरा नीचे तालिका-5 में दिया गया है:-

तालिका -5

वर्ष	प्राप्त अनुदान	किया गया व्यय	बचत	(₹ करोड़ में)
2005-06	11.39	4.38	7.01	
2006-07	45.69	45.69	0.00	
2007-08	26.33	19.02	7.31	
2008-09	96.56*	54.99*	41.57	
2009-10	123.16*	85.39*	37.77	
Total	303.13	209.47	93.66	
कुल अनुदान से अप्रयुक्त अनुदान की प्रतिशतता			30.89	

*अ.प.व. के आंकड़े भी शामिल हैं।

उपर्युक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि विश्वविद्यालय ने रिपोर्ट अवधि के दौरान अवसंरचना अनुदान के 31 प्रतिशत का उपयोग नहीं किया। इस प्रकार अनुदानों में बचत धीरे-धीरे वर्ष 2005-06 में ₹ 7.01 करोड़ बढ़कर 2008-09 के दौरान ₹ 41.57 करोड़ हो गई।

लेखापरीक्षा के दौरान अवसंरचना विकास में पाई गई कमियों की नीचे पैराग्राफों में चर्चा की गई है:

3.3.4.1 अ.पि.व. अनुदान का कम उपयोग होना

2008-09 तथा 2009-10 वर्षों के दौरान अ.पि.व. आरक्षण के कार्यान्वयन हेतु प्राप्त 88.57 करोड़ के कुल अनुदान में से विश्वविद्यालय केवल ₹ 69.43 करोड़ का उपयोग कर सका। लेखापरीक्षा ने पाया कि अनुदान का कम उपयोग संकाय की भर्ती न होने के कारण, आधारभूत सुविधाओं के विकास में विलम्ब से हुआ।

3.3.4.2 ₹ 2.02 करोड़ राशि की निधियों का अवरोधन

मैसर्स राइट्स लि. के साथ किए समझौते (अगस्त 2006) के अनुसार विश्वविद्यालय ने निविदा प्रक्रिया तथा निर्माण कार्य सौंपने की कार्यवाही आरम्भ करने के लिए पहली किश्त के प्रति निर्माण कार्य की अनुमानित लागत का 33.33 प्रतिशत जारी करना था दो निर्माण कार्यों के संबंध में लेखापरीक्षा ने पाया कि एक निर्माण कार्य में 56 प्रतिशत तथा दूसरे में 33 प्रतिशत निधियां जारी करने के बावजूद तथा दो से चार वर्षों से अधिक समय बीतने के बाद भी, सितम्बर 2010 तक भी निर्माण कार्य अभी आरम्भ किया जाना था जैसा कि नीचे तालिका-6 में दिया गया है।

⁶ X वीं योजना - 2002-07, XI वीं योजना 2007-12

तालिका-6

(₹ लाख में)

क्र.सं.	निर्माण कार्य का नाम	निर्माण कार्य की लागत	जारी की गई निधियां	निधियां जारी करने की तिथि
1	विद्यार्थी सांस्कृतिक केन्द्र	134.00	75.00	21 सितम्बर 2006
2	यू.एस.आई.सी. भवन का निर्माण	383.00	126.65	6 नवम्बर 2008
	जोड़	517.00	201.65	

लेखापरीक्षा ने पाया कि यू.एस.आई.सी. के नए भवन का शिलान्यास जून 2009 में हुआ था। तथापि, विश्वविद्यालय ने अगस्त 2009 में, मै. राइट्स लि. को उक्त कार्य फिलहाल आरम्भ न करने के लिए आदेश जारी किए। उसके पश्चात् कार्य को आरम्भ करने के लिए न तो अभी तक कोई आदेश जारी किए गए और न ही निर्माणकार्य को रोकने के लिए किन्हीं कारणों का उल्लेख रिकार्ड में पाया गया। विद्यार्थी सांस्कृतिक केन्द्र, के निर्माण कार्य के संबंध में यद्यपि विश्वविद्यालय ने 33.33 प्रतिशत के समझौते के प्रति निर्माण कार्य की लागत का 56 प्रतिशत जारी कर दिया, तथापि मै. राट्स लि. ने शिलान्यास करने के पश्चात विश्वविद्यालय को भवन के रास्ते में एक घाटी आने के कारण दूसरे स्थान को ढूढ़ने का अनुरोध किया (अक्तूबर 2007)। तथापि, आगे कोई प्रगति नहीं देखी गई क्योंकि विश्वविद्यालय ने अभी तक इस मामले पर कोई निर्णय नहीं लिया है। अतः विश्वविद्यालय द्वारा दोनों निर्माण कार्यों में निर्णय न लेने के परिणामस्वरूप दो से चार वर्षों तक ₹ 2.02 करोड़ की निधियों का अवरोधन हुआ। विश्वविद्यालय को दोनों निर्माण कार्यों के संबंध में शीघ्र निर्णय लेना चाहिए।

विश्वविद्यालय ने बताया (जुलाई 2011) कि निधियों का कोई अवरोधन नहीं था तथा उपरोक्त कार्यों हेतु मैसर्स राईट्स लिमिटेड को जारी अग्रिमों का अन्य चल रहे कार्यों के लिए उपयोग किया जा रहा था। उत्तर स्वीकार करने योग्य नहीं है क्योंकि अन्य चल रहे निर्माण कार्यों को अग्रिमों के अंतरण का निर्णय सितम्बर 2010 अर्थात् दो से चार वर्षों के विलम्ब के पश्चात लिया गया था।

3.3.4.3 विभिन्न संस्थाओं को भूमि का आवंटन

विश्वविद्यालय ने कुल उपलब्ध भूमि में से किराया लेकर अन्य संस्थाओं को 150 एकड़ भूमि आवंटित की है। अन्य संस्थाओं को आवंटित भूमि से संबंधित अभिलेखों की जाँच करने से प्रकट हुआ कि विश्वविद्यालय का इन ऐजेंसियों/संस्थाओं के साथ किए गए समझौते के अनुसार, विश्वविद्यालय ने उनको निःशुल्क/ ₹ 1.00 प्रति वर्ग फुट (अनुबंध-II में दिए गए ब्यौरे) की लागत पर भूमि दी थी जिसके कारण आनुपातिक किराए के आय की हानि हुई। पुनर्नेत्र्या समिति⁷ की सिफारिशों में (1992-93) एक सिफारिश यह

⁷ पुनर्नेत्र्या समिति की अनुशंसाओं की पैरा सं. 3.4.6 में विस्तृत रूप से चर्चा की गई है।

भी थी कि विश्वविद्यालय अपनी अवसंरचनात्मक सुविधाओं को किराए पर देकर आय अर्जित कर सकती है। विश्वविद्यालय स्वावलंबन की ओर एक उपाय के रूप में अपने संसाधन के संवर्धन को ध्यान में रखते हुए अन्य संस्थाओं को भूमि किराए पर देने की नीति की समीक्षा करनी चाहिए।

विश्वविद्यालय ने उत्तर दिया (जुलाई 2011) कि यह संस्थान भारत सरकार के स्वायत्त निकाय हैं तथा उन्होंने विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त भूमि पर भूमि विकास की पूँजीगत लागत तथा भवन निर्माण की लागत का व्यय किया। तथापि, विश्वविद्यालय ख्याल विश्वास की ओर एक कदम के रूप में संसाधन संवर्धन हेतु उपरोक्त उल्लेखित अनुशंसाओं की दृष्टि में नामात्र/मुफ्त में भूमि को किराए पर देने की अपनी नीति की समीक्षा करें।

3.3.4.4 उपकरणों के प्रतिस्थापन में विलम्ब

₹ 10 लाख तथा इससे अधिक की लागत वाले उपकरणों के अभिलेखों की जांच करने से प्रकट हुआ कि ₹ 22.60 करोड़ मूल्य के 30 उपकरण 3 माह से 23 माह तक के विलम्ब से प्रतिस्थापित किए गए थे (अनुबंध-III)। इसके अतिरिक्त, पर्यावरण विज्ञान विद्यालय के लिए जनवरी 2009 में ₹ 13.94 लाख की लागत पर प्राप्त किया गया एक उपकरण दिसम्बर 2010 तक प्रतिस्थापित किए बिना पड़ा रहा। उपकरणों के प्रतिस्थापन में विलम्ब करने से छात्र/संकाय शिक्षण तथा अनुसंधान क्रियाकलापों को कार्यान्वित करने से वंचित रहे। इसके अतिरिक्त, उपकरणों के प्रतिस्थापन में विलम्ब होने से विश्वविद्यालय पूरी वारंटी अवधि का लाभ भी नहीं उठा सका।

विश्वविद्यालय ने उत्तर दिया (जुलाई 2011) कि विद्यालय भविष्य में कम समय के भीतर उपकरणों के संस्थापन हेतु सभी सावधानियां बरतेंगे।

3.3.5 वित्तीय प्रबंधन

‘योजनागत’, ‘योजनेतर’ कार्यकलापों के लिए उसका वित्तपोषण मुख्यतः विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (वि.अ.आ.) से प्राप्त अनुदानों द्वारा होता है। वह विभिन्न निधियन एजेंसियों से प्रायोजित अनुसंधान परियोजनाओं तथा छात्रों को छात्रवृत्ति देने के लिए चिह्नित निधियां भी प्राप्त करता है। इसके अतिरिक्त, वह छात्रों से शुल्क वसूल करके निवेशों पर ब्याज आदि के द्वारा भी अपनी आय अर्जित करता है। विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त वित्तीय सहायता तथा “योजनागत”, ‘योजनेतर,’ चिह्नित दान निधि तथा प्रायोजित परियोजनाओं/छात्रवृत्तियाँ शीर्षों के अंतर्गत उस के उपयोग के ब्यौरे नीचे तालिका 7 में दिए गए हैं।

तालिका -7

(₹ करोड़ में)

योजनागत					
वर्ष	प्राप्त अनुदान	आंतरिक प्राप्तियां	कुल	उपयोग की गई राशि/कुल प्राप्त निधियों से प्रतिशतता	बचत (+)/ आधिक्य (-)
2005-06	11.39	-	11.39	4.38(38)	7.01
2006-07	45.69	-	45.69	45.70	(-)0.01
2007-08	26.33	-	26.33	19.02(72)	7.31
2008-09	96.56*	-	96.56	54.99(57)	41.57
2009-10	123.16**	-	123.16	85.39(69)	37.77
गैर योजनागत					
2005-06	95.05	5.50	100.55	93.03(93)	7.52
2006-07	81.05	3.83	84.88	94.43	(-)9.55
2007-08	109.25	4.50	113.75	108.78(96)	4.97
2008-09	117.36	4.09	121.45	118.76(98)	2.69
2009-10	194.83	2.88	197.71	194.03(98)	3.68
चिन्हित/दान निधियां					
2005-06	14.18#	-	14.18	9.36(66)	4.82
2006-07	4.41	3.75	8.16	5.52(68)	2.64
2007-08	23.58	7.94	31.52	17.03(54)	14.49
2008-09	28.99	17.68	46.67	31.50(67)	15.17
2009-10	16.79	6.42	23.21	16.44(71)	6.77
प्रायोजित परियोजनाएं/छात्रवृत्ति					
2005-06	20.18#	-	20.18	18.38(91)	1.80
2006-07	20.55	1.77	22.32	12.42(56)	9.90
2007-08	32.06	2.93	34.99	18.55(53)	16.44
2008-09	35.68	5.10	40.78	26.61(65)	14.17
2009-10	37.48	5.30	42.78	38.28(89)	4.50

आंतरिक प्राप्तियों शामिल है।

* अ.पि.व. के लिए अनुदान के ₹ 48.57 करोड़ शामिल हैं।

** अ.पि.व. के लिए अनुदान के ₹ 40.00 करोड़ शामिल हैं।

उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से प्रकट होता है कि विश्वविद्यालय ने वर्ष 2006-07 में ही योजनागत शीर्ष के अंतर्गत अपनी समस्त निधियों का उपयोग किया जबकि शेष वर्षों में वह कुल प्राप्तियों का केवल 38 से 72 प्रतिशत का ही उपयोग कर सका।

उसी प्रकार, विश्वविद्यालय रिपोर्ट के अधीन किसी भी वर्ष में चिन्हित/दान निधियों का पूर्णतः उपयोग नहीं कर सका इस लिए इन निधियों का उपयोग केवल 54 से 71 प्रतिशत के बीच रहा। प्रायोजित परियोजनाओं/छात्रवृत्तियों में प्रत्येक वर्ष में बचत थी क्योंकि विश्वविद्यालय पुनरीक्षण अवधि के दौरान प्राप्तियों का केवल 53 से 91 प्रतिशत का ही उपयोग कर सका।

3.3.5.1 आंतरिक संसाधनों का अपर्याप्त संग्रहण

पुन्नैया समिति ने अपनी 1992-93 की रिपोर्ट में अनुशंसा की कि विश्वविद्यालयों/शैक्षिक संस्थाओं को सरकार/वि.आ. से निधियां प्राप्त करने के क्रम में आंतरिक स्रोत उत्पन्न करने चाहिए। आंतरिक स्रोत समयानुसार इतनी मात्रा में हो कि यह पांच वर्षों के अंत तक कुल आवर्ती व्यय का कम से 15 प्रतिशत तथा 10 वर्षों के अंत में कम से कम 25 प्रतिशत बनना चाहिए। लेखापरीक्षा संवीक्षा से प्रकट हुआ कि इस अनुशासित आंकड़े के प्रति तथा 15 वर्ष बीतने के पश्चात भी विश्वविद्यालय, रिपोर्ट अवधि के दौरान अपने वार्षिक आवर्ती व्यय का केवल 1.49 से 5.91 प्रतिशत तक ही आंतरिक स्रोत उत्पन्न करने में समर्थ था। आंतरिक स्रोतों के अपर्याप्त उत्पन्न करने के मामले के संबंध में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक-संघ सरकार (सिविल) के वर्ष 2003 के पिछले प्रतिवेदन सं. 4 में इंगित किया गया था। आंतरिक स्रोतों का कम उपार्जन निम्नलिखित के कारण था।

(क) शिक्षा तथा अन्य शुल्कों का संशोधन न होना

पुन्नैया समिति ने अनुशंसा की थी कि स्फीति की दर को ध्यान में रखते हुए शिक्षा शुल्क को तत्काल बढ़ाया जाए तथा इसे आवाधिक रूप से समायोजित किया जाए। वैसे ही, उसने पुस्तकालय तथा प्रयोगशाला शुल्क को बढ़ाने की भी अनुशंसा की थी।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से प्रकट हुआ कि विश्वविद्यालय ने पुन्नैया समिति की रिपोर्ट (1992-93) से ही शिक्षा शुल्क तथा अन्य प्रकार के शुल्कों में संशोधन नहीं किया था। ज.ने.वि. द्वारा वर्तमान में प्रभारित किए गए शिक्षा शुल्क, भा.प्रौ.सं. दिल्ली द्वारा प्रभारित किए गए शिक्षा शुल्क के साथ तुलना करने पर शुल्क-विवरण में भारी अंतर दर्शाएगा जैसाकि निम्न तालिका 8 में दिखाया गया है।

तालिका -8

(राशि ₹ में)

पाठ्यक्रम	ज.ने.वि. की शिक्षा शुल्क (प्रति छात्र प्रति वर्ष)	भा.प्रौ.सं. का शिक्षा शुल्क (प्रति छात्र प्रति वर्ष)
एम.एस.सी.	216	5000
फी.एच.डी.	240	5000

इससे विश्वविद्यालय पर अदेय वित्तीय भार हो गया क्योंकि उपर्युक्त दरें स्थिर रही हैं जबकि विश्वविद्यालय द्वारा वहन की गई इन सेवाओं की इनपुट लागत वर्ष 2005-06 में ₹ 93.03 करोड़ से वर्ष 2009-10 में ₹194.03 करोड़ तक कई बार बढ़ी है।

(ख) छात्रावास शुल्क का संशोधन न होना

उसी प्रकार, पुन्नैया समिति (1992-93) ने, सभी वास्तविक आवर्ती लागत तथा यथासमय पूँजीगत लागत के एक भाग पूरा करने के लिए तत्काल छात्रावास शुल्क में संशोधन करने की अनुशंसा की थी। जुलाई 2001 के छात्रावास मैनुअल के अनुसार

प्रतिवर्ष छात्रावास शुल्क दो सीट के लिए ₹ 120/एक सीट के लिए ₹240 उद्धृत किया गया था जो उस तिथि तक वही रहा।

लेखापरीक्षा जाँच से प्रकट हुआ कि विश्वविद्यालय पूँजी लागत को तो अलग छोड़िए छात्रावासों की आवर्ती लागत की भी वसूली नहीं कर रहा था। वर्ष 2005-09 से 2009-10 की अवधि के दौरान विश्वविद्यालय ने छात्रावासों की आवर्ती लागत पर ₹ 1.23 करोड़ रुपये किये थे जिसके प्रति छात्रावास फीस केवल ₹ 46 लाख वसूली गई थी जो 38 प्रतिशत बनती थी। इससे विश्वविद्यालय पर अवांछित वित्तीय भार बढ़ा। इस संबंध में पुनर्निया की अनुशंसाओं का कार्यान्वयन नहीं किए जाने के कारणों को समिति अभिलेखों में कहीं जिक्र नहीं था।

विश्वविद्यालय ने उत्तर दिया (जुलाई 2011) कि इसने प्रवास प्रमाणपत्र, अंकपत्र, डिग्री की अनुलिपि आदि को जारी करने के लिए शुल्कों का संशोधन किया था। तथापि, ट्यूशन शुल्क, छात्रावास शुल्क के संशोधन के संबंध में विश्वविद्यालय ने कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया था।

(ग) अनुरक्षण अनुदान के उपयोग में मानकों का पालन न करना

पुनर्निया समिति की अनुशंसाओं में से एक यह था कि शिक्षण एवं अनुसंधान की लागत पूरे व्यय की 60-65 प्रतिशत होनी चाहिए जबकि प्रशासन एवं सहायक सेवाओं की लागत क्रमशः पूरे व्यय के 10-12 प्रतिशत तथा 20-25 प्रतिशत के बीच में होनी चाहिए। तथापि यह देखा गया कि उपरोक्त अनुशंसाओं के उल्लंघन में विश्वविद्यालय कुल व्यय का केवल 35.49 प्रतिशत ही शिक्षण एवं अनुसंधान पर व्यय कर रहा था जबकि अधिकतम लागत, जो कुल व्यय का 45.27 प्रतिशत बनता था को सहायक सेवाओं पर व्यय किया जा रहा था जिसका अधिकांश भाग विभिन्न व्यय तथा अन्य स्टाफ संबंधी व्यय था।

शिक्षण एवं अनुसंधान कार्यकलापों पर कम व्यय का मुख्य कारण 33 प्रतिशत रिक्त निकाय पदों के न भरने के कारण था जिसे आगामी पैरा न. 3.6.1 में वर्जित किया गया है।

मंत्रालय ने, बाद में, फरवरी 2011 में पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के अपने उत्तर में सूचित किया कि वि.अ.आ. के साथ-साथ विश्वविद्यालय ने आन्तरिक स्रोतों के संग्रहण संबंधी विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के लिए एक समिति का गठन किया गया था। विलम्बित कार्रवाई किए जाने से पुनर्निया समिति की अनुशंसाएं निष्फल रही क्योंकि पिछले 15 वर्षों की अवधि में भी आन्तरिक स्रोतों को वांछित स्तर तक सृजित नहीं किया जा सका।

अनुशंसा

- विश्वविद्यालय को पुनर्निया समिति की अनुशंसाओं के अनुसार अपने आन्तरिक स्रोतों को बढ़ाने के लिए उचित कदम उठाने चाहिए।

3.3.5.2 अ.पि.व. अनुदान राशि ₹ 6.29 करोड़ का विपथन

वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन के नियम 10 (6)(घ) जो विनियोजन एवं पुनर्विनियोजन पर प्रतिबंध से संबंधित है, में निर्धारित था कि वित्त मंत्रालय की पूर्व स्वीकृति के बिना राजस्व एवं पूंजी दोनों ही शीर्षों में 'योजनागत' शीर्ष से योजनेतर शीर्ष में कोई पुनर्विनियोग नहीं होगा।

तथापि, उपरोक्त प्रावधानों के उल्लंघन में, विश्वविद्यालय ने अप्रैल से दिसम्बर 2009 की अवधि के लिए विद्युत एवं जल प्रभारों की कुल राशि ₹ 6.29 करोड़ को अ.पि.व. आवर्ती अनुदान (योजनागत शीर्ष के अन्तर्गत निर्गमित) पर प्रभारित किया (दिसम्बर 2009) जबकि इसे विश्वविद्यालय को प्राप्त होने वाली "योजनेतर" अनुदान पर प्रभारित करना था। इसके परिणामस्वरूप ओ.बी.सी. योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु योजनागत 'योजनेतर' शीर्ष के अन्तर्गत विश्वविद्यालय के खर्चों में निधियों का विपथन हुआ जिससे ₹ 6.29 करोड़ का अनियमित व्यय हुआ।

विश्वविद्यालय ने उत्तर दिया (जुलाई 2011) कि संसाधन की कमी को पूरा करने की दृष्टि से वि.अ.आ. ने संप्रेषित किया (मार्च 2011) कि गैर- वेतन संघटकों के 30 प्रतिशत की सीमा तक के व्यय को ओ.बी.सी. अनुदान में से अदा किया जा सकता है। विश्वविद्यालय का उत्तर स्वीकार करने योग्य नहीं है क्योंकि विश्वविद्यालय ने दिसम्बर 2009 में अर्थात् वि.अ.आ. के उपरोक्तित स्पष्टीकरण की प्राप्ति से पहले निधियों के इस विपथन का प्रयोग किया था तथा इसके अतिरिक्त, 'योजनागत' अनुदान से 'योजनेतर' अनुदान के ऐसे विपथन को केवल वित्त मंत्रालय की पूर्व अनुमति के साथ ही किया जा सकता है।

3.3.5.3 मान्यता प्राप्त संस्थानों से फीस की कम वसूली

विश्वविद्यालय ने देश में 13 अनुसंधान संस्थानों तथा 7 रक्षा संस्थानों को मान्यता प्रदान की थी। विश्वविद्यालय ने निर्णय लिया (जुलाई 1997) कि स्नातकोत्तर तथा डाक्टरेट की उपाधि प्रदान करने वाली संस्थाओं से एक मुश्त मान्यता फीस तथा वार्षिक संबंधक फीस क्रमशः ₹ 10 लाख तथा ₹ 20 लाख लिए जाएंगे और स्नातक पूर्व पाठ्यक्रम प्रदान करने वाले संस्थानों के संबंध में यह राशि क्रमशः ₹ 15 लाख तथा ₹ 1 लाख होंगी तथा संबंधित पाठ्यक्रमों के लिए एक मुश्त पंजीकरण शुल्क ₹ 5000/₹ 3000/ ₹ 2000/₹ 1000 प्रति छात्र होगा। इसके अतिरिक्त, विश्वविद्यालय द्वारा प्रति छात्र ₹ 100 एक मुश्त प्रवेश शुल्क तथा ₹ 15/- नामांकन शुल्क भी प्रभारित किया जाना था।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि 1997-98 से 2009-2010 की अवधि से संबंधित चार⁸ संस्थाओं से मान्यता एवं संबंधक शुल्क के रूप में ₹ 73.00 लाख तथा 10

⁸ (i) सेन्टर फार सेल्यूलर एन्ड मालेक्यूर बायलोजी, हैंदराबाद- ₹ 8 लाख

(ii) सेन्टर फार डेवलेपमेन्टल स्टडीज, त्रिवेन्द्रम- ₹ 25 लाख

(iii) न्यूलीयर साइंस सेन्टर- ₹ 36 लाख (iv) नेशनल डिफेन्स अकादमी, पुणे- ₹ 4 लाख

संस्थाओं से एक मुश्त पंजीयन शुल्क ₹ 46.19 लाख (911 छात्रों से ₹ 45.50 लाख) तथा नामांकन प्रभारों को शामिल करते हुए प्रवेश शुल्क (618 छात्रों से ₹ 0.69 लाख) विश्वविद्यालय द्वारा अभी वसूल करना शेष था। विश्वविद्यालय ने उत्तर दिया (जुलाई 2011) कि उपरोक्त संस्थाओं को शेष देयताओं के भुगतान के लिए पत्र भेजे गए थे।

3.3.5.4 संसाधन संग्रहण के लिए प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत समतुल्य अनुदान ₹ 2.50 करोड़ की प्राप्ति न होना

Xवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान वि.अ.आ. ने ‘संसाधन संग्रहण के लिए प्रोत्साहन’ शीर्षक से एक योजना प्रारम्भ की थी जिसका उद्देश्य समाज की सहभागिता/योगदान द्वारा उनके विकास में संसाधनों का संग्रहण करने हेतु विश्वविद्यालयों को प्रोत्साहित करना था तथा ऐसे विश्वविद्यालयों को प्रोत्साहन दिया जाना था। इस योजना के अन्तर्गत, वि.अ.आ. को विश्वविद्यालय द्वारा उत्पादित राजस्व⁹ के 25 प्रतिशत तक सहयोग का प्रावधान करना था, इस शर्त के साथ कि प्रति वर्ष एक अधिकतम राशि ₹ 25 लाख (दसवीं योजना में) तथा ₹ 50 लाख (ग्यारहवीं योजना में) होगी।

विश्वविद्यालय को पिछले वित्तीय वर्ष में बाह्य स्रोतों से अर्जित निधियों के लिए समतुल्य अनुदान लाभ प्राप्त करने के लिए आगामी वर्ष में 30 सितम्बर तक निर्धारित प्रपत्र में दावा प्रस्तुत करना था। वि.अ.आ. संबंधित अभिलेखों की जांच के बाद प्रस्ताव को अनुमोदित करेगा तथा अनुमत्य अनुदान को निर्गमित करेगा। लेखापरीक्षा ने पाया कि विश्वविद्यालय ने, वर्ष 2003-04, 2004-05 तथा 2005-06 में क्रमशः ₹ 3.10 करोड़, ₹ 4.25 करोड़ एवं ₹ 5.31 करोड़ बाह्य स्रोतों से निधि अर्जित की थी। जबकि, इसने दावा, देरी से फरवरी/मार्च 2007 में प्रस्तुत किया था। प्रत्युत्तर, में वि.अ.आ. ने विभिन्न शीर्षों में आंकड़ों के समाशोधन का न होना कार्पस फण्ड में अस्वीकार्य व्यय, कार्पस फण्ड के अनुरक्षण करने वाले बैंक को निर्दिष्ट न करना आदि कमियों को देखते हुए विश्वविद्यालय से अनुरोध किया (नवम्बर 2007) कि विश्वविद्यालय आंकड़ों का मिलान करें तथा दावों में पाई गई कमियों को सही करें। विश्वविद्यालय ने उक्त मुद्दे पर मार्च 2008 में स्पष्टीकरण दिया। लेखापरीक्षा ने पाया कि विश्वविद्यालय ने वि.अ.आ. से मार्च 2008 के बाद मामले को आगे नहीं बढ़ाया जिसके परिणामस्वरूप वि.अ.आ. ने आज तक (मार्च 2011) दावों पर विचार नहीं किया। आगे भी देखा गया विश्वविद्यालय ने चार वर्षों की आगामी अवधि 2006-07 से 2009-10 के लिए कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया था क्योंकि अभिलेखों में इस प्रकार के किसी दावे का उल्लेख नहीं था। इसके

⁹ बाह्य संसाधनों से पाया व्यक्तियों से/कन्सल्टेंसी, एलूमनी एशोसिएशन पब्लिक तथा पारिवारिक ट्रस्टों, इण्डस्ट्रियल/बिजनेस, कॉआपरेटिव प्रोफेसनल एशोसिएशन, यूनियन/एशोसिएशन आफ इम्प्लाइज, नगरपालिका/पंचायत, एम.पी./एम.एल.ए. काउन्सलरर्स फन्ड जिसमें डोनेशन शामिल हो, फेलोशिप/स्कालरशिप /चियर्स से प्राप्त धन राशि आदि

परिणामस्वरूप समतुल्य अनुदान जिसकी राशि ₹ 2.50 करोड़ थी, की वसूली नहीं की जा सकी थी।

विश्वविद्यालय ने उत्तर दिया (जुलाई 2011) कि लेखापरीक्षा की टिप्पणी को ध्यान में रखते हुए इसने समतुल्य अनुदान जारी करने के लिए वि.अ.आ. से अनुरोध किया (मार्च 2011)।

3.3.5.5 बचत बैंक खाते में भारी राशि रखे जाने से ₹ 1.39 करोड़ के ब्याज की हानि

विश्वविद्यालय, कार्पस निधि, एच.बी.ए. निधि तथा अकादमी विकास निधि के लिए तीन बचत बैंक खातों तथा इनसे प्राप्त अतिरिक्त निधियों को लघु अवधि जमा का अनुरक्षण कर रहा था। इन निधियों से प्राप्त ब्याज की आय का उपयोग भवनों के निर्माण एवं नवीनीकरण, उपकरणों की खरीद, किताबों एवं पत्रिकाओं की खरीद, छात्र/स्टाफ सुविधाओं, विस्तार कार्यकलापों तथा सेमिनार/कार्यशाला आदि का आयोजन एवं कार्मिकों के गृह निर्माण अग्रिम पर किया जाना था। कैश बुक की जाँच से पता चला कि अप्रैल 2005 से मार्च 2010 के दौरान ₹ 74.78 लाख से ₹ 10.53 करोड़ की राशि इन बचत खातों में पड़ी हुई थी। इन खातों से औसत मासिक व्यय शून्य से ₹ 9.6 लाख तक था। बड़ी राशि को बचत खाते में रखने की प्रणालीगत कमी के कारण, औसत निधि आवश्यकता से अधिक अतिरिक्त निधियों को वर्तमान ब्याज दर¹⁰ पर लघु अवधि जमा के रूप में निवेशित न करने के कारण ₹ 1.39 करोड़ के ब्याज की हानि हुई।

विश्वविद्यालय ने लेखापरीक्षा निष्कर्षों का स्वीकार किया तथा उत्तर दिया (जुलाई 2011) कि खाते में निष्क्रिय पड़ी निधियों से बचने के लिए नवम्बर 2009 से बैंक के साथ आटोस्वीप योजना का कार्यान्वयन कर दिया गया है।

3.3.6 मानव संसाधन प्रबंधन

3.3.6.1 अध्यापन स्टाफ की कमी

शिक्षण संस्थाओं में अकादमिक स्तर को बनाए रखने के लिए योग्य एवं अनुभवी संकाय की उपलब्धता एक प्राथमिक आवश्यकता है। अन्यथा इस संबंध में कमी शिक्षा के स्तर को विपरीत तरीके से प्रभावित कर सकती है। अध्यापन स्टाफ के संस्थीकृत पदों तथा तैनाती की 31 मार्च 2010 की स्थिति को तालिका-9 में नीचे दर्शाया गया है।

¹⁰ विश्वविद्यालय द्वारा लघु अवधि जमा पर ब्याज की दर- 2005-06-5.5 प्रतिशत, 2006-07-6.5 प्रतिशत, 2007-08-8.25 प्रतिशत, 2008-09-9.75 प्रतिशत तथा 2009-10-7 प्रतिशत

तालिका -9

पद	संस्वीकृत पद	तैनाती	रिक्त पद तथा संस्वीकृत पद से उनकी प्रतिशतता
आचार्य	165	101	64 (39)
सह आचार्य	287	195	92 (32)
सहायक आचार्य	271	189	82 (30)
योग	723	485	238 (33)

उपरोक्त से देखा जा सकता है कि 723 संस्वीकृत पदों के प्रति 238 अध्यापन पदों (33 प्रतिशत) की कमी थी। यह शिक्षा के स्तर को प्रभावित कर सकता है। आगे, केन्द्रवार स्थिति की जांच से प्रकट हुआ है कि सात केन्द्रों¹¹ मार्च 2010 तक संस्वीकृत पदों की तुलना में अकादमिक पदों में 50 प्रतिशत या अधिक की कमी थी। वि.अ.आ. ने विश्वविद्यालय को निदेशित किया (फरवरी 2010) कि वह इन रिक्तियों को भरने में सर्वाधिक प्राथमिकता रखे क्योंकि संसद की स्थायी समिति ने अपने 214वीं रिपोर्ट में केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में खाली पड़े अध्यापन पदों को गम्भीरता से लिया है।

विश्वविद्यालय ने जल्द से जल्द विज्ञापन देने तथा रिक्त शिक्षण पदों को भरने का आश्वासन दिया (जुलाई 2011)।

अनुशंसा

- विश्वविद्यालय को खाली पदों को भरने के लिए तुरन्त कदम उठाना चाहिए जिससे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का कार्य सुचारू रूप से हो सके।

3.3.6.2 ई-गवर्नेन्स पर 1.77 करोड़ का निष्फल व्यय

विश्वविद्यालय ने प्रशासन, वित्त तथा परीक्षा स्कंधों से संबंधित अपने कार्यों को कम्प्यूटरीकृत करके स्वचालित कार्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया (अगस्त 2001) तथा इस प्रयोजन के लिए वि.अ.आ. से ₹ 2.83 करोड़ की मांग की। वि.अ.आ. ने कम्प्यूटर स्कूल/विश्वविद्यालय के विभाग द्वारा परियोजना कार्यान्वयन के लिए ₹ 2.20 करोड़ (₹ 20.00 लाख नवम्बर 2001 में तथा ₹ 2.00 करोड़ मई 2006 में) जारी कर दिए।

तदनुसार, विश्वविद्यालय ने ई-गवर्नेन्स आवश्यकता हेतु रिक्वेस्ट फॉर प्रोजेक्ट (आर एफ पी) तैयार करने का कार्य ₹ 10.83 लाख की लागत पर मेसर्स विप्रो कन्सल्टिंग सर्विसेज को सौंपा (जनवरी 2005)। अप्रैल 2005 में आर एफ पी प्राप्त होने पर

¹¹ (1) स्कूल आफ आर्ट्स एण्ड एस्थेटिक्स (2) सेन्टर फार अफीकन स्टडीज (3) सेन्टर फार इन्टरनेशनल लीगल स्टडीज (4) वूमेन स्टडीज प्रोग्राम (5) नार्थ ईस्टस्टडीज रिसर्च सेन्टर (6) स्पेशल सेन्टर फार मालेक्यूलर मेडिसिन तथा (7) अकादमिक स्टाफ कालेज

विश्वविद्यालय ने ई-गवर्नेंस परियोजना के विकास एवं कार्यान्वयन का ठेका ₹ 94.83 लाख की कीमत पर मेसर्स एक्सेल आईसीआईएम को सौंपा (अगस्त 2005) जिसे जुलाई 2006 तक पूर्ण किया जाना था। इसी दौरान विश्वविद्यालय ने भी ई-गवर्नेंस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए ₹ 1.66 करोड़ मूल्य के कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर खरीदे (मार्च 2007)। तत्पश्चात्, प्रगति समीक्षा के लिए गठित बाह्य समीक्षा समिति द्वारा परियोजना¹² में असंतोषजनक प्रगति देखी जाने के कारण (जनवरी 2011) विश्वविद्यालय ने ठेके को समाप्त करके अग्रिम भुगतान की ₹ 46.41 लाख राशि की वसूली कर ली।

लेखापरीक्षा जांच में पता चला कि वि.अ.आ. के इन निर्देशों (सितम्बर 2001) के बावजूद कि साफ्टवेयर डेवलपमेंट से संबंधित कार्य विश्वविद्यालय के कम्प्यूटर स्कूल/विभाग द्वारा किया जाना चाहिए, विश्वविद्यालय ने इसी कार्य हेतु एक निजी कम्पनी को लगाया तथा परियोजना पूरी नहीं हो सकी। इस प्रकार एक ओर तो परियोजना के वांछित उद्देश्यों की पूर्ति न हो सकी जबकि दूसरी ओर ई-गवर्नेंस परियोजना पर निवेशित ₹ 1.77 करोड़ (आर.एफ.पी. पर किया गया व्यय ₹ 10.83 लाख तथा कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर की खरीद पर ₹ 1.66 करोड़) निष्फल रहा।

विश्वविद्यालय ने बताया (जुलाई 2011) कि ई-गवर्नेंस परियोजना सॉफ्टवेयर संघटक के गैर-निष्पादन एवं सुपुदर्गी के कारण विलम्बित थी तथा परियोजना की सामयिक सुपुदर्गी हेतु प्रत्येक प्रयास किया जाएगा।

3.3.7 अनुसंधान परियोजनाएं

अनुसंधान परियोजनाएं विश्वविद्यालय के अकादमिक कार्यकलापों की एक बहुत महत्वपूर्ण घटक है। मंत्रालयों/सरकार, संस्थानों/निजी कम्पनियों/विदेशी निकायों आदि को शामिल करते हुए विभिन्न अनुदानकर्ता एजेन्सियों से अनुसंधान परियोजनाओं के लिए विश्वविद्यालय अनुदान प्राप्त करता है। वर्ष 2005-06 से 2009-10 की अवधि में 635 अनुसंधान परियोजनाओं के लिए विश्वविद्यालय ने विभिन्न अनुदानकर्ता एजेन्सियों से ₹ 106.62 करोड़ प्राप्त किए तथा इसी अवधि में ₹ 94.19 करोड़ व्यय किए। 31 मार्च 2010 को विश्वविद्यालय के पास 211 अनुसंधान परियोजनाएं चल रही थीं। अनुसंधान परियोजनाओं से संबंधित अभिलेखों की जांच में निम्नलिखित कमियाँ पाई गईः

3.3.7.1 उपरिशीर्ष प्रभारों को कम लगाना

विश्वविद्यालय के अनुसंधान परियोजना हेतु हैण्डबुक के अनुसार, अनुसंधान परियोजनाएं अतिरिक्त उपरिशीर्ष प्रभार अर्जित करेंगी जो विश्वविद्यालय में अनुसंधान अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है। सभी संकाय-सदस्यों को अनुसंधान

¹² जावा तथा ओरेकल में विकसित एप्लीकेशन भविष्य में ज.ने.वि. के एप्लीकेशन को बाधित करते तथा वर्तनान स्थिति में दो माड्यूल प्रयोग में नहीं लाए जा सकते थे क्योंकि इनके लिए मौलिक अवसंरचना में परिवर्तन आवश्यक था।

परियोजना हेतु आवेदन के समय ज.ने.वि. उपरिशीर्ष प्रभार (परियोजना लागत का 10-15 प्रतिशत) को शामिल करना आवश्यक था। वर्ष 2005-06 से 2009-10 की अवधि में विश्वविद्यालय ने अनुसंधान परियोजनाओं पर उपरिशीर्ष प्रभार के रूप में ₹ 5.22 करोड़ प्राप्त किए।

परियोजना अनुभाग के अभिलेखों की जांच से प्रकट हुआ कि 2005-06 से 2009-10 की अवधि में संस्कृत 59 परियोजनाओं पर उपरिशीर्ष प्रभार या तो प्राप्त नहीं हुए थे या पांच प्रतिशत की दर पर प्राप्त हुए थे। संबंधित संकाय सदस्यों द्वारा उपरिशीर्ष प्रभारों को न लगाने/कम लगाने के कारण उपरिशीर्ष प्रभारों में विश्वविद्यालय को ₹ 1.01 करोड़ की हानि हुई।

विश्वविद्यालय ने उत्तर दिया (जुलाई 2011) कि 10-15 प्रतिशत की दर पर उपरि प्रभार केवल संदर्भ के माध्यम से हैं न कि आदेशात्मक हैं तथा वित्तपोषण अभिकरणों द्वारा अनुमत उपरि प्रभार प्रत्येक अभिकरण में अलग है। तथापि, विश्वविद्यालय में अनुसंधान अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण करने के उद्देश्य सहित विश्वविद्यालय सभी संकाय सदस्यों को अनुसंधान परियोजना हेतु आवेदन करते समय 10-15 प्रतिशत की दर पर उपरि प्रभारों को शामिल करने का निर्देश दे।

3.3.7.2 उपरिशीर्ष प्रभारों का कम उपयोग

उपरिशीर्ष प्रभारों के प्राप्त होने पर, उसका दो-तिहाई हिस्सा परियोजना निदेशक के अधीन होगा जिसका उद्देश्य उपकरणों का अनुरक्षण, परियोजना विज्ञापन तथा प्रयोगशाला अवसंरचना का उन्नतिकरण करना होगा। उपरिशीर्ष प्रभारों का शेष एक तिहाई हिस्सा विश्वविद्यालय के हाथ में रहेगा।

विश्वविद्यालय की ‘अनुसंधान परियोजना परिचालन हैण्डबुक’ में परियोजना निदेशक द्वारा अपने हिस्से के उपरिशीर्ष प्रभारों को खर्च करने के दिशानिर्देश निर्धारित किए गए थे। तथापि, विश्वविद्यालय के हिस्से के उपरिशीर्ष प्रभारों के उपयोग हेतु कोई दिशानिर्देश निर्धारित नहीं किए गए थे। 2005-06 से 2009-10 की अवधि में ₹ 5.22 करोड़ के उपरिशीर्ष प्रभार प्राप्त हुए थे जिसके प्रति केवल ₹ 2.40 करोड़ (45.97 प्रतिशत) का ही उपयोग हुआ था। यह दर्शाता है कि विश्वविद्यालय उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करने में असफल रहा तथा अनुसंधान अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण का उद्देश्य प्राप्त न हो सका।

विश्वविद्यालय ने उत्तर दिया (जुलाई 2011) कि ऊरी प्रभारों के इष्टतम उपयोग हेतु प्रयास किए जाएंगे तथा विश्वविद्यालय के ऊरी प्रभारों के अंश के उपयोग हेतु प्रतिमान निर्धारित किए जाएंगे।

3.3.7.3 अनुसंधान परियोजनाओं की अपर्याप्त अनुश्रवणता

लेखापरीक्षा ने अपने पूर्व प्रतिवेदन 2003 के सं. 4 में इस बात को दर्शाया था कि विभिन्न विभागों द्वारा चलाई गई परियोजनाओं के अनुश्रवण के लिए विश्वविद्यालय में कोई केन्द्रीय प्रणाली नहीं थी क्योंकि यह पूरी की गई योजनाओं की संख्या, उन

परियोजनाओं/योजनाओं की संख्या जिसमें अन्तिम रिपोर्ट जमा/नहीं जमा की गई थी तथा अनुसंधान निष्कर्षों के मुद्रण संबंधी सूचना उपलब्ध नहीं करा पाया था। विश्वविद्यालय ने इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की तथा दुबारा इसने 2005-06 से 2009-10 की अवधि के दौरान की परियोजनाओं के संबंध में पूरी हुई परियोजनाएं, उपयोगिता प्रमाण-पत्र तथा अन्तिम तकनीकी रिपोर्ट/प्रगति रिपोर्ट के संबंध में कोई सूचना उपलब्ध नहीं करा सका। इस प्रकार, पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में इंगित किए जाने के बावजूद विभिन्न विभागों द्वारा चलाई जाने वाली परियोजनाओं के अनुश्रवण हेतु कोई केन्द्रीय प्रणाली विकसित नहीं की गई।

विश्वविद्यालय ने उत्तर दिया (जुलाई 2011) कि सभी अनुसंधान परियोजनाओं की उपयुक्त मॉनीटरिंग हेतु संपूर्ण डाटा/सूचना का कम्प्यूटरीकरण एवं प्रग्रहण हेतु प्रयास किए जा रहे हैं।

अनुशंसाएं

- अपने अनुसंधान अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण के लिए विश्वविद्यालय प्रत्येक परियोजना पर 10-15 प्रतिशत उपरिशीर्ष प्रभार लगाया जाना सुनिश्चित करे।
- विश्वविद्यालय प्रत्येक परियोजना की स्थिति के अनुश्रवण के लिए अभिलेखों के सही अनुश्रवण हेतु समुचित उपाय करना प्रारम्भ करे।

3.4 निष्कर्ष

विश्वविद्यालय की निष्पादन लेखापरीक्षा में इसके कार्य-प्रणाली में निम्नलिखित कमियाँ प्रकट हुईँ:

- त्रुटिपूर्ण प्रवेश-नीति के कारण, बड़ी संख्या में प्रवेश हेतु इच्छुक आवेदक उपलब्ध होने के बावजूद शिक्षा वर्ष 2005-06 से 2009-10 के दौरान विश्वविद्यालय उपलब्ध सीटों का 11 प्रतिशत भर नहीं सका जिसके परिणामस्वरूप ₹ 24.06 करोड़ के संसाधनों का उपयोग कम रहा।
- बी.ए. (आनर्स) तथा एम.ए./एम.एस.सी./एम.सी.ए. पाठ्यक्रमों को छोड़ने वाले/अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत क्रमशः 35 से 48 तथा 18 से 22 के बीच था।
- मार्च 2010 को अध्यापन स्टाफ में 33 प्रतिशत की कमी थी।
- वर्ष 2008-09, 2009-10 तथा 2010-11 में अ.पि.व. आरक्षण योजना में उपलब्ध स्थानों का क्रमशः केवल 68, 64 तथा 51 प्रतिशत ही भरा जा सका। योजना के पहले वर्ष के लिए संस्वीकृत 95 अध्यापन पदों की तुलना में केवल पांच को भरा गया।
- विश्वविद्यालय ने अवसंरचना विकास के लिए उपलब्ध संसाधनों के 31 प्रतिशत का उपयोग नहीं किया।
- पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में इंगित किए जाने के बावजूद विश्वविद्यालय ने निम्न संबंध में कार्रवाई नहीं कीँ:

- पुनर्नैद्या समिति द्वारा अनुशंसित अनुरक्षण अनुदान के उपयोग के संबंध में अकादमिक लागत मानदण्डों का पालन न किया जाना।
- विभिन्न विभागों द्वारा चलाई जा रही परियोजनाओं की अनुश्रवणता।

3.5 आभार

इस निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किए गए सहयोग एवं सहायता के प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं।

मई 2011 में मंत्रालय/विश्वविद्यालय को निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी की गई थी, जुलाई 2011 में प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा मंत्रालय को भेजे गए उत्तर की प्रतिलिपि को प्रतिवेदन में सम्मिलित कर लिया गया है; मंत्रालय का उत्तर जुलाई 2011 तक प्रतीक्षित है।

अनुबंध-I

(पैरा 3.3.2.1 के संदर्भ में)

छ: पाठ्यक्रमों में उपलब्ध सीटों की तुलना में छात्रों के पंजीयन की स्थिति

क्र. सं.	पाठ्यक्रम तथा विद्यालय का नाम	शैक्षिक वर्ष									
		2005		2006		2007		2008		2009	
		उ.सी.	पं.	उ.सी.	पं.	उ.सी.	पं.	उ.सी.	पं.	उ.सी.	पं.
1.	चीनी भाषा के अध्ययन में एम.फिल./पी.एच.डी. (अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन विद्यालय)	8	5	8	4	8	2	9	4	10	4
2.	जापानी भाषा के अध्ययन में एम.फिल./पी.एच.डी. भाषा, साहित्य तथा सांस्कृतिक अध्ययन विद्यालय (भा.सा.सां.अ.वि.)	3	शून्य	4	5	4	1	5	शून्य	5	1
3.	फ्रेंच भाषा एम.फिल./पी.एच.डी. (भा.सा.सां.अ.वि.)	10	5	10	8	10	5	12	6	13	7
4.	जर्मन भाषा एम.फिल./पी.एच.डी. (भा.सा.सां.अ.वि.)	10	2	10	3	10	4	12	2	13	2
5.	पुर्तगाली भाषा एम.फिल./पी.एच.डी. (भा.सा.सां.अ.वि.)	2	शून्य	2	1	2	1	2	2	3	शून्य
6.	जर्मन में एम.ए. (भा.सा.सां.अ.वि.)	15	12	15	4	15	4	18	5	20	5

उ.सी. - उपलब्ध सीटें

पं. - पंजीकृत छात्रों की संख्या

अनुबंध -II

(पैरा 3.3.4.3 के संदर्भ में)

उन एजेंसियों/संस्थाओं जिनको विश्वविद्यालय ने भूमि आवंटित की है, की सूची

क्र. सं.	एजेंसी/संस्था का नाम	आवंटित क्षेत्र	किराए की दर	आवंटन का वर्ष
1.	दिल्ली पुस्तकालय नेटवर्क (डेलनेट)	1.00 एकड़	शून्य	उ.न.
2.	नाभिकीय विज्ञान केन्द्र	25.00 एकड़	शून्य	उ.न.
3.	भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद	6.50 एकड़	1प्रति वर्ष	1986
4.	राष्ट्रीय योजना जेनोम अनुसंधान केन्द्र	15.00 एकड़	शून्य	उ.न.
5.	राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान	15.00 एकड़	शून्य	उ.न.
6.	केन्द्रीय विद्यालय संगठन	17.00 एकड़	शून्य	उ.न.
7.	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग	25.00 एकड़	शून्य	1990
8.	अंतर्राष्ट्रीय आनुवंशिक अभियंत्रणा तथा जैव प्रविधि केन्द्र	25.00 एकड़	शून्य	उ.न.
9.	भारतीय जनसंचार संस्थान	15.00 एकड़	शून्य	उ.न.
10.	दि.वि.प्र. (दिल्ली विद्युत बोर्ड)	1.865 एकड़	₹ 1प्रति वर्ष	1977
11.	तार घर	467.51व.फु.	₹ 1 प्रति व.फु.	1992
12.	35, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली पर वि.अ.आ. कार्यालय	71677.27 व.फु.	शून्य	1976
13.	35, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली में जामिया हमदर्द	96 व.फु.	₹ 1प्रति व.फु.	1992
14.	35, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली में भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद	10492 व.फु.	₹ 1 प्रति व.फु.	उ.न.
15.	35, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली में यूको बैंक	565.73	₹ 1 प्रति व.फु.	1996


अनुबंध -III

(पैरा 3.3.4.4 के संदर्भ में)

प्रतिष्ठापित न किए गए/विलम्ब से प्रतिष्ठापित किए गए उपकरणों का विद्यालय वार विवरण

क्र. सं.	विद्यालय/केन्द्र का नाम	उपकरण का नाम	उपकरण की लागत (लाख में)	उपकरण प्राप्त करने की तिथि	प्रतिष्ठापन की तिथि	प्रतिष्ठापन में विलंब (महीनों में)
1.	जीवन विज्ञान विद्यालय	स्पैक्ट्रोमेक्स, एम 2 माइक्रोप्लेट रीडर माइक्रोप्लेट क्यूवेट	14.79	2/5/2005	12/8/2005	3
2.	-वही-	एच्चला ए-10 ब्राई वेव एनालाइज़र	13.12	7/6/2005	13/10/2005	3
3.	-वही-	हाई-स्पीड रेफ्रीजरेटिड सेंट्रीफ्यूज मॉडल (सी आर 22जी)	11.64	10/10/2006	16/1/2007	3
4.	-वही-	सेंट्रीफ्यूज अल्ट्रा एल-90 एक्सेसरीज एवं रोटरस सहित ऑटिमा	24.60	18/8/2006	8/2/2007	5
5.	-वही-	जी.एस.एस. कन्सर्वेशन फिल्टर में सिंगल स्किन की बॉयोसेफ्टी कैबिनेट आपूर्ति, एग्ज़ॉस्ट एअर यूनिट सहित पी2 बॉयोसेफ्टी यूनिट, फॉल्स सीलिंग, क्लीन रूम उपकरण	11.99	20/3/2007	12/7/2007	3 ½
6.	-वही-	(i) एक्सेस सहित रीयल टाइम पीसीआर सिस्टम टी एफ 7500 (ii) एक्सेस सहित 4000 क्यू टी आर ए पी सिस्टम (एमएस एवं एमएस)	188.94	22/12/2006	24/4/2007	4
7.	-वही-	(i) एक्सेस सहित नैनो फ्लो लिक्विड क्रोमेटोग्राफी (ii) एक्सेस सहित रेपिड मिनीएचर इलैक्ट्रोफरोसिस सिस्टम	77.85	23/1/2007	7/5/2007	3
8.	-वही-	एक्सेस सहित लाइफ लिज़र ज़ोन प्लस 6 लीटर ग्रीज़र ढ्रॉय सिस्टम	7.32	13/5/2005	29/8/2005	3 ½
9.	-वही-	मॉडल 24 एस ओ एल/ई आई डी ओ/एन ए टी-8 सिरियल सं. 1167/1168 के डबल डोर 2x2x4 आकार एनएटी स्टील होरिजॉन्टल रैकटेंगूलर स्टैबलाइज़र	15.18	28/5/2010	10/11/2010	5
10.	पर्यावरणीय विज्ञान विद्यालय	एटॉमिक एब्जार्सन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर	30.05	19/11/2008	30/6/2009	7
11.	-वही-	एक्सेसरीज सहित गैस	22.17	25/11/2008	7/7/2009	7


क्र. सं.	विद्यालय/केन्द्र का नाम	उपकरण का नाम	उपकरण की लागत (लाख में)	उपकरण प्राप्त करने की तिथि	प्रतिष्ठापन की तिथि	प्रतिष्ठापन में विलंब (महीनों में)
12.	-वही-	क्रोमेटोग्राफ	65.10	9/3/2010	7/7/2010	4
13.	विशेष आणविक औषधि केन्द्र	डिक्विड सिटीलेशन कार्डिनल	10.89	18/1/2007	18/6/2007	5
14.	-वही-	हाई रेजूलिशन फ्लूरिसिएन्स माइक्रोस्कोप	49.76	3/3/2008	5/8/2008	5
15.	उन्नत उपकरणीय अनुसंधान संकाय	लेजर कॉनफोकल माइक्रोस्कोप	143.20	17/8/2007	6/3/2008	6
16.	-वही-	मैक्रोमोलीक्यूब्स तथा प्रोटीन क्रिस्टोलोग्राफी के लिए एक्स आर डी	311.24	4/11/2007	8/8/2008	9
17.	-वही-	एक्स आर डी पाउडर सिंगल क्रिस्टल तथा थिन फिल्म	102.89	2/8/2007	21/11/2008	15
18.	-वही-	द्रांसमीशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप	245.72	1/10/2007	/10/2008	12
19.	-वही-	एफ टी आई आर रामन	72.20	17/8/2007	17/7/2009	23
20.	-वही-	स्केनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप	146.52	8/9/2007	15/12/2008	14
21.	-वही-	ई.डी.एक्स.आर.एफ.स्पेक्टोमीटर	56.96	26/6/2007	26/6/2008	11
22.	-वही-	डब्ल्यू डी एक्स आर एफ स्पेक्ट्रोमीटर (लागत कु.सं. 16 पर दर्शाई गई उपकरण की लागत में शामिल)		4/11/2007	8/8/2008	9
23.	-वही-	सीडी + स्टॉप एटेंचमेंट	132.84	10/9/2007	9/9/2008	12
24.	-वही-	लिक्विड नाइट्रोजन प्लांट	95.94	17/10/2007	25/11/2008	12
25.	-वही-	जी सी मास स्पेक्ट्रोमीटर	71.66	/11/2007	12/9/2008	9
26.	-वही-	कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरिसिस	20.91	26/10/2007	2/8/2008	9
27.	-वही-	सैल सोर्टर एवं फ्लो साइटोमीटर	110.76	26/6/2007	25/7/2008	12
28.	-वही-	सरफेस प्लाज्मांन रिसोनेन्स	81.69	13/8/2007	15/7/2009	23
29.	-वही-	टाइम रिसोनेन्स एनेलिटिकल	88.37	19/10/2007	9/2/2008	3
30.	भौतिक विज्ञान विद्यालय	फेमटोसिकड ऑप्टीकली गेटेड फ्लोरिसिएन्स अप-कनवर्जन स्पेक्ट्रोमीटर	35.83	15/6/2010	11/12/2010	5 ½
योग			2260.18			
प्रतिष्ठापित न किए गए उपकरण						
31.	पर्यावरणीय विज्ञान विद्यालय	यू वी -वी आई एस - वी आई आर स्पेक्ट्रोरेडियोमीटर	13.94	25/1/2009	अभी तक लंबित है	



सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय

राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान, कोलकाता

राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान के कार्यकलाप, कोलकाता



**अध्याय IV : राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान के क्रियाकलाप
(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय)**

विशिष्टताएं

- प्रतिवेदन की अवधि में पूर्व स्नातक पाठ्यक्रमों में केवल 257 छात्र सफल रहे। इसी प्रकार, चार वर्षों की अवधि के दौरान केवल 14 छात्र ही स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों को सफल कर पाये।
(पैराग्राफ 4.3.1.1)
- 2010 के दौरान, पूर्व स्नातक पाठ्यक्रमों में सामान्य प्रवेश परीक्षा के माध्यम से, 113 छात्रों की प्रवेश क्षमता के प्रति संस्थान केवल 103 छात्रों को ही प्रवेश दे पाया।
(पैराग्राफ 4.3.1.2)
- सोलह संकाय पद काफी वर्षों से खाली पड़े थे जिसका शैक्षणिक गतिविधियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।
(पैराग्राफ 4.3.1.3)
- कार्यकारी परिषद से ₹5.5 करोड़ की अनुमानित लागत की मंजूरी के बावजूद, वर्तमान अनुसंधान एवं विकास इकाई को सुदृढ़ बनाने हेतु प्रस्तावित उपकरणों को नहीं खरीदा गया था।
(पैराग्राफ 4.3.2.1)
- 2005 से रोजगार एवं स्थानन अधिकारियों एवं व्यावसायिक सलाहकारों के लिए प्रशिक्षण का आयोजन नहीं किया जा रहा था।
(पैराग्राफ 4.3.3)
- विकलांगता से पीड़ित व्यक्तियों पर संस्थान ने कोई डाटाबेस तैयार नहीं किया था।
(पैराग्राफ 4.3.4.1)
- ए.डी.आई.पी. योजना के अन्तर्गत लाभभोगियों की पात्रता के सत्यता हेतु कोई प्रणाली संस्थान के पास नहीं थी।
(पैराग्राफ 4.3.8.1)

अनुशंसाओं का सारांश

- संस्थान को, छात्रों द्वारा पाठ्यक्रम को मध्य में छोड़कर जाने के जिम्मेवार कारणों की पहचान करनी चाहिए।
- संस्थान द्वारा, छात्रों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने हेतु योग्य संकाय वर्ग की तैनाती के लिए प्रभावी कार्रवाई करनी चाहिए।

- संस्थान को समान क्षेत्रों में कार्य करने वाली राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं के बीच औपचारिक समन्वय स्थापित करना चाहिए।
- अपने उद्देश्यों की उपलब्धता हेतु, संस्थान को रोगियों के एक डाटाबेस का अनुरक्षण करना चाहिए जिसे अशक्तता एवं स्वास्थ्य लाभ के क्षेत्र में एक शीर्ष व्यापक प्रलेखन तथा सूचना केन्द्र के रूप में काम में लाया जा सके।
- संस्थान को शल्य चिकित्सा आई.सी.यू. रक्त कोष की स्थापना करनी चाहिए तथा एम्बूलेंस सेवाएं प्रदान करनी चाहिए।

4.1 प्रस्तावना

अशक्तता के साथ व्यक्तियों की अधिकारिता के मापदण्ड के रूप में, भारत सरकार ने, कु.पी.एन.रॉय गुप ऑफ हॉस्पिटल्स, कोलकाता की परिसम्पत्तियों, भवन एवं उपकरण सहित, का अधिग्रहण करके 1978 में राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान (संस्थान) की स्थापना की। इसके पश्चात 1982 में, पूर्व समाज कल्याण मंत्रालय (वर्तमान में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय) भारत सरकार के संरक्षण में संस्थान का पंजीकरण एक स्वायत्त निकाय के रूप में, संस्था पंजीकरण अधिनियम 1980, के अन्तर्गत किया गया। लोकोमोटर¹ अशक्तता (अर्थोपैडिकली हैंडीकॉप्ड) के क्षेत्र में एक प्रमुख संस्थान है।

4.1.1 संगठनात्मक ढांचा

सचिव, भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की अध्यक्षता में शासी परिषद, संस्थान के प्रबन्धन की एक शीर्ष निकाय है। शासी परिषद के 14 सदस्य होते हैं जिनमें छः में सामाजिक कार्यकर्ता/स्वयंसेवी संस्थाओं के क्षेत्र में विशिष्ट/प्रतिनिधि भारत सरकार द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। शासी परिषद नीतियां तैयार करने, सामान्य नियंत्रण तथा कार्यकारी परिषद को निर्देश देने के लिए उत्तरदायी है। मंत्रालय के संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में कार्यकारी परिषद संस्थान के संस्थापन प्रलेख के अनुसार संस्थान के प्रबंधन एवं प्रशासन को चलाती है। निदेशक संस्थान के दैनिक प्रशासन का प्रबंधन करता है। संस्थान के शैक्षणिक पाठ्यक्रमों/गतिविधियों की योजना हेतु कार्यकारी परिषद द्वारा एक शैक्षणिक समिति का भी गठन किया गया है। निदेशक के कार्यों में उप-निदेशक (तकनीकी) तथा उप-निदेशक (प्रशासन) उसकी सहायता करते हैं।

4.1.2 उद्देश्य

संस्थान के मुख्य उद्देश्य हैं:

- विकलांग जनसंख्या को सेवाएं प्रदान करने के लिए मानव शक्ति का विकास करना;
- विकलांगों के पुनर्वास से सम्बन्धित अनुसंधान प्रयोजित करना तथा उनका प्रसार करना;

¹ लोकोमोटर अशक्तता, को एक व्यक्ति की तथा वस्तुओं दोनों के साथ उसका/उसकी चलनशीलता से जुड़े हुए विशिष्ट कार्यों का निष्पादन करने में असमर्थता के रूप में परिभाषित किया गया है।

- अशक्तता से ग्रसित व्यक्तियों को पुनर्वास शल्य चिकित्सा पुनरुद्धार साधन एवं उपकरण एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण एक पुनर्वास के क्षेत्र में सेवाएं प्रदान करना;
- साधन एवं उपकरणों का मानकीकरण करना तथा उनके उत्पाद एवं वितरण को बढ़ाना।
- अशक्तता एवं पुनर्वास के क्षेत्र में एक विशिष्ट प्रलेखन एवं सूचना केन्द्र के रूप में सेवा करना।

4.1.3 वित्तीय स्थिति

संस्थान के राजस्व का मुख्य स्रोत, भारत सरकार से सहायता अनुदान है। वर्ष 2005-06 से 2009-10 के दौरान प्राप्तियों तथा भुगतानों की स्थिति तालिका-1 में दर्शाई गई है।

तालिका – 1

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्राप्त अनुदान			आन्तरिक प्राप्तियां	प्रयुक्त अनुदान			अप्रयुक्त अनुदान		
	योजनागत	योजनेतर	विशिष्ट उद्देश्य		योजनागत	योजनेतर	विशिष्ट उद्देश्य	योजनागत	योजनेतर	विशिष्ट उद्देश्य
2005-06	2.59	3.84	2.60	0.28	2.59	3.84	2.60	0.00	-	-
2006-07	4.00	3.43	4.58	0.46	2.76	3.35	3.16	1.24	0.08	1.42
2007-08	1.95	3.26	0.50	0.32	1.95	3.26	0.17	0.00	-	0.33
2008-09	3.50	4.70	1.48	0.55	3.05	5.06	0.63	0.45	(-)0.36*	0.85
2009-10	5.02	5.60	4.44	0.66	2.10	5.51	0.00	2.92	0.09	4.44
कुल	17.06	20.83	13.60	2.27	12.45	21.02	6.56	4.61	(-)0.19	7.04

* योजनेतर के अन्तर्गत अधिक उपयोग को संस्थान की आंतरिक प्राप्तियों से किया गया था।

आन्तरिक प्राप्तियों में, शिक्षण शुल्क, छात्रावास शुल्क, प्रयोगशाला शुल्क, बैड शुल्क आदि सम्मिलित हैं। चूंकि वर्ष 2005-06 से 2009-10 के दौरान आंतरिक प्राप्तियां कुल भुगतानों का लगभग 5.7 प्रतिशत थी इसलिए संस्थान के लिए आत्मनिर्भरता की सुदूर सम्भावनाएं थी।

4.2 लेखापरीक्षा क्षेत्र

संस्थान की वार्षिक लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्तें) अधिनियम 1971 की धारा 20(1) के अन्तर्गत की जाती है। निष्पादन लेखापरीक्षा में संस्थान की वर्ष 2005-06 से 2009-10 तक की अवधि की गतिविधियों को शामिल किया गया है।

4.2.1 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

संस्थान की गतिविधियों की निष्पादन लेखापरीक्षा यह निर्धारण करने के उद्देश्य से प्रारम्भ की गई थी कि क्या:

- संस्थान ने अच्छी शिक्षा प्रदान करके मानव संसाधन के विकास के अपने उद्देश्य को पूरा किया है;

- डाटा एकत्रित करने की प्रक्रिया तथा सूचना अनुरक्षण एवं प्रसार प्रभावशाली एवं फलोत्पादक था;
- संस्थान ने पूरे वर्षों में संबंधित क्षेत्रों में मूल तथा उत्पादक अनुसंधानों को सफलता पूर्वक तथा प्रभावशाली ढंग से किया है;
- संस्थान द्वारा प्रदान की गई पुनर्वास सेवाएं, विकलांगों की आवश्यकताओं को कुशलतापूर्वक एवं प्रभावशाली तरीके से पूरा करने में सक्षम रही है;
- संस्थान साधन एवं उपकरणों का विकास, उत्पादन, उन्नति एवं सम्बन्धित व्यक्तियों में कुशलतापूर्वक तथा प्रभावशाली ढंग से वितरण करने में सफल रहा।

4.2.2 लेखापरीक्षा मानदण्ड

निम्नलिखित लेखापरीक्षा मानदण्ड को अपनाया गया था:

- पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, भारतीय पुनर्वास परिषद, पश्चिम बंगाल नर्सिंग परिषद तथा राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड के सिद्धान्तों तथा दिशानिर्देशों को;
- संस्थान का संस्थापन प्रलेख;
- मंत्रालय के सिद्धांत एवं पत्राचार;
- शासी परिषद, कार्यकारी परिषद तथा शैक्षणिक समिति की बैठकों के विचार विमर्श;
- वि.अ.आ./सीएसआईआर के दिशानिर्देश।

4.2.3 लेखापरीक्षा प्रणाली

लेखापरीक्षा के दौरान, संस्थान के विभिन्न विभागों के अभिलेखों का परीक्षण किया गया। संस्थान की गतिविधियों तथा सेवाओं से सम्बन्धित लाभभोगियों की संतुष्टि की जांच हेतु लेखापरीक्षा के दौरान, रोगियों एवं छात्रों के साक्षात्कार तथा सर्वेक्षणों के माध्यम से सबूत एवं प्रत्युत्तर भी एकत्रित किये गये।

लेखापरीक्षा के उद्देश्यों तथा प्रणाली पर संस्थान के प्रबंधन के साथ विचार विमर्श, मई 2010 में हुए प्रवेश सम्मेलन में किया गया था। लेखापरीक्षा की उपलब्धियों पर विचार विमर्श प्रबन्धन के साथ जनवरी 2011 में हुई निर्गम बैठक में किया गया था।

4.3 लेखापरीक्षा उपलब्धियां

4.3.1 शैक्षणिक क्रियाकलाप

संस्थान निम्नलिखित स्नातकोत्तर, पूर्व-स्नातक तथा डिप्लोमा पाठ्यक्रमों का संचालन करता है जैसा कि तालिका-2 में दिया गया है।

तालिका-2

पाठ्यक्रम का नाम	प्रारम्भिक वर्ष	पाठ्यक्रम की अवधि	स्वीकृत सीटें	से सम्बद्ध
स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम				
मास्टर इन फिजियोथेरेपी (एम.पी.टी.)	2007	2 वर्ष	6	डब्ल्यूबीयूएचएस ²
मास्टर इन आकुपैशनल थेरेपी (एमओटी)	2007	2 वर्ष	3	डब्ल्यूबीयूएचएस
मास्टर इन पोर्स्थेटिक्स तथा आर्थोटिक्स (एमपीओ)	2007	2 वर्ष	3	डब्ल्यूबीयूएचएस
डिप्लोमा राष्ट्रीय बोर्ड इन फिसिकल, मैडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन (जेएनबी इन पीएमआर)	1992	3/2 वर्ष	4	राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड
विकलांगता पुनर्वास एवं प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पीजीडीआरएम)	1999-2000	1 वर्ष	15	डब्ल्यूबीयूएचएस
डिग्री स्तर के पाठ्यक्रम				
फिजियोथेरेपी में स्नातक (बीपीटी)	1984-1985	4 वर्ष 6 महीने	43	डब्ल्यूबीयूएचएस
आकुपैशनल थेरेपी में स्नातक (बीओटी)	1984	4 वर्ष 6 महीने	42	डब्ल्यूबीयूएचएस
प्रोस्थेटिक्स एंड आर्थोटिक्स में स्नातक (बीपीओ)	1984	4 वर्ष 6 महीने	28	डब्ल्यूबीयूएचएस
डिप्लोमा पाठ्यक्रम				
डिप्लोमा इन आर्थोपैडिक तथा रिहैब नर्सिंग	2008	1 वर्ष	15	भारतीय नर्सिंग परिषद तथा पश्चिम बंगाल नर्सिंग परिषद
टूल एवं डाई बनाने में डिप्लोमा	2001	4 वर्ष	5	सीटीटीसी ³ , कोलकाता के सहयोग से
सी.ए.डी.-सी.ए.एम. में डिप्लोमा	2001	6 महीने	2	सीटीटीसी कोलकाता के सहयोग से

4.3.1.1 छात्रों की उत्तीर्ण दर की तुलना में मानव संसाधन का विकास

यद्यपि, संस्थान ने, बहुत पहले वर्ष 1984 में ही फिजियोथेरापी, आकुपैशनल थेरेपी, प्रोस्थेटिक्स एवं आर्थोटिक्स के क्षेत्रों में स्नातक पाठ्यक्रम आरम्भ कर दिए थे फिर भी इन क्षेत्रों में ही स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम देरी से 2007 में आरम्भ किए गए थे। स्वीकृत सीटों की स्थिति, किया गया छात्रों का प्रवेश, उत्तीर्ण हुए आदि, भी संतुष्टी से दूर थे जैसा कि तालिका-3 में दिया गया है।

² पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, कोलकाता

³ केन्द्रीय औजार कक्ष तथा प्रशिक्षण केन्द्र

तालिका-3

वर्ष	पाठ्यक्रम/ अवधि	स्वीकृत सीटों की सं.	प्रवेश पाने वाले छात्र	सामान्य अवधि में उत्तीर्ण छात्र	सामान्य अवधि के बाद उत्तीर्ण छात्र	अनुत्तीर्ण छात्र	छात्र जो पाठ्यक्रम को बीच में छोड़ गए	अभी भी पढ़ रहे छात्र
स्नातक पाठ्यक्रम								
2000- 2005	बीपीयू/ 4.5 वर्ष	146	134	75	23	5	15	16
	बीओटी/ 4.5 वर्ष	140	132	78	19	3	27	5
	बीपीओ/ 4.5 वर्ष	69	68	47	15	2	3	1
योग		355	334	200	57	10	45	22
			कुल अन्तर्ग्रहण का 94 प्रतिशत	257				
2006- 2009	बीपीटी / 4.5 वर्ष	149	140	-	-	-	7	133
	बीओटी / 4.5 वर्ष	147	108	-	-	-	11	97
	बीपीओ / 4.5 वर्ष	99	79	-	-	-	6	73
योग		395	327	-	-	-	24	303
			कुल अन्तर्ग्रहण का 82 प्रतिशत					
सकल योग		750	661	200	57	10	69	325
स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम								
2007- 2010	एमपीटी#/ 2 वर्ष	24	21	3	2	-	1	15
2007- 2010	एमओटी#/ 2 वर्ष	14	10	4	-	-	2	4
2007- 2010	एमपीओ#/ 2 वर्ष	14	13	3	1	-	1	8
2007- 2010	डीएनबी 3/2 वर्ष	16	4	1	-	-	3	00
योग		68	48	11	3	-	7	27
						14		

एमपीटी, एमओटी तथा एमपीओ वर्ष 2007 से प्रारम्भ किए गए थे

उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है कि 2000-2009 की अवधि के दौरान पूर्व स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए उपलब्ध कुल 750 सीटों के प्रति केवल 661 (88 प्रतिशत) छात्रों ने दाखिला लिया। तालिका का समीक्षात्मक विश्लेषण करने पर पाया कि दाखिला

पाने वाले छात्रों की प्रतिशतता 2000-2005 में 94 से घटकर 2006-2009 में 82 हो गई थी।

यह भी पाया गया था कि 2000-2005 की अवधि के दौरान यू.जी. के पाठ्यक्रमों में 334 छात्रों में से केवल 200 (60 प्रतिशत) छात्रों ने ही निर्धारित अवधि के दौरान सफलता प्राप्त की तथा 57 (17 प्रतिशत) ने पाठ्यक्रमों को निर्धारित अवधि के बाद ही पास किया जबकि 55 (16 प्रतिशत) या तो फेल हो गये थे या बीच में ही छोड़ गये थे तथा शेष 22 (7 प्रतिशत) छात्र ही अपने पाठ्यक्रमों को जारी रखे हुए थे। सारांश यह है कि, संस्थान, विकलांग जनसंख्या को प्रदान करने वाली सेवाओं हेतु जनशक्ति के विकास की कोशिशों में, निर्धारित रिपोर्ट की अवधि के दौरान केवल 257 (क्षमता का 72 प्रतिशत) व्यक्तियों का ही उत्पाद कर पाया था। पी.जी.पाठ्यक्रमों के सम्बन्ध में देखें तो 68 सीटों की उपलब्धता के प्रति वर्ष 2007-2010 की अवधि के दौरान कुल 48 छात्रों ने दाखिला लिया, जिनमें से केवल 14 छात्र उत्तीर्ण हुए जबकि सात बीच में छोड़कर चले गए तथा शेष 27 अभी भी अपने पाठ्यक्रमों को जारी रखे हुए थे।

यद्यपि, पाठ्यक्रमों के बीच में छोड़कर जाने वाले तथा निर्धारित अवधि के बाद पास करने वाले छात्रों की दरों के बारे में कोई कारण अभिलेखों में मौजूद नहीं थे, फिर भी कुछ घटकों जैसे कि प्रवेश नीति में छूट, पर्याप्त मात्रा में कुशल संकायों की अनुपलब्धता तथा कमजोर अवसंरचना आदि ने संस्थान की कार्यकुशलता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया था जिसकी चर्चा आगामी पैराग्राफों में की गई है:

इस प्रकार, विकलांग जनसंख्या को प्रदान की जाने वाली सेवा हेतु मानव संसाधन के विकास हेतु संस्थान के उद्देश्य की आंशिक रूप से ही प्राप्ति हो पाई क्योंकि रिपोर्ट की अवधि के दौरान केवल 257 पूर्व-स्नातकों को ही डिग्रियां प्रदान की गई थी।

अनुशंसा

- संस्थान को, छात्रों के पाठ्यक्रमों के बीच में छोड़कर जाने के लिए उत्तरदायी कारणों की पहचान करनी चाहिए तथा उन पर कार्यवाही करनी चाहिए।

4.3.1.2 प्रवेश प्रक्रिया

संस्थान इसके पूर्व-स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु अखिल भारतीय स्तर पर एनआईआरटीएआर⁴ के साथ मिलकर सामान्य प्रवेश परीक्षा (सी.ई.टी.) आयोजित करता है। प्रवेश मानक थे, 2009 तक, न्यूनतम आयु 17 वर्ष तथा अधिकतम आयु 21 वर्ष के साथ उच्चतर शिक्षा स्तर के साथ भौतिक, रसायन तथा गणित/जीव विज्ञान में 50 प्रतिशत अंक। सीईटी 2010 के लिए, संस्थान ने न्यूनतम अंकों तथा आयु सीमा की शर्त में छूट दे दी थी। 2010 के दौरान 283 सीटों (113 सीटें एनआईओएच में तथा 170 सीटें एनआईआरटीएआई में) के लिए लगभग 600 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए थे।

⁴ पुनर्वास प्रशिक्षण एवं अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय संस्थान, कटक उड़ीसा के पास एक सहयोगी संस्थान।

संस्थान 113 सीटों के प्रति 103 छात्रों का चयन कर सका जबकि प्रवेश मानक में भी छूट दी गई थी। इससे स्पष्ट होता है कि संस्थान द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रमों के लिए या तो उम्मीदवारों के बीच जानकारी की कमी है या इनकी मांग की कमी है।

यद्यपि परीक्षा पूरे भारत के लिए है, फिर भी अधिकतर प्रार्थी पश्चिम बंगाल से और पड़ोसी राज्यों से थे। लेखापरीक्षा में पाया गया कि अप्रैल 2004 तथा मार्च 2010 के बीच विभिन्न पाठ्यक्रमों की 15-80 प्रतिशत सीटें खाली पड़ी रही थीं। टूल एवं डाई मेकिंग में डिप्लोमा पाठ्यक्रमों से सम्बन्धित अन्तर्ग्रहण बहुत खराब थी क्योंकि 25 छात्रों की प्रवेश क्षमता के प्रति पांच वर्षों में केवल 11 ही पंजीकृत किए गए थे (2005-10)। सीएडी-सीएएम में डिप्लोमा के मामले में, 2005-08 के दौरान एक भी छात्र ने प्रवेश नहीं लिया था। यद्यपि, संस्थान को इस समस्या की जानकारी थी, इसने पाठ्यक्रमों को लोकप्रिय बनाने के लिए कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की थी।

4.3.1.3 संकाय

अक्तूबर, 2010 को संस्थान में उपलब्ध नियमित संकायों में चार सहायक प्रोफेसर, पांच प्राध्यापक तथा 20 अन्य सम्मिलित थे जिनमें गैर-शैक्षणिक पद जैसेकि वरिष्ठ फिजियोथेरापिस्ट, फिजियोथेरापिस्ट, वरिष्ठ आकुपेशनल थेरापिस्ट तथा आकुपेशनल थेरापिस्ट। संकायों का उपयोग शैक्षणिक कार्य के साथ-साथ रोगियों की देखभाल करने दोनों के लिए किया जा रहा था। लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि अक्तूबर 2010 को, 45 पदों, जिन पर शिक्षण की जिम्मेदारी थी में से 16 पद खाली पड़े थे। इनमें से बहुत पहले जनवरी 2005 में मंत्रालय द्वारा स्वीकृत 13 नियमित संकाय पद कभी भरे ही नहीं गए थे। शेष तीन पद क्रमशः अप्रैल, 2003, जून 2007 तथा अप्रैल 2009 से खाली पड़े थे। सम्बन्धित एजेंसियों द्वारा निर्धारित किसी विशिष्ट छात्र-शिक्षक अनुपात की अनुपस्थिति में, लेखापरीक्षा के दौरान शैक्षणिक आवश्यकताओं के लिए संकायों की वास्तविक आवश्यकता का निर्धारण नहीं किया जा सका था। यद्यपि, लेखापरीक्षा द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण में यह पाया गया था, कि निर्देश्य रूप से चयनित 50 (521 में से) छात्रों जिनका सर्वेक्षण किया गया था, में से 64 प्रतिशत ने बताया कि संकायों तथा प्रदर्शकों की संख्या पर्याप्त नहीं थी जबकि अड़सठ प्रतिशत ने बताया कि निर्धारित सिलेबस को परीक्षा से पहले पूरा नहीं किया जा सका था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि जुलाई 2010 तक एमपीओ पाठ्यक्रम के लिए पांच संकायों में से चार ठेके पर कार्य कर रहे थे। पाठ्यक्रम को चालू रखने की स्वीकृति प्रदान करते समय भारतीय पुनर्वास परिषद (भा.पु.प.) ने निर्देश दिया था (मई 2009) कि सहायक प्रोफेसर स्तर के मुख्य संकायों की भर्ती की जाए परन्तु संस्थान निर्देशों का पालन करने में विफल रहा ठेके पर वरिष्ठ व्यवसायिक प्रशिक्षार्थी भर्ती कर लिए गए थे एमपीटी पाठ्यक्रम के मामले में, जुलाई 2010 तक सभी चार संकाय ठेके पर कार्य कर रहे थे। यह भी पाया गया था कि डिप्लोमा धारक पूर्व-स्नातक छात्रों को पढ़ा रहे थे तैनाती के बाद, 29 नियमित संकायों में से केवल 14 ने अपनी शैक्षणिक योग्यताओं में वृद्धि की थी।

प्रबन्धन ने संकायों की नियुक्ति न होने का कारण, वांछित योग्यता एवं अनुभवी प्रार्थियों की अनुपलब्धता को बताया और स्पष्टीकरण दिया कि 10 संकायों (सहायक प्रोफेसर आदि) की तैनाती ठेके पर की गई थी और मेहमान संकायों की सेवाएं भी ली जा रही थी।

अनुशंसा

- छात्रों को अच्छी शिक्षा प्रदान करने के लिए, संस्थान को योग्य संकायों की तैनाती हेतु प्रभावी कार्रवाई करनी चाहिए।

4.3.2 अवसंरचना

किसी भी राष्ट्रीय महत्ता के शैक्षणिक संस्थान के लिए, अच्छी विकसित अवसंरचना एक प्राथमिकी आवश्यकता है। संस्थान के वर्तमान भवन की तीन मंजिलें हैं, जिसमें प्रशासनिक कार्यालय, कक्षा-कक्ष प्रयोगशालाएं एवं अस्पताल विंग स्थित हैं।



बीटी रोड बोन हुगली, कोलकाता में रा.वि.सं. के भवन का सामने का दृश्य

20 कक्षा कक्षों की आवश्यकता के प्रति केवल नौ कक्षा कक्ष उपलब्ध थे। पश्चिम बंगाल नर्सिंग परिषद की राय में (जुलाई 2008) नर्सिंग पाठ्यक्रमों के लिए कक्षा-कक्षों में पर्याप्त जगह नहीं थी और उनमें शैक्षणिक सहायक जैसे कि ओवरहैड प्रोजेक्टर, पोर्टेबल कम्प्यूटर आदि भी उपलब्ध नहीं थे। लेखापरीक्षा द्वारा किए गए सर्वेक्षण के दौरान 78 प्रतिशत छात्रों ने क्लास रूम की कमियों के बारे में टिप्पणी की थी। एमपीओ पाठ्यक्रम की मंजूरी प्रदान करते समय रा.पु.सं. ने, प्रयोगशाला को और मजबूत बनाने के लिए, अतिरिक्त कम्प्यूटरीकृत डिजाइनिंग तथा उत्पादन उपकरणों की खरीद के लिए निर्देश दिए थे (जून, 2007)। लेखापरीक्षा में पाया गया कि संस्थान सभी इच्छुक विद्यार्थियों को, विशेषकर छात्राओं को, हॉस्टल आवास की सुविधाएं प्रदान नहीं कर पाया था। आगे, हॉस्टल के कमरे मूल सुविधाओं से पर्याप्त रूप से परिपूर्ण नहीं थे।

लेखापरीक्षा द्वारा सर्वेक्षण किए गए 50 छात्रों के दौरान, 74 प्रतिशत ने अनुभव बताया कि पुस्तक, पत्रिकाएं तथा इन्टरनेट आदि पुस्तकालय में उपलब्ध सुविधाएं पर्याप्त नहीं थी। 52 प्रतिशत छात्रों का अनुभव था कि प्रयोगशाला एवं अन्य उपलब्ध सुविधाएं अच्छे

स्तर की नहीं थी तथा 68 प्रतिशत छात्रों ने कैन्टीन सुविधाओं को भी खराब की श्रेणी में ही आंका था।

हॉस्टल आवास की कमी को स्वीकारते हुए प्रबन्धन ने बताया (सितम्बर 2010) कि प्रयोगशाला उपकरणों की खरीद सम्बंधी प्रस्ताव 2008 से मंत्रालय के पास विलम्बित था।

4.3.2.1 प्रस्तावित उपकरणों का गैर-प्रापण

संस्थान की कार्यकारी परिषद ने, ₹ 5.5 करोड़ की अनुमानित लागत के वर्तमान आर एंड डी इकाई को और मजबूत बनाने के एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी (दिसम्बर 2008)। लेकिन संस्थान, प्रस्तावित उपकरणों अर्थात् सीएडी-सीएएम प्रणाली, सामग्री की जाँच करने वाले यंत्र, मियो-सिगनल एनेलाईजर, मोडुलर सिग्नल जनरेटर, सीएनसी आदि को नवम्बर, 2010 तक नहीं खरीद पाया था। परिणामस्वरूप, अनुसंधान कर्मचारी तथा मास्टर एवं स्नातक डिग्री पाठ्यक्रमों के छात्र सम्बन्धी क्षेत्र में आधुनिक तकनीकी सुविधाओं से वंचित रह गए थे।

चूंकि मास्टर इन पी एंड ओ पाठ्यक्रम के छात्रों के लिए कॉस्मेटिक रेस्टोरेशन ऑफ बाडीपार्ट्स पर प्रेक्टिकल कक्षाएं अनिवार्य थी और प्रोस्थेटिक एड्स को कॉस्मेटिक सुन्दरता प्रदान करने हेतु संस्थान की कार्यकारी परिषद ने, ₹ 5 लाख की लागत से एक कॉस्मेटिक रिहैबिलिटेशन लेबोरेटरी स्थापित करने के लिए प्रस्ताव पास किया (मई 2008)। यद्यपि, प्रबन्धन को अभी इस सुविधा की स्थापना करनी है (नवम्बर 2010)।

अनुशंसा

- संस्थान को, इसकी शैक्षणिक गतिविधियों को एक व्यावसायिक तरीके से चलाने के लिए मूलभूत अवसंरचना की उपलब्धता को सुनिश्चित करना चाहिए।

4.3.3 अन्य शैक्षणिक मामले

- मंत्रालय के निर्देशानुसार (जून 2002) संस्थान को, इसके क्षेत्रीय केन्द्र, आइजोल (मिजोरम) में चार दीर्घ अवधि के पाठ्यक्रमों को आरम्भ करना था। परन्तु, यह पाया गया था कि, अभी तक (जनवरी 2011) केवल एक पाठ्यक्रम जिसका नाम है डिप्लोमा इन रिहैबिलिटेशन थेरेपी ही आरम्भ किया जा सका था।
- क्षेत्रीय केन्द्र, देहरादून (उत्तराखण्ड), जो 2000 में खोला गया था, में चार संकायों की तैनाती थी परन्तु जनवरी 2011 तक वहां कोई भी पाठ्यक्रम नहीं चलाया जा रहा था।
- मानव संसाधन विकास के उद्देश्य में भी रोजगार एवं तैनाती अधिकारी तथा व्यवसायिक सलाहकारों के प्रशिक्षण सम्मिलित हैं। यद्यपि, वर्ष 2005 से पहले कुछ ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था, परन्तु उसके उपरान्त कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया था।


- संस्थान ने, मर्सिष्क तनाव के समान क्षेत्रों में कार्य कर रही राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ कोई औपचारिक सम्बन्ध स्थापित नहीं किया था।
- एक छात्र सर्वेक्षण में पाया गया था कि 70 प्रतिशत को गहन मामलों में पर्याप्त स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होता है, 50 प्रतिशत अनुभव करते हैं कि आयुर्विज्ञान विषयों के लिए प्रेक्टीकल कक्षाएं, विभागीय विषयों के मुकाबले में कम ली गई थीं तथा 50 प्रतिशत ने पाठ्यक्रमों की गुणवत्ता को औसत का दर्जा दिया था।

अनुशंसाएं

- अधिक मानव संसाधन के विकास हेतु संस्थान को इसके क्षेत्रीय केन्द्रों पर और अधिक पाठ्यक्रम आरम्भ करने चाहिए।
- संस्थान को, समान क्षेत्रों में कार्य करने वाली राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ औपचारिक रूप से जुड़ना चाहिए।

4.3.4 सूचना एवं प्रलेखन सेवाएं

सूचना एवं प्रलेख का उद्देश्य, व्यावसायियों, अन्वेषकों, गैर-सरकारी संगठनों आदि की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सूचनाओं का संग्रहण, उन्हें सूचीबद्ध करना तथा प्रचार करना है। सूचनाओं की चयनित प्रचार सेवाएं (एसडीआईएस) तथा सामयिक जागरूकता सेवाएं (सीएएस) संस्था के पुस्तकालय तथा सूचना अनुभाग द्वारा प्रदान की जाती है जिससे विकलांगता तथा पुनर्वास के क्षेत्र में इसे प्रमुख प्रलेखन तथा सूचना केन्द्र के रूप में इसका उद्देश्य पूर्ण हो सके।



एनआईओएच पुस्तकालय में पुस्तकों का संग्रहण

लेखापरीक्षा ने देखा कि एसडीआईएस के प्रकाशन मई 2007 तक मासिक आधार पर किए जा रहे थे। इसके पश्चात प्रकाशन अनियमित हो गया और प्रत्येक वर्ष केवल दो से पांच अंक ही प्रकाशित हो पाते थे। सी.ए.एस. के मामले में संस्था ने जून 2007 के पश्चात इसे प्रकाशित नहीं किया। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय के अधीन विकलांग लोगों

के लिए कार्य करने वाली राष्ट्रीय संस्था की सितम्बर 2007 में सम्पन्न समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया गया कि पुस्तकालय द्वारा ई-लर्निंग सुविधा दी जानी चाहिए। संस्था ने इस संबंध में अब तक कोई कार्रवाई नहीं की थी।

4.3.4.1 डाटाबेस प्रबन्धन

संस्थान ने अस्थि विकलांगता से ग्रसित लोगों का डाटा बेस अनुरक्षित नहीं किया था। ‘डिसेबिलिटी मैपिंग’ पर एक पाइलट परियोजना यद्यपि वर्ष 2006-07 में शुरू की गई थी फिर भी पूरी नहीं हुई थी। संस्थान ने वर्तमान स्थिति तथा परियोजना पर हुए व्यय से संबंधित अभिलेख लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किए।

आगे यह भी देखा गया कि रोगियों के मूल्यांकन अभिलेख, पुराना इतिहास या पुनर्वास योजना संबंधी अभिलेख अनुरक्षित करने की कोई प्रणाली नहीं थी। केवल बाह्यरोगी विभाग (ओपीडी) में आने वाले रोगियों की प्राथमिक सूचना जैसे पंजीकरण संख्या, रोगी का नाम एवं पता रखी जारी थी। सितम्बर 2006 से, ओ.पी.डी. में आने वाले रोगियों के सम्बन्ध में केवल नुस्खों की केवल कार्बन प्रतियां स्टोर रूम में रखी जा रही थी जिसकी शेल्फ लाइफ बहुत कम थी। विभिन्न पुनर्वास स्कंधों के विशेषज्ञों जैसे आक्यूप्रैशनल थिरेपिस्ट तथा फिजिओथेरेपिस्ट द्वारा किए गए मूल्यांकन/निदान भी बिना किसी प्रति को अपने पास रखे रोगियों को दे दिए जाते थे। चूंकि पुनर्वास योजनाएं रोगी की आवश्यकतानुसार ही दी जाती थीं, सही अभिलेखों को अनुरक्षित न करने के कारण उपचार के कदमों की पहचान समाप्त हो जाती थी।

संस्थान ने बताया (नवम्बर 2010) कि सभी अभिलेखों को डिजिटल रूप में रखने के लिए परियोजना शुरू की गई है। तथापि, इसने उत्तर के समर्थन में कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए।

तथ्य यहीं था कि विकलांगता एवं पुनर्वास के क्षेत्र में प्रलेखन एवं सूचना केन्द्र के प्रमुख के रूप में संस्थान अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में विफल रहा।

अनुशंसाएं

- ई-पुस्तकालय स्थापित करने के अतिरिक्त संस्थान को सुनिश्चित करना चाहिए कि एसडीआईएस तथा सीएएस नियमित आधार पर प्रकाशित किए जाएं।
- संस्थान को अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विकलांगता एवं पुनर्वास के क्षेत्र में प्रलेखन एवं सूचना केन्द्र के प्रमुख के रूप में सेवा देने के लिए रोगियों का विस्तृत डाटाबेस अनुरक्षित करना चाहिए।

4.3.5 अन्वेषण कार्यकलाप

संस्था के प्रमुख कार्यों में से एक विकलांग लोगों की शिक्षा एवं पुनर्वास के संबंध में अन्वेषण करना तथा इसका प्रायोजन करना है। 2005-06 से 2009-10 के दौरान

संस्थान द्वारा अनुसंधान एवं विकास (अ. एवं वि.) पर किए जाने वाला व्यय तथा बजट नीचे तालिका-4 में दिए गए हैं

तालिका-4

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कुल योजनागत अनुदान	अ. एवं वि. पर बजट	अ. एवं वि. को आबंटित बजट का प्रतिशत	अ. एवं वि. पर वास्तविक बजट
2005-2006	2.59	0.14	5.41	0.01
2006-2007	4.00	0.10	2.50	0.03
2007-2008	2.40	0.10	4.08	0.07
2008-2009	3.50	0.30	8.57	0.09
2009-2010	5.02	0.30	5.98	0.04
कुल	17.51	0.94	5.31	0.24

संस्थान ने 2005-06 से 2009-10 के दौरान कुल प्राप्त अनुदान का 5.31 प्रतिशत अ. एवं वि. को आबंटित किया लेकिन आबंटित राशि का केवल 25 प्रतिशत ही उपयोग किया। यह संस्थान के अनुसंधान कार्य पर अपना ध्यान केंद्रित न करने के अभाव को दर्शाता था जो इसका एक कथित उद्देश्य था।

4.3.5.1 अनुसंधान परियोजनाएं

यह देखा गया कि संस्थान ने अनुसंधान कार्य के लिए विस्तृत योजना तैयार नहीं की थी। प्रारम्भ से ही संस्थान ने कोई ऐसा आन्तरिक उत्पाद नहीं बनाया जिसे जन सामान्य के प्रयोग में लाया जा सके। संस्थान ने 2003 से 15 परियोजनाएं चलाई। इनमें से केवल पांच परियोजनाएं पूरी की जा सकीं तथा पांच परियोजनाओं को चिकित्सीय परीक्षण में होना बताया गया था। शेष पांच परियोजनाएं अभी भी जारी थीं। संस्थान ने अनुसंधान परियोजनाओं को पूर्ण करने के लिए कोई तिथि नियत नहीं की थी। अनुसंधान कार्यों की प्रगति के अनुश्रवण तथा मूल्यांकन के लिए कोई अनुसंधान समिति भी नहीं थी। परियोजनाओं की लागत, संस्वीकृति एवं उनकी प्रगति से संबंधित कोई अभिलेख संस्थान द्वारा लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराए गए थे।

अनुशंसाएं

- संस्था को अनुसंधान कार्यों के विशिष्ट क्षेत्रों की पहचान करके लक्ष्य निर्धारित करते हुए कार्य पूरा करने की तिथि निर्धारण के साथ सही योजना बनानी चाहिए।
- संस्था को अनुश्रवण तथा अनुसंधान कार्य की नियमित रूप से प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए अनुसंधान समिति का गठन करना चाहिए।

4.3.6 चिकित्सीय पुनर्वास गतिविधियाँ

संस्था आन्तरिक तथा बाह्य दोनों रोगियों को चिकित्सा सुविधा प्रदान करती है जिसमें अस्थि विकलांग लोगों को पुनर्वास सेवाएं भी शामिल हैं। इनडोर वार्ड में 66 बैड हैं

जिनका 'वितरण पुनर्वास चिकित्सा स्कंध' (आर.एस.यू.) के 21 बैड में पांच पेडिआटिक्स बैड शामिल हैं, कैम्प वार्ड में 16 बैड तथा पुनर्वास विंग (आरडब्ल्यू) में 29 बैड हैं।

4.3.6.1 डाक्टरों एवं नर्सों की उपलब्धता

रोगियों को सामान्यतया पांच प्रकार के मौलिक उपचार दिए जाते हैं जो मेडिसीन, शल्यचिकित्सा, फिजियोथेरेपी, व्यावसायिक थेरेपी तथा प्रोस्थेटिक्स तथा आर्थोटिक्स की आपूर्ति। आवश्यकतानुसार मिश्रित उपचारों को भी दिया जाता है।

पिछले पाँच वर्षों में संस्था में आने वाले रोगियों की संख्या की तुलना में शल्य उपचार आदि तालिका-5 में दिए गए हैं।

तालिका-5

वर्ष	नए रोगियों की संख्या	रोगियों द्वारा किए गए दौरे	बड़ी शल्य चिकित्सा की संख्या	डाक्टरों की संख्या	नर्सों की संख्या
2005-06	13561	16338	134	10	12
2006-07	15207	17492	271	10	12
2007-08	15996	17884	138	10	13
2008-09	19362	20872	172	9	13
2009-10	21015	22401	233	15*	13
कुल	85141	94987	948	54	63

*इसमें ठेके पर रखे गए स्टाफ तथा प्रशिक्षु शामिल हैं।

रोगी-डाक्टर अनुपात का कोई विशिष्ट मापदण्ड उपलब्ध नहीं था जिसके चलते लेखापरीक्षा डाक्टरों एवं नर्सों पर विद्यमान कार्यभार पर कोई राय नहीं बना सका। तथापि तालिका से यह स्पष्ट है कि रिपोर्ट अवधि में नए रोगियों की संख्या तथा रोगियों द्वारा किए गए दौरों की संख्या को शामिल करके धीरे-धीरे अगले वर्षों में बढ़ रही थी। लेकिन उसी क्रम में डाक्टरों की वृद्धि नहीं देखी गई सिवाय वर्ष 2009-10 के जड़ डाक्टरों की संख्या 15 हो गई थी। इसी प्रकार की स्थिति नर्सों की थी जहाँ रोगियों की बड़ी संख्या की तुलना में बड़ी प्रगति नहीं देखी गई। संस्थान ने लेखापरीक्षा निष्कर्षों को स्वीकार किया था (नवम्बर 2011)।

4.3.6.2 रोगी देखभाल सुविधाएं

लेखापरीक्षा ने मेडिकल पुनर्वास इकाई द्वारा दी जाने वाली रोगी देखभाल सेवाओं में निम्नलिखित कमियाँ पाईः

- कुछ सीढ़ियों विशेषकर रोगियों के वार्ड के समीप (आरएसयू तथा आरडब्ल्यू) पर कोई हैण्ड सपोर्ट/रेलिंग नहीं था जिससे विकलांगों को चलने में कठिनाई होती थी।
- अवसंरचना की कमी के कारण कुछ नियमित परीक्षण जैसे पेशाब की कल्पना एवं संवेदनशीलता, मल, एन्टी सीसीपी टेस्ट आदि नहीं किए जा रहे थे।

- संस्थान लम्बमा 190 प्रमुख शल्यचिकित्सा प्रतिवर्ष करता था लेकिन यहाँ कोई रक्त-बैंक नहीं था जो डी.एन.बी. प्रशिक्षण के लिए आवश्यक था।
- यद्यपि संस्थान बड़े तथा छोटे आपरेशन नियमित रूप से करता था लेकिन वहाँ कोई सर्जिकल इन्टेन्सिव केयर इकाई नहीं थी तथा आपरेशन पश्चात रोगी भी रिटोएक्टिव सर्जरी इकाई में आपरेशन पूर्व वाले रोगियों के साथ रहे थे।
- संस्थान में कोई आपदा इकाई नहीं थी।
- संस्थान में एम्बूलेंस की सुविधा नहीं थी।

संस्थान ने लेखापरीक्षा निष्कर्षों से आंशिक रूप से सहमत होते हुए बताया (जनवरी 2011) कि केवल योजनागत शल्य चिकित्सा की जाती थी तथा प्राधिकृत ब्लड बैंक से रक्त को प्राप्त कर लिया जाता था।

अनुशंसा

- संस्थान को सर्जिकल आईसीयू ब्लड बैंक स्थापित करना चाहिए तथा एम्बूलेंस सेवाएं प्रदान करनी चाहिए।

4.3.7 सामाजिक-आर्थिक पुनर्वास (एसईआर)

सामाजिक-आर्थिक पुनर्वास विभाग अपने 3 स्टाफ जो (i) अनुसंधान अधिकारी (सामाजिक विज्ञान), (ii) व्यावसायिक सलाहकार-सह नियुक्ति अधिकारी तथा (iii) प्रसार सेवा अधिकारी जो संस्थान के दौरे पर आने वाले विकलांगों के क्षमता निर्माण के लिए उत्तरदायी हैं। लेखापरीक्षा में निम्नलिखित कमियां देखी गईः

- अनुसंधान अधिकारी (सामाजिक विज्ञान) ने प्रारम्भ से (1992) 26 सेरिब्रल पाल्सी बच्चों में बहु-विकलांगता पर अनुदैर्घ्य अनुवर्ती कार्य किया जो 2010 तक जारी रहा। तथापि, अनुसंधान अधिकारी के गैर अनुसंधान कार्य में लगे होने के कारण अनुसंधान में कोई नया मामला नहीं लिया गया। आगे देखा गया कि अधिकारी ने एक प्रोजेक्ट माडल का विकास किया था जिसमें माता पिता के मानसिक तनाव को कम करने तथा सकारात्मक सोच विकसित करने के लिए तथा सेरीब्रल पाल्सी वाले बहु-विकलांगता वाले बच्चों को मुख्यधारा कार्य में लगाने का प्रोजेक्ट माडल भी विकसित किया गया था। यद्यपि यह परियोजना माडल पुनर्वास अनुसंधान की अन्तर्राष्ट्रीय पत्रिका में दिसम्बर 2006 में प्रकाशित हो चुका था लेकिन यहाँ अक्टूबर 2009 से ओपीडी में कार्यान्वयन के लिए सक्षम अधिकारी की संस्थीकृति के लिए लम्बित पड़ा था। परियोजना की संस्थीकृति में विलम्ब के कारण मरीजों को वांछित लाभ नहीं मिल पा रहा था।
- विकलांग लोगों के पुनर्वास के लिए, संस्थान में एक नियुक्ति कक्ष था जहाँ विभिन्न संगठनों की आवश्यकतानुसार आवश्यक लोगों के अभिलेख मैनुअल रूप से अनुरक्षित किए जा रहे थे। इन पंजीकृत लोगों को अवसरों के बारे में सूचित किया जाता था। नवम्बर 2010 तक 77 पंजीकृत व्यक्तियों में से नियुक्ति कक्ष के माध्यम से 23 को काम पर लगाया गया था। लाभार्थियों पर

किए गए लेखापरीक्षा सर्वे से प्रकट हुआ कि रोगी नियुक्ति कक्ष के अस्तित्व से अनभिज्ञ थे।

4.3.8 साधन एवं उपकरणों का वितरण

प्रोस्थेटिक तथा आर्थोटिक्स उपकरण मरीज के रोगग्रस्त अंग को और गम्भीर होने से बचाव या उसके कार्य में सहायता/सुधार लाते हैं। संस्थान अपने प्रोस्थेटिक तथा आर्थोटिक्स विभाग से रोगियों की व्यक्तिगत आवश्यकता एवं डाक्टरी सलाह के अनुरूप डिजाइन, बनावट, संशोधन एवं फिटमेंट करके सहायक वस्तुओं/उपकरणों का प्रावधान करता है। संस्थान योग्य विकलांगों की आवश्यकतानुसार साधन तथा उपकरणों का वितरण अपने आउटडोर/इनडोर विभागों तथा स्वयं द्वारा कैम्प आयोजित करके करता है। संस्थान अपने द्वारा चलाए जा रहे कम्यूनिटी आधारित पुनर्वास परियोजना (सीवीआर) के माध्यम से साधन/उपकरण भी वितरित करता है।

4.3.8.1 एडीआईपी योजना

मंत्रालय के अधीन एक योजना है जिसे ‘असिस्टेंस टू डिसेबल्ड परसन्स फार परचेज/फिटिंग आफ एड्स/अप्लायन्सेज’ (एडीआईपी) कहते हैं। संस्थान जरूरतमंद लोगों को उनकी विकलांगता के प्रभावों को कम करके तथा आर्थिक क्षमता को बढ़ाकर उनके शारीरिक सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक पुनर्वास के लिए टिकाऊ, परिष्कृत तथा वैज्ञानिक रूप से निर्मित आधुनिक मानक सहायता तथा उपकरणों का प्रावधान करता है। एडीआईपी योजना में लाभार्थियों के चयन के लिए एक शर्त यह थी कि विकलांग व्यक्ति को किसी और एजेन्सी और संस्थान से कोई सहायता प्राप्त नहीं होनी चाहिए। 12 वर्ष के कम बच्चों के लिए यह सीमा एक वर्ष थी।

तथापि, यह देखा गया कि संस्थान ने पूर्व में साधन एवं उपकरण पाने वाले लाभभोगियों का कोई केन्द्रीय डाटा तैयार नहीं किया था। आगे, संस्थान में इस बात की कोई व्यवस्था नहीं थी कि इसी योजना के अन्तर्गत किसी अन्य अभिकरण से फायदा नहीं प्राप्त किया था। अतः व्यक्ति विशेष के संस्थान से मुफ्त सहायता एवं यंत्रों के दुस्प्रयोग की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता।

लाभभोगियों की पात्रता सुनिश्चित करने हेतु तंत्र की अनुपस्थिति की लेखापरीक्षा टिप्पणियों को स्वीकार करते हुए संस्थान ने बताया (जून/नवम्बर 2010) कि विशेष पहचान क्रमांक के लागू होने के पश्चात कम्प्यूटरीकृत प्रणाली में उपयुक्त संशोधन किया जाएगा।

एडीआईपी योजना के तहत सहायता अनुदान की शर्तों के अनुसार पिछले लाभभोगियों के अभिलेखों की नमूना जांच पर प्रतिवेदन जिसमें साधन/उपकरणों की उपयोगिता को शामिल किया जाना था। आगे लाभार्थियों के 10 प्रतिशत नमूना जांच से यह पाया गया कि जहां लाभभोगियों की कुल संख्या 500 से कम थी, को किया जाना था। लेकिन इन नमूना जांचों के साक्ष्य में लेखापरीक्षा को कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए।

संस्थान ने बताया (नवम्बर 2010) कि ऐसे नमूना जांच व्यावहारिक रूप से सम्भव नहीं थे।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि ऐसे जांच फालो-अँप कैंपों में किए जा सकते थे जिससे बांटे गए साधन/उपकरणों की उपयोगिता तथा लाभभोगियों के कार्यात्मक सुधार को नियमित आधार पर किया गया।

एडीआईपी योजना में मरीजों को साधन/उपकरण की आपूर्ति में दो से 61 महीनों की देरी थी जैसा तालिका-6 में दिखाया गया है।

तालिका-6

वर्ष	एडीआईपी योजना के अंतर्गत कुल मरीजों की संख्या जिन्हें उपकरण उपलब्ध कराए जाने आवश्यक थे	रोगियों की कुल संख्या जिन्हें एडीआईपी योजना के अंतर्गत उपकरणों की आपूर्ति में देरी थी	साधन/उपकरण की आपूर्ति में देरी (महीनों में)
2005-06	483	-	-
2006-07	1295	104	2 to 11
2007-08	543	123	3 to 22
2008-09	635	120	2 to 22
2009-10	472	112	2 to 61

स्रोत: प्रोस्थेटिक्स एवं आर्थेटिक्स विभाग द्वारा तैयार किया गया निर्माण रजिस्टर

संस्थान द्वारा (अगस्त 2010) कर्मचारियों की कमी, आधुनिक उपकरणों की कमी तथा कच्चे माल की खरीद में देरी को मुख्य कारणों में बताया गया।

4.3.8.2 अनुसरण

पोस्ट वितरण लाभार्थियों के लिए देखभाल भी एडीआईपी योजना के तहत आवश्यक है हालांकि, संस्थान लाभार्थियों की अनुवर्ती और उनमें से लगाए जाने के बाद की जाने वाली देखभाल के लिए पूरा कोई प्रक्रिया नहीं थी।


संस्थान ने कहा कि उद्देश्य के लिए विशिष्ट जनशक्ति उपलब्ध न होने के कारण साधन/उपकरण की उपयोगिता सत्यापित करने के लिए अनुवर्ती शिविर नहीं लगाए जा सके तथा यह भी बताया कि अनुवर्ती शिवरों के लिए सहयोगी एजेंसियों को आगे आना चाहिए।

अनुशंसाएं

- संस्थान को एडीआईपी योजना के तहत लाभार्थियों की पात्रता की पुष्टि करने के लिए एक तंत्र विकसित करना चाहिए।
- संस्थान को लाभार्थियों को साधन और उपकरणों का समय पर वितरण सुनिश्चित करना चाहिए।

4.3.9 ज़िला विकलांग पुनर्वास केन्द्र

ज़िला विकलांग पुनर्वास केन्द्र (जि.वि.पु.के.) शिविर आयोजन के माध्यम से जागरूकता लाने के लिए देश के असेवित ज़िलों में निम्नतम स्तर पर विकलांग लोगों को व्यापक सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य के साथ स्थापित किए गए थे। केन्द्र सरकार मानवशक्ति, आकस्मिकताओं के साथ-साथ आवश्यक उपकरण तथा तकनीकी इनपुट के लिए प्रारंभिक निधि के उत्तरदायी था। जबकि जि.वि.पु.के. की गतिविधियों के लिए अवसंरचना समन्वयन तथा मॉनीटर राज्य सरकारों द्वारा मुहैया करायी जाती हैं। उसके अस्तित्व के प्रारंभिक तीन वर्षों के पश्चात जि.वि.पु.के. (उत्तर पूर्वी तथा जम्मू व कश्मीर में पांच वर्ष), रा.आ.वि.सं. कार्यान्वयन एजेंसी ने तकनीकी मानव शक्ति, उपकरण तथा प्रशिक्षण आदि प्रदान किए तथा उसको भावी अनुरक्षण हेतु राज्य सरकार/चयनित गै.स.सं. को सौंप दिया था। यह विचार किया गया था कि जि.वि.पु. के लम्बे समय तक स्व-संपोषित बनाया जाना चाहिए तथा इस प्रकार, विभिन्न सेवाओं के लिए नाममात्र प्रभार नियत करने के साथ-साथ दान तथा अन्य साधनों द्वारा स्रोत उत्पन्न करने के प्रयास करना अपेक्षित था। चूंकि योजना में किन्हीं स्थायी पदों का विचार नहीं किया गया था, इसलिए अपेक्षित स्टाफ की संविदा आधार पर नियुक्ति की गई थी।



बंद जि.वि.पु.के., मध्य ग्राम, उत्तरी 24 परगना का सामने का दृश्य



रांची में सी.पी.ओ. पाठ्यक्रम हेतु अनुपयोगी पड़े उपकरण

अब तक संस्थान द्वारा जून 2000 से जुलाई 2004 तक 14 जि.वि.पु.के. स्थापित किए गए थे जिनमें से 12 को अप्रैल 2004 से अप्रैल 2009 के दौरान गै.स.सं./राज्य सरकारों को सौंपे गये थे। इनमें से 10 जि.वि.पु.के. अक्तूबर 2010 तक खत्म हो चुके थे। यहां तक कि दो जो सौंपे नहीं गए थे को आंशिक रूप से कार्यशील बताया गया। इसका विवरण अनुबंध-क में दिया गया है।

संस्था ने (अक्तूबर 2010) जि.वि.पु.के. को सौंपे जाने के बाद न होना, कार्यशील मंत्रालय से अग्रिम निधि की अनुपलब्धता तथा पुनर्वास पेशेवरों के लिए कम मानदेय को जिम्मेदार ठहराया। इसके अतिरिक्त यह बताया गया कि स्थानीय रूप से उपलब्ध सीमित प्रशिक्षित जनशक्ति के साथ जि.वि.पु.के. के माध्यम केवल कुछ सेवाओं से दी जा सकती है।

मामला अध्ययन

लेखापरीक्षा दल द्वारा संस्थान द्वारा मध्यमग्राम (उत्तरी 24 परगना पश्चिम बंगाल) तथा रांची (झारखण्ड) में खोले गए दो जि.वि.पु.केन्द्रों का दौरा किया गया तथा निम्नलिखित कमियों को पाया गया।

- i) **जि.वि.पु.के. मध्यमग्राम (उत्तरी 24 परगना)** 2003 में स्थापित किया गया था तथा 2006 में भारतीय रेड क्रास सोसाइटी (भा.रे.क्रा.सो.) को सौंपा गया। फिजियोचिकित्सक, आडियोलोजिस्ट स्पीचथैरेपी तथा प्रोस्थेटिक और आर्थोटिक इकाइयां केन्द्र में उपलब्ध थीं। केन्द्र ने भा.रे.क्रा.सो. को सौंपे जाने के बाद केवल छः महीने काम किया और उसके बाद इसे बंद कर दिया गया। भा.रे.क्रा.सो. ने कहा कि जि.वि.पु.के. को मंत्रालय से निधियों की आवश्यकता के लिए बंद करना पड़ा।
- ii) **जि.वि.पु.के. रांची नवम्बर 2001 में भा.रे.क्रा.सो.** के सहयोग से स्थापित किया गया तथा यह 2006 तक आसानी से कार्य करता रहा। इस केन्द्र में भौतिक चिकित्सा, व्यावसायिक चिकित्सा प्रोस्थेटिक तथा आर्थोटिक्स इकाईयां शामिल थीं। संस्थान की कार्यकारी परिषद ने रांची में एक क्षेत्रीय केन्द्र स्थापित करने तथा दो पाठ्यक्रम (i) प्रोस्थेटिक्स एवं आर्थोटिक्स में प्रमाणपत्र; तथा (ii) पुनर्वास थेरेपी में डिप्लोमा को शुरू करने की मंजूरी दे दी (जुलाई 2006)। मंत्रालय से निधियों की गैर प्राप्ति के कारण संस्थान द्वारा जि.वि.पु.के. को नियमित रूप से धन जारी करना बंद कर दिया गया। तथापि, जि.वि.पु.के. के क्षेत्रीय केन्द्र के रूप में जनवरी 2011 तक उन्नत किया जाना शेष था। इससे आगे यह पाया गया कि प्रोस्थेटिक्स और आर्थोटिक्स पाठ्यक्रम में प्रमाणपत्र के लिए खरीदे गए उपकरण बेकार पड़े थे।

अनुशंसा

- मंत्रालय को जि.वि.पु. केन्द्रों को सतत रूप से धन प्रदान करना चाहिए ताकि जि.वि.पु.के. सतत रूप से कार्य कर सके।

4.4 निष्कर्ष

तीन दशकों से इसकी विद्यमानता के बावजूद संस्थान वांछित स्तर तक अपने उद्देश्य प्राप्त नहीं कर सका। लाभभोगियों की बढ़ती हुई संख्या के समकक्ष अवसंरचनात्मक सुविधाओं में सुधार नहीं किया जा सका। उसमें गहन अनुसंधान तथा विकास कार्य करने की आवश्यकता थी। ए.डी.आई.पी योजना के अंतर्गत विकलांग व्यक्तियों को साधन/उपकरण सौंपने में यथेष्ट विलम्ब किए गए थे। संस्थान विकलांगता तथा पुनर्वास के क्षेत्र में अग्रक प्रलेखन तथा सूचना केन्द्र के रूप में कार्य करने के उसके उद्देश्य को प्राप्त करने में भी विफल रहा क्योंकि उसने रोगियों के मूल्यांकन अभिलेख या इतिहास शीट या उनके पुनर्वास के लिए योजनाओं का अनुरक्षण करने के लिए कोई प्रणाली सृजित नहीं की थी। इन कमियों के कारण वह योजनागत शीर्ष के अंतर्गत निधियों का पूर्ण रूप से उपयोग नहीं कर सका।

संस्थान को देश में अस्थि विकलांग जनसंख्या के पुनर्वास के क्षेत्र में अग्रक संगठन के रूप में कार्य करने तथा बदलते समय के साथ चलने के लिए उसके आधुनिकीकरण हेतु सामरिक महत्व के निर्णय लेने की आवश्कयता है।


4.5 आभार

हम संस्थान द्वारा लेखापरीक्षा दल को लेखापरीक्षा के दौरान सहयोग के लिए आभार प्रकट करते हैं।

यह मामला मंत्रालय को जनवरी 2011 में दर्ज कराया गया उनका उत्तर जुलाई 2011 तक प्रतीक्षित था।

परिशिष्ट- क
(पैराग्राफ 4.3.9 के संदर्भ में)

क्र. सं.	जि.वि.पु.के. का नाम	जि.वि.पु.के. प्रारंभ करने की तिथि	जि.वि.पु.के. के सौंपे जाने की तिथि तथा किसको सौंपा गया	इसकी वर्तमान स्थिति
1.	जि.वि.पु.के. – उत्तरी 24 परगना, पश्चिम बंगाल	11-11-2003	21-12-2006 भा.रे.क्रा.सो. बारासत को सौंपा गया	अकार्यशील
2.	जि.वि.पु.के. – मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल	ला.न.- भा.श्र.वि.सं. से दिसम्बर 2001 में प्रभार लिया	04-11-2004- जिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण समिति को सौंपा गया	अकार्यशील
3.	जि.वि.पु.के. – दीमापुर नागालैण्ड	30-06-2000	08-06-2006 आईआरसीएस दीमापुर को सौंपा गया	अकार्यशील
4.	जि.वि.पु.के. – शिलोंग मेघालय	16-03-2001	28-06-2006- विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास सेवाओं के लागू करने हेतु राज्य समिति	कार्यशील
5.	जि.वि.पु.के. – दरभंगा बिहार	07-04-2001	28-02-2007- डीडब्ल्यूओ दरभंगा के अन्तर्गत जिला प्रशासन को सौंपा गया	अकार्यशील
6.	जि.वि.पु.के. – छपरा बिहार	ला.न.- एनआईआरटीएआर से जुलाई 2004 में प्रभार लिया	08-07-2006 वरदान (गै.स.सं.) को सौंपा गया	अकार्यशील
7.	जि.वि.पु.के. – जेहानाबाद बिहार	10-02-2004	27-02-2007 आईआरसीएस जेहानाबाद को सौंपा गया	अकार्यशील
8.	जि.वि.पु.के. – समस्तीपुर बिहार	14-01-2004	01-03-2007 आईआरसीएस समस्तीपुर को सौंपा गया	अकार्यशील
9.	जि.वि.पु.के. – गया बिहार	ला.न.- भा.श्र.वि.सं. से नव. 2003 में प्रभार लिया	01-04-2004 आईआरसीएस गया को सौंपा गया	अकार्यशील
10.	जि.वि.पु.के. – इलाहाबाद उ.प्र.	17-10-2000	17-02-2007- जेआरएच विश्वविद्यालय चित्रकूट उ.प्र. को सौंपा गया	अकार्यशील
11.	जि.वि.पु.के.- अम्बेडकर नगर उ.प्र.	10-08-2004	10-04-2009- एनटीपीसी के अन्तर्गत एनएफएनडीआरसी-टांडा अम्बेडकर नगर को सौंपा गया	कार्यशील
12.	जि.वि.पु.के. – तेजपुर असम	15-08-2002	26-06-2008- सोनितपुर जिला विकलांग पुनर्वास एवं कल्याण समिति	अकार्यशील
13.	जि.वि.पु.के. – रांची झारखण्ड	01-11-2001	अभी तक नहीं सौंपा गया	आंशिक रूप से कार्यशील
14.	जि.वि.पु.के. – पोर्ट ब्लेयर अ.नि.द्वी.स.	05-02-2003	अभी तक नहीं सौंपा गया	आंशिक रूप से कार्यशील



शहरी विकास मंत्रालय

दिल्ली विकास प्राधिकरण

भूमि का अधिग्रहण एवं विकास

**अध्याय V: दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि का अधिग्रहण एवं विकास
(शहरी विकास मंत्रालय)**

विशिष्टताएँ

➤ भूमि का अधिग्रहण

- दि.वि.प्रा. ने दिल्ली के मास्टर प्लान - 2021 के कार्यान्वयन के मूलभूत प्रावस्थाबद्ध उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कोई लघु/दीर्घ अवधि योजना तैयार नहीं की। इस उद्देश्य से संबंधित गठित की गई उच्च स्तरीय समिति नियमित अवधि पर नहीं मिली। इसके अतिरिक्त उचित मॉनिटरिंग के लिए प्रगति का डाटा बेस तैयार नहीं किया गया।

(पैराग्राफ 5.3.3.1)

- 100 मीटर सड़क के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण पर ₹ 84.98 करोड़ का व्यय हुआ था। यद्यपि, सड़क निर्माण कार्य, पूरी जमीन न सौंपने के कारण पूरा नहीं हो सका था।

(पैराग्राफ 5.3.3.1)

- दि.वि.प्रा. के निरुत्साही दृष्टिकोण के परिणामस्वरूप जमीन के मालिकों से क्षति प्रभार के तौर पर ₹ 8.86 करोड़ की तथा जमीन मालिकों को क्षतिपूर्ति के अधिक भुगतान के कारण ₹ 25.69 करोड़ की गैर-वसूली हुई।

(पैराग्राफ 5.3.3.3 और 5.3.3.4)

➤ भूमि का विकास

- ₹ 24.11 करोड़ का व्यय व्यर्थ रहा क्योंकि दि.वि.प्रा. और स्थानीय निकायों के बीच समन्वय नहीं होने के कारण कई परियोजनाएँ चालू नहीं हो सकी।

(पैराग्राफ 5.3.4.1)

- कमान्ड टैंक के चालू न होने के कारण ₹ 25.14 करोड़ का व्यर्थ व्यय।

(पैराग्राफ 5.3.4.2)

- सक्षम प्राधिकारी से उचित अनुमोदन लिए बिना ₹ 16.41 करोड़ का व्यय किया गया।

(पैराग्राफ 5.3.4.3 और 5.3.4.4)

सिफारिशों का सारांश

➤ भूमि का अधिग्रहण

- एम.पी.डी. 2021 में दिए लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु दि.वि.प्रा. को लघु तथा दीर्घावधि योजनाएँ तैयार करनी चाहिए।
- उप राज्यपाल के निर्णय के अनुसार उच्च स्तरीय समिति को नियमित आधार पर आवधिक रूप से मिलना चाहिए।
- दि.वि.प्रा. को मॉनिटरिंग यूनिटों को तुरन्त लागू करना होगा जिसके परिणामस्वरूप एम.पी.डी. 2021 के कार्यान्वयन में आ रही कमियों का पता लगाने के लिए सुदृढ़ डाटा बेस बनेगा तथा लक्ष्यों को दक्षतापूर्ण प्राप्त करने के लिए तदानुसार सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी।
- विध्वंस संबंधी कार्यक्रम को उच्च-स्तरीय समिति द्वारा मॉनिटर किया जाना चाहिए।

➤ भूमि का विकास

- दि.वि.प्रा. को बाधाओं को शीघ्रतापूर्वक हटाने हेतु स्थानीय निकायों तथा जनोपयोगी सेवाओं के साथ समन्वय तंत्र स्थापित करना चाहिए।
- कार्य के कार्यान्वयन के दौरान तथा एक कार्य प्रारंभ करने से पहले अन्य नागरिक योजनागत तथा जनोपयोगी ऐजेन्सियों के साथ योजनागत स्तर पर स्वयं पर्याप्त समन्वय सुनिश्चित करने के लिए संस्थागत तन्त्रों को सुदृढ़ किया जाना चाहिए ताकि डी.डी.ए. द्वारा सार्वजनिक अवसंरचना तथा सुविधाओं की रचना योजना तथा संबंधित नागरिक ऐजेन्सियों के प्रक्षेपणों के अनुरूप हो।
- जोखिम घटक को ध्यान में रखते हुए लेखापरीक्षा की जाने वाली इकाईयों की आन्तरिक लेखापरीक्षा की अवधि को निर्दिष्ट किया जाना चाहिए तथा आन्तरिक लेखापरीक्षा विंग को सुदृढ़ करना चाहिए ताकि अधिक से अधिक इकाईयों की लेखापरीक्षा पूरी की जा सके।

5.1 प्रस्तावना

दिल्ली विकास प्राधिकरण (दि.वि.प्रा.) अधिनियम, 1957 में यह प्रावधान है कि दि.वि.प्रा. को दिल्ली के मास्टर प्लान के आधार पर दिल्ली का विकास बढ़ाना तथा सुनिश्चित करना उनका उद्देश्य रहेगा और इस कार्य को पूर्ण रूप देने के लिए दि.वि.प्रा. के पास भूमि और अन्य संपत्तियों का अधिग्रहण, रोकना प्रबंधन, विकास और भवन निर्माण, इंजिनियरिंग, खनन और प्रचालन, पानी और बिजली आपूर्ति के संबंध में कार्य करना, सीवेज का निपटान और अन्य सेवाएँ तथा सुख-सुविधाएँ तथा सामयिक उद्देश्य के लिए तथा इन विकास के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए तथा आकस्मिक उद्देश्यों के लिए शक्ति होगी। इस प्रकार, दि.वि.प्रा. केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित मास्टर प्लान के

आधार पर अन्य विकास के लिए सृजित स्कीमों के कार्यान्वयन हेतु भूमि अधिग्रहण, भूमि के विकास कार्य के लिए उत्तरदायी है। भूमि, दिल्ली सरकार द्वारा (भूमि एवं भवन विभाग) अधिग्रहीत की जाती है तथा विभिन्न विकास स्कीमों के अधीन अनुमोदित विकास उद्देश्यों के दि.वि.प्रा. को सौंपी जाती है।

5.1.1 संगठनात्मक ढांचा

दिल्ली के उप राज्यपाल दि.वि.प्रा. के प्रधान हैं। दि.वि.प्रा. में दिन प्रतिदिन का प्रशासन कार्य उपाध्यक्ष को सौंपा जाता है जिनकी सहायता के लिए सदस्य (वित्त) एवं सदस्य (इंजीनियरिंग) होते हैं। भूमि अधिग्रहण के मामले प्रधान आयुक्त (भूमि प्रबंधन) के पास होते हैं जिनको सहायता देने के लिए आयुक्त (भूमि प्रबंधन) तथा दो निदेशक होते हैं। जबकि विविध विकास योजनाओं को आयुक्त (योजना) बनाते हैं जिनकी ज़ोन के अनुसार निदेशक (योजना) सहायता करते हैं, योजनाओं का कार्यान्वयन छः मुख्य अभियन्ताओं द्वारा होता है जोकि सदस्य (इंजीनियरिंग) के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करते हैं। मुख्य अभियन्ता को अधीक्षण अभियन्ता सर्कल में और कार्यकारी अभियन्ता डिवीजन के स्तर पर मदद करते हैं।

5.2 लेखापरीक्षा दृष्टिकोण

दिल्ली विकास प्राधिकरण की लेखापरीक्षा नियंत्रक महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 (2) को दिल्ली विकास प्राधिकरण, 1957 की धारा 25 (2) के साथ पढ़े जाने के अधीन की जाती है।

5.2.1 लेखापरीक्षा क्षेत्र

इस निष्पादन लेखापरीक्षा में वर्ष 2005-10 के दौरान भूमि के अधिग्रहण एवं विकास संबंधी क्रियाकलाप शामिल है। बीस योजनाओं में से इस अवधि से संबंधित छः मामलों की जाँच की गई है।

5.2.2 लेखापरीक्षा उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा यह जाँचने के लिए की गई थी कि क्या:

(i) भूमि अधिग्रहण

- दिल्ली के लिए अनुमोदित मास्टर योजना के आधार पर विभिन्न विकास योजनाओं के लिए भूमि का अधिग्रहण हुआ और मास्टर प्लान में निर्धारित समयानुसार किया गया था।
- क्षतिपूर्ति दरों की वृद्धि को लागू करने में और पूर्ण भुगतान के बाद क्षतिपूर्ति के बंटवारे में विवादों के निपटान में कोई विसंगति थी।
- अतिक्रमणों को हटाने के लिए विधवंस कार्यक्रमों की पर्याप्त योजना बनाने तथा कार्यान्वयन के साथ विधिक उपाय थे।

(ii) भूमि विकास

- विकास योजनाएँ सुचारू रूप से बनाई ओर कार्यान्वित की गई।
- इन कार्यान्वित योजनाओं को निर्धारित उद्देश्यों के लिए उपयोग किया गया था और लाभ वांछित लाभार्थियों को प्राप्त हुए।
- सुनिश्चित करने के लिए समुचित अनुवीक्षण प्रक्रिया थी कि कार्य संविदा की शर्तों के अनुसार किए जाए रहे थे।
- कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु समुचित आंतरिक नियंत्रण प्रणाली अस्तिव में थी।

5.2.3 लेखापरीक्षा मापदण्ड

निष्पादन लेखापरीक्षा के लेखापरीक्षा मापदण्ड के मुख्य स्रोत यह थे:-

1. दिल्ली का मास्टर प्लान 2021
2. दिल्ली विकास अधिनियम, 1957
3. केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग मैनुअल
4. वर्क्स एडवाईज़री बोर्ड की बैठकों का कार्यवृत्त
5. ठेका करारनामा

5.2.4 लेखापरीक्षा कार्यविधि

प्राधिकरण का निष्पादन लेखापरीक्षा जुलाई 2010 में प्रारम्भ होने के लिए निश्चित हुई थी। दि.वि.प्रा. को अधिमानतः जुलाई 2010 के पहले हफ्ते में प्रवेश सम्मेलन की तारीख निश्चित करने हेतु 27 जून 2010 को अनुरोध किया गया और उसके बाद 9 अगस्त 2010 को अनुस्मारक भी इस मामले में भेजा गया था। 24 सितम्बर 2010 को निश्चित की गयी बैठक दि.वि.प्रा. ने रद्द कर दी। आखिर में सम्मेलन 12 अक्टूबर 2010 को हुआ जिसमें लेखापरीक्षा उद्देश्यों पर चर्चा हुई।

प्राधिकरण के रिकॉर्डों की जाँच जुलाई 2010 से जनवरी 2011 की अवधि के बीच हुई। मई 2011 में उपाध्यक्ष को समापन सम्मेलन में भाग लेने के लिए अनुरोध किया गया ताकि लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर चर्चा की जा सके। जून 2011 में हुए समापन सम्मेलन के दौरान लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर दि.वि.प्रा. के मुख्य लेखा अधिकारी और अन्य अधिकारियों के साथ विस्तार से चर्चा हुई।

5.3 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

5.3.1 पिछले लेखापरीक्षा निष्कर्ष

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने अपनी वर्ष 2006 की रिपोर्ट सं 2 में दि.वि.प्रा. द्वारा भूमि विकास के कार्यकलापों पर पुनरीक्षण किया था। समिति के अवलोकन/सिफारिश

पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई उनकी 'दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि का विकास' पर पचपनवीं रिपोर्ट (चौदहवीं लोकसभा) में शामिल थी और लोक लेखा समिति द्वारा उनकी बीसवीं रिपोर्ट (पंद्रहवीं लोक सभा) में जाँच की गई और यह सिफारिश की गई थी कि शहरी विकास मंत्रालय को दि.वि.प्रा. में हो रहे मामलों को अनियंत्रित नहीं छोड़ना चाहिए और दि.वि.प्रा. को सुचारू रूप से चलाने के लिए शीघ्रतापूर्वक तथा परिणाम आधारित कदम उठाने चाहिए। आवश्यक होने पर, दि.वि.प्रा. अधिनियम को इसी प्रभाव के लिए संशोधित किया जाना चाहिए।

इस अगले निष्पादन प्रतिवेदन में 2005-2010 की अवधि से संबंधित विकास के साथ-साथ अधिग्रहण के कार्यों के पुनरीक्षण के परिणाम सम्मिलित हैं।


5.3.2 वित्तीय प्रबंधन

2005-06 से 2009-10 वर्षों के दौरान भूमि के विकास तथा अधिग्रहण के लिए किए गए व्यय का बजट आबंटन तथा वास्तविक व्यय ग्राफ 1 तथा 2 में नीचे दर्शाया गया है:

ग्राफ 1


भूमि का अधिग्रहण

(₹ करोड़ में)



ग्राफ 2
भूमि का विकास

(₹ करोड़ में)



वहाँ असामान्य विचलन थे (भूमि के कब्जे के संबंध में 70 प्रतिशत तक तथा भूमि के विकास के मामले में 49 प्रतिशत तक) जो दर्शाते हैं कि बजट प्रावधान वास्तविकता के आधार पर नहीं बनाए गए थे। भूमि के कब्जे के मामले में वर्ष 2006-07, 2007-08 तथा 2008-09 के दौरान तथा भूमि के विकास के मामले में इन सभी पाँच वर्षों के दौरान विचलन अनुज्ञेय सीमा से 10 प्रतिशत अधिक था। प्रबंधन ने स्पष्ट किया (जून 2011) कि सामान्य तौर पर बजट की माँग पिछले वर्षों में प्राप्त की गई भूमि तथा अदा किए गए मुआवजे की राशि तथा इसके अतिरिक्त सम्बन्धित वर्ष में प्राप्त की जाने वाली भूमि तथा अदा किए जाने वाले मुआवजे की राशि के आधार पर किया गया था। यद्यपि यह अनुभव किया गया कि भूमि अधिग्रहण कई स्तरों पर मुकदमेबाजी में घिरा हुआ था जिसके परिणामस्वरूप माननीय न्यायालय द्वारा स्थगन जारी किया गया, इस सम्बन्ध में अदा किए जाने वाले मुआवजे तथा प्राप्त की जाने वाली भूमि के प्रक्षेपित अनुमानों पर भी प्रभार आ जाता है। इसके अतिरिक्त प्रबंधन में आश्वासन दिया कि भविष्य में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित भूमि के विकास के संबंध में अधिकतम बजट आबंटन को उपयोग में लाने के प्रयत्न किए जाएंगे तथा बजटीय अनुमानों को भी और अधिक वास्तविक रूप से बनाया जाएगा।

5.3.3 भूमि का अधिग्रहण

वर्ष 2005-06 से 2009-10 की अवधि के दौरान 6046.06 एकड़ भूमि दि.वि.प्रा. को भूमि तथा भवन विभाग, दिल्ली सरकार से हस्तान्तरित की गई जिसमें से 5539.94 एकड़ भूमि विकास प्रयोजन के लिए प्रयोक्ता विभाग को हस्तान्तरित की गई।

प्रबंधन ने स्पष्ट किया (जून 2011) कि कुछ पॉकेट के लिए योजना विभाग ने विस्तृत योजना रूपरेखा नहीं बनाई थी, जोकि भूमि प्रबंधन विभाग द्वारा प्रयोक्ता विभाग जैसे इंजिनियरिंग विभाग को भूमि हस्तान्तरित न किए जाने का प्रमुख कारण है। यह उत्तर लेखापरीक्षा के विषय से संबंधित नहीं है। भूमि के अधिग्रहण की योजना की विस्तृत रूपरेखा पूर्वदिनांकित होनी चाहिए। अब तक 271.13 एकड़ भूमि अविकसित/अप्रयुक्त पड़ी है।

5.3.3.1 मास्टर प्लान का कार्यान्वयन



मास्टर प्लान दिल्ली 2021 केन्द्रीय सरकार द्वारा 7 फरवरी 2007 को अनुमोदित तथा अधिसूचित किया गया। दि.वि.प्रा. मास्टर प्लान कार्यान्वित करने के लिए नोडल एजेंसियों में से एक है। मास्टर प्लान का अध्याय 18, 2006-11, 2011-16 तथा 2016-21 के दौरान क्रमशः (**(अनुलग्नक-I)**) प्रावस्थाबद्ध रूप से उपलब्धियाँ प्राप्त करने के लिए प्रावधान करता है। यह, एक मॉनिटरिंग समिति तथा मैनेजमेंट एक्शन ग्रुप अर्थात् योजना संकेतक, दिल्ली के लिए उप क्षेत्रीय योजना के लिए उच्च स्तरीय ग्रुप, पर्यावरण योजना तथा समन्वय ग्रुप, अवसंरचना विकास ग्रुप, प्रवर्तन तथा योजना मॉनिटरिंग ग्रुप आदि के लिए भी प्रावधान करता है।

मास्टर प्लान की आवधिक संवीक्षा तथा अनुवीक्षण के लिए उप राज्यपाल की अध्यक्षता के अंतर्गत 8 मई 2008 को हुई पहली उच्च स्तरीय समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि समिति छ: माह के नियमित अन्तराल में मिलेगी तथा सभी विभाग/स्थानीय निकाय एक स्थिति रिपोर्ट भेजेंगे। हालांकि, डी.डी.ए. द्वारा पिछले ढाई वर्षों से कोई कार्रवाई नहीं की गई।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया:

- मास्टर प्लान दिल्ली (एम.पी.डी.) 2021 फरवरी 2007 में अनुमोदित किया गया तथा फरवरी 2009 तथा सितम्बर 2009 में 15 की संख्या में क्षेत्रीय योजनाएं डी.डी.ए. द्वारा मंत्रालय को अनुमोदन हेतु भेजी गई अर्थात् दो वर्षों से अधिक की अवधि के पश्चात् जो मंत्रालय द्वारा क्षेत्रीय प्लान "डी" को छोड़कर जो अभी अनुमोदित किए जाने बाकी हैं केवल जून से अगस्त 2010 में अनुमोदित किए गए थे (अनुलग्नक-II)।

यह ध्यान दिलाए जाने पर, डी.डी.ए. ने मई 2011 में कहा कि एम.पी.डी. में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए रा.रा.क्षे.दि. में विभिन्न ऐजेंसियों अर्थात् एम.सी.डी., एन.डी.एम.सी., रा.रा.क्षे.दि.स., लो.नि.वि. आदि इसके कार्यान्वयन में सम्मिलित थे तथा कि एम.पी.डी. निर्धारित लक्ष्यों की उपलब्धता के संबंध में सूचना उसमें सम्मिलित ऐजेंसियों द्वारा प्रदान की जाएगी। यह जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एम.पी.डी., डी.डी.ए. में एक मॉनिटरिंग यूनिट (एम.यू.) के निर्माण का प्रावधान करता है। यह यूनिट आधुनिक डाटा प्रोसेसिंग सुविधाओं से सुसज्जित की जानी थी तथा प्राइमरी और सैकेन्डरी डाटा, इसके विश्लेषण तथा एक वर्ष में एक बार व्यापक रूप से डी.डी.ए. के नोटिस में किसी महत्वपूर्ण बदलाव को लाने के लिए उत्तरदायी थी। बाद में, मई 2008 में यह निर्णय लिया गया कि एम.यू. को कार्यान्वयन ऐजेंसियों द्वारा प्रस्तुत की गई विभिन्न स्कीमों की प्रगति संकलित की जाएगी तथा उच्च स्तरीय समिति के समक्ष रखी जाएगी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि यद्यपि डी.डी.ए. ने एक एम.यू. निर्मित कर ली थी लेकिन यह सम्मिलित अन्य ऐजेंसियों द्वारा की गई प्रगति पर डाटा संग्रहीत करने में असफल रही। शहरी अवसंरचना के विकास की प्रगति पर केन्द्रीकृत सूचना के अभाव में डी.डी.ए./मंत्रालय मास्टर प्लान के अंतर्गत किए गए विकास का निरीक्षण करने की स्थिति में नहीं होगा।

- मास्टर प्लान दिल्ली, 2021 के अंतर्गत 100 मीटर सड़क के निर्माण के लिए भूमि एवं विकास कार्यालय द्वारा 850.10 एकड़ माप की भूमि अधिग्रहीत की गई। तथापि, केवल 52.58 एकड़ भूमि डी.डी.ए. को सौंपी गई तथा 797.52 एकड़ माप की शेष भूमि जनवरी 2011 को सौंपी जानी थी, डी.डी.ए. ₹ 84.98 करोड़ का मुआवजा दे चुका था, जो भूमि के पूरे भाग के भौतिक रूप से सौंपे जाने तक अवरुद्ध रहेगा।

डी.डी.ए. ने स्पष्ट किया (जून 2011) कि यह 736.38 एकड़ भूमि अधिग्रहीत कर चुका था तथा 125.52 एकड़ भूमि एल.ए.सी./एल.एवं बी. विभाग द्वारा अभी डी.डी.ए. को सौंपी जानी है। तथापि, इस तथ्य को प्रमाणित करने के लिए डी.डी.ए. द्वारा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया।

सिफारिशें

- एम.पी.डी. 2021 में प्रदर्शित मूल-भूत लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए डी.डी.ए. को लघु तथा दीर्घ अवधि योजनाएँ तैयार करनी चाहिए।
- जैसा कि उपराज्यपाल द्वारा निर्णित किया गया है कि उच्च स्तरीय समिति को समय-समय पर नियमित रूप से मिलना चाहिए।
- दि.वि.प्रा. को मॉनिटरिंग यूनिटों को तुरन्त लागू करना होगा जिसके परिणामस्वरूप एम.पी.डी. 2021 के कार्यान्वयन में आ रही कमियों का पता लगाने के लिए सुदृढ़ डाटा बेस बनेगा तथा लक्ष्यों को दक्षतापूर्ण प्राप्त करने के लिए तदानुसार सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी।
- दि.वि.प्रा. मास्टर प्लान के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए अन्य स्थानीय एजेन्सियों के साथ समन्वय प्रक्रिया स्थापित कर सकता था।

5.3.3.2 दि.वि.प्रा. को भौतिक रूप से सौंपी गई भूमि

भूमि अधिग्रहण कलैक्टर (भ.अ.क.) द्वारा 1969 (नजूल-II भूमि) के विविध निर्णयों का अनुसरण करते हुए 76533.63 एकड़ माप की भूमि प्रत्यक्ष रूप से दि.वि.प्रा. को सौंपी गई। कुल भूमि में से 75225.04 एकड़ भूमि प्रयोक्ता विभागों के विभिन्न विकास प्रयोजनों हेतु हस्तान्तरित की गई। मार्च 2010 तक ₹ 205.45 करोड़ लागत की शेष 1308.59 एकड़ भूमि दि.वि.प्रा. द्वारा अनाधिकृत कब्जे/अतिक्रमण के कारण प्रयोक्ता विभागों को अभी तक हस्तान्तरित नहीं की गई थी।

प्रबन्धन ने स्पष्ट किया (जनवरी 2011) कि कुछ नियत पॉकेट जिनके लिए योजना विभाग ने विस्तृत नक्शा नहीं बनाया था भूमि प्रबन्धन विभाग से प्रयोक्ता विभाग जैसे इंजीनियरिंग विभाग को भूमि हस्तान्तरित नहीं किए जाने का प्रमुख कारण है। यह भी स्पष्ट किया गया था कि वर्तमान में अधिकतर अतिक्रमण झु.झो. कलस्टर,, अनाधिकृत कॉलोनियों में है जोकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विशेष नियम प्रावधान अधिनियम, 2006 के तहत संरक्षित है।

लेखापरीक्षा में पाया गया:

- दि.वि.प्रा. ने भूमि तथा भवन विभाग द्वारा माँगी गई राशि का 80 से 100 प्रतिशत तक भुगतान कर दिया। इस विचलन और इसको अधिकृत किए जाने के कारण लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराए गए।


दि.वि.प्रा. (जून 2011) में कहा कि भुगतान की एक नई प्रणाली आरंभ की गई थी जिसमें पहले दर्शाई गई 80 प्रतिशत की राशि को पहले दे दिया गया तथा शेष राशि भ.अ.क. द्वारा दि.वि.प्रा. के भूमि प्रबन्धन विभाग को भौतिक रूप से वर्तमान वास्तविक क्षेत्र सौंपने के आधार पर दी गई।

सिफारिश

- न्यायिक मामलों का उच्च स्तर पर क्रमबद्ध तरीके से अनुवीक्षण किया जाए तथा न्यायिक आदेशों के निर्णय तथा उनके कार्यान्वयन में शीघ्र कार्रवाई की जाए।

5.3.3.3 डी.डी.ए. भूमि पर अनाधिकृत कब्जे हेतु क्षति प्रभार

लोक परिसर (अनाधिकृत कब्जों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के तहत, दि.वि.प्रा. भूमि के अनाधिकृत कब्जे के कारण हुए क्षति प्रभार को अधिरोपित करता है। यह देखा गया कि 31 मार्च 2006 तक बकाया क्षति प्रभार ₹ 17.97 करोड़ था, जोकि 31 मार्च 2010 तक ₹ 32.43 करोड़ हो गया। 2005-06 से 2009-10 के पाँच वर्षों की अवधि के दौरान बकाया राशि 80.46 प्रतिशत तक बढ़ गई जैसा कि नीचे दिए गए ग्राफ-3 में दर्शाया गया है:



पाँच वर्षों से अधिक की बकाया क्षतियों में असामान्य वृद्धि सरकारी धन की वसूली करने में विभाग के लापरवाह दृष्टिकोण को स्थापित करती है।

लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार करते हुए दि.वि.प्रा. ने (जून 2011) कहा कि कब्जेदारों द्वारा बहुत सी रुकावटें डाली जा रही थीं जैसा कि स्टॉफ को सुझाव दिया गया कि क्षति की वसूली के लिए प्रत्येक घर में दौरा नहीं किया जाए। यद्यपि, जवाब यह स्पष्ट करने में असफल था कि तत्काल वसूली के लिए कौन सा तरीका अपनाया गया।

लेखा परीक्षा में पाया गया:

- 6129 बीघा 10 बिस्वा माप की भूमि बरवाला गाँव, दिल्ली में अधिसूचित की गई तथा अक्टूबर 2005 में प्रत्यक्ष रूप से कब्जा दि.वि.प्रा. को सौंप दिया गया। दि.वि.प्रा. द्वारा भूमि पर कब्जा लेने के समय 22 बीघा 10 बिस्वा माप की भूमि राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (रा.इ.नि.लि.) के अनाधिकृत अतिक्रमण के अधीन थी। दि.वि.प्रा. द्वारा रा.इ.नि.लि. को अप्रैल 2006 में भूमि को खाली करने के लिए नोटिस जारी किया गया तथा उसे दिसम्बर 2006 में खाली कर दिया गया था। भूमि के अनाधिकृत अधिग्रहण के लिए ₹ 6.25 करोड़ के क्षति प्रभारों के भुगतान के लिए नोटिस दिसम्बर 2007 में, अर्थात् दो वर्ष से अधिक की अवधि के पश्चात दिया गया। ₹ 6.25 की राशि रा.इ.नि.लि. से वसूली जानी बाकी थी।
- लाडो सराय गाँव में 6 बीघा 2 बिस्वा माप की भूमि दिल्ली के नियोजित विकास के लिए 1980 में अर्जित की गई। भू.अ.क. केवल 4 बीघा भूमि जुलाई 2002 में दि.वि.प्रा. को सौंप सका जैसा कि शेष 2 बीघा 2 बिस्वा माप की भूमि का टुकड़ा पैट्रोल पम्प के व्यवसाय में था। भूमि को मास्टर प्लान में मनोरंजनात्मक प्रयोजन के लिए अधिसूचित किया गया था और पैट्रोल पम्प की गतिविधि अनुमत गतिविधि नहीं है। दि.वि.प्रा. भूमि के अनाधिकृत प्रयोग के लिए दि.वि.प्रा. ने अक्टूबर 2006 में ₹ 1.26 करोड़ की राशि के क्षति प्रभार का नोटिस जारी किया। राशि अभी तक (जनवरी 2011) वसूली नहीं गई तथा भूमि अभी तक अनाधिकृत कब्जे में थी।
- 659.30 स्केयर यार्ड माप की भूमि 1974 में दि.वि.प्रा. को हस्तान्तरित की गई थी। परन्तु यह देखा गया कि भूमि 1959 से तिमारपुर में एक प्राइवेट स्कूल द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जे में ली हुई थी। स्कूल प्राधिकरण ने यह कहते हुए तथ्य की पुष्टि की कि वह भूमि तथा विकास कार्यालय को क्षति प्रभार नियमित रूप से अदा कर रहे हैं। 1974 के बाद स्कूल प्राधिकरण ने क्षति प्रभारों को अदा करना बन्द कर दिया। दि.वि.प्रा. ने मई 2008 में जो भूमि अनाधिकृत कब्जे में थी के लिए ₹ 59.09 लाख राशि क्षति प्रभारों के लिए नोटिस जारी किया, परन्तु जनवरी 2011 तक राशि की वसूली नहीं की गई थी।
- कुदसिया घाट, बेला रोड़ पर 1864 स्केयर यार्ड की संपति सं. 13 अस्थायी लीज के आधार पर जनवरी 1966 से जनवरी 1967 तक एक वर्ष के लिए एक सोसायटी को कुश्ती के विशेष प्रयोजन हेतु आंबटित की गई। इस अस्थायी लीज को ₹ 1400 के भू-कर भुगतान के साथ जनवरी 1971 तक बढ़ा दिया गया, जिसका भुगतान सोसायटी द्वारा जुलाई 1987 तक किया गया। सोसायटी द्वारा भूमि को वापिस लेने के दावे के लिए सिविल समादेश याचिका फाईल की गई किन्तु माननीय उच्च न्यायालय के सितंबर 2006 के आदेश में भूमि पर कब्जा करने के निवेदन को स्वीकारा नहीं गया। दि.वि.प्रा. द्वारा अगस्त 1987 से आज तक की अवधि के लिए सोसायटी पर ₹ 48.88 लाख का क्षति प्रभार उद्ग्रहित किया गया जो अनाधिकृत कब्जे की भूमि से वसूल नहीं किया गया।

- सिद्धीपुरा, दिल्ली में 153 स्केयर यार्ड माप की भूमि अनाधिकृत व्यवसाय के अधीन थी तथा आवासीय के साथ-साथ व्यापारिक प्रयोजन से भी इस्तेमाल की जा रही थी। अक्टूबर 1999 से 31 मार्च 2010 तक की अवधि के लिए ₹ 11.54 लाख के क्षति प्रभार के लिए नोटिस दे दिया गया था परन्तु यह राशि अभी तक वसूल नहीं की गई थी तथा भूमि अभी तक अनाधिकृत कब्जे में थी।
- मोतिया खान में 360 स्केयर यार्ड के माप की भूमि अनाधिकृत रूप से व्यापारिक प्रयोजन के लिए इस्तेमाल की जा रही थी। जनवरी 2008 तक ₹ 15.71 लाख की राशि के क्षति प्रभार वसूली योग्य थे तथा भूमि अभी तक अनाधिकृत कब्जे में थी।

लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार करते हुए (जून 2011) दि.वि.प्रा.ने स्पष्टीकरण दिया कि प्राधिकरण ने वसूली का नोटिस 24.5.2011 को जारी कर दिया है।

सिफारिशें

- संपदा वसूली अधिकारियों/कर्मचारियों की तरफ से कार्रवाई नहीं किए जाने या लापरवाही के कारण देरी हुई। दि.वि.प्रा.के अनाधिकृत कब्जेदारों से क्षति प्रभार वसूल किए जाने चाहिए।
- कोर्ट आदेशों के मद्देनजर वसूली कार्य प्रभावी तरीके से की जानी चाहिए।

5.3.3.4 वृद्धि

भूमि अधिग्रहण कलैक्टर द्वारा अधिग्रहित की गई भूमि के लिए भू-स्वामी मुआवजे के हकदार थे तथा मुआवजे की राशि दि.वि.प्रा.द्वारा चैक से भूमि तथा भवन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को आगे भू-स्वामियों को प्रदान करने हेतु दिया गया। यह देखा गया था कि एक बार भूमि अधिग्रहीत की गई तथा मुआवजे की राशि दे दी गई, सभी भू-स्वामी अदा की गई मुआवजे की राशि से संतुष्ट नहीं थे एवं जो भू-स्वामी संतुष्ट नहीं हुए थे वे निर्णय को चुनौती देने अदालत में चले गए।

लेखापरीक्षा में पाया गया:

- पूठ कलां गाँव में भू.अ.क. द्वारा 5484 बीघा जमीन अधिग्रहीत की गई। भू-स्वामियों ने सिविल न्यायालय के समक्ष अपील करना चाहा। सिविल न्यायालय ने एक मामले में ₹ 15700 प्रति बीघा तथा दूसरे मामले में ₹ 18500 प्रति बीघा की दर से मुआवजा बढ़ा दिया। जो दावेदार संतुष्ट नहीं हुए, उन्होंने उच्च न्यायालय के समक्ष अपील की, जहां इस मुआवजे को ₹ 30,000 प्रति बीघा बढ़ा दिया गया। दि.वि.प्रा. ने निर्णय के अनुसार भू-स्वामियों को भुगतान करने के पश्चात्, माननीय उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की जिसने उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को रोक कर मुआवजे को ₹ 18500 प्रति बीघे पर प्रतिबंधित कर दिया। नवम्बर 2002 में इस निर्देश के साथ आदेश दिए गए कि भू-स्वामियों को भुगतान की गई अधिक राशि वसूली जाए। दि.वि.प्रा. ने भी

उच्च न्यायालय (अप्रैल 2004) के आदेश प्राप्त किए कि यदि अधिक राशि आदेश की तिथि से दो महीनों के भीतर की अवधि में नहीं लौटाई जाए तो अधिक राशि को 15 प्रतिशत की दर से सूद सहित वसूला जाए। भू-स्वामियों से ₹ 25.69 करोड़ (₹ 12.86 करोड़ का अधिक भुगतान साथ ही मार्च 2010 तक 15 प्रतिशत की दर से सूद सहित ₹ 12.83 करोड़ की राशि) की वसूली के लिए कोई प्रयास नहीं किए गए।

तथ्यों को स्वीकार करते हुए, प्रबंधन ने कहा कि दो वरीय सरकारी काउन्सलों की नियुक्ति कोर्ट में वसूली के मामलों को देखने के लिए की गई है।

5.3.3.5 अनाधिकृत अतिक्रमण का विधंस

दिल्ली विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1957 की धारा 30 के अनुसार जहाँ कोई विकास प्रारंभ किया गया या किया जा रहा है या मास्टर योजना या क्षेत्रीय विकास योजना के उल्लंघन में पूरा किया गया या दि.वि.प्रा. के किसी अधिकारी की बिना अनुमति, स्वीकृति या अनुमोदन के किया जा रहा है, उसे नष्ट कर दिया जाएगा और ऐसे विधंस का खर्च मालिक अथवा ऐसे व्यक्ति जिसके अनुरोध पर विकास प्रारंभ किया गया था, से वसूल किया जाएगा।

2005-10 की अवधि के दौरान द्वारा 1661 विधंस कार्य किए गए जैसा कि नीचे तालिका-1 में दिया गया है:

तालिका 1 - किए गए विधंस कार्य

वर्ष	नियत विधंस कार्यक्रम	कार्यान्वित की गई विधंस योजना	कार्यान्वित नहीं की गई विधंस योजना	विधंस योजना में प्रतिशत कमी
2005-06	758	369	389	51.31
2006-07	738	397	341	46.20
2007-08	658	461	197	29.94
2008-09	352	185	167	47.44
2009-10	377	249	128	33.95

पाँच वर्षों की अवधि में लक्षित विधंस योजनाओं को प्राप्त करने में कमी 29.94 प्रतिशत से 51.31 प्रतिशत थी।

लेखापरीक्षा ने निरीक्षण किया कि दि.वि.प्रा. ने वर्ष 2005-06 से 2009-10 के दौरान विधंस योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए ठेकेदार को ₹ 3.05 करोड़ का भुगतान किया लेकिन विधंस प्रभार दि.वि.प्रा. द्वारा अनाधिकृत अधिभोक्ताओं से नहीं वसूले गए।

प्रबंधन ने (जून 2011) में स्पष्ट किया कि प्रशासनिक कारणों से अर्थात् पुलिस बल की अनुपलब्धता, स्थगन आदेश, राजनीतिक व्यवधान इत्यादि के कारण विधंस कार्यान्वित नहीं किया जा सका। प्राधिकरण द्वारा स्वयं तय किए गए लक्ष्यों को नहीं प्राप्त करने के संबंध में लेखापरीक्षा की चिन्ता को स्पष्टीकरण संबोधित नहीं करते हैं।

सिफारिशें

- अधिग्रहीत भूमि की सुरक्षा पर बल दिया जाना चाहिए और अतिक्रमित भूमि को खाली कराए जाने के लिए एक समुचित कार्य योजना बनाना चाहिए।
- विधवांस कार्यक्रमों का अनुवीक्षण उच्च स्तरीय समिति द्वारा किया जाना चाहिए ताकि प्रशासनिक समस्याओं का हल जल्दी निकाला जाए।

5.3.4 भूमि का विकास

क्षेत्र की अनुमोदित योजना के अनुसार दि.वि.प्रा. द्वारा विभिन्न क्षेत्रों (द्वारका क्षेत्र, पूर्व क्षेत्र, उत्तर क्षेत्र, रोहिणी क्षेत्र और दक्षिण क्षेत्र इत्यादि) में भूमि का विकास प्रत्येक क्षेत्र के मुख्य अभियंता के नेतृत्व में किया जाता है। एक योजना के अंतर्गत कार्यों को अधीक्षण अभियंता की निगरानी में कार्यकारी अभियंता से कराया जाता है। भूमि के विकास में मुख्य शामिल हैं :

सर्वेक्षण एवं सीमांकन,
समतल करना और साज-सज्जा,
परिधीय स्टॉर्म जल, नालों का निर्माण,
आंतरिक नालों का निर्माण,
जल आपूर्ति लाइनें,
सीवरेज,
ग्रिल फेन्सिंग और
भूमिगत जल टैंक एवं पंप घर इत्यादि।

1 अप्रैल 2005 से 31 मार्च 2010 के पाँच वर्षों के मध्य दि.वि.प्रा. द्वारा 20 योजनाएँ कार्यान्वित कराई गई थीं, जिनमें से 7 भूमि विकास योजनाएँ जैसा कि तालिका 2 में दिया गया है, विस्तृत लेखापरीक्षा के लिए पुनरीक्षित की गई और उनके परिणाम इस रिपोर्ट में शामिल किए गए हैं।

तालिका 2 - योजना का नाम

क्र.सं.	योजना का नाम
1	रोहिणी के सैक्टर 27 तथा 28, फेस IV व V में हाल ही में अधिग्रहित की गई 400 हेक्टेयर भूमि का विकास
2	नरेला के सेक्टर ए - 1 से ए - 4 में भूमि का विकास
3	द्वारका फेज - I (पपनकलां परियोजना) 1769.88 हेक्टेयर भूमि का विकास
4	द्वारका फेस - II (224.90 हेक्टेयर भूमि) की भूमि का विकास
5	द्वारका फेज - II में अतिरिक्त स्तर से अधिग्रहित भूमि में कार्य का विकास
6	पाकों का रखरखाव/ट्रक प्लांटेशन एवं उत्तरी क्षेत्र में उद्यान खण्ड की सज्जा

5.3.4.1 निर्बाध क्षेत्र की उपलब्धता और दि.वि.प्रा. तथा स्थानीय निकायों के मध्य समन्वय

के.लो.नि.वि. के कार्यों के मैनुअल के अनुसार सभी कार्य कोडल प्रावधानों के अनुसार सौंपे जाने चाहिए जो अन्य मामलों के साथ निर्बाध क्षेत्र की उपलब्धता, धनराशि और निविदा आमंत्रण सूचना (एन.आई.टी.) के अनुमोदन के पूर्व स्थानीय निकायों के अनुमोदन को भी शामिल करती है। यह आगे, सूचित करती है कि जहाँ के.लो.नि.वि. को बाहरी सेवाओं जैसे, सड़कें, नालियाँ इत्यादि के प्रावधानों के लिए स्थानीय नगर निगम तथा अन्य प्राधिकरणों पर निर्भर रहना पड़ता है, वहाँ परियोजना से जुड़े लो.नि.वि. के अधिकारियों तथा स्थानीय नगर निगम तथा अन्य प्राधिकरणों के मध्य समुचित समन्वय होना चाहिए। प्रावधान का उद्देश्य है कि एक बार सौंपे गए कार्यों को बिना किसी बाधा अथवा देरी के कार्यान्वित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया:

- ‘परिधीय एस.डब्ल्यू. नाला और पुलिया के निर्माण अर्थात् रोहिणी के सेक्टर 27 तथा 28’ में नालों को ढकने तथा पुलियों का कार्य एक फर्म को मार्च 2006 में ₹ 15.23 करोड़ की निविदा राशि पर सितम्बर 2007 तक पूर्ण करने के लिए सौंपा गया और कार्य दिसम्बर 2008 में पूरा हुआ। नाले के लिए सेवा योजना दि.न.नि. द्वारा अनुमोदित की गई थी इस शर्त पर कि प्रस्तावित नाला को समुचित मुहाना संरचना दी जाएगी, यह पाया गया कि तैयार नाला, मुहाना नाला जिससे इसे जोड़ा जाना था, के गैर निर्माण के कारण कार्यशील नहीं था। विभाग ने कहा कि एस.डब्ल्यू. नाले को पहले से विद्यमान सहायक नाले से जोड़ा नहीं जा सका क्योंकि मुहाना नाले का निर्माण दि.वि.प्रा. से भूमि का अधिकार लेकर सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग (आई.एफ.सी.डी.) को करना था। वह भूमि जिस पर मुहाना नाले का निर्माण किया जाना था वह माननीय उच्चतम न्यायालय के स्थगन आदेश के अंतर्गत था जिसे (जून 2011) खाली नहीं किया गया था। इस प्रकार, एस.डब्ल्यू. नाले के निर्माण पर खर्च किए गए ₹ 15.22 करोड़ की राशि का उपयोग नहीं किया जा सका तथा यह अवरुद्ध रहा।

प्रबंधन का यह कथन (जून 2011) कि कार्य के कार्यान्वयन के दौरान स्थगन के हटाए जाने की संभावना थी, कार्य सौंपे जाने के पूर्व निर्बाध भूमि की उपलब्धता को सुनिश्चित किया जाना के कोडल प्रावधानों के विरोधाभास में था। प्रबंधन ने आगे भविष्य में अधिक यथार्थवादी निर्धारण के लिए आश्वासन दिया।

- दि.वि.प्रा. ने “रोहिणी फेज-IV और V के सेक्टर 27 तथा 28 में अधिग्रहीत 400 हेक्टेयर भूमि, सेक्टर 27 एवं 28, पॉकेट-1 और 2 तथा 3, 4 व 5 में एस.एच: पी/एल. आंतरिक सेवाएं जैसे सीवर लाईन, जल आपूर्ति लाईन, सड़कें और टो वाल्स” दोनों कार्य मै. चौधरी बिल्डर्स को क्रमशः ₹ 3.06 करोड़ तथा ₹ 3.16 करोड़ की निविदा राशि पर सौंपे गए। दोनों कार्यों के प्रारंभ तथा समाप्ति

की तिथि क्रमशः अप्रैल 2004 तथा अप्रैल 2005 में थी। ठेकेदार द्वारा सड़क कार्य 2005 के मध्य में केवल गए डब्ल्यू.बी.एम. (वाटर बाउंड मैकॉडम) के स्तर तक पूरा कर दिया गया और ठेकेदार को ₹ 1.41 करोड़ की राशि का भुगतान किया गया। यहाँ तक कि 72 महीनों से अधिक बीत जाने के बाद सड़क पूरी नहीं बनी थी। सड़क कार्य के पूरा होने में मुख्य समस्या थी कि डब्ल्यू.बी.एम. से संलग्न भूमि ऊँची थी, वर्षा काल के दौरान संपूर्ण क्षेत्र में अपवहन तंत्र के अभाव में बाढ़ आ जाती थी। यह इंगित करता है निविदाएं आमंत्रित करने से पहले क्षेत्र का कोई उचित सर्वेक्षण नहीं किया गया था। आगे, कार्यकारी अभियंता ने अक्टूबर 2007 के अपने नोट में स्वीकारा कि बिना उचित अपवहन तंत्र के क्षेत्र की वर्तमान अवस्था से सड़क को नुकसान होगा। रूप-रेखा योजना दि.न.नि. से अनुमोदित नहीं थी। इस प्रकार, समुचित अपवहन तंत्र की अनुपस्थिति में, समस्त अपूर्ण सड़क पर जल जमाव हो गया तथा क्षेत्र के दोनों ओर 4 से 6 फीट ऊँचाई तक उगे पौधों की वजह से यह जंगल में बदल गया। इस प्रकार, खराब योजना और बिना क्षेत्र के समुचित सर्वेक्षण के बिना कार्य सौंपे जाने के कारण तथा दि.न.नि. से योजना के अनुमोदित नहीं होने के कारण ₹ 1.41 करोड़ का निष्कल व्यय हुआ।

दि.वि.प्रा. ने कहा (जून 2011) कि ऐसी सेवाएं जैसे सीवरेज, जल आपूर्ति तथा सड़कें आवंटियों को प्लॉट सौंपे जाने से पहले की जानी चाहिए, तब कार्य सौंपे जाने चाहिए। तथापि, कोडल प्रावधानों के अनुसार रूप-रेखा योजना स्थानीय निकायों (दि.न.नि./दि.ज.बो.) से कार्य सौंपे जाने से पूर्व अनुमोदित कराये जाने चाहिए।

- भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने दि.ज.बो. को निर्देश दिया कि यमुना नहर में सीवेज के निस्तारण को नियंत्रित करें ताकि जल प्रदूषण से बचा जाए। दि.वि.प्रा. ने सीवेज उपचारात्मक संयंत्र (एस.टी.पी.) के बहिस्राव को इस्तेमाल करने के लिए 2004 में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जैसा द्वारका में दि.ज.बो. द्वारा पहले ही बनाया जा चुका है, जिससे करीब 520 हेक्टेयर क्षेत्र में हरियाली की गई। दि.ज.बो. ने एस.टी.पी. के उपचारित बहिस्राव को मुक्त करने की अनुमति भी दी थी और यह तय किया गया था कि द्वारका के फेज-1 में योजना लागू की जानी चाहिए। इसी प्रकार, दि.वि.प्रा. ने 2006-07 में 4 भूमिगत जलाशयों (भू.ज.) का निर्माण उपचारित जल को जमा करने के लिए बनाया और आगे उद्यान उद्घेश्यों के लिए आपूर्ति की गई और एक प्रवेश नहर (2008 में) ₹ 4.88 करोड़ की लागत से एस.टी.पी. से उपचारित बहिःस्राव को निकालने के लिए निर्मित की गई। यह देखा गया कि एस.टी.पी. से उपचारित सीवरेज के भंडारण तथा प्रयोक्ताओं को देने के लिए ‘सम्प वैल’ का निर्माण अभी किया जाना था। डी.डी.ए. ने सम्प वैल के निर्माण का कार्य अक्टूबर 2009 में ₹ 94.05 लाख की निविदा राशि पर अप्रैल 2010 में पूर्ण करने की अनुबद्धता के साथ प्रदान किया। कार्य 31.3.2011 को सम्पन्न हो चुका है परन्तु दि.ज.बो. से उपचारित बहिःस्राव की गैर-उपलब्धता के कारण कार्यशील नहीं हुआ है। इस प्रकार, डी.डी.ए. के पक्ष पर खराब योजना तथा एस.टी.पी. से

उद्यान क्षेत्रों को उपचारित बहिःस्राव (जल) की आपूर्ति से संबंधित सभी कार्यों के गैर-क्रमिक होने के परिणाम में ₹ 4.88 करोड़ राशि का व्यर्थ व्यय हुआ।

डी.डी.ए. ने जवाब दिया (जून 2011) कि संबंधित इलैक्ट्रीकल डिवीजन को वर्धन व्यवस्थाओं के संस्थापन के स्तर को इंगित करने के लिए अनुरोध किया गया तथा दो विभिन्न मुख्य अभियन्ताओं के अन्तर्गत दो डिवीजनों के मध्य ऐसी कवायद समय लेती है तथा परामर्शदाता तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा डिज़ाइनों के अनुमोदन की तैयारी में विलंब थे, स्वीकार्य नहीं है क्योंकि ऐसे मामले, कार्य सौंपे जाने से पूर्व विभागीय प्राधिकारियों द्वारा निपटाये जाने आवश्यक थे।

- सैक्टर ए-I से ए 4, नरेला, फेझ I, एसएच: 20 एम.आर.डब्ल्यू रोड फेझ-I के विकास के लिए कार्य अगस्त 2007 में ₹ 2.62 करोड़ की निविदा राशि पर प्रदान किया गया था। कार्य को, प्रारंभ तथा समापन की तिथियों क्रमशः अगस्त 2007 तथा फरवरी 2008 के साथ छः महीनों के अन्दर समाप्त किया जाना था। डी.डी.ए. द्वारा ठेकेदार को ₹ 2.60 करोड़ की राशि का भुगतान निर्बाध किए बिना किया गया। इस प्रकार, विकास तथा सम्बद्धता के निहित उद्देश्य को विफल करते हुए ₹ 2.60 करोड़ के भुगतान के पश्चात भी कार्य अधूरा रहा।

डी.डी.ए. ने कहा कि सड़क की लम्बाई के एक बहुत छोटे हिस्से की गैर-पूर्णता, सम्बद्धता के निहित उद्देश्य की विफलता नहीं है, स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कार्य जो फरवरी 2008 तक पूरा किया जाना था कार्य के सौंपे जाने के समय विद्यमान अतिक्रमणों के कारण जो उच्चतम प्राधिकारी अर्थात् उप-राज्यपाल के आदेश के पश्चात् भी हटाया नहीं जा सका।

सिफारिशें

- डी.डी.ए. कार्य प्रदान करने से पूर्व स्पष्ट गैर-बाधापूर्ण जगह सुनिश्चित करने के लिए कोडल प्रावधानों की अनुपालना सुनिश्चित करें।
- डी.डी.ए. को अन्य स्थानीय ऐजेन्सियों तथा जनोपयोगी सेवाओं के साथ यह सुनिश्चित करने के लिए कि बाधाएं अविलम्ब दूर की जाएंगी एक समन्वय तन्त्र स्थापित करना चाहिए।
- कार्य के कार्यान्वयन के दौरान तथा एक कार्य प्रारंभ करने से पहले अन्य नागरिक योजनागत तथा जनोपयोगी ऐजेन्सियों के साथ योजनागत स्तर पर स्वयं पर्याप्त समन्वय सुनिश्चित करने के लिए संस्थागत तन्त्रों को सुदृढ़ किया जाना चाहिए ताकि डी.डी.ए. द्वारा सार्वजनिक अवसंरचना तथा सुविधाओं की रचना योजना तथा संबंधित नागरिक ऐजेन्सियों के प्रक्षेपणों के अनुरूप हो।

5.3.4.2 अनुचित योजना

द्वारका फेझ-I के विकास के लिए जुलाई 1992 में तैयार की गई प्रोजेक्ट रिपोर्ट से उप-नगर में 12 लाख के लगभग की पूर्वानुमानित जनसंख्या के लिए प्रबंध करने के

लिए 80 एम.जी.डी. (मिलियन गैलन प्रति दिन) जल आवश्यकता का पता चलता है। इन प्रक्षेपणों के आधार पर डी.डी.ए. ने सामान्य लोगों को जल आपूर्ति के लिए पाँच कमान्ड टैंकों के निर्माण का कार्य प्रदान किया जैसा कि तालिका-3 में दिया गया है:-

तालिका-3 - कमान्ड टैंकों का निर्माण

कमान्ड टैंक संख्या	कार्य प्रारंभ होने का वर्ष एवं महीना	पूरा होने का वर्ष एवं महीना	लागत (₹ करोड़ में)	टैंक की क्षमता एम.जी.डी.
1	अक्टूबर 1999	अक्टूबर 2001	17.13	13
2	अक्टूबर 1996	फरवरी 1999	6.22	10
3	सितम्बर 2001	मार्च 2004	7.61	7
4	नवम्बर 1997	मई 1999	4.40	6
5	मार्च 2006	मई 2009	8.01	8.25 (एमएल)
	कुल		25.14	

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 5 कमान्ड टैंकों में से केवल तीन कमान्ड टैंक (सं. 2,3 तथा 4) कार्य कर रहे थे। दो कमान्ड टैंक (सं. 1 तथा 5) कार्य नहीं कर रहे थे क्योंकि दिल्ली जल बोर्ड जल आपूर्ति में असफल रहा जबकि उनका निर्माण अक्टूबर 2001 तथा मई 2009 में पूरा हो चुका था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 25.14 करोड़ का व्यर्थ व्यय हुआ।

लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार करते हुए डी.डी.ए. ने कहा कि दो टैंक दिसंबर 2011 तक कार्य प्रारंभ कर देंगे।

5.3.4.3 प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय संस्थीकृति

2006 की रिपोर्ट सं. 2 में सम्मिलित किए गए डी.डी.ए. द्वारा भूमि के विकास पर निष्पादन लेखापरीक्षा पर अपनी की गई कार्रवाई नोट में, शहरी विकास मन्त्रालय ने कहा कि आकस्मिक आधार पर ए.ए. एवं ई.एस. के पूर्वानुमान में कार्य प्रारंभ करने के लिए दिशा-निर्देशों को जारी/दोहराया गया था।

कार्य के कार्यान्वयन के लिए के.लो.नि.वि. कार्य निर्माण मैनुअल निम्न पूर्व-आवश्यकताएँ अनुबद्ध करता है

- i) प्रशासनिक अनुमोदन।
- ii) व्यय संस्थीकृति।
- iii) निधियों की उपलब्धता तथा
- iv) तकनीकी संस्थीकृति।

के.लो.नि.वि. का कार्य निर्माण मैनुअल 2007 आगे प्रावधान करता है कि सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना प्रशासनिक अनुमोदन तथा व्यय संस्थीकृति (ए.ए. एवं ई.एस.) से अधिक व्यय नहीं किया जाना चाहिए तथा यदि व्यय मूल संस्थीकृति से 10 प्रतिशत अधिक होता है तो संशोधित व्यय संस्थीकृति आवश्यक है। उसके अतिरिक्त, के.लो.नि.वि. मैनुअल प्रावधान करता है कि जैसे ही यह आधिक्य देखा जाता है तो संशोधित व्यय संस्थीकृति का प्रयोग करना चाहिए।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया:

- डी.डी.ए. ने पुनर्वास आबादकारों के विकास के लिए मार्च 2010 तक ₹ 4.33 करोड़ की राशि व्यय की। ₹ 129.94 करोड़ की राशि के व्यय की पूर्ति हाल ही में ‘रोहिणी सैकटर 27 तथा 28, फेस IV तथा V में अधिग्रहीत भूमि के 400 हैक्टेयर के विकास’ के लिए अनुमोदित ए.ए. एवं ई.एस. से निधियों के अपवर्तन द्वारा की गई। पुनर्वास आबादकारों के लिए डी.डी.ए. द्वारा किया गया कार्य न तो अनुमोदित योजनाओं से संबंधित हैं न ही प्रारंभिक अनुमान का हिस्सा बना।

डी.डी.ए. ने अभ्युक्ति स्वीकारते हुए कहा कि स्कीम के लिए संशोधित पी.ई. को सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए प्रारंभ कर दिया है।

- द्वारका में दिल्ली जल बोर्ड द्वारा स्थापित विद्यमान सीवरेज उपचार संयंत्र (एस.टी.पी.) से उपलब्ध उपचारित सीवरेज बहिस्राव के भण्डारण के लिए डी.डी.ए. ने सात निर्माण कार्य प्रदान किए। यह उपचारित सीवरेज बहिस्राव उद्यान के उद्देश्य के लिए प्रयोग किया जाना था। इन कार्यों पर ₹ 6.13 करोड़ का व्यय किया गया। इस व्यय को द्वारका (पपनकला) परियोजना फेज-I एवं II पर भूमि के विकास पर भारित किया जाना था, लेकिन सात निर्माण कार्यों में से कोई भी स्कीम के अन्तर्गत नहीं आता था। जैसा कि ये निर्माण कार्य स्कीम के ए.ए. एवं ई.एस. के अन्तर्गत नहीं आते थे, इन निर्माण कार्यों पर किया गया ₹ 6.13 करोड़ का व्यय के लो.नि.वि. निर्माण कार्य मैनुअल के प्रावधानों के उल्लंघन में था।

डी.डी.ए. ने कहा (जून 2011) कि यह निर्माण कार्य ₹ 621.01 करोड़ के लिए पपनकला भूमि (द्वारका) फेज-I के 1769.88 हैक्टेयर के ए.ए. एवं ई.एस. विकास के विरुद्ध उद्यान कार्यों के लिए गैर-छने हुए जल की आपूर्ति उप-शीर्ष के प्रावधान के अन्तर्गत कार्यान्वयित किए गए थे। यह जवाब तर्कसंगत नहीं है क्योंकि पूंजीगत प्रकृति के कार्यों पर किए जाने वाले बड़े व्यय के लिए विशिष्ट प्रावधान अनुमोदित ए.ए. एवं ई.एस. में विद्यमान नहीं था।

सिफारिश

- सक्षम प्राधिकारी के ए.ए. एवं ई.एस. प्राप्त किए बिना कोई कार्य प्रारंभ नहीं करने के प्रयत्न किए जाने चाहिए।

5.3.4.4 सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना कार्य का निष्पादन

के.लो.नि.वि. मैनुअल के परिशिष्ट-I (क्र.सं. 33 एवं 34) के संशोधन में अभियंता सदस्य द्वारा परिपत्र सं. ई.एम.आई. (10)/2009/परि.(ए./ए. से ई./एस.)/अपवर्तन/712 दिनांक 2 मार्च 2007 को जारी किया गया। परिपत्र के प्रावधानों के अनुसार अतिरिक्त/विकल्प/अपवर्तित मदों के कार्यान्वयन के लिए संस्वीकृति प्रदान करने के लिए वित्तीय शक्तियाँ अनुबंध की राशि के 90 प्रतिशत ₹ 1.28 करोड़ पर प्रतिबंधित मुख्य अभियंता के स्तर

तक थी। इस सीमा से आगे पूरी शक्तियाँ वर्क्स एडवाइजरी बोर्ड (डब्ल्यू.ए.बी.) के अनुमोदन के साथ मुख्य अभियन्ता में निहित हैं।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया:

- द्वारका फेस-II में 30 मी. आर/डब्ल्यू रोड के निर्माण कार्य से संबंधित कार्य मै. गौड़ कन्स्ट्रक्शन कं. को ₹ 1.52 करोड़ के अनुमानित मूल्य के प्रति ₹ 1.75 करोड़ की निविदा राशि पर सौंपा गया। कार्य के प्रारंभ तथा पूर्ण करने की अनुबद्ध तिथि क्रमशः 27 मई 2005 तथा 26 नवम्बर 2005 थीं। कार्य वास्तव में 30 जुलाई 2007 को पूरा हुआ। ऐजेन्सी को ₹ 5.78 करोड़ का भुगतान नवम्बर 2008 में किया गया। यह देखा गया कि ₹ 4.03 करोड़ मूल्य का कार्य अर्थात् निविदा राशि से अधिक 230.28 प्रतिशत अतिरिक्त मदों/अपवर्तन के रूप में ठेकेदार से कार्यान्वित कराया गया। यह कार्य के त्रुटिपूर्ण अनुमानों तथा योजना की कमी की ओर संकेत करता है इसके अतिरिक्त सक्षम प्राधिकारी की कोई परिशोधित तकनीकी संस्थीकृति प्राप्त नहीं हुई थी। मुख्य अभियन्ता की शक्ति से बाहर अतिरिक्त मदों/अपवर्तन के कार्यान्वयन के लिए ऐजेन्सी के बिलों को डब्ल्यू.ए.बी. का बिना अनुमोदन प्राप्त किए अन्तिम रूप दे दिया गया।

डी.डी.ए. ने तथ्य को स्वीकारते हुए कहा कि तत्कालीन मुख्य अभियन्ता ने के.लो.नि.वि. निर्माण कार्य मैनुअल खण्ड-II के पैरा-25.1 (g) में दिए गए प्रावधान में राहत प्राप्त कर ली होगी। यह जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि इन शक्तियों को परिपत्र दिनांक 2 मार्च, 2007 के द्वारा परिशोधित कर दिया था जो मुख्य अभियन्ता की शक्ति को केवल ₹ 1.28 करोड़ पर प्रतिबंधित करता है तथा तदानुसार परिशोधित दिशा-निर्देशों के जारी होने की तिथि से तीन माह की अवधि के भीतर वर्क्स एडवाइजरी बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त कर लेना चाहिए चूंकि इस परिपत्र के जारी होने के समय पर कार्य प्रगति में था।

- सैक्टर 16 से नजफगढ़ नाले से नाले का जुड़ाव बनाते हुए डी.डब्ल्यू.के. (पी.पी.के.) परियोजना फेज-II में मुख्य भूमि के विकास से संबंधित कार्य ₹ 4.44 लाख की निविदा लागत पर प्रदान किया गया (अगस्त 2005)। निरीक्षण के दौरान मुख्य अभियन्ता ने द्वारका में सैक्टर 15 पर मैट्रो स्टेशन के मुख्य प्रवेश से सड़क के निर्माण से संबंधित कार्य की आवश्यकता पायी तथा इस अनुबंध द्वारा कार्य कार्यान्वित करने के निर्देश जारी किए। विभाग ने सितंबर 2008 में ₹ 1.96 करोड़ के अन्तिम बिल का भुगतान कर दिया। यह देखा गया कि यह अतिरिक्त कार्य इस अनुबंध के अन्तर्गत एक वैकल्पिक जगह पर कार्यान्वित कराया गया। निविदाएं आमन्त्रित किए बिना अलग कार्य को प्रदान किए जाने की मुख्य अभियन्ता की शक्ति केवल ₹ 10 लाख है। इस प्रकार, नये कार्य को अपवर्तित कार्य के रूप में सम्मिलित करने के परिणाम में ₹ 1.92 करोड़ का अनियमित व्यय हुआ।

डी.डी.ए. का जवाब (जून 2011) कि अतिरिक्त मदें जगह की स्थितियों के अनुसार आवश्यकता के कारण कार्यान्वित की गई थी, स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभिन्न स्थानों

पर बड़ा कार्य करवाया गया था तथा यह विभिन्न प्रकृति का था जो केवल नये कार्य के रूप में समझा जा सकता है।

सिफारिश

- सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना कोई कार्य प्रदान या प्रारंभ नहीं किया जाना चाहिए।

5.3.5 अभिरुचि के अन्य विषय

5.3.5.1 कार्य प्रदान किए जाने में विलम्ब के कारण परिहार्य अतिरिक्त व्यय

के.लो.नि.वि. मैनुअल का अनुच्छेद 19.3.1 (1) प्रावधान करता है कि निविदाओं की प्राप्ति पर कार्य प्रदान करने का निर्णय लेने के लिए उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। विलम्ब के अवसर को न्यूनतम करने के लिए विभिन्न प्राधिकारियों द्वारा निविदाओं के कार्य को करने के लिए मैनुअल के परिशिष्ट-23 में दी गई समय सारणी का अवलोकन करना चाहिए।

डी.डी.ए. ने द्वारका फेज-II में सैकटर-12 (बी) के साथ पालम नाले से जुड़ते हुए सैकटर-11 पर और आगे 30 मी. रोड के आर/डब्ल्यू में पुल सं. 2 (क) के निर्माण के कार्य की छठी कॉल में मै. सुशील कुमार एवं कम्पनी को मार्च 2009 में ₹ 3.33 करोड़ की बातचीत के बाद तथ्य लागत पर प्रारंभ एवं समापन की क्रमशः 27.3.2009 तथा 26.6.2010 की अनुबद्ध तिथियों के साथ प्रदान किया।

रिकॉर्डों की संवीक्षा के दौरान यह पाया गया कि कार्य प्रदान करने से पहले, डी.डी.ए. द्वारा पाँच बार निविदाओं को निर्माण तथा अस्वीकृत किया गया जैसा कि तालिका-4 में वर्णित है:-

तालिका-4 - परिहार्य अतिरिक्त व्यय

निविदाएं कॉल की संख्या	निविदाएं खोलने की तिथि	निम्नतम ऐजेन्सी द्वारा दी गई दर (₹ करोड़ में)	निविदाओं को अस्वीकृत करने के कारण
1	10-04-2006	2.78	डब्ल्यू.ए.बी. द्वारा 3.7.2006 को अस्वीकृत किया गया।
2	15-01-2007	2.75	डब्ल्यू.ए.बी. द्वारा 9.3.2007 को सी.ई. (डी.डब्ल्यू.के.) की सिफारिश पर अस्वीकृत किया क्योंकि फर्म के मुख्य पार्टनर की अचानक मृत्यु हो गई थी।
3	28-05-2007	2.93	निविदा डब्ल्यू.ए.बी. को भेजी नहीं जा सकी क्योंकि ऐजेन्सी निविदा की वैधता को बढ़ाने के लिए तैयार नहीं थी।
4	01-11-2007	--	खोले जाने के समय कोई निविदाएं प्राप्त नहीं हुई थीं।
5	27-12-2007	3.11	निविदा में गलत शर्त लगाने के कारण सी.ई. (डी.डब्ल्यू.के.) द्वारा 11.03.2008 को अस्वीकृत की गई।
6	06-11-2008	3.33	डी.एस.आर. 2007 के आधार पर नई एन.आई.टी. एवं टी.एस. तैयार की गई तथा कार्य प्रदान किया गया।

निविदाओं की पहली तथा दूसरी कॉलों की अस्वीकृति विभाग के नियंत्रण से परे थी। यह देखा गया कि तीसरी कॉल में, निविदाएँ 28 मई 2007 को खोलीं गई। के.लो.नि.वि. मैनुअल 2007 के अनुच्छेद 19.3.1 के अनुसार, निविदाएँ खोलीं जाने की तिथि से 42 दिनों के भीतर कार्य प्रदान कर दिया जाना चाहिए। यद्यपि, यह देखा गया कि तीसरी कॉल में निविदा की वैधता अवधि 25 अगस्त 2007 को समाप्त हो गई थी तथा विभाग वैधता अवधि के भीतर कार्य प्रदान करने का निर्णय नहीं ले सका। ऐजेन्सी (एल-1) वैधता अवधि बढ़ाने के लिए सहमत नहीं हुई तथा इसलिए विभाग द्वारा निविदाओं को अस्वीकृत कर दिया गया। रिकॉर्ड में विलंब के कारण उपलब्ध नहीं थे। चौथी कॉल में खोले जाने के समय कोई निविदा नहीं पाई गई। पाँचवीं कॉल में निविदाओं में गलत शर्त लगाने के कारण मुख्य अभियन्ता (द्वारका) द्वारा निविदा अस्वीकृत कर दी गई। यह दर्शाता है कि त्रुटिपूर्ण एन.आई.टी. बनाई गई थी और ये शर्त पिछली चौथी कॉल के दौरान एन.आई.टी. का भी भाग थीं। अंततः, कार्य छठी कॉल पर निविदा लागत ₹ 3.33 करोड़ के मूल्य पर सौंपा गया। लेखापरीक्षा की दृष्टि से कार्य ₹ 2.93 करोड़ की निविदा मूल्य पर तीसरे कॉल पर सौंपा जा सकता था लेकिन विभाग की असफलता के कारण कार्य निश्चित अवधि के अंदर तीसरी कॉल पर ऐजेन्सी को सौंपा नहीं जा सका और अंततः छठी कॉल पर ₹ 3.33 करोड़ की निविदा मूल्य पर सौंपा गया जोकि एल-I की तीसरी कॉल से ₹ 40 लाख अधिक थी। तीसरी कॉल में निविदा के निरस्त होने के परिणामस्वरूप ₹ 40 लाख के अतिरिक्त परिहार्य व्यय के साथ-साथ कार्य के निष्पादन में विलम्ब हुआ।

दि.वि.प्रा. ने बताया कि तीसरी कॉल में निविदा को निश्चित करने में विलम्ब का मुख्य कारण न्यूनतम ऐजेन्सी को आरोपित करने योग्य था जिसने दरों की सौदेबाजी को मना करने का निर्णय लेने में दो सप्ताह से अधिक का समय लिया जो अमान्य था क्योंकि सौदेबाजी नियमावली के अनुसार जरूरी नहीं थी। कार्य सौंपे जाने तक लागत तालिका 19 प्रतिशत बढ़ चुकी थी जिसके परिणामस्वरूप परियोजना की लागत बढ़ गई।

सिफारिश

- कार्य वैध अवधि में सौंपा जाना चाहिए और संभागीय कर्मचारियों की चूक या निष्क्रियता और ऐजेंसियों को अधिक भुगतान की जाँच पड़ताल की जानी चाहिए।

5.3.6 आन्तरिक लेखापरीक्षा

दि.वि.प्रा. का अपना एक आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रकोष्ठ है जिसके मुखिया सदस्य (वित्त) हैं जिन्हें अन्य कर्मचारियों सहित मुख्य लेखा अधिकारी की सहायता प्राप्त है। दि.वि.प्रा. की कार्य क्षेत्र संरचना में 150 लेखापरीक्षा इकाईयाँ हैं। दि.वि.प्रा. की आन्तरिक निरीक्षण नियमावली में आन्तरिक लेखापरीक्षा विंग द्वारा की जाने वाली लेखापरीक्षा की अवधि या आवृत्ति को निर्दिष्ट नहीं किया गया है।

आन्तरिक लेखापरीक्षा के क्रियाकलापों विशेषकर विकास योग्य योजनाओं के सम्बन्ध में की गई जांच की समीक्षा ने दर्शाया कि पिछले तीन वर्षों में इकाईयों को पूरा करने में

लगातार सुधार हुआ है परन्तु अभी भी कुल लेखापरीक्षा योग्य इकाईयों को 50 प्रतिशत तक पूरा किया गया है जैसा कि तालिका-5 में दर्शाया गया है:

तालिका-5 - आन्तरिक लेखापरीक्षा

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	लेखापरीक्षा योग्य इकाईयों की कुल संख्या	लेखापरीक्षित इकाईयों की संख्या	लेखापरीक्षित इकाईयों की प्रतिशतता
1.	2005-2006	150	59	39.33
2.	2006-2007	150	60	40.00
3.	2007-2008	150	77	51.33
4.	2008-2009	150	80	53.33
5.	2009-2010	150	60 तथा (छठे वेतन आयोग के लागू होने पर वेतन निर्धारण मामलों की 100 प्रतिशत लेखापरीक्षा)	40.00

लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार करते हुए दि.वि.प्रा. ने कहा कि लेखापरीक्षा दलों की संख्या में बढ़ोत्तरी द्वारा आन्तरिक निरीक्षण प्रकोष्ठ को सुदृढ़ करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

सिफारिश

- जोखिम घटक को ध्यान में रखते हुए लेखापरीक्षा की जाने वाली इकाईयों की आन्तरिक लेखापरीक्षा की अवधि को निर्दिष्ट किया जाना चाहिए तथा आन्तरिक लेखापरीक्षा विंग को सुदृढ़ करना चाहिए ताकि अधिक से अधिक इकाईयों की लेखापरीक्षा पूरी की जा सके।

5.4 निष्कर्ष

प्राधिकरण की निष्पादन लेखापरीक्षा में इसके कार्यकलापों में निम्न कमियां पाई गईं:

- प्राधिकरण ने योजना के साथ समक्रमिक होते हुए दिल्ली मास्टर प्लॉन 2021 में दिए गये लक्ष्यों को लघु/दीर्घ समय अवधि की योजना में विभाजित नहीं किया।
- उप राज्यपाल की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति ने यह फैसला लिया था कि समिति छः महीने की नियमित अवधि पर प्रगति की समीक्षा के लिए बैठक करेगी परन्तु 8 मई 2008 से उसकी कोई बैठक नहीं हुई।
- जिस सङ्क पर दि.वि.प्रा. द्वारा पहले ही ₹ 84.98 करोड़ का खर्च किया जा चुका था उसे भूमि के बाधा रहित न होने के कारण पूरा नहीं किया जा सका।
- दि.वि.प्रा. विध्वंस करने के अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सका।
- स्थानीय निकायों से तालमेल के अभाव थे जिसके परिणामस्वरूप परियोजना में विलम्ब हुआ/व्यय की निरर्थकता रही।

- कुछ मामलों में कार्यों को व्यय की स्वीकृत सीमाओं से अधिक पर कार्यान्वित किया गया।

5.5 अभिस्वीकृति

दि.वि.प्रा. द्वारा उस निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान किए गये सहयोग और मदद की लेखापरीक्षा अभिस्वीकृति करता है।

यह निष्पादन लेखापरीक्षा रिपोर्ट मन्त्रालय को मई 2011 में जारी की गई थी। जुलाई 2011 से मन्त्रालय से उत्तर प्राप्त होना प्रतीक्षित था।

(रॉय मथरानी)

महानिदेशक लेखापरीक्षा
केन्द्रीय व्यय

नई दिल्ली

दिनांक: 17 अगस्त 2011

प्रतिहस्ताक्षरित

(विनोद राय)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली

दिनांक: 18 अगस्त 2011

अनुलग्नक -I

(पैराग्राफ 5.3.3.1 के संदर्भ में)

विकास के लिए रूपरेखा

संघटक	इकाई	मॉनिटरिंग की अवधि	फेज-I 2011 तक	फेज-II 2011 -16 तक	फेज-III 2016-21	2021 तक लक्ष्य
I. जनसंख्या (अवसंरचना प्रावधान के लिए)	लाख		138-182	182-199	199-230	230
II. नए घर	घरों की संख्या लाखों में		7 पु* 3.5	9 पु 3.5	8 पु 3.5	24 पु 3.5
क. झुझो तथा स्लम से आए हुए शहरी गरीबों के लिए घर.	-वही-	2 वर्ष	0.7 1.0	0.7 1.6	0.6 1.4	2.0 4.0
ख. स्वतन्त्र प्लाटों के रूप में घर तथा पुर्नविकास	-वही-	2 वर्ष	0.35 0.2	0.35 0.3	0.3 0.3	1.0 0.8
ग. ग्रुप हाउसिंग (कुल अनिवार्य निवास इकाईयों का 35% जो 2 कमरों से अधिक या कम न हो)	-वही-	2 वर्ष	0.84 1.9	0.84 3.0	0.72 2.7	2.4 7.6
घ. नियोक्ता गृह	-वही-	1 वर्ष	0.14 0.15	0.14 0.25	0.12 0.2	0.4 0.6
ङ. अनाधिकृत नियमित कॉलोनियाँ	-वही-	1 वर्ष	1.05 0.15	1.05 0.25	0.9 0.2	3.0 0.6
च. पुराने क्षेत्रों के सुधार के अन्य हाउसिंग क्षेत्र परम्परागत/ ग्रामीण *हाऊसिंग स्टॉक संचय तथा प्रतिस्थापन सम्मिलित है		4 वर्ष	0.42 0.1	0.42 0.16	0.36 0.14	1.2 0.4
III. भौतिक अवसंरचना						
(क) पॉवर वितरण की वृद्धि	एम डब्ल्यू	2 वर्ष	3744	1447	2639	7830
(ख) नगर निगम के ठोस अपशिष्ट	टन	1 वर्ष	4900	1939	3368	10207

IV. सामाजिक अवसंरचना							
(क) स्वास्थ्य							
(i) अस्पताल ए (501 बिस्तर तथा अधिक)	सं.	2 वर्ष	9	3	6	18	
(ii) अस्पताल बी (201 बिस्तर से 500 बिस्तर)	सं.	1 वर्ष	18	6	12	36	
(iii) अस्पताल सी (101 बिस्तर से 200 बिस्तर)	सं.	1 वर्ष	43	17	30	90	
(iv) अस्पताल डी (100 बिस्तर तक)	सं..	1 वर्ष	43	17	30	90	
(v) पशु चिकित्सालय	सं..	1 वर्ष	6	6	6	18	
(ख) शिक्षा							
(i) शारीरिक रूप विकलांगों के लिए स्कूल	सं.	2 वर्ष	4	2	3	9	
(ii) मानसिक रूप से विकलांगों के लिए स्कूल	सं.	2 वर्ष	4	2	3	9	
(iii) व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र	सं.	1 वर्ष	9	3	6	18	

*पुनर्विकसित ** नए घर

अनुलग्नक-II

(पैराग्राफ 5.3.3.1 के संदर्भ में)

क्षेत्रीय विकास योजना 2021 के ब्यौरे

क्र.सं.	क्षेत्रीय विकास योजना 2021	मास्टर प्लान के अनुमोदन की तिथि	मंत्रालय को क्षेत्रीय योजना अग्रेषण की फाईल सं. एवं तिथि	भारत के राजपत्र में अधिसूचना की तिथि
1	क्षेत्र ए तथा सी	2/2007	एफ.4 (3)/2008/एम.पी. /43 जी. दिनांक 16.2.09 एफ.4 (53)/2006/ एम.पी. भाग 2/39 जी. दिनांक. 13.2.09	18.06.2010 एवं 29.07.2010
2	क्षेत्र बी	2/2007	एफ.4 (2)/2008/ एम.पी./42 जी. दिनांक 16.2.09	
3	क्षेत्र ई	2/2007	एफ.4 (01)/2006/ एम.पी.35 जी. दिनांक 13.2.09	
4	क्षेत्र एफ	2/2007	एफ.3 (44)/2005 एम.पी.भाग //34 जी. दिनांक 13.2.09	
5	क्षेत्र जी	2/2007	एफ 4 (2)/2007/ एम.पी./भाग/32 जी. दिनांक 13.2.09	
6	क्षेत्र एच	2/2007	एफ 4 (4)/2006/ एम.पी.भाग /33 जी. दिनांक 13.2.09	
7	क्षेत्र जे	2/2007	एफ 4 (1)98/ एम.पी. /भाग/37 जी. दिनांक 13.2.09	
8	क्षेत्र के एल I	2/2007	एफ (14)/2007/ एम.पी.भाग /37 जी. दिनांक 13.2.09	
9	क्षेत्र के II	2/2007	एफ (5)/98/ एम.पी./ भाग /38 जी. दिनांक. 13.2.09	
10	क्षेत्र ई एल	2/2007	एफ 4 (6)/98/ एम.पी./ भाग /36 जी. दिनांक 13.2.09	
11	क्षेत्र एम	2/2007	एफ.4 (11)/2007/ एम.पी.भाग /40 जी. दिनांक 13.2.09	
12	क्षेत्र एन	2/2007	एफ.4 (3)/98/ एम.पी./44 जी. दिनांक 16.2.09	
13	क्षेत्र पी आई I	2/2007	एफ.4 (1)/98/ एम.पी. /44 जी. दिनांक 16.2.09	
14	क्षेत्र ओ	2/2007	एफ 4 (10)/2007/ एम.पी. /604 दिनांक 17.8.09	
15	क्षेत्र डी	2/2007	अभी अनुमोदित किया जाना है	

